राजस्थान में ई - गवर्नेंस : जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन का तुलनात्मक अध्ययन

2018

शोध प्रबंध प्रस्तुत किया जाता है,

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, से

लोक प्रशासन में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि हेतु

शोध पर्यवेक्षक
डॉ. अकबर अली,
सहायक आचार्य एवं संयोजक
लोक प्रशासन विभाग

शोधार्थी
सुधांशु गौतम

लोक प्रशासन विभाग

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

रावतभाटा रोड, कोटा (राज.) 324021

डॉ. अकबर अली,
सहायक आचार्य एवं संयोजक,
लोक प्रशासन विभाग
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सुधांशु गौतम ने “राजस्थान में ई - गवर्नेंस : जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन का तुलनात्मक अध्ययन” विषय पर मेरे मार्गदर्शन तथा निर्देशन में शोध कार्य (UGC शोध विनियमन 2009 के अनुसार) पूर्ण किया है | यह इनका मौलिक कार्य है तथा यह शोध प्रबंध लोक प्रशासन में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि हेतु वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा को प्रेषित किया जा रहा है |

दिनांक-

डॉ. अकबर अली

सुधांशु गौतम,
शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा लोक प्रशासन में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध प्रबंध जिसका शीर्षक "राजस्थान में ई - गवर्नेंस : जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन तुलनात्मक अध्ययन" है, शोध कार्य मेरे व्यक्तिगत अनुसंधान पर आधारित मौलिक शोध कार्य है | यह शोध कार्य मैंने डॉ. अकबर अली, सहायक आचार्य एवं संयोजक, लोक प्रशासन विभाग, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के निर्देशन तथा मार्गदर्शन में (UGC शोध विनियमन 2009 के अनुसार) पूर्ण किया है |

मेरी व्यक्तिगत जानकारी में इस विषय पर कोई अन्य शोध कार्य नहीं हुआ है |

दिनांक- सुधांशु गौतम

कृतज्ञता ज्ञापन

मैं उन सभी श्रद्धेय जनों को नमन करता हूं तथा आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस शोध कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मुझे प्रेरणा तथा सहयोग प्रदान किया है | ऐसे सज्जनों का मैं जीवनपर्यंत आभारी रहूंगा |

अपने शोध कार्य को प्रस्तुत करते हुए मैं सर्वप्रथम सहज योग संस्थापिका परम पूज्य माताजी श्री निर्मला देवी जी के प्रति अपनी कृतज्ञता तथा समर्पण प्रकट करता हूं जिनकी कृपा व आशीर्वाद से यह शोध कार्य मूर्त रूप ले सका है |

मैं अपने शोध पर्यवेक्षक डॉ. अकबर अली जी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं जिनके निर्देशन तथा मार्गदर्शन में मेरा शोध कार्य पूर्ण हुआ है तथा में ईश्वर को धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने डॉ. अकबर अली जी जैसे ईमानदार तथा मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण शख्सियत को मेरा शोध पर्यवेक्षक बनाया |

इसी क्रम में धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के कुलपति प्रो. अशोक जी शर्मा, पूर्व कुलपति प्रो. विनय कुमार जी पाठक, निदेशक अकादमी प्रो. लीलाराम जी गुर्जर, वर्तमान शोध निदेशक डॉ. सुबोध कुमार जी, पूर्व शोध निदेशक प्रो. दिनेश कुमार गुप्ता जी, प्रो. पी. के. शर्मा जी, शोध उप निदेशक डॉ. क्षमता चौधरी जी, डॉ. अखिलेश कुमार जी तथा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के सभी गुरुजनों तथा कार्मिकों का जिन्होंने सदैव मेरे मनोबल तथा आत्मविश्वास को बढ़ाने का कार्य किया |

संपूर्ण शोध कार्य को करने के दौरान मुझे प्रेरणा एवं साहस प्रदान करने वाले मेरे पिता रमेश चंद्र गौतम, माता सुमित्रा गौतम, बड़े भाई हेमंत, भाभी प्रज्ञा गौतम, पत्नी एकता, मेरी बहनें अनीता, अवनिका तथा उषा, मेरे ससुर श्री महावीर प्रसाद गौतम तथा सास श्रीमति मंजू गौतम का मैं सदैव आभारी रहूंगा |

सुधांशु गौतम

अध्याय विभाजन (Chapter - Divisions)

अध्याय	विषय वस्तु (Subject – Matter)	पृष्ठ संख्या
प्रथम	ई-गवर्नेंस की अवधारणा व महत्व, वैश्विक परिप्रेक्ष्य मे ई-गवर्नेंस, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना, राजस्थान में ई-गवर्नेंस तथा ई जिला पायलेट परियोजना	1 - 29
द्वितीय	साहित्य समीक्षा तथा शोध पद्धति	30 – 47
तृतीय	जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन की तुलनात्मकता	48 – 125
चतुर्थ	जोधपुर तथा अजमेर जिले के प्रशासन में नागरिक केन्द्रीयता की तुलनात्मकता	126 – 187
पंचम	निष्कर्ष तथा सुझाव	188 – 225
	संदर्भ ग्रंथ सूची	226 – 231
	परिशिष्ट (Appendix)	232 – 238
	प्रकाशित शोध पत्र तथा सेमिनार / कॉन्फ्रेंस प्रमाण पत्र	239 -

अनुक्रमणिका (Index)

क्रमांक	विषय वस्तु (Subject – Matter)	पृष्ठ संख्या
1	**प्रथम अध्याय**	1
1.1	ई-गवर्नेंस का इतिहास	2
1.2	ई-गवर्नेंस	2
1.3	ई-गवर्नेंस का महत्व	5
1.4	ई-गवर्नेंस के महत्व के संदर्भ में भारत सरकार	6
1.5	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेमिनार	7
1.6	भारत में ई-गवर्नेंस के संदर्भ में पूर्व में किए गए प्रयोगों से प्राप्त अनुभव	8
1.7	ई-गवर्नेंस के संदर्भ में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग	9
1.8	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना	10
1.9	डिजिटल इंडिया (Digital India)	12
1.10	राजस्थान में ई-गवर्नेंस	14
1.11	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग	14
1.12	राजकॉम्प (RajComp)	15
1.13	राजस्थान में ई-गवर्नेंस के अंतर्गत चल रही तकनीकी परियोजनाऐं	16
1.14	ई जिला पायलेट परियोजना	18
1.15	जिला प्रशासन का महत्व	18
1.16	ई जिला पायलेट परियोजना की शुरुआत	19
1.17	ई जिला परियोजना के उद्देश्य	19
1.18	ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित सेवाएं	20
1.19	मुद्दे तथा चुनौतियां	28
2	**द्वितीय अध्याय**	30
2.1	साहित्य समीक्षा (Literature review)	31
2.2	शोध पद्धति (Research Methodology)	41
2.3	वर्णनात्मक अनुसंधान पद्धति (Descriptive research methodology)	41
2.4	शोधार्थी के शोध कार्य के संदर्भ में वर्णनात्मक अनुसंधान पद्धति (Descriptive research methodology) की विशेषताऐं	42

2.5	अनुसंधान उपकरण (Research Tools)	43
2.6	आंकड़ों का संग्रहण (Collection of data)	44
2.7	आंकड़ों का विश्लेषण (Analysis of data)	46
3	**तृतीय अध्याय**	48
3.1	जोधपुर तथा अजमेर जिले के बारे में सामान्य जानकारी	49
3.2	जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना का क्रियान्वयन	51
3.3	संपूर्ण जनसंख्या के आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण	56
3.4	सम्पूर्ण जनसंख्या के सन्दर्भ में प्रथम सेवा	56
3.5	संपूर्ण जनसंख्या के संबंध में प्रथम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन	57
3.6	सम्पूर्ण जनसंख्या के सन्दर्भ में द्वितीय सेवा	57
3.7	संपूर्ण जनसंख्या के संबंध में द्वितीय सेवा का तुलनात्मक अध्ययन	58
3.8	सम्पूर्ण जनसंख्या के सन्दर्भ में तृतीय सेवा	58
3.9	संपूर्ण जनसंख्या के संबंध में तृतीय सेवा का तुलनात्मक अध्ययन	59
3.10	सम्पूर्ण जनसंख्या के सन्दर्भ में चतुर्थ सेवा	59
3.11	संपूर्ण जनसंख्या के संबंध में चतुर्थ सेवा का तुलनात्मक अध्ययन	60
3.12	सम्पूर्ण जनसंख्या के सन्दर्भ में पंचम सेवा	60
3.13	संपूर्ण जनसंख्या के संबंध में पंचम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन	61
3.14	सम्पूर्ण जनसंख्या के सन्दर्भ में षष्ठम सेवा	62
3.15	संपूर्ण जनसंख्या के संबंध में षष्ठम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन	62
3.16	सम्पूर्ण जनसंख्या के सन्दर्भ में सप्तम सेवा	63
3.17	संपूर्ण जनसंख्या के संबंध में सप्तम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन	64
3.18	सम्पूर्ण जनसंख्या के सन्दर्भ में अष्टम सेवा	64
3.19	संपूर्ण जनसंख्या के संबंध में अष्टम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन	65
3.20	सम्पूर्ण जनसंख्या के सन्दर्भ में नवम सेवा	65
3.21	संपूर्ण जनसंख्या के संबंध में नवम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन	66
3.22	सम्पूर्ण जनसंख्या के सन्दर्भ में दसवीं सेवा	66
3.23	संपूर्ण जनसंख्या के संबंध में दसवीं सेवा का तुलनात्मक अध्ययन	67
3.24	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण	68

3.25	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के सन्दर्भ में प्रथम सेवा	68
3.26	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संबंध में प्रथम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन	69
3.27	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के सन्दर्भ में द्वितीय सेवा	69
3.28	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संबंध में द्वितीय सेवा का तुलनात्मक अध्ययन	71
3.29	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के सन्दर्भ में तृतीय सेवा	71
3.30	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संबंध में तृतीय सेवा का तुलनात्मक अध्ययन	72
3.31	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के सन्दर्भ में चतुर्थ सेवा	73
3.32	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संबंध में चतुर्थ सेवा का तुलनात्मक अध्ययन	74
3.33	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के सन्दर्भ में सप्तम सेवा	75
3.34	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संबंध में सप्तम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन	75
3.35	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के सन्दर्भ में अष्टम सेवा	76
3.36	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संबंध में अष्टम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन	77
3.37	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के सन्दर्भ में नवम सेवा	78
3.38	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संबंध में नवम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन	79
3.39	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के सन्दर्भ में दसवीं सेवा	79
3.40	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संबंध में दसवीं सेवा का तुलनात्मक अध्ययन	80
3.41	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण	81
3.42	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के सन्दर्भ में प्रथम सेवा	81
3.43	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संबंध में प्रथम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन	82
3.44	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के सन्दर्भ में द्वितीय सेवा	83
3.45	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संबंध में द्वितीय सेवा का तुलनात्मक अध्ययन	84
3.46	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के सन्दर्भ में तृतीय सेवा	84
3.47	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संबंध में तृतीय सेवा का तुलनात्मक अध्ययन	85
3.48	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के सन्दर्भ में चतुर्थ सेवा	86
3.49	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संबंध में चतुर्थ सेवा का तुलनात्मक अध्ययन	87
3.50	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के सन्दर्भ में सप्तम सेवा	88
3.51	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संबंध में सप्तम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन	88
3.52	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के सन्दर्भ में अष्टम सेवा	89
3.53	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संबंध में अष्टम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन	90

3.54	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के सन्दर्भ में नवम सेवा	91
3.55	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संबंध में नवम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन	92
3.56	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के सन्दर्भ में दसवीं सेवा	92
3.57	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संबंध में दसवीं सेवा का तुलनात्मक अध्ययन	93
3.58	शिक्षा के आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण	94
3.59	तीन शिक्षा श्रेणियों का निर्माण	94
3.60	शिक्षा श्रेणियों के सन्दर्भ में प्रथम सेवा	94
3.61	शिक्षा श्रेणियों के संबंध में प्रथम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन	95
3.62	शिक्षा श्रेणियों के सन्दर्भ में द्वितीय सेवा	96
3.63	शिक्षा श्रेणियों के संबंध में द्वितीय सेवा का तुलनात्मक अध्ययन	97
3.64	शिक्षा श्रेणियों के सन्दर्भ में तृतीय सेवा	98
3.65	शिक्षा श्रेणियों के संबंध में तृतीय सेवा का तुलनात्मक अध्ययन	99
3.66	शिक्षा श्रेणियों के सन्दर्भ में चतुर्थ सेवा	100
3.67	शिक्षा श्रेणियों के संबंध में चतुर्थ सेवा का तुलनात्मक अध्ययन	101
3.68	शिक्षा श्रेणियों के सन्दर्भ में सप्तम सेवा	102
3.69	शिक्षा श्रेणियों के संबंध में सप्तम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन	103
3.70	शिक्षा श्रेणियों के सन्दर्भ में अष्टम सेवा	104
3.71	शिक्षा श्रेणियों के संबंध में अष्टम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन	105
3.72	शिक्षा श्रेणियों के सन्दर्भ में नवम सेवा	106
3.73	शिक्षा श्रेणियों के संबंध में नवम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन	107
3.74	शिक्षा श्रेणियों के सन्दर्भ में दसवीं सेवा	108
3.75	शिक्षा श्रेणियों के संबंध में दसवीं सेवा का तुलनात्मक अध्ययन	109
3.76	आयु के आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण	110
3.77	आयु के आधार पर पांच आयु वर्गों का निर्माण	110
3.78	आयु वर्गों के सन्दर्भ में प्रथम सेवा	111
3.79	आयु वर्गों के संबंध में प्रथम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन	112
3.80	आयु वर्गों के सन्दर्भ में द्वितीय सेवा	112
3.81	आयु वर्गों के संबंध में द्वितीय सेवा का तुलनात्मक अध्ययन	113
3.82	आयु वर्गों के सन्दर्भ में तृतीय सेवा	114
3.83	आयु वर्गों के संबंध में तृतीय सेवा का तुलनात्मक अध्ययन	115

3.84	आयु वर्गों के सन्दर्भ में चतुर्थ सेवा	116
3.85	आयु वर्गों के संबंध में चतुर्थ सेवा का तुलनात्मक अध्ययन	117
3.86	आयु वर्गों के सन्दर्भ में सप्तम सेवा	118
3.87	आयु वर्गों के संबंध में सप्तम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन	119
3.88	आयु वर्गों के सन्दर्भ में अष्टम सेवा	120
3.89	आयु वर्गों के संबंध में अष्टम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन	121
3.90	आयु वर्गों के सन्दर्भ में नवम सेवा	122
3.91	आयु वर्गों के संबंध में नवम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन	123
3.92	आयु वर्गों के सन्दर्भ में दसवीं सेवा	124
3.93	आयु वर्गों के संबंध में दसवीं सेवा का तुलनात्मक अध्ययन	125
4	**चतुर्थ अध्याय**	126
4.1	नागरिक केंद्रीयता **(Citizen centricity)** का अर्थ	127
4.2	नागरिक केंद्रित प्रशासन के गुण	127
4.3	जोधपुर तथा अजमेर जिले में नागरिक केंद्रीयता का स्तर	128
4.4	संपूर्ण जनसंख्या के आधार पर नागरिक केंद्रीयता का विश्लेषण	130
4.5	संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का प्रथम घटक	130
4.6	संपूर्ण जनसंख्या के संबंध में प्रथम घटक का तुलनात्मक अध्ययन	131
4.7	संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का द्वितीय घटक	131
4.8	संपूर्ण जनसंख्या के संबंध में द्वितीय घटक का तुलनात्मक अध्ययन	132
4.9	संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का तृतीय घटक	132
4.10	संपूर्ण जनसंख्या के संबंध में तृतीय घटक का तुलनात्मक अध्ययन	133
4.11	संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का चतुर्थ घटक	134
4.12	संपूर्ण जनसंख्या के संबंध में चतुर्थ घटक का तुलनात्मक अध्ययन	135
4.13	संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का पंचम घटक	135
4.14	संपूर्ण जनसंख्या के संबंध में पंचम घटक का तुलनात्मक अध्ययन	136
4.15	संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का षष्ठम घटक	136
4.16	संपूर्ण जनसंख्या के संबंध में षष्ठम घटक का तुलनात्मक अध्ययन	137
4.17	संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का सप्तम घटक	137

4.18	संपूर्ण जनसंख्या के संबंध में सप्तम घटक का तुलनात्मक अध्ययन	138
4.19	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के आधार पर नागरिक केन्द्रीयता का विश्लेषण	138
4.20	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का प्रथम घटक	139
4.21	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संबंध में प्रथम घटक का तुलनात्मक अध्ययन	140
4.22	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का द्वितीय घटक	140
4.23	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संबंध में द्वितीय घटक का तुलनात्मक अध्ययन	141
4.24	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का तृतीय घटक	142
4.25	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संबंध में तृतीय घटक का तुलनात्मक अध्ययन	143
4.26	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का चतुर्थ घटक	143
4.27	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संबंध में चतुर्थ घटक का तुलनात्मक अध्ययन	144
4.28	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का पंचम घटक	145
4.29	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संबंध में पंचम घटक का तुलनात्मक अध्ययन	146
4.30	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का षष्ठम घटक	146
4.31	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संबंध में षष्ठम घटक का तुलनात्मक अध्ययन	147
4.32	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का सप्तम घटक	148
4.33	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संबंध में सप्तम घटक का तुलनात्मक अध्ययन	149
4.34	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर नागरिक केंद्रीयता का विश्लेषण	149
4.35	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का प्रथम घटक	149
4.36	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संबंध में प्रथम घटक का तुलनात्मक अध्ययन	150
4.37	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का द्वितीय घटक	151
4.38	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संबंध में द्वितीय घटक का तुलनात्मक अध्ययन	152
4.39	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का तृतीय घटक	153
4.40	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संबंध में तृतीय घटक का तुलनात्मक अध्ययन	154
4.41	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का चतुर्थ घटक	154
4.42	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संबंध में चतुर्थ घटक का तुलनात्मक अध्ययन	155
4.43	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का पंचम घटक	156
4.44	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संबंध में पंचम घटक का तुलनात्मक अध्ययन	157
4.45	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का षष्ठम घटक	157

4.46	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संबंध में षष्ठम घटक का तुलनात्मक अध्ययन	158
4.47	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का सप्तम घटक	158
4.48	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संबंध में सप्तम घटक का तुलनात्मक अध्ययन	159
4.49	शिक्षा के आधार पर नागरिक केंद्रीयता का विश्लेषण	160
4.50	शिक्षा के आधार पर तीन शिक्षा श्रेणियों का निर्माण	160
4.51	शिक्षा श्रेणियों के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का प्रथम घटक	160
4.52	शिक्षा श्रेणियों के संबंध में प्रथम घटक का तुलनात्मक अध्ययन	161
4.53	शिक्षा श्रेणियों के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का द्वितीय घटक	162
4.54	शिक्षा श्रेणियों के संबंध में द्वितीय घटक का तुलनात्मक अध्ययन	163
4.55	शिक्षा श्रेणियों के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का तृतीय घटक	164
4.56	शिक्षा श्रेणियों के संबंध में तृतीय घटक का तुलनात्मक अध्ययन	165
4.57	शिक्षा श्रेणियों के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का चतुर्थ घटक	166
4.58	शिक्षा श्रेणियों के संबंध में चतुर्थ घटक का तुलनात्मक अध्ययन	167
4.59	शिक्षा श्रेणियों के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का पंचम घटक	168
4.60	शिक्षा श्रेणियों के संबंध में पंचम घटक का तुलनात्मक अध्ययन	169
4.61	शिक्षा श्रेणियों के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का षष्ठम घटक	170
4.62	शिक्षा श्रेणियों के संबंध में षष्ठम घटक का तुलनात्मक अध्ययन	171
4.63	शिक्षा श्रेणियों के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का सप्तम घटक	172
4.64	शिक्षा श्रेणियों के संबंध में सप्तम घटक का तुलनात्मक अध्ययन	173
4.65	आयु के आधार पर नागरिक केंद्रीयता का विश्लेषण	174
4.66	आयु के आधार पर पांच आयु वर्गों का निर्माण	174
4.67	आयु वर्गों के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का प्रथम घटक	174
4.68	आयु वर्गों के संबंध में प्रथम घटक का तुलनात्मक अध्ययन	176
4.69	आयु वर्गों के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का द्वितीय घटक	176
4.70	आयु वर्गों के संबंध में द्वितीय घटक का तुलनात्मक अध्ययन	177
4.71	आयु वर्गों के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का तृतीय घटक	178
4.72	आयु वर्गों के संबंध में तृतीय घटक का तुलनात्मक अध्ययन	179
4.73	आयु वर्गों के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का चतुर्थ घटक	180
4.74	आयु वर्गों के संबंध में चतुर्थ घटक का तुलनात्मक अध्ययन	181
4.75	आयु वर्गों के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का पंचम घटक	182

4.76	आयु वर्गों के संबंध में पंचम घटक का तुलनात्मक अध्ययन	183
4.77	आयु वर्गों के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का षष्ठम घटक	184
4.78	आयु वर्गों के संबंध में षष्ठम घटक का तुलनात्मक अध्ययन	185
4.79	आयु वर्गों के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का सप्तम घटक	186
4.80	आयु वर्गों के संबंध में सप्तम घटक का तुलनात्मक अध्ययन	187
5	**पंचम अध्याय**	188
5.1	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना की वर्तमान में स्थिति	189
5.2	ई जिला पायलेट परियोजना की वर्तमान में स्थिति	191
5.3	ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाऐं	192
5.4	ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली वह सेवाएं जिनका अधिक उपयोग किया गया है	194
5.5	ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली वह सेवाएं जिनका कम उपयोग किया गया है	195
5.6	जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन की तुलनात्मकता	195
5.7	पुरुष जनसंख्या के संदर्भ में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन की तुलनात्मकता	196
5.8	महिला जनसंख्या के संदर्भ में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन की तुलनात्मकता	197
5.9	शहरी जनसंख्या के संदर्भ में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन की तुलनात्मकता	198
5.10	ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन की तुलनात्मकता	198
5.11	शिक्षा के आधार पर ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन की तुलनात्मकता	199
5.12	आयु के आधार पर ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन की तुलनात्मकता	200
5.13	ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात जोधपुर तथा अजमेर जिले में नागरिक केंद्रीयता	202
5.14	पुरुष जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केंद्रीयता की तुलनात्मकता	202
5.15	महिला जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केंद्रीयता की तुलनात्मकता	203

5.16	शहरी जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केंद्रीयता की तुलनात्मकता	203
5.17	ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केंद्रीयता की तुलनात्मकता	204
5.18	शिक्षा के आधार पर नागरिक केंद्रीयता की तुलनात्मकता	204
5.19	आयु के आधार पर नागरिक केंद्रीयता की तुलनात्मकता	205
5.20	जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना की तुलनात्मकता के कारण	206
5.21	ई मित्र सेवा केंद्रों के संदर्भ में जोधपुर तथा अजमेर जिले के नागरिकों के अनुभव	209
5.22	सुझाव (Suggestions)	214
5.23	तुलनात्मक अध्ययन के लिए आरेख (Diagrams)	216
	संदर्भ ग्रंथ सूची (References and Bibliography)	226
	परिशिष्ट (Appendix)	232
	सर्वेक्षण के लिये प्रयुक्त अनुसंधान उपकरण (Research Tool)	233
	जोधपुर तथा अजमेर जिले में सर्वेक्षण से प्राप्त प्रतिदर्श (Sample) का विभिन्न आधारों पर विभाजन प्रदर्शित करती तालिका	238
	प्रकाशित शोध पत्र तथा सेमिनार / कॉन्फ्रेंस प्रमाण पत्र	239

आरेख सूची (List of Diagrams)

आरेख संख्या	विषय वस्तु (Subject Matter)	पृष्ठ संख्या
3.4	संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में प्रथम सेवा	56
3.6	संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में द्वितीय सेवा	57
3.8	संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में तृतीय सेवा	59
3.10	संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में चतुर्थ सेवा	60
3.12	संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में पंचम सेवा	61
3.14	संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में षष्ठम सेवा	62
3.16	संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में सप्तम सेवा	63
3.18	संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में अष्टम सेवा	65
3.20	संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में नवम सेवा	66
3.22	संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में दसवीं सेवा	67
3.25	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संदर्भ में प्रथम सेवा	69
3.27	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संदर्भ में द्वितीय सेवा	70
3.29	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संदर्भ में तृतीय सेवा	72
3.31	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संदर्भ में चतुर्थ सेवा	74
3.33	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संदर्भ में सप्तम सेवा	75
3.35	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संदर्भ में अष्टम सेवा	77
3.37	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संदर्भ में नवम सेवा	78
3.39	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संदर्भ में दसवीं सेवा	80
3.42	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में प्रथम सेवा	82
3.44	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में द्वितीय सेवा	83
3.46	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में तृतीय सेवा	85
3.48	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में चतुर्थ सेवा	87
3.50	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में सप्तम सेवा	88
3.52	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में अष्टम सेवा	90
3.54	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में नवम सेवा	91
3.56	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में दसवीं सेवा	93
3.60	शिक्षा श्रेणियों के संदर्भ में प्रथम सेवा	95

3.62	शिक्षा श्रेणियों के संदर्भ में द्वितीय सेवा	97
3.64	शिक्षा श्रेणियों के संदर्भ में तृतीय सेवा	99
3.66	शिक्षा श्रेणियों के संदर्भ में चतुर्थ सेवा	101
3.68	शिक्षा श्रेणियों के संदर्भ में सप्तम सेवा	103
3.70	शिक्षा श्रेणियों के संदर्भ में अष्टम सेवा	105
3.72	शिक्षा श्रेणियों के संदर्भ में नवम सेवा	107
3.74	शिक्षा श्रेणियों के संदर्भ में दसवीं सेवा	109
3.78	आयु वर्गों के संदर्भ में प्रथम सेवा	111
3.80	आयु वर्गों के संदर्भ में द्वितीय सेवा	113
3.82	आयु वर्गों के संदर्भ में तृतीय सेवा	115
3.84	आयु वर्गों के संदर्भ में चतुर्थ सेवा	117
3.86	आयु वर्गों के संदर्भ में सप्तम सेवा	119
3.88	आयु वर्गों के संदर्भ में अष्टम सेवा	121
3.90	आयु वर्गों के संदर्भ में नवम सेवा	123
3.92	आयु वर्गों के संदर्भ में दसवीं सेवा	125
4.5	संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में प्रथम घटक	131
4.7	संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में द्वितीय घटक	132
4.9	संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में तृतीय घटक	133
4.11	संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में चतुर्थ घटक	134
4.13	संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में पंचम घटक	135
4.15	संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में षष्ठम घटक	137
4.17	संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में सप्तम घटक	138
4.20	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संदर्भ में प्रथम घटक	139
4.22	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संदर्भ में द्वितीय घटक	141
4.24	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संदर्भ में तृतीय घटक	142
4.26	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संदर्भ में चतुर्थ घटक	144
4.28	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संदर्भ में पंचम घटक	145
4.30	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संदर्भ में षष्ठम घटक	147
4.32	पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संदर्भ में सप्तम घटक	148

4.35	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में प्रथम घटक	150
4.37	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में द्वितीय घटक	152
4.39	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में तृतीय घटक	153
4.41	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में चतुर्थ घटक	155
4.43	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में पंचम घटक	156
4.45	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में षष्ठम घटक	158
4.47	शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में सप्तम घटक	159
4.51	शिक्षा श्रेणियों के संदर्भ में प्रथम घटक	161
4.53	शिक्षा श्रेणियों के संदर्भ में द्वितीय घटक	163
4.55	शिक्षा श्रेणियों के संदर्भ में तृतीय घटक	165
4.57	शिक्षा श्रेणियों के संदर्भ में चतुर्थ घटक	167
4.59	शिक्षा श्रेणियों के संदर्भ में पंचम घटक	169
4.61	शिक्षा श्रेणियों के संदर्भ में षष्ठम घटक	171
4.63	शिक्षा श्रेणियों के संदर्भ में सप्तम घटक	173
4.67	आयु वर्गों के संदर्भ में प्रथम घटक	175
4.69	आयु वर्गों के संदर्भ में द्वितीय घटक	177
4.71	आयु वर्गों के संदर्भ में तृतीय घटक	179
4.73	आयु वर्गों के संदर्भ में चतुर्थ घटक	181
4.75	आयु वर्गों के संदर्भ में पंचम घटक	183
4.77	आयु वर्गों के संदर्भ में षष्ठम घटक	185
4.79	आयु वर्गों के संदर्भ में सप्तम घटक	187
5.23.1	संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में ई जिला पायलेट परियोजना की सेवाओं के उपयोग का विश्लेषण	216
5.23.2	पुरुष जनसंख्या के संदर्भ में ई जिला पायलेट परियोजना की सेवाओं के उपयोग का विश्लेषण	217
5.23.3	महिला जनसंख्या के संदर्भ में ई जिला पायलेट परियोजना की सेवाओं के उपयोग का विश्लेषण	217
5.23.4	शहरी जनसंख्या के संदर्भ में ई जिला पायलेट परियोजना की सेवाओं के उपयोग का विश्लेषण	218

5.23.5	ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में ई जिला पायलेट परियोजना की सेवाओं के उपयोग का विश्लेषण	218
5.23.6	जोधपुर जिले में शिक्षा के संदर्भ में ई जिला पायलेट परियोजना की सेवाओं के उपयोग का विश्लेषण	219
5.23.7	अजमेर जिले में शिक्षा के संदर्भ में ई जिला पायलेट परियोजना की सेवाओं के उपयोग का विश्लेषण	219
5.23.8	जोधपुर जिले में आयु वर्गो के संदर्भ में ई जिला पायलेट परियोजना की सेवाओं के उपयोग का विश्लेषण	220
5.23.9	अजमेर जिले में आयु वर्गो के संदर्भ में ई जिला पायलेट परियोजना की सेवाओं के उपयोग का विश्लेषण	220
5.23.10	सम्पूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता के घटकों का विश्लेषण	221
5.23.11	पुरुष जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता के घटकों का विश्लेषण	222
5.23.12	महिला जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता के घटकों का विश्लेषण	222
5.23.13	शहरी जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता के घटकों का विश्लेषण	223
5.23.14	ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता के घटकों का विश्लेषण	223
5.23.15	जोधपुर जिले में शिक्षा के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता के घटकों का विश्लेषण	224
5.23.16	अजमेर जिले में शिक्षा के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता के घटकों का विश्लेषण	224
5.23.17	जोधपुर जिले में आयु वर्गो के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता के घटकों का विश्लेषण	225
5.23.18	अजमेर जिले में आयु वर्गो के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता के घटकों का विश्लेषण	225

प्रथम

अध्याय

{परिचयात्मक}

1.1 ई-गवर्नेंस का इतिहास- विश्व में ई-गवर्नेंस की शुरुआत 1980 के दशक के प्रारंभ से मानी जाती है। भारत में ई-गवर्नेंस की शुरुआत 1980 के दशक के अंत तथा 1990 के दशक के प्रारम्भिक समय में मानी जाती है, जब विभिन्न विभागों में कम्प्यूटरीकरण तथा नेटवर्किंग पर ध्यान केन्द्रित किया गया। इस समय केंद्र सरकार द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से चुनाव, जनसंख्या तथा कर प्रशासन से सम्बंधित आंकड़ों को सुरक्षित रखा जाये।

इस समय सरकार द्वारा ई-गवर्नेंस से सम्बंधित जो भी प्रयोग किये गए वे अपेक्षित परिणामों को नहीं पा सके, इसका प्रमुख कारण उस समय एक समर्पित टीम की कमी, लोक तथा निजी सहभागिता की कार्यशैली का अभाव, निजता से सम्बंधित नीति का अभाव तथा सूचना प्रौद्योगिकी के सम्बंधित आधारभूत संरचना यथा डाटा सेंटर, वाइड एरिया नेटवर्क इत्यादि का अभाव रहा।

भारत में ई-गवर्नेंस की शुरुआत भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी के समय से मानी जाती है, जब उन्होंने भारत में सरकारी कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण पर जोर दिया, लेकिन भारत में ई-गवर्नेंस की प्रभावशाली शुरुआत वर्ष 2000 से मानी जाती है, जब मध्य प्रदेश के धार जिले में ई-गवर्नेंस का प्रथम जिला स्तरीय प्रयोग ग्राम दूत परियोजना के रूप में किया गया।

भारत में ई-गवर्नेंस के लोक निजी सहभागिता के मॉडल अत्यधिक सफल रहे तथा इन प्रयोगों को सफल बनाने में यूनाइटेड टेलीकोम लिमिटेड की मुख्य भूमिका रही है। भारत में भ्रष्टाचार, प्रशासन की एक मुख्य समस्या रही है तथा भारत में यह माना जाता है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को प्राप्त करने में ई-गवर्नेंस की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान समय में भारत के प्रत्येक राज्य में ई-गवर्नेंस के लिये बड़ा नेटवर्क विद्यमान है। भारत में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों ने ई-गवर्नेंस के सन्दर्भ में जो भी प्रयोग किये उनका उद्देश्य लाभार्थी तथा प्रत्येक जरूरतमंद तक सरकारी सेवाओं को पहुँचाना रहा है।

1.2 ई-गवर्नेंस - वस्तुतः गवर्नेंस शब्द गवर्मेंट से अधिक व्यापक तथा महत्व का है। ई-गवर्नेंस का शाब्दिक अर्थ इलेक्ट्रोनिक गवर्नेंस से है। गवर्नेंस से आशय किसी भी सरकार द्वारा नियंत्रण तथा वस्तुओं व सेवाओं के वितरण से है। जब सरकार द्वारा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से गवर्नेंस दी जाती है तो इसे

ई-गवर्नेंस कहते है। सरकार द्वारा यह गवर्नेंस राज्य के नागरिकों, विभिन्न व्यावसायिक संगठनों तथा नागरिक समाज संगठनों को दी जाती है। ई-गवर्नेंस का प्रयोग संगठन की कार्यदक्षता, मितव्ययता, प्रभावशीलता, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वता को बढाने के लिये किया जाता है। ई-गवर्नेंस की कोई मानक परिभाषा नहीं है इस कारण से विभिन्न सरकारी संस्थाओं तथा संगठनों ने अपने लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के अनुरूप इसे अलग – अलग प्रकार से परिभाषित किया है।

विश्व बैंक के अनुसार :- "E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. These technologies can serve a variety of different ends: better delivery of government services to citizens, improved interactions with business and industry, citizen empowerment through access to information, or more efficient government management. The resulting benefits can be less corruption, increased transparency, greater convenience, revenue growth, and/ or cost reductions."

भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम ने भारत के परिप्रेक्ष्य में ई-गवर्नेंस को निम्न प्रकार से द्रष्टिगत किया है :- "A transparent smart e-Governance with seamless access, secure and authentic flow of information crossing the interdepartmental barrier and providing a fair and unbiased service to the citizen."

वास्तव में, ई-गवर्नेंस को आम तौर पर सरकार के सभी स्तरों पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उपयोग के रूप में समझा जाता है, सरकार द्वारा नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए, व्यापार उद्यमों से संचार तथा सरकार की विभिन्न एजेंसियों के बीच सूचना के आदान-प्रदान के सन्दर्भ में इसका आशय लिया जाता है।

ई-गवर्नेंस का उद्देश्य सरकार के रिकार्डों, संस्थानों तथा अधीनस्थ कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण तथा नेटवर्किंग मात्र से नहीं है, अपितु ई-गवर्नेंस की अवधारणा सरकार में सकारात्मक परिवर्तन करना चाहती है।

ई गवर्नेंस का प्रवाह निम्न रूपों में होता है :-

1. विभिन्न सरकारों के मध्य
2. एक सरकार की विभिन्न संस्थाओं के मध्य
3. सरकार तथा नागरिकों के मध्य
4. सरकार तथा व्यवसायों के मध्य

विभिन्न सरकारों के मध्य ई-गवर्नेंस के प्रवाह से आशय है, हमारे देश की केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा स्थानीय सरकारों के मध्य ई-गवर्नेंस का प्रवाह जैसे केंद्र सरकार का विभिन्न राज्यों के साथ, किसी राज्य सरकार और राज्य के शहरी निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के मध्य प्रवाह तथा हमारे देश की विभिन्न राज्य सरकारो के मध्य प्रवाह इत्यादि।

एक सरकार की विभिन्न संस्थाओं के मध्य ई-गवर्नेंस के प्रवाह से आशय है, उस सरकार की नीति निर्माण तथा नीति के क्रियान्वयन से जुड़ी सभी संस्थाओं के मध्य ई-गवर्नेंस का प्रवाह उदाहरण के तौर पर किसी राज्य के शासन सचिवालय द्वारा राज्य के निदेशालयों, जिला प्रशासन तथा राज्य की अन्य संस्थाओं के मध्य ई-गवर्नेंस का प्रवाह इसे स्पष्ट करता है।

एक सरकार तथा उसके नागरिकों के मध्य ई-गवर्नेंस के प्रवाह से आशय है, कि नागरिकों द्वारा सरकार द्वारा दी जा रही वस्तुओं तथा सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए ई-गवर्नेंस के माध्यम से आवेदन करना तथा सरकार द्वारा अपनी योजनाओं का लाभ तथा वस्तुओं व सेवाओं का वितरण आम जनता तक ई-गवर्नेंस के माध्यम से पहुंचाना। उदाहरण के तौर पर राजस्थान में समाज कल्याण विभाग की जितनी भी पेंशन तथा छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, उनके लिए आवेदन राजस्थान सरकार के ई मित्र सेवा केंद्रों के माध्यम से किया जाता है तथा राजस्थान सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा पेंशन तथा छात्रवृत्ति सीधी लाभार्थी के बैंक खाते में समायोजित कर दी जाती है।

सरकार तथा व्यवसायों के मध्य ई-गवर्नेंस के प्रवाह से आशय है कि सरकार तथा राज्य के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मध्य वाणिज्य तथा उत्पादन संबंधी सेवाओं का ई-गवर्नेंस के माध्यम से निष्पादन, उदाहरण के तौर पर राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा जो निविदायें निकाली जाती हैं, वे भी ऑनलाइन निकाली जाती है, जिन्हें विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा ऑनलाइन ही भरा जाता है। कंप्यूटर द्वारा स्वचालित रूप से निविदा का चयन कर लिया जाता है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा ऑनलाइन कर अदा करना भी सरकार तथा व्यवसायों के मध्य ई-गवर्नेंस के प्रवाह को दर्शाता है।

ई-गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य आम नागरिकों तक सरकार के कार्यों से जुडी सूचनाओं को पहुँचाना भी है। सभी प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में, विशेष रूप से विकासशील राष्ट्रों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में गुड गवर्नेंस के लक्ष्य को प्राप्त करने में ई-गवर्नेंस की महत्वपूर्ण भूमिका है। सयुंक्त राष्ट्र संघ ने जब वर्ष 2000 में गुड गवर्नेंस की अवधारणा को स्वीकार किया तब यह माना गया कि गुड गवर्नेंस के लक्ष्यों को प्राप्त करने में ई-गवर्नेंस की महत्वपूर्ण भूमिका है। विभिन्न अध्ययनों में यह पाया गया है कि कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था जो गुड गवर्नेंस के लक्ष्य को पाना चाहती है, उसे एक महत्वपूर्ण स्त्रोत के रूप में ई-गवर्नेंस का प्रयोग करना आवश्यक है।

1. 3 ई-गवर्नेंस का महत्व- वर्तमान युग सूचना तथा ज्ञान का युग है। इस युग की आवश्यकताओं को पूरा करने में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब विश्व के विभिन्न देशों में लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था के स्थान पर परंपरागत शासन व्यवस्था विद्यमान थी तब राज्य द्वारा केवल नियामकीय कार्य किये जाते थे। विश्व में परंपरागत शासन व्यवस्था के बाद जब लोकतान्त्रिक व्यवस्था प्रचलन में आयी तब राज्य नियामकीय कार्यों के अतिरिक्त लोक कल्याण के कार्य भी करने लगे। वर्तमान में विश्व के राष्ट्र लोक कल्याण की अवधारणा पर ही आगे बढ़ रहे हैं।

प्रजातंत्र में शासन व्यवस्थाओं को स्वयं को सत्ता में बनाये रखने के लिये यह आवश्यक हो गया कि उनके द्वारा लोक कल्याण के कार्य किया जाये। वर्तमान समय में राज्य के प्रशासनिक कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हो गयी है तथा प्रशासन के कार्य पहले की अपेक्षा अब अधिक जटिल हो गये हैं। प्रशासनिक कार्यों की बढ़ती

जटिलता तथा प्रशासनिक कार्यों में अत्यधिक वृद्धि की समस्या का समाधान संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संपन्न प्रशासनिक व्यवस्थाओं में विद्यमान है। अतः राज्य की इन आवश्यकतों को पूरा करने में ई-गवर्नेंस का अत्यधिक महत्व है।

विकसित राष्ट्रों के लिये यह आवश्यक है कि वे अपनी प्रशासनिक गुणवत्ता में ओर अधिक सुधार करें तथा विकासशील राष्ट्रों के लिये यह आवश्यक है कि वे राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जायें। इन दोनों ही कार्यों के लिये प्रशासन का कार्यकुशल, कार्यदक्ष तथा प्रभावशाली होना नितांत आवश्यक है। प्रशासन में उपरोक्त लक्षणों को प्राप्त करने में ई गवर्नेंस की महत्वपूर्ण भूमिका है।

1. 4 ई-गवर्नेंस के महत्व के सन्दर्भ में भारत सरकार- भारत में प्रशासन में भ्रष्टाचार एक प्रमुख समस्या है तथा इस समस्या के निराकरण में ई-गवर्नेंस की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में ई-गवर्नेंस के महत्व को इस बात से भी समझा जा सकता है कि भारत में वर्तमान सत्ताधारी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में गुड गवर्नेंस तथा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा तथा चुनाव पूर्व अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया कि वह उपरोक्त दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये भारत में ई-गवर्नेंस को बढावा देगी।

भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी 14 वर्ष के अपने गुजरात के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में गुजरात में ई-गवर्नेंस को अत्यधिक विकसित किया। वर्तमान में गुजरात की प्रत्येक ग्राम पंचायत में इंटरनेट की सुविधा है। गुजरात राज्य को गुड गवर्नेंस के लिये जाना जाता है तथा इसे प्राप्त करने में ई-गवर्नेंस की प्रमुख भूमिका रही है।

15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले पर से देश के नाम संबोधन के माध्यम से देश को यह सन्देश देने का प्रयास किया कि जिस प्रकार से भारतीय रेल सम्पूर्ण देश को जोड़ती है, ठीक उसी प्रकार से इंटरनेट तथा नेटवर्किंग के माध्यम से सम्पूर्ण देश को ओर भी बेहतर तरीके से जोड़ा जा सकता है।

यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा

किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गतिमान वाली इंटरनेट नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध कराना है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तीन मुख्य आधारभूत घटक है जो निम्न हैं :-

1. डिजिटल बुनियादी ढांचे की रचना
2. सेवाओं की डिजिटल रूप से अदायगी
3. डिजिटल साक्षरता

1.5 राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेमिनार- वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही केंद्र सरकार का मूल मंत्र है, “Minimum Government and Maximum Governance” क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो सरकार इस सिद्धांत पर कार्य करती है, उसकी प्रभावशीलता अधिक होती है, वह पारदर्शी होती है, ऐसी सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी तथा कम खर्चीली होती है। केंद्र सरकार के इस लक्ष्य “Minimum Government and Maximum Governance” को प्राप्त करने में ई-गवर्नेंस की महत्वपूर्ण भूमिका है।

भारत सरकार सभी सरकारी, अर्ध सरकारी तथा निजी संगठनों में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेमिनार का आयोजन करती है। भारत सरकार का संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा जिस राज्य में सेमिनार आयोजित होना है, उस राज्य की राज्य सरकार के सहयोग से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेमिनार का आयोजन करता है।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेमिनारों में केंद्र सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों के अधिकारियों, संपूर्ण भारतवर्ष के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विभागों के अधिकारियों, विभिन्न विश्वविद्यालयों के संकाय सदस्य, विभिन्न सरकारी एवं अर्ध सरकारी संस्थाओं के निदेशक एवं कार्यकारी अधिकारियों, प्रमुख निजी संगठनों के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा ई-गवर्नेंस पर अनुसंधान करने वाले विभिन्न शोधार्थियों को इन सेमीनारों में आमंत्रित किया जाता है। इन सेमिनारों में निर्धारित विषयों पर अनुसंधान पत्र प्रस्तुत किए

जाते हैं, विभिन्न राज्यों द्वारा अपने यहां चलाई जा रही ई-गवर्नेंस परियोजनाओं की प्रदर्शनी लगाई जाती है। राज्य सरकारों को ई-गवर्नेंस से जुड़ी परियोजनाओं के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न श्रेणियों में अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। दो दिन तक चलने वाले इस सेमिनार में ई-गवर्नेंस से जुड़े विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत किए जाते हैं।

भारत में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेमिनार का आयोजन वर्ष 1997 से हो रहा है। 17 वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेमिनार का आयोजन केरल के कोचीन शहर में वर्ष 2014 में हुआ, 18 वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेमिनार का आयोजन जनवरी, 2015 में गुजरात के गांधीनगर शहर में हुआ, 19 वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेमिनार का आयोजन महाराष्ट्र के नागपुर शहर में वर्ष 2016 में हुआ, 20 वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेमिनार का आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम शहर में वर्ष 2017 में हुआ तथा 21 वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेमिनार का आयोजन तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद में फरवरी 2018 में हुआ। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेमिनार के आयोजन में भारतीय उद्योग संघ (CII), भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI) तथा भारतीय वाणिज्य एंव उद्योग मंडल (ASSOCHAM) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

1. 6 भारत में ई-गवर्नेंस के सन्दर्भ पूर्व में किये गये प्रयोगों से प्राप्त अनुभव- भारत में ई-गवर्नेंस के संदर्भ में अब तक किये गये प्रयोगों से तथा पूर्व अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि ई-गवर्नेंस प्रशासनिक संगठन की कार्यकुशलता व कार्यदक्षता में वृद्धि करता है, जिससे प्रशासन द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं का वितरण त्वरित तथा प्रभावी ढंग से होता है। प्रशासन की कार्यक्षमता में वृद्धि होने से प्रशासन द्वारा कम समय में अधिक लोगों को सेवाएं प्रदान की जाती है जिससे जन समूह में प्रशासन की प्रभावशीलता स्थापित होती है तथा जनता का सरकार तथा लोकतंत्र में विश्वास बढता है।

पूर्व के अध्ययनों में यह पाया गया है कि ई-गवर्नेंस प्रशासनिक संगठनों में पारदर्शिता का गुण विकसित करता है, जिससे जनता अपने कार्यों, सेवाओं तथा योजनाओं से सम्बंधित जानकारी आसानी से प्राप्त कर लेती है। ई-गवर्नेंस न केवल सरकार के लोक शिकायत निवारण तंत्र को प्रभावशाली बनाता है अपितु सरकारी कार्यालयों में आने वाले नागरिकों की संख्या में भी कमी लाता है।

भारत में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा पूर्व में किये गये प्रयोगों में यह पाया गया कि ई-गवर्नेंस के माध्यम से प्रशासनिक संगठन सरकार की योजनाओं तथा कार्यक्रमों से सम्बंधित सूचनाओं का व्यापक स्तर पर प्रचार करते हैं, जिससे प्रशासन में जनभागीदारी को अत्यधिक बढावा मिलता है। ई-गवर्नेंस से प्रशासन में जनता की भागीदारी सरल व सुलभ हो जाती है।

प्रशासनिक संगठन में ई-गवर्नेंस की स्थापना के लिये आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, जिससे संगठन सदैव अध्यतन बना रहता है। संगठन में आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से संगठन तथा उसकी प्रक्रियाओं का सरलीकरण हो जाता है, जिससे जनता को सेवाएं देने तथा जनता द्वारा सेवाएं प्राप्त करना सरल तथा सुलभ हो जाता है।

ई-गवर्नेंस से प्रशासनिक संगठन में मूल्यांकन तथा मॉनिटरिंग की प्रभावशाली व्यवस्था हो जाती है, जिससे कर्मचारियों में काम के प्रति तथा अधिकारियों में परिणामों के प्रति सतर्कता रहती है। ई-गवर्नेंस के कारण आंकड़ों तथा सूचनाओं का संग्रहण आसान हो जाता है, जिससे सरकार को नीतियों के निर्माण तथा उनके क्रियान्वयन में आसानी हो जाती है। ई-गवर्नेंस से न केवल आंकड़ों व सूचनाओं का संग्रहण आसान है, बल्कि संग्रहित किये गये आंकड़ों व सूचनाओं से निष्कर्ष निकालना भी अत्यंत सरल है।

1.7 ई-गवर्नेंस के सन्दर्भ में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग- वर्ष 2005 में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार विभाग ने द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया। आयोग के अध्यक्ष भारत के भूतपूर्व केबिनेट मंत्री श्री वीरप्पा मोइली थे।

आयोग ने मई 2009 तक भारतीय प्रशासन के विभिन्न पहलुओं यथा कार्मिक प्रशासन, राज्य प्रशासन, जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, सूचना का अधिकार, ई - गवर्नेंस, केंद्रीय सचिवालय तथा नागरिक केन्द्रित प्रशासन इत्यादि पहलुओं पर कुल 15 रिपोर्ट कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय को सोंपी।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिसंबर 2008 में भारत में ई-गवर्नेंस से सम्बंधित अपनी 11 वीं रिपोर्ट कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय को सोंपी जिसका शीर्षक PROMOTING E-GOVERNANCE : The SMART Way Forward है।

आयोग ने अपनी 11 वीं रिपोर्ट को कुल 9 अध्यायों में विभाजित किया है जो निम्न है -

1. प्रस्तावना
2. ई-गवर्नेंस : संकल्पनात्मक ढांचा
3. ई-गवर्नेंस : अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य
4. ई-गवर्नेंस : भारत में पहल
5. ई-गवर्नेंस के प्रमुख सिद्धांत
6. ई-गवर्नेंस के सुधारों का कार्यान्वयन
7. राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना
8. ई-गवर्नेंस के लिये क़ानूनी ढांचा
9. ज्ञान प्रबंधन

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी 11वीं रिपोर्ट के माध्यम से भारत में ई-गवर्नेंस के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है तथा भारत में ई-गवर्नेंस के सन्दर्भ में केंद्र तथा राज्यों द्वारा पूर्व में किये गये प्रयोगों के क्रियान्वयन तथा परिणामों पर भी प्रकाश डाला है। 11 वीं रिपोर्ट के 7 वें अध्याय के माध्यम से द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत ई-गवर्नेंस को संवर्धित करने के लिये बनायी गयी राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना की व्यापक समीक्षा की है तथा योजना के क्रियान्वयन को बेहतर बनाने के लिये अपनी सिफारिशें भी प्रस्तुत की है।

1. 8 राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना- भारत में पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार द्वारा लोक सेवाओं को सरल तथा सुलभ बनाने के लिये सचिवालय से लेकर स्थानीय स्तर तक ई-गवर्नेंस के अनेक प्रयोग किये गये। इन प्रयोगों के माध्यम से विभिन्न सरकारों द्वारा यह प्रयास किया गया कि सरकारी विभागों

के कम्प्यूटरीकरण तथा नेटवर्किंग के माध्यम से लोक सेवाओं को अधिक कार्यदक्ष, नागरिक केन्द्रित, पारदर्शी तथा प्रभावशाली बनाया जाये।

विभिन्न सरकारों द्वारा पूर्व में किये गए प्रयोगों ने भारत में ई-गवर्नेंस के सन्दर्भ में एक व्यापक रणनीति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। ऐसे समय में जब विभिन्न सरकारें अपने-अपने स्तर पर ई-गवर्नेंस के प्रयोग कर रही थी तब भारत सरकार के लिये यह आवश्यक था कि वह ई-गवर्नेंस के सन्दर्भ में एक ऐसी समग्र योजना का निर्माण करे जो भारत में ई-गवर्नेंस की योजनाओं के सन्दर्भ में चल रहे विभिन्न प्रयोगों को अपने अन्दर समायोजित कर ले। इस प्रकार भारत सरकार ने 18 मई, 2006 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना को 27 मिशन मोड़ परियोजनाओं तथा 10 घटकों के साथ स्वीकृति प्रदान की, जिसने भारत में ई-गवर्नेंस के सन्दर्भ में चल रही विभिन्न परियोजनाओं, प्रयोग में लाये जा रहे भौतिक तथा मानवीय संसाधनों को एक निश्चित दिशा प्रदान की है।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के माध्यम से सरकार नागरिकों तथा व्यवसायों को दी जाने वाली सेवाओं को बेहतर बनाना चाहती है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के माध्यम से भारत सरकार पूरे देश में ई-गवर्नेंस के लिये संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का एक मात्र नेटवर्क स्थापित करना चाहती है, जिसमे देश का दूरस्थ से दूरस्थ गावं भी शामिल हो। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के माध्यम से सरकार की यह महत्वकांशा है कि सरकारी कार्यालयों तथा सूचनाओं का व्यापक स्तर पर डिजिटलायीजेशन किया जाये ताकि सरकार द्वारा जनता को दी जाने वाली सेवाओं को उनके अधिक नजदीक लाया जा सके।

भारत में ई-गवर्नेंस को विकसित तथा संवर्धित करने के लिये वर्ष 2006 में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार विभाग ने सम्मिलित रूप से राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना का निर्माण किया। भारत सरकार ने इस योजना को स्वीकारोक्ति निम्न वाक्य के साथ प्रदान की :- "सभी सरकारी सेवाओं को एक आम आदमी के लिए उसके आस पास सामान्य सेवा प्रदायगी बिन्दुओं के माध्यम से उपलब्ध कराना और आम आदमी की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए वहनीय मूल्यों पर उक्त सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना"

भारत सरकार ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना का निर्माण करके भारत में चल रहे ई-गवर्नेंस के विभिन्न प्रयोगों को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया है तथा यह प्रयास किया है कि ई-गवर्नेंस के सन्दर्भ में चल रही विभिन्न परियोजनाओं को सामूहिक रूप से एकीकृत किया जा सके।

18 मई 2006 को केंद्र सरकार ने 27 मिशन मोड़ परियोजनाओं तथा 10 घटकों के साथ इस परियोजना को स्वीकारोक्ति प्रदान की। वर्ष 2014 तक इस परियोजना के अंतर्गत 31 मिशन मोड़ परियोजनायें चल रही थी। सभी मिशन मोड़ परियोजनाओं को उनके क्रियान्वयन के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया है-

1. केंद्र सरकार द्वारा क्रियान्वित- आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ई कार्यालय, बीमा, आव्रजन, वीजा और विदेशी पंजीकरण एवं ट्रैकिंग (IVFRT), कॉर्पोरेट मामलों से जुड़े कार्य, विशिष्ठ पहचान संख्या, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, पेंशन, पासपोर्ट, बैंकिंग तथा डाक।
2. राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित- नगरपालिकाऐं, शिक्षा, अपराध तथा अपराधी खोज नेटवर्क तथा सिस्टम (CCTNS), कृषि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य, रोजगार कार्यालय, ई पंचायत, राजकोष तथा वाणिज्यिक कर, ई जिला, सड़क परिवहन, राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम।
3. केंद्र तथा राज्य द्वारा एकीकृत रूप से क्रियान्वित- राष्ट्रीय ई शासन सेवा वितरण गेटवे, भारतीय पोर्टल, ई व्यापार के लिये इलेक्ट्रोनिक डाटा इंटरचेंज (EDI), ई प्राप्ति, ई न्यायालय, ई बिज़, सामान्य सेवा केंद्र।

1. 9 डिजिटल इंडिया(Digital India) - डिजिटल इंडिया कार्यक्रम संपूर्ण भारत को डिजिटल रूप से एक सशक्त समाज तथा एक सूचना आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में बदलने की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है। यह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की पहली सरकार के द्वारा चलाए गये राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना का ही एक विस्तारित और व्यापक स्वरूप है। भारत में ई शासन की शुरुआत 1990 के दशक में सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को नागरिक केंद्रित बनाने के उद्देश्य से की

गयी। आधारभूत संरचना की कमी तथा नागरिकों में जागरूकता के अभाव के कारण 19वीं शताब्दी के अंतिम दो दशकों में भारत में ई-गवर्नेंस को सफलता नहीं मिल पायी।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में प्रारंभ की गई राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना ई-गवर्नेंस में के संदर्भ में भारत में तब तक बनाई गयी सबसे बड़ी वह प्रमुख योजना थी, जिसका उद्देश्य संपूर्ण भारत में ई-गवर्नेंस के आधार पर नागरिकों को वस्तुओं तथा सेवाओं का वितरण था। इस परियोजना का निर्माण भारत सरकार के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग के सहयोग से किया था।

इस योजना के क्रियान्वयन में सभी राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य तथा दुनिया में बढ़ती तकनीकी मांग ने भारत सरकार को इस दिशा में प्रेरित किया कि संपूर्ण भारत को डिजिटल स्वरूप दिया जाये। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने संपूर्ण भारत को डिजिटल बनाने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की।

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभंकर है ‘Power to Empower’। भारत सरकार के बहुत ही महत्वपूर्ण डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए एक कार्यक्रम प्रबंधन संरचना बनायी गई है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के प्रभावी प्रबंधन तथा कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति बनायी गई है। इस समिति में प्रधानमंत्री के अलावा डिजिटल इंडिया सलाहकार समूह, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा कैबिनेट सचिव हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पर नीतिगत फैसलों के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को अधिकार दिये गये हैं।

डिजिटल इंडिया एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें सभी सरकारी मंत्रालयों तथा विभागों को शामिल किया गया है। यह कार्यक्रम संपूर्ण सरकारी तंत्र को केंद्र से स्थानीय स्तर तक व्यापक रूप से जोड़ने का कार्य करता है, ताकि उन्हें किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयोग में लाया जा सके। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम

को भारत सरकार के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के समग्र समन्वय के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम संपूर्ण भारत को तकनीकी रूप से परिवर्तित करने का कार्यक्रम है। यद्यपि भारत में अशिक्षा और गरीबी इस कार्यक्रम के सफल होने में आने वाली प्रमुख बाधाएं हैं, किंतु हमारे देश के लिए यह आवश्यक है कि हम विश्व की बदलती तकनीकी जरूरतों में स्वयं को बनाऐं रखें। आज किसी भी विकासशील देश में तकनीकी विकास किसी भी राष्ट्र के विकास का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, इस कारण से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का महत्व और भी बढ़ जाता है। प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य है कि वह न केवल इस कार्यक्रम में सहभागी बने अपितु अन्य नागरिकों को भी देश के विकास के इस महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक चरण में भागीदार बनने के लिए प्रोत्साहित करे।

1.10 राजस्थान में ई-गवर्नेंस- यद्यपि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, फिर भी राजस्थान में ई-गवर्नेंस की अवधारणा अभी भी ठीक प्रकार से विकसित नहीं हो सकी है। राजस्थान में अब तक रही राज्य सरकारों ने ई-गवर्नेंस के सन्दर्भ में जो भी प्रयास किये वे पूर्णतया सफल नहीं हो सके है। पिछले वर्षों में राजस्थान में राज्य सरकारों द्वारा ई-गवर्नेंस के सन्दर्भ में जो भी प्रयास किये गए, वे केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित तथा दिशा निर्देशित रहे।

1.11 संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग- भारत में ई-गवर्नेंस की शुरुआत 1990 के दशक से मानी जाती है, उसी दशक में राजस्थान में वर्ष 1987 में राजस्थान सरकार ने संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी को सुव्यवस्थित, योजनाबद्ध तथा उचित दिशा प्रदान करने के लिये कम्प्यूटर निदेशालय के नाम से एक शीर्ष संस्था स्थापित की। 1997 में कम्प्यूटर निदेशालय का नाम बदल कर सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय कर दिया गया। समय के साथ इस संस्था के महत्व को देखते हुए राजस्थान मंत्रिमंडल ने 13 मई 2002 को एक आदेश पारित करते हुये इसे संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में परिवर्तित कर दिया।

राजस्थान में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के उद्देश्य को पूरा करने के लिये संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। राज्य में इस विभाग का कार्य संचार एवं सूचना

प्रौद्योगिकी आधारित नीति का निर्माण करना, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता पैदा करना, राज्य सरकार के सभी विभागों को तकनीकी क्षेत्र में सहायता प्रदान करना तथा उनकी आतंरिक गतिविधियों तथा कार्यकलापों का कम्प्यूटरीकरण करना है ।

1.12 राजकोम्प(RajComp)- वर्ष 1989 में राजस्थान सरकार ने राजस्थान स्टेट कम्प्यूटर सर्विसेस- राजकोम्प (Rajasthan state computer service – RajComp) नामक उपक्रम की स्थापना की । 19 अक्टूबर 2010 को राज्य सरकार ने एक आदेश पारित करते हुये इसे कंपनी में परिवर्तित करते हुये इसका नाम राजकोम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड कर दिया ।

इस संस्था का मुख्य कार्य संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के सन्दर्भ में प्रशिक्षण प्रदान करना, राज्य सरकार के विभागों को तकनीकी सहायता प्रदान करना तथा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी से जुडी परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना है । राजस्थान में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा राजकोम्प स्वतन्त्र रूप से अथवा आपसी समन्वय से परियोजनाओं को क्रियान्वित करतें है ।

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी नीति (राजस्थान सरकार)- राजस्थान सरकार द्वारा ई-गवर्नेंस को विकसित करने के लिये संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के सन्दर्भ में पहली नीति वर्ष 2000 में बनायी गयी । इसके पश्चात द्वितीय नीति दिसंबर, 2007 में बनायी गयी, जिसके प्रमुख नीतिगत उद्देश्य निम्न है -

1. राजस्थान की अर्थव्यवस्था को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाकर उसमे निवेश के अवसरों का निर्माण तथा विकास करना
2. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार से रोजगार के अवसरों का विकास करना तथा बेहतर रोजगार का निर्माण करना
3. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से ई-गवर्नेंस तंत्र का विकास करके जनता को सूचना एवं सेवाओं की बेहतर उपलब्धता से व्यक्ति तथा समाज का सशक्तिकरण करना
4. ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकार तथा नागरिक के मध्य की दूरी को कम करना

1.13 राजस्थान में ई-गवर्नेंस के अंतर्गत चल रही तकनीकी परियोजनाऐं-

राजस्थान स्टेट डाटा सेंटर- राजस्थान स्टेट डाटा सेंटर का शुभारंभ 15 दिसंबर 2010 को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सूचना प्रौद्योगिकी भवन में किया गया। आज स्टेट डाटा सेंटर की पहचान राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत किए जा रहे ई-गवर्नेंस के विभिन्न अभिनव प्रयोगों को आधारभूत संरचना देने वाले महत्वपूर्ण संस्थान के रुप में की जा रही है। केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत देश के सभी राज्यों द्वारा स्टेट डाटा सेंटर का विकास किया जा रहा है। इसके लिये भारत सरकार द्वारा 1623 करोड़ रुपए की राशि 5 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत की गई है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत विकसित किए गये स्टेट डाटा सेंटर का राजस्थान में निम्न कार्य है-

1. राजस्थान राज्य से संबंधित आंकड़ों व सूचनाओं का केंद्रीयकृत भंडारण सुनिश्चित करना
2. सूचना और नागरिक सेवा पोर्टल के माध्यम से 24 × 7 घंटे सरकारी सेवाओं के ऑनलाइन वितरण का सक्रियण
3. राज्य इन्टरनेट पोर्टल और संबंधित वेबसाइटों की होस्टिंग
4. राज्य आवेदन पत्रों और डेटा का बेहतर परिचालन, प्रबंधन तथा नियंत्रण
5. आंकड़ों का प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों का प्रबंधन तथा सेवाओं के विकास हेतु न्यूनतम लागत पर तकनीक का विकास करना
6. राज्य के विभाग तथा अन्य एजेंसियों की आवश्यकतानुसार सूचना प्रौद्योगिकी के आधारभूत ढांचे का निर्माण करना
7. सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी व्यवस्थाओं का मानकीकरण करना

राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (RajSWAN)- इस परियोजना का निर्माण राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी के संचार तंत्र को आधुनिक तथा विस्तृत बनाने के लिये किया गया। इस परियोजना का निर्माण राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजना के अंतर्गत किया गया है, अतः इस परियोजना के विकास हेतु अधिकांश धनराशि केंद्र सरकार द्वारा विहित की गयी है।

इसके अंतर्गत 33 जिला मुख्यालयों तथा 273 तहसीलों तथा खण्डों को राज्य मुख्यालय से वर्टिकल तथा उपरोक्त में स्थित 3381 सरकारी कार्यालयों को राज्य मुख्यालय से होरिजोंटल नेटवर्किंग के तहत जोड़ा गया है। नेटवर्क द्वारा डाटा, वाईस तथा वीडियो संचार की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस सन्दर्भ में भारती एयरटेल कंपनी को अप्रैल 2011 में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कार्यादेश जारी कर दिए गये हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क को बैंडविथ की सुविधा दी जा रही है। राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क का निर्माण निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है-

1. राज्य प्रशासन के भीतर विश्वसनीय ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संचार गलियारे प्रदान करने के लिए ताकि सरकार को अधिक उत्पादक व कार्यदक्ष बनाया जा सके
2. ई-गवर्नेंस प्रतिबद्धता को प्राप्त करने और शासन को जनता के अधिक निकट लाने के लिए
3. कुशल सेवा वितरण प्रणाली प्रदान करने के लिए
4. आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत करने के लिए

नागरिक सेवा केंद्र (Common Service Center) - यह परियोजना भी राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत लागू की गयी है, जिसका मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को सरकारी विभागों तथा निजी क्षेत्र की सेवाएं तथा सूचनाऐं उपलब्ध कराना है। इस परियोजना का क्रियान्वयन मैसर्स C.M.S एवं वक्रांगी सॉफ्टवेयर लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। प्रारम्भ में इस परियोजना के अंतर्गत राजस्थान में 6626 नागरिक सेवा केंद्र की स्थापना प्रस्तावित थी। 27 फरवरी 2012 तक राजस्थान में 2618 नागरिक सेवा केंद्र स्थापित किये जा चुके हैं।

नागरिक सेवा केंद्रों को राजस्थान में ई मित्र सेवा केंद्र भी कहा जाता है। RajCOMP की एक राज्य मनोनीत एजेंसी ई मित्र सेवा केंद्रों के संपूर्ण राजस्थान में प्रबंधन तथा क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। इस राज्य स्तरीय एजेंसी का जिले में मुख्य कार्यकारी जिला कलेक्टर होता है, जिसके निर्देशन तथा नियंत्रण में ई मित्र सेवा केंद्र योजना का क्रियान्वयन हो रहा है।

स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे- इस परियोजना का विकास भी राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजना के अंतर्गत किया गया है जिसका उद्देश्य केंद्रीय पोर्टल के अनुरूप राज्य के पोर्टल का विकास करना है। इस परियोजना के अंतर्गत मैसर्स विप्रो सेवा प्रदाता कंपनी है। राज्य पोर्टल का सम्बन्ध नागरिक सेवा केंद्र तथा ई मित्र कियोस्क से होगा जिसके माध्यम से मूल निवासी प्रमाण पत्र, जन्म तथा मृत्यु प्रमाण पत्र, राजस्थान लोक सेवा आयोग में भर्ती के सन्दर्भ में आवेदन तथा प्रवेश पत्र की प्राप्ति तथा समस्त प्रकार के बिलों का भुगतान इत्यादि सुविधाऐं प्राप्त होती है।

इस कार्य के तहत विभिन्न विभागों की सेवाएं नागरिक सेवा केन्द्रों तथा ई मित्र कियोस्क के माध्यम से प्रदान की जायेगी। 1 अक्टूबर 2013 को पोर्टल को पूर्ण रूप से प्रारंभ करके 26 सेवाओं की प्रदायगी शुरू कर दी गयी है।

राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RKCL) - राजस्थान सरकार ने इस संगठन की स्थापना शहरी व दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा प्रदान करने के लिये की। इस संस्थान द्वारा RS-CIT का कोर्स संचालित किया जाता है। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार के कर्मचारियों को सम्पूर्ण फ़ीस राशि का पुनर्भरण तथा महिलाओं को फ़ीस में छुट दी गयी है।

1.14 ई जिला पायलेट परियोजना- राष्ट्रीय ई - शासन योजना के अंतर्गत चलायी जा रही 31 मिशन मोड़ परियोजनाओं में से ई जिला कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। ई जिला कार्यक्रम का उद्देश्य एक जिले के अंतर्गत चल रही सरकार की योजनाओं तथा सेवाओं के वितरण को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग तथा कम्प्यूटरीकरण की सहायता से अधिक नागरिक केन्द्रित बनाना है। इसके लिये राजस्थान में तकनीकी स्तर पर तीन बुनियादी स्तंभ विकसित किये गये है राज्य व्यापी क्षेत्र नेटवर्क (स्वान), राज्य डाटा केंद्र (सीडीसी) तथा नागरिक सेवा केंद्र (सीएससी)।

1.15 जिला प्रशासन का महत्व - भारत में जिला, प्रशासन की मूलभूत इकाई है। भारत में राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं का वितरण जिला प्रशासन के माध्यम से किया जाता है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय शासन की संस्थाओं की कार्यप्रणाली को भी जिला प्रशासन के साथ

समायोजित किया गया है। भारत में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जो लोक कल्याणकारी योजनाएं बनायी जाती है उनके केंद्र में जिला प्रशासन ही होता है।

1.16 ई जिला पायलेट परियोजना की शुरुआत- वर्ष 2010 में देश के 16 राज्यों के 41 जिलों का ई जिला कार्यक्रम के पायलेट परियोजना के लिए चयन किया गया। राजस्थान में ई जिला कार्यक्रम को पायलेट परियोजना के रूप में क्रियान्वित करने के लिए दो जिलों जोधपुर तथा अजमेर का चयन किया गया। इस परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पास थी, इस सन्दर्भ में इस विभाग में एक शाखा का निर्माण भी किया गया था जिसकी निगरानी में जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना का क्रियान्वयन किया गया।

ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत जिले की सभी सरकारी सेवाओं को शामिल न करके मात्र 10 सेवाओं का समावेश किया गया। राजस्थान में जोधपुर तथा अजमेर दोनों ही प्रशासनिक कार्यालयों के प्रमुख क्षेत्र तथा संभागीय मुख्यालय है।

1.17 ई जिला परियोजना के उद्देश्य- भारत सरकार द्वारा निर्मित राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के प्रमुख मिशन मोड प्रोजेक्ट ई जिला कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्न है :-

1. सम्पूर्ण जिला स्तर पर उच्च मात्रा में नागरिक केंद्रित सेवाओं के डिजिटल वितरण को सुनिश्चित करने के लिए जिला, खंड, तहसील व ग्राम पंचायत स्तर के कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण व नेटवर्किंग का कार्य
2. सम्पूर्ण जिले की सामान्य सेवाओं का व्यापक रूप से बिजनेस प्रोसेस री - इंजीनियरिंग के उपक्रम द्वारा बेहतर सेवा स्तर के साथ कुशल वितरण
3. सम्पूर्ण जिला प्रशासन में व्यापक क्षमता निर्माण और ई जिला सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र स्तरीय कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण तथा कागजी प्रशासन में कमी लाना

4. SWAN, SSDC, और SSDG के आधार पर सार्वजनिक सेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से सेवाओं का वितरण
5. राज्य सेवा डिलीवरी गेटवे का उपयोग करके राज्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में जिला, उप जिला स्तर पर सभी सार्वजनिक सेवाओं का वितरण
6. विश्वसनीयता, दक्षता, पारदर्शिता तथा जवाबदेयता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी सेवा सूचना और व्यवहार की आसान पहुंच प्रदान करना
7. सरकारी कार्यालय में आने वाले नागरिकों की संख्या को कम करना तथा नागरिकों को होने वाली परेशानियों को कम करना, प्रशासनिक बोझ और सेवा पूर्ति समय को कम करना तथा सरकार व नागरिकों द्वारा सरकारी कार्यों में लगाये जाने वाले धन खर्च में कमी लाना
8. सरकार के साथ नागरिक की सीधी बातचीत को कम करना और पोर्टल के माध्यम से ई बातचीत और कुशल संचार को प्रोत्साहित करना
9. सरकार और उसके विभागों की धारणा और छवि को जनमानस के अनुरूप बनाना

1.18 ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित सेवाएं- यद्यपि ई जिला कार्यक्रम के अंतर्गत जिले की लगभग सभी सेवाओं का समावेश किया गया है, किन्तु भारत में यह प्रचलन है कि किसी भी कार्यक्रम को सरकार लागू करने से पहले उसके सन्दर्भ में पायलेट परियोजना को लागू करती है, इस प्रकार से कोई भी सरकार पायलेट परियोजना के माध्यम से किसी भी योजना के क्रियान्वयन का पूर्व अध्ययन कर लेती है साथ ही पायलेट परियोजना को क्रियान्वित करते समय जो समस्याऐं तथा त्रुटियाँ सामने आती है, उन्हें भविष्य में योजना के क्रियान्वयन के समय दूर कर लिया जाता है।

भारत सरकार ने ई जिला कार्यक्रम को भारत के सम्पूर्ण जिलों में लागू करने से पहले देश के 16 राज्यों के 41 जिलों में इसे पायलेट परियोजना के रूप में क्रियान्वित किया। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना का ई जिला कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जाने वाला कार्यक्रम है अतः ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी राज्य सरकारों पर ही है।

राजस्थान सरकार की सलाह पर भारत सरकार ने राजस्थान के दो जिलों जोधपुर तथा अजमेर का ई जिला पायलेट परियोजना की क्रियान्विति हेतु चयन किया। ई जिला पायलेट परियोजना का क्रियान्वयन वर्ष 2010 में किया गया तथा इसमें एक जिले की सभी सेवाओं का समावेश न करके दस महत्वपूर्ण सेवाओं को ही क्रियान्वित किया गया।

ई जिला पायलेट कार्यक्रम के अंतर्गत जिले की निम्न दस सेवाओं का समावेश किया गया है:-

1. प्रमाण पत्र - आय, अधिवास, जाति, जन्म, मृत्यु आदि।

2. लाइसेंस - शस्त्र तथा अन्य लाइसेंस आदि।

3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) - राशन कार्ड से सम्बंधित।

4. समाज कल्याण की योजनाएं - वृद्धावस्था पेंशन, परिवार पेंशन, विधवा पेंशन तथा समाज कल्याण की अन्य योजनाएं आदि।

5. शिकायतें - अनुचित कीमतों, अनुपस्थित शिक्षकों, चिकित्सकों की अनुपलब्धता से संबंधित आदि।

6. आरटीआई - सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित जानकारी की ऑनलाइन फाइलिंग और रसीद।

7. अन्य ई-गवर्नेंस की परियोजनाऐं - पंजीकरण, भूमि अभिलेख, और ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि।

8. सूचना - प्रसार - सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के बारे में।

9. करों का आकलन - संपत्ति कर और अन्य सरकारी कर।

10. उपयोगिता भुगतान - बिजली, पानी के बिल अथवा अन्य प्रकार के उपयोगिता भुगतान के बिल आदि।

जोधपुर तथा अजमेर जिले में क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत जिन 10 सेवाओं का समावेश किया गया है, उन सेवाओं में सबसे प्रमुख है प्रमाण पत्र सेवा, जिसमें मुख्य रुप से आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र तथा अन्य सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों का समावेश किया गया है।

पूर्व में इन प्रमाण पत्रों के संदर्भ में यह व्यवस्था थी कि मैनुअल आधार पर इन प्रमाण पत्रों को जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, उप जिला कलेक्टर, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी तथा ग्राम पंचायत के

सरपंच द्वारा जारी किया जाता था। यह इस बात पर निर्भर करता था कि व्यक्ति किस क्षेत्र का निवासी है तथा उसे किस स्तर का व किस प्रकार का प्रमाण पत्र चाहिए।

वर्तमान में ई-गवर्नेंस के संदर्भ में यह व्यवस्था की गई है कि जोधपुर तथा अजमेर जिले में कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार का प्रमाण पत्र चाहता है उससे संबंधित आवश्यक दस्तावेज को ई मित्र संचालक के सामने प्रस्तुत करके अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। ई मित्र संचालक द्वारा प्रमाण पत्र के लिये आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके सम्बंधित विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करके भेज दिया जाता है तथा वहां से ई मित्र संचालक को ऑनलाइन प्रमाणपत्र प्राप्त हो जाता है जिसकी प्रति प्रमाण पत्र चाहने वाले व्यक्ति को उपलब्ध करा दी जाती है।

जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत जिस दूसरी महत्वपूर्ण सेवा का समावेश किया गया है, वह है लाइसेंस सेवा, इसके अंतर्गत ई-गवर्नेंस के माध्यम से शस्त्र, व्यापार इत्यादि के लिए लाइसेंस का समावेश किया गया है। ई जिला पायलेट परियोजना के लागू होने से पूर्व में यह व्यवस्था थी कि पहले यदि किसी व्यक्ति को लाइसेंस चाहिए तो उसे जिला कलेक्टर कार्यालय से निर्धारित आवेदन प्राप्त करके तथा आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करके जिला कलेक्टर कार्यालय में जमा करना पड़ता था। जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करके संबंधित व्यक्ति को लाइसेंस दे दिया जाता था। कागजी आधार पर की जाने वाली इस कार्यवाही में बहुत अधिक समय लगता था।

ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत वर्तमान में यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार के किसी भी विभाग की जिस सेवा का लाइसेंस प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए वह संबंधित विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकता है तथा आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाइन ही अपलोड कर सकता है। संबंधित विभाग द्वारा जाँच के पश्चात आवेदक को लाइसेंस प्रदान कर दिया जाता है।

जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत जिले की जिस तीसरी सेवा का समावेश किया गया है, वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित राशन कार्ड से जुड़ी सेवा है। ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन से पहले जोधपुर तथा अजमेर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था

पूर्ण रुप से मेनुअल आधार पर थी जिसका क्रियान्वयन जिला प्रशासन के सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा किया जाता था। इस प्रक्रिया में राशन कार्ड के निर्माण से लेकर उचित मूल्य की दुकानों पर राशन के वितरण तक का कार्य मैनुअल आधार पर किया जाता था। यह सारा कार्य जिले के जिला रसद अधिकारी की देखरेख में होता था। अब जोधपुर तथा अजमेर जिले में राशन कार्ड का निर्माण ऑनलाइन आवेदन के तहत होता है तथा उचित मूल्य की दुकानों पर राशन का वितरण ग्राहकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर दिया जाता है।

जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत जिस चतुर्थ महत्वपूर्ण सेवा का समावेश किया गया है, उसमें समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाएं जिनमें व्रद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति इत्यादि का समावेश है।

जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन से पहले यह व्यवस्था थी कि यदि कोई नागरिक जो कि समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इत्यादि के लिए आवेदन करना चाहते थे, उन्हें ग्राम पंचायत, तहसील, नगरपालिका तथा जिला कलेक्टर कार्यालय में मैनुअल आधार पर आवेदन करना पड़ता था। जिसके पश्चात जिला प्रशासन का समाज कल्याण विभाग आवेदन की विस्तृत छानबीन के पश्चात विभिन्न प्रकार की पेंशन जारी करता था। विद्यार्थियों की शैक्षिक छात्रवृत्ति के लिये छात्र-छात्राओं द्वारा आवेदन अपने कॉलेज, विश्वविद्यालय या अन्य संस्थाओं के माध्यम से समाज कल्याण विभाग को भेजा जाता था, जिसकी विस्तृत छानबीन के बाद समाज कल्याण विभाग द्वारा शैक्षिक छात्रवृत्ति जारी कर दी जाती थी।

जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के माध्यम से अब यह व्यवस्था कर दी गई है कि वे नागरिक जो समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तथा वे विद्यार्थी जो समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वह ई मित्र सेवा केंद्रों के माध्यम से समाज कल्याण विभाग को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों को यथा आय प्रमाण

पत्र, वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन के लिए विधवा प्रमाण पत्र, विकलांग पेंशन के लिए चिकित्सकीय प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा बीपीएल वर्ग की शैक्षिक छात्रवृत्ति के लिए जाति प्रमाण पत्र तथा आय प्रमाण पत्र इत्यादि को ई मित्र संचालक द्वारा समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन ही अपलोड कर दिया जाता है। आवेदक का फॉर्म ऑनलाइन ही भर दिया जाता है। समाज कल्याण विभाग द्वारा प्राप्त आवेदनों की विस्तृत छानबीन तथा समीक्षा के बाद पेंशन अथवा छात्रवृत्ति को सीधे आवेदक के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसकी सूचना आवेदक को उसके मोबाइल फोन पर मैसेज द्वारा दे दी जाती है।

जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत जिस पांचवीं तथा महत्वपूर्ण सेवा का समावेश किया गया है, वह है ई-गवर्नेंस के आधार पर नागरिकों की शिकायतों का समाधान करना। इन शिकायतों में मुख्य रूप से जैसे बाजार में वस्तुओं तथा सेवाओं की अनुचित कीमतों का पाया जाना, शिक्षकों की विद्यालयों में अनुपस्थिति, चिकित्सकों की अस्पतालों में अनुपलब्धता इत्यादि है।

ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व जोधपुर तथा अजमेर जिले में नागरिकों की शिकायतों के समाधान के संदर्भ में यह व्यवस्था थी कि यदि कोई नागरिक किसी सरकारी विभाग की कोई शिकायत करना चाहता है, तो उसे मैनुअल आधार पर अपनी शिकायत लिखकर सक्षम अधिकारी को देनी होती थी। शिकायत पदसोपान के विभिन्न मार्गों से होती हुई संबंधित विभाग के सर्वोच्च अधिकारी तक पहुंचती थी, उसके बाद उस पर आवश्यक कार्यवाही होती थी। कभी-कभी तो इस प्रक्रिया में इतना समय लग जाता था कि जिस कार्य के लिए वह शिकायत की जाती थी उस पर जब तक शासन कार्यवाही की स्थिति में आता था तब तक वह शिकायत प्रासंगिक ही नहीं रह जाती थी।

जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत, वर्तमान में यह व्यवस्था कर दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी कार्यालय की शिकायत करना चाहता है, तो वह उससे संबंधित विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत कर सकता है। इस कार्य को वह स्वयं अथवा ई-मित्र संचालक

के माध्यम से भी कर सकता है। ऑनलाइन शिकायत सीधे ही शासन सचिवालय जयपुर पहुंच जाती है, इस कारण से शिकायत का समाधान शीघ्र हो जाता है।

जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत जिस षष्ठम सेवा का समावेश किया गया है, वह है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के आधार पर सरकारी कार्यालयों से सूचना प्राप्ति हेतु ऑनलाइन फाइलिंग तथा रसीद प्राप्ति। जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकारी कार्यालयों से सूचना प्राप्ति के संदर्भ में यह व्यवस्था थी कि यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी कार्यालय से आवश्यक सूचना प्राप्त करना चाहता है तो उस व्यक्ति द्वारा संबंधित सरकारी कार्यालय में सूचना अधिकारी को लिखित में प्रार्थना पत्र देना होता था तथा कानूनन सरकारी कार्यालय द्वारा 30 दिन की अवधि में संबंधित व्यक्ति को आवश्यक सूचना उपलब्ध करानी होती थी। इस प्रक्रिया में प्रार्थना पत्र तथा प्राप्ति रसीद मैनुअल आधार पर थी।

ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत अब जोधपुर तथा अजमेर जिले में यह व्यवस्था कर दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी कार्यालय से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवश्यक सूचना प्राप्त करना चाहता है तो व्यक्ति संबंधित विभाग की वेबसाइट पर जाकर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करके ऑनलाइन रसीद प्राप्त कर सकता है। यह कार्य वह ई मित्र सेवा केंद्र के माध्यम से भी कर सकता है। इस हेतु आवश्यक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन ही किया जाता है।

जोधपुर तथा अजमेर में ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत जिस सातवीं महत्वपूर्ण सेवा का समावेश किया गया है, वह है, ई-गवर्नेंस की अन्य परियोजनाऐं जैसे मकान, भूमि अथवा अन्य किसी भी प्रकार का ई-गवर्नेंस के आधार पर पंजीकरण, ई-गवर्नेंस के आधार पर भूमि अभिलेखों की प्राप्ति तथा ई-गवर्नेंस के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना इत्यादि।

जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व में यह व्यवस्था थी कि यदि कोई व्यक्ति भूमि, मकान अथवा अन्य किसी भी प्रकार का पंजीकरण करवाना चाहता था, तो उसे जिला प्रशासन के पंजीकरण कार्यालय में जाकर मैनुअल आधार पर पंजीकरण करवाना होता था। भूमि अभिलेख

की प्राप्ति के संदर्भ में यह व्यवस्था थी कि यदि कोई कृषक भूमि अभिलेख प्राप्त करना चाहता है तो उसे सम्बंधित ग्राम पंचायत के पटवारी को लिखित में आवेदन देना पड़ता था तथा पटवारी द्वारा संबंधित भूमि का अभिलेख किसान को प्रदान कर दिया जाता था। ड्राइविंग लाइसेंस के संदर्भ में यह व्यवस्था थी कि यदि किसी व्यक्ति को अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो उसे अपने क्षेत्र के संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जाकर आवेदन करना पड़ता था। जहां से उसे आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता था।

जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत जिस आठवीं महत्वपूर्ण सेवा का समावेश किया गया है, वह है, सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार में ई-गवर्नेंस का उपयोग ताकि आम जनता को विशेष रुप से ग्रामीण जनता को सरकार की योजनाओं तथा कार्यक्रमों की शीघ्र जानकारी उपलब्ध हो जाये तथा जनता शीघ्र ही सरकार की योजनाओं तथा कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त कर सके।

जोधपुर तथा अजमेर जिले में पूर्व में यह व्यवस्था थी कि राज्य सरकार द्वारा सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के आम जनता तक, विशेष रुप से ग्रामीण जनता तक प्रचार-प्रसार हेतु अपने शासन तंत्र का उपयोग किया जाता था, जिसमें ई-गवर्नेंस की भूमिका बहुत कम थी। इस कारण से सरकार की योजनाओं तथा कार्यक्रमों के आम जनता तक, विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों में प्रचार तथा प्रसार में बहुत समय लग जाता था। इस कार्य में समाचार पत्रों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, किंतु ग्रामीण जनता में अशिक्षा की समस्या तथा समाचार पत्रों के निष्पक्षता पूर्ण न होने के कारण यह कार्य जटिल था।

अब राजस्थान सरकार द्वारा जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार हेतु ई-गवर्नेंस का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार आम जनता विशेष रूप से ग्रामीण अंचल के अशिक्षित लोगों तक सरकार की योजनाओं तथा कार्यक्रमों की जानकारी पहुंच रही है। इसमें मुख्य भूमिका क्षेत्रीय टीवी चैनल तथा क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो पर प्रचार प्रसार की है। इसके अलावा सरकार द्वारा एफ-एम रेडियो, एस-एम-एस तथा मोबाइल चल वाहनों के द्वारा भी सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

जोधपुर तथा अजमेर में ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत जिस अन्य महत्वपूर्ण सेवा का समावेश किया गया है वह है ई-गवर्नेंस के आधार पर राज्य सरकार के महत्वपूर्ण कर आकलन जिसमें मुख्य रुप से नगरीय निकाय द्वारा लिया जाने वाला संपत्ति कर, राज्य सरकार द्वारा लिया जाने वाला बिक्री कर तथा अन्य महत्वपूर्ण वाणिज्य करों का समावेश किया गया है । जोधपुर तथा अजमेर में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व जिला प्रशासन तथा स्थानीय निकायों द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जिन करों को लगाया जाता था उनका आकलन मैनुअल आधार पर किया जाता था । इस संपूर्ण प्रक्रिया में बहुत समय लगता था तथा डिफॉल्टर लोग इस लालफीताशाही का लाभ उठाकर बच भी जाते थे ।

ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात अब जोधपुर तथा अजमेर में जिला प्रशासन तथा स्थानीय निकाय द्वारा महत्वपूर्ण करो का आकलन ई-गवर्नेंस के आधार पर किया जाता है । जिनमें मुख्य रूप से स्थानीय निकायों द्वारा लगाये जाने वाले संपत्ति कर व राज्य सरकार द्वारा लगाये जाने वाले बिक्री कर तथा अन्य वाणिज्यिक करों का समावेश है । इसके लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष सॉफ्टवेयर का विकास करवाया गया है । यह एक पारदर्शी प्रक्रिया है, जिससे इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार में भी कमी आयी है ।

जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत जिस दसवीं महत्वपूर्ण सेवा का समावेश किया गया है, वह है, उपयोगिता भुगतान जिसमें मुख्य रूप से बिजली के बिलों, पानी के बिलों तथा अन्य महत्वपूर्ण बिलों का ई-गवर्नेंस के आधार पर भुगतान करना है । ई जिला पायलेट परियोजना के जोधपुर तथा अजमेर में क्रियान्वयन से पूर्व उपयोगिता भुगतान के संदर्भ में यह व्यवस्था थी कि बिजली, पानी तथा अन्य बिलों का भुगतान संबंधित विभाग के कार्यालय पर जाकर लाइन में लगकर करना पढ़ता था, इस कार्य में बहुत अधिक समय लगता था ।

वर्तमान में जोधपुर तथा अजमेर में उपयोगिता भुगतान के संदर्भ में यह व्यवस्था कर दी गयी है कि यदि कोई व्यक्ति पानी तथा बिजली के बिलों का भुगतान करना चाहता है तो वह अपने घर के समीप स्थित ई मित्र सेवा केंद्र पर जाकर ई मित्र संचालक के माध्यम से भुगतान कर के भुगतान की रसीद प्राप्त कर सकता है । यह व्यवस्था सरकार ने निःशुल्क प्रदान कर रखी है । राज्य सरकार ने इस संदर्भ में यह भी व्यवस्था कर रखी है कि

व्यक्ति चाहे तो स्वयं भी उपयोगिता बिलों का भुगतान कर सकता है, इसके लिए व्यक्ति द्वारा संबंधित विभाग की वेबसाइट पर जाकर क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है, इस प्रक्रिया में समय की बहुत बचत होती है।

1.19 मुद्दे तथा चुनौतियाँ- भारत में ई-गवर्नेंस से जुडी परियोजनाओं तथा प्रोजेक्टों के निर्माण तथा क्रियान्वयन से जुड़े अनेक मुद्दे तथा चुनौतियाँ है। सर्वप्रमुख मुद्दा राजनीतिक समर्थन का है, भारत में ई-गवर्नेंस के समर्थन में पर्याप्त राजनीतिक समर्थन तथा राजनीतिक चेतना का अभाव है। भारत में राजनीतिज्ञों द्वारा जनमत का निर्माण ज्ञान के आधार पर न करके संप्रदाय, जातिवाद, क्षेत्रीयता तथा भाषा जैसे अप्रगतिशील मुद्दों के आधार पर किया जाता है जिस कारण से वे मुद्दे पीछे रह जाते हैं जो कि राष्ट्र की प्रगति के आधार है।

भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति तथा भारत में ई-गवर्नेंस के स्वपन द्रष्टा डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम आजाद ने भारत में ई-गवर्नेंस की चुनौतियों के सन्दर्भ में निम्न वक्तव्य दिया है, "ई-गवर्नेंस को नागरिक अनुकूल होना होगा। नागरिकों को सेवा की सुपुर्दगी सरकार का प्राथमिक कार्य माना जाता है। भारत जैसे एक अरब से अधिक लोगों के प्रजातान्त्रिक राष्ट्र में, ई-गवर्नेंस को राज्य तथा संघीय ढांचे में केंद्रीय सरकार में सूचना तक सीमा रहित पहुँच और सूचना का सीमा रहित प्रवाह समर्थ बनाना चाहिये। किसी भी देश ने एक अरब लोगों के लिए कोई ई-गवर्नेंस प्रणाली कार्यान्वित नहीं की है, यह हमारे समक्ष एक बड़ी चुनौती है।"

भारत में ई-गवर्नेंस से जुडी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में एक महत्वपूर्ण समस्या वित्त की है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा ई-गवर्नेंस से जुडी योजनाओं का निर्माण तो कर दिया जाता है लेकिन उनके लिए वित्तीय प्रबंध पर्याप्त रूप से नहीं किये जाते है, इस कारण से ई-गवर्नेंस से जुडी परियोजनाऐं समय पर पूरी नहीं हो पाती हैं तथा इन योजनाओं को अगले वित्तीय वर्ष के बजट की प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

इसे इस प्रकार से समझा जा सकता है कि राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना का निर्माण वर्ष 2006 में किया गया था लेकिन अभी भी इसे पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा सका है, इस सन्दर्भ में राज्यों की स्थिति और ज्यादा खराब है क्योकिं वे राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के क्रियान्वयन के सन्दर्भ में पूरी तरह से केंद्र सरकार की

सहायता पर निर्भर है। डिजिटल गवर्नेंस की स्थापना के लिए बहुत बड़े स्तर पर संस्थागत तथा भौतिक सरंचना की आवश्यकता होती है जिसे पूरा करने के लिए बड़ी वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।

हमारे देश में राजनेता, सरकारी विभाग तथा संगठन ई-गवर्नेंस के सन्दर्भ में उचित वातावरण का निर्माण करनें में असमर्थ रहें हैं तथा ई-गवर्नेंस के सन्दर्भ में जनता द्वारा सक्रिय भागीदारी का भी अभाव है विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है, अभी भी अशिक्षा के चलते लोग ई-गवर्नेंस का लाभ लेने से वंचित है। भारत में ई-गवर्नेंस के क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण चुनौती सांस्कृतिक तथा भाषायी विभिन्नता की है, अधिकांश राज्य विशेष रूप से दक्षिण भारत के राज्यों में राज्य की भाषा में ही राजकीय कार्य किये जातें हैं जिससे अन्य राज्यों के नागरिकों द्वारा उस राज्य की सरकारी संस्थाओं तथा संगठनों से सम्पर्क करने में कठिनाई होती है।

भारत में वर्तमान समय में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों में जो सरकारी कर्मचारी तथा अधिकारी नियुक्त है उनमें से अधिकांश की नियुक्ति उस समय की है जब भारत में सूचना प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी शिक्षा का नितांत अभाव था। बाद के समय में ऐसे सरकारी कार्मिकों को जो ई-गवर्नेंस से जुड़े प्रशिक्षण दिये उसके प्रति कार्मिकों ने विशेष रूचि नहीं दिखाई तथा ऐसे प्रशिक्षण औपचारिकता मात्र बनकर रह गये। भारत में केंद्र तथा राज्य सरकार के अधिकांश सरकारी कार्मिकों की तकनीकी शिक्षा अपर्याप्त है।

भारतीय प्रशासन में आज भी परंपरागत लोक प्रशासन के दोष व्याप्त हैं, सरकारी कार्मिकों में सेवा की भावना का अभाव है तथा नौकरशाही की प्रवृति विद्यमान है फलस्वरूप अधिकांश कार्मिकों में जनता के प्रति निष्ठा तथा विश्वास की कमी है। भारत में सरकारी कार्मिक ई-गवर्नेंस के प्रति रूचि कम दिखातें हैं क्योंकि यह परंपरागत प्रशासन के दोषों को दूर करता है। भारतीय अधिकारी वर्ग में नौकरशाही की प्रवृति पाई जाती है जिस कारण से वे व्यवस्थाओं में अन्दर से होने वाले परिवर्तनों का विरोध करतें हैं। भारतीय नौकरशाही सामान्यज्ञों का प्रतिनिधित्व करती है तथा ई-गवर्नेंस विशेषज्ञों का कार्य है, जिस कारण से भारत में ई-गवर्नेंस से जुडी योजनाओं का क्रियान्वयन अत्यधिक प्रभावित हो जाता है विशेष रूप से प्रबंधन तथा निर्णय निर्माण के स्तर पर यह समस्या सर्वाधिक होती है।

द्वितीय

अध्याय

{साहित्य समीक्षा तथा शोध पद्धति}

2.1 साहित्य समीक्षा (Literature review)

(http://india.gov.in, 2017). भारत सरकार का राष्ट्रीय पोर्टल है जिसके माध्यम से भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। संदर्भित वेबसाइट पर राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना तथा उससे सम्बंधित ई जिला कार्यक्रम की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध है। यह वेबसाइट ई जिला कार्यक्रम के परिचय, उद्देश्यों तथा संरचना के सन्दर्भ में भी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती है।

(http://www.doitc.rajasthan.gov.in, 2017). राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की वेबसाइट का पता है। भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत 31 मिशन मोड प्रोजेक्टों का संचालन किया जा रहा है, इन में से जो परियोजनाऐं राजस्थान सरकार द्वारा चलायी जा रही है, उनकी समस्त जानकारी इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना को क्रियान्वित करने के लिए जो सरंचनात्मक ढांचा बनाया है उसके प्रारूप का वर्णन भी इस वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा राजस्थान में चलाये जा रहे ई जिला कार्यक्रम तथा उससे जुडी सेवाओं की जानकारी भी इस पर उपलब्ध है।

(दुआ, 2017). का अनुसंधान भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से उत्पन्न होने वाले अवसरों तथा इस प्रोग्राम के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। अनुसंधान पत्र की लेखिका ने द्वितीयक आकड़ें, इंटरनेट, अनुसंधान पत्रों तथा विषय विशेषज्ञों की जानकारी के आधार पर यह अनुसंधान पत्र लिखा है। जिसमें लेखिका ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की अवधारणा, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का महत्व, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाऐं तथा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु उपाय बतलाऐं हैं।

(चक्रवर्ती, 2016). ने नागरिक प्रशासन के संदर्भ में शासन में नैतिकता की अवधारणा को स्पष्ट किया है। लेखक ने शासन में नैतिकता के महत्व को विभिन्न परिप्रेक्ष्यों यथा जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोक सेवा सुधार तथा संस्थागत उत्तरदायित्व इत्यादि के संदर्भ में समझाने का प्रयत्न किया है। संदर्भित पुस्तक में लेखक ने

भारतीय प्रशासन में नैतिकता के इतिहास का वर्णन किया है तथा भारतीय राजनीति द्वारा प्रशासन में नैतिकता की स्थापना के लिए किए गए प्रयासों की भी व्याख्या पुस्तक में की है।

(सूरी तथा सुशील, 2016). के माध्यम से लेखक ने ई-गवर्नेंस का परिचय दिया है। लेखक ने पुस्तक में ई-गवर्नेंस के प्रभाव को मापने की विधि की व्याख्या की है, साथ ही लेखक ने ई-गवर्नेंस के प्रभाव को मापने के लिए एक रणनीतिक आधारभूत ढांचे की भी विवेचना की है। पुस्तक के माध्यम से लेखक पी के सूरी तथा सुशील ने कृषि कार्य से संबंधित अनेक ई-गवर्नेंस प्रोजेक्टों के प्रकरण अध्ययनों की व्याख्या की है। पुस्तक के माध्यम से लेखकों ने ई-गवर्नेंस के सफल क्रियान्वयन हेतु रणनीतिक योजना बनाने के लिए अनेक सुझाव दिए हैं।

(http://www.deity.gov.in, 2014). भारत सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग की वेबसाइट का पता है। इस वेबसाइट पर केंद्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना तथा इस योजना से सम्बंधित 31 मिशन मोड़ परियोजनाओं की सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। इस वेबसाइट पर केंद्र सरकार द्वारा राज्य की सरकारों के सहयोग से चलाये जा रहे महत्वपूर्ण मिशन मोड प्रोजेक्ट ई जिला कार्यक्रम तथा इससे सम्बंधित सेवाओं की महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध है।

(www.edistrict.rajasthan.gov.in, 2014). राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ई जिला कार्यक्रम के सन्दर्भ में चलायी जा रही वेबसाइट का पता है। इस वेबसाइट पर राजस्थान सरकार द्वारा चलाये जा रही ई जिला पायलेट परियोजना तथा ई जिला कार्यक्रमों से जुडी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध है।

(चौधरी, 2014). के माध्यम से भारत में ई-गवर्नेंस की अवधारणा पर एक व्यापक दृष्टि डाली गयी है। पुस्तक में लेखिका ने भारत में ई-गवर्नेंस के लिए किए गए रणनीतिक प्रयास की सविस्तार व्याख्या की है। लेखिका ने सुशासन को प्रशासनिक सुधार तथा सामाजिक सुधार का प्रमुख माध्यम माना है। लेखिका ने पुस्तक के

माध्यम से ई-गवर्नेंस को सफल बनाने हेतु राजनीति, तकनीकी तथा सांस्कृतिक समायोजन की सविस्तार विवेचना की है।

(संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, 2013-14). राजस्थान सरकार के वित्तीय वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रगति रिपोर्ट में विभाग के सांगठनिक ढांचे तथा प्रशासनिक तंत्र का विस्तृत वर्णन है तथा विभाग द्वारा राजस्थान में चलायी जा रही विभिन्न परियोजनाओं एवं जोधपुर तथा अजमेर में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के सन्दर्भ में विस्तृत जानकारी है।

(पाटिल तथा कायंडे, 2013). में कुल 24 अध्यायों का संपादन तीन भागों में किया गया है। पुस्तक के प्रथम भाग में प्रशासनिक सुधारों में स्थानिक अधिकार प्रदान करने की भूमिका, द्वितीय भाग में प्रशासनिक सुधारों से जुड़े मुद्दे तथा चुनोतियाँ तथा तृतीय भाग में भारत के विकास तथा प्रगति में गुड गवर्नेंस की भूमिका से जुड़े अध्याय है।

(केसरवानी, 2013). में यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि प्रशासनिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सुशासन को विकसित करना अति आवश्यक है। लेखक ने प्रशासनिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इसके सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक तथा वैश्विक पहलुओं की सविस्तार व्याख्या की है। पुस्तक में लेखक ने भ्रष्टाचार तथा उसके विभिन्न पहलुओं की विस्तृत व्याख्या की है तथा ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल जैसी संस्थाएं किस प्रकार से भ्रष्टाचार का मूल्यांकन करती हैं इसकी भी व्याख्या लेखक ने की है। लेखक ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अनेक उपाय पुस्तक के माध्यम से बतलाऐं हैं।

(पुरोहित तथा स्वामी, 2013). में सुशासन की अवधारणा के आर्थिक परिप्रेक्ष्य को समझाने का प्रयत्न किया गया है। पुस्तक में लेखक ने विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, जिनमें प्रमुख रूप से राज्य में आर्थिक विकास की भूमिका का महत्व, सुशासन के लिए जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की आवश्यकता, सुशासन के लिए आर्थिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार, सुशासन के लिए उच्च्च कृषि निवेश तथा ग्रामीण रोजगार

का सृजन, सुशासन के माध्यम से आर्थिक विकास के लिए संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका तथा सुशासन के माध्यम से आर्थिक विकास तथा समावेशी विकास इत्यादि है।

(संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, 2012-13). राजस्थान सरकार के वित्तीय वर्ष 2012-13 के वार्षिक प्रगति रिपोर्ट में विभाग के सांगठनिक ढांचे तथा प्रशासनिक तंत्र का विस्तृत वर्णन है तथा विभाग द्वारा राजस्थान में चलायी जा रही विभिन्न परियोजनाओं का वित्तीय रूप से सविस्तार वर्णन किया गया है। जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के सन्दर्भ में आयोजित की जा रही कार्यशालाओं की जानकारी है।

(चंदर तथा शर्मीला, 2012). ने भारत में ई-गवर्नेंस की अंतरसंचालनीयता के विषय पर व्याख्या की है। लेखक ने भारत में संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी के आधारभूत ढांचे में कमी, वृहद जनसंख्या, अशिक्षा तथा सामाजिक विभिन्नता को भारत में ई-गवर्नेंस की अंतरसंचालनीयता में कमी का प्रमुख कारण माना है। लेखक ने इस संदर्भ में समाधान हेतु सुझाव भी दिए हैं, ताकि राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना का उचित प्रकार से क्रियान्वयन किया जा सके।

(प्रभु, 2012). में ई-गवर्नेंस के अर्थ को समझाया है तथा ई-गवर्नेंस के मॉडलों की सविस्तार व्याख्या की है। पुस्तक के माध्यम से लेखक ने यह बतलाया है कि प्रारंभिक अवस्था में ई-गवर्नेंस के संदर्भ में आधारभूत संरचना क्या होनी चाहिए तथा ई-गवर्नेंस की सफलता के लिए किस प्रकार से रणनीति बनाई जानी चाहिए। लेखक ने ई-गवर्नेंस से प्राप्त आंकड़ों के संरक्षण, गणन व प्रकाशन हेतु सरकार को विभिन्न सुझाव पुस्तक के माध्यम से दिए हैं।

(मीणा, 2012). में भारत में ग्रामीण क्षेत्र के विकास प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। लेखक ने मूल रूप से राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के विकास प्रशासन को केंद्र में रखकर ग्रामीण विकास प्रशासन की सविस्तार व्याख्या की है। पुस्तक में लेखक ने ग्रामीण क्षेत्र के विकास में परिस्थितियों की भूमिका, नरेगा, पंचायती राज संस्थाओं तथा भारत सरकार में ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं इत्यादि की विस्तृत व्याख्या की है।

(मनोहर तथा होल्जर, 2012). में ई - शासन में सक्रिय नागरिक भागीदारी पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य में विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया है। पुस्तक के माध्यम से दोनों लेखकों ने यह बतलाया है कि ई - शासन में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से शासन में उत्तरदायित्व की भावना का उत्थान होता है, शासन में पारदर्शिता आती है तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता का विकास होता है। ई-गवर्नेंस की संस्कृति समाज में विकसित होने पर समाज का तेजी से विकास होता है। दोनों लेखकों ने विभिन्न देशों में ई-गवर्नेंस से जुड़ी नीतियों के सफल क्रियान्वयन का विशेष रुप से ग्रीस, फिनलैंड, स्पेन तथा इटली के संदर्भ में विस्तृत वर्णन किया है।

(थॉमस, 2012). के माध्यम से भारत में डिजिटल इंडिया के महत्व को परिभाषित किया है। पुस्तक में लेखक ने यह बतलाया है कि उदारीकृत अर्थव्यवस्था के विकास में सूचना प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। लेखक ने भारत सरकार के कार्यो में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व की सविस्तार व्याख्या की है। पुस्तक में लेखक ने सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ विवादास्पद बिंदुओं जैसे साइबर सुरक्षा, पाइरेसी इत्यादि पर भी विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है।

(संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, 2011-12). राजस्थान सरकार के वित्तीय वर्ष 2011-12 के वार्षिक प्रगति रिपोर्ट में राजस्थान में ई-गवर्नेंस के विकास का विस्तृत वर्णन है तथा विभाग द्वारा अर्जित महत्वपूर्ण उपलब्धियों का वर्णन है। राजस्थान में चलायी जा रही विभिन्न परियोजनाओं तथा जोधपुर तथा अजमेर में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के सन्दर्भ में विस्तृत जानकारी है।

(भट्ट तथा अग्रवाल, 2011). में ई-गवर्नेंस का विस्तृत वर्णन किया गया है। पुस्तक में भारत में ई-गवर्नेंस के सन्दर्भ में हुए विभिन्न प्रयोगों के परिणाम का वर्णन किया गया है तथा शासन के अनेक विभागों पर ई-गवर्नेंस के व्यापक प्रभाव का उल्लेख किया गया है।

(तेजस्वी तथा सारंगदेवत, 2011). में लेखक ने ई-गवर्नेंस के अर्थ का विस्तृत वर्णन किया है, किस प्रकार से एक नाटकीय घटनाक्रम के रूप में राजस्थान में ई-गवर्नेंस का विकास हुआ है तथा किस प्रकार एक धीमी गति से राजस्थान में ई-गवर्नेंस का एकीकरण हुआ है। यह अनुसंधान पत्र राजस्थान में ई-गवर्नेंस के इतिहास को प्रतिबिंबित करता है।

(संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, 2010-11). राजस्थान सरकार के वित्तीय वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रगति रिपोर्ट में विभाग के सांगठनिक ढांचे तथा प्रशासनिक तंत्र का विस्तृत वर्णन है तथा विभाग द्वारा राजस्थान में चलायी जा रही विभिन्न परियोजनाओं तथा जोधपुर तथा अजमेर में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के सन्दर्भ में विस्तृत जानकारी है।

(घोष, 2010). ने भारत देश के ग्रामीण इलाकों में किए गए अपने अध्ययनों की व्याख्या की है। लेखक ने यह बतलाया है कि किस प्रकार से सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने भारत के 6 लाख से अधिक गांवों में पारंपरिक सामाजिक ढांचे को तोड़कर एक नये आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक राज्य की नींव रखी है। लेखक ने बतलाया है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में स्थानीय लोगों और समुदाय द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से एक नये भारत का निर्माण हुआ है। यह भारत में टेलीकॉम क्षेत्र की सफलता को दर्शाता है।

(माहेश्वरी, 2010). में भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था विशेष रुप से केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की प्रशासनिक व्यवस्था की सविस्तार व्याख्या की गयी है। पुस्तक में लेखक ने भारत सरकार के महत्वपूर्ण प्रशासनिक बिंदुओं यथा कैबिनेट सचिवालय, कार्मिक मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, कार्यकारी अभिकरण, संवैधानिक संस्थाओं, मंत्री सचिव संबंध, लोक निगम, लोक सेवा, अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, भारत में प्रशासनिक सुधारों, केंद्र राज्य संबंध, भ्रष्टाचार तथा प्रशासनिक अभिकरण इत्यादि की व्याख्या की है। लेखक ने पुस्तक में राज्य सरकारों के संबंध में महत्वपूर्ण प्रशासनिक बिंदुओं यथा राज्य सचिवालय, राजस्व बोर्ड, संभागीय प्रशासनिक व्यवस्था, जिला प्रशासन तथा राज्य लोक सेवा इत्यादि की व्याख्या की है। लेखक ने स्थानीय निकाय के संदर्भ में शहरी स्थानीय प्रशासन तथा पंचायती राज व्यवस्था इत्यादि का विस्तृत वर्णन किया है।

(संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, 2009-10). राजस्थान सरकार के विभाग के वित्तीय वर्ष 2009-10 के वार्षिक प्रगति रिपोर्ट में विभाग की महत्वपूर्ण भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियों का वर्णन है तथा विभाग द्वारा राजस्थान में चलायी जा रही ई-गवर्नेंस की विभिन्न परियोजनाओं का विस्तृत वर्णन है।

(भटनागर, 2009). में वैश्विक परिदृश्य में ई-गवर्नेंस की व्याख्या की है। लेखक ने पुस्तक में ई-गवर्नेंस की अवधारणा तथा क्षेत्र को स्पष्ट करते हुए ई-गवर्नेंस के अनुप्रयोग की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की है। लेखक ने पुस्तक में भारत तथा विश्व में ई-गवर्नेंस के सन्दर्भ किये गए विभिन्न अनुप्रयोगों के प्रकरण अध्ययन का विश्लेषण किया है।

(चौधरी, नायक तथा पनिग्रह्य, 2009). में ई-गवर्नेंस के क्रियान्वयन से सम्बंधित मुद्दों तथा रणनीति पर जोर दिया गया है तथा विशेष रूप से भारत में ई-गवर्नेंस की उपादेयता तथा स्वीकार्यता का अध्ययन किया गया है। भारत में ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन के सन्दर्भ में आने वाली चुनौतियों का ओडिशा राज्य के सन्दर्भ में अध्ययन किया गया है।।

(द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, 2009). ने अपनी बाहरवीं रिपोर्ट जिसका शीर्षक नागरिक केंद्रित प्रशासन: शासन का केंद्र बिंदु है, में नागरिक केन्द्रीयता के तत्वों को बतलाते हुए नागरिक केन्द्रीयता के सन्दर्भ में भारत की स्थिति का वर्णन किया है, आयोग ने भारतीय प्रशासन को नागरिक केंद्रित बनाने में ई-गवर्नेंस के महत्व को बतलाया है।

(संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, 2008-09). राजस्थान सरकार के विभाग के वित्तीय वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रगति रिपोर्ट में विभाग के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्राप्त की गयी विभिन्न उपलब्धियों की व्याख्या है। संदर्भित वार्षिक प्रतिवेदन में विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार क्षेत्र में स्थापित की गयी आधारभूत संरचना का वर्णन है तथा विभाग द्वारा राजस्थान में चलायी जा रही विभिन्न परियोजनाओं का उल्लेख है।

(राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान, 2008). में नागरिक केंद्रित सेवा का महत्व बतलाते हुए इसे प्राप्त करने में ई-गवर्नेंस की भूमिका का अध्ययन किया गया है तथा भारत में गोवा, कर्नाटक, झारखण्ड, दिल्ली तथा आंध्र प्रदेश में ई गवर्नेंस के माध्यम से प्राप्त नागरिक केन्द्रीयता की स्थिति का विश्लेषण किया गया है।

(अरोड़ा तथा खंडेलवाल, 2008). में सुशासन के विभिन्न नवीन प्रयोगों तथा उनसे प्राप्त होने वाले प्रभावों की व्याख्या की गयी है। संदर्भित पुस्तक के माध्यम से लेखक ने सुशासन की अवधारणा को लोक सेवा, नव

लोक प्रबंधन, वर्तमान में सरकार की बदलती भूमिका तथा बढ़ती प्रशासनिक जटिलता के संदर्भ में समझाया है। पुस्तक में लेखक ने सुशासन को न्याय व्यवस्था, निष्पक्ष चुनाव, लोकतंत्र, सतत विकास की अवधारणा, संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी, ई-गवर्नेंस तथा स्थानीय निकायों के विकास के संदर्भ में समझाने का प्रयत्न किया है।

(द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, 2008). ने ग्यारवीं रिपोर्ट "ई-गवर्नेंस का संवर्धन : स्मार्ट मार्ग अग्रेषित" में रिपोर्ट का विभाजन कुल 9 अध्यायों में किया है जिसके अंतर्गत ई-गवर्नेंस की अवधारणा, अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में ई - गवर्नेंस, ई-गवर्नेंस के सिद्धांत, ई-गवर्नेंस के लिए संकलनात्मक ढांचा, ई-गवर्नेंस के सुधारों का कार्यान्वयन, ई-गवर्नेंस के लिए क़ानूनी ढांचे का प्रारूप, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना की समीक्षा तथा इसके सन्दर्भ में सिफारिशें तथा ई-गवर्नेंस के लिए ज्ञान का प्रबन्धन है। आयोग ने भारत में ई गवर्नेंस को अधिक विकसित करने के सन्दर्भ में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की है।

(संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, 2007-08). राजस्थान सरकार के वित्तीय वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन में विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार के क्षेत्र में प्राप्त की गयी उपलब्धियों का विस्तृत वर्णन है तथा विभाग द्वारा राजस्थान में चलायी जा रही विभिन्न परियोजनाओं तथा ई-गवर्नेंस से सम्बंधित परियोजनाओं की जानकारी है।

(गोयल, **2007).** ने तीन भागों में लिखा है, प्रथम भाग में गुड गवर्नेंस का परिचय तथा उसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका की भूमिका का वर्णन किया है। द्वितीय भाग में गुड गवर्नेंस के लिए आवश्यक तत्वों का वर्णन किया है तथा तृतीय भाग में भारत में गुड गवर्नेंस के सन्दर्भ में किये गये कार्यों का वर्णन किया गया है।

(धारीवाल तथा शर्मा, 2007). में कुल 19 अध्यायों का संपादन चार भागों में किया गया है। प्रथम भाग में जिला स्तर के प्रशासन का सैद्धांतिक वर्णन है तथा द्वितीय भाग में वर्तमान परिवर्तित परिप्रेक्ष्य में जिला प्रशासन की भूमिका से जुड़े अध्याय हैं। तृतीय भाग में जिला स्तर पर लोक शिकायत निवारण तथा

जवाबदेही प्रशासन से जुड़े अध्याय है तथा चतुर्थ भाग में 21वीं सदी में जिला कलेक्टर की भूमिका से सम्बंधित अध्याय है।

(शेरन, 2006). में लोक प्रशासन में आचार संहिता की भूमिका के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समझाया है। पुस्तक के पहले भाग में लेखक ने आचार संहिता के सामान्य भाग का वर्णन किया है, जिसमें आचार संहिता का आधारभूत ढांचा, आचार संहिता की मानवीय जड़ें, मनुष्य के कार्य में आचार संहिता की झलक, मनुष्य के कार्य में नैतिकता, नियम, कानून, विनियमन तथा चेतना इत्यादि का सविस्तार वर्णन किया है। पुस्तक के दूसरे अध्याय में लेखक ने विशेष आचार संहिता का वर्णन किया है जिसमें मानवीय अधिकार तथा मानवीय कर्तव्य, एक मनुष्य होने के नाते मानवीय कर्तव्य की भूमिका, एक सामाजिक नागरिक होने के कारण हमारे अधिकार तथा कर्तव्य इत्यादि का वर्णन लोक प्रशासन के संदर्भ में लेखक ने किया है।

(सिन्हा, 2006). के माध्यम से गुड गवर्नेंस तथा ई-गवर्नेंस के अंतर्संबंधों को समझाने का प्रयत्न किया है। लेखक ने पुस्तक में विश्व में ई-गवर्नेंस की स्थिति को ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, डेनमार्क, फ़िनलैंड तथा साइप्रस के संदर्भ में समझाया है। लेखक ने पुस्तक में ई-गवर्नेंस के संदर्भ में भारतीय दृष्टिकोण की भी विस्तृत रूप से व्याख्या की है तथा पुस्तक के माध्यम से लेखक ने भारत के प्रमुख राज्यों यथा आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मिजोरम तथा उत्तर प्रदेश इत्यादि की सूचना प्रौद्योगिकी नीति, ई-गवर्नेंस के विभिन्न प्रयोग, सूचना प्रौद्योगिकी के आधारभूत ढांचे इत्यादि का विस्तृत रूप से वर्णन किया है।

(देवा, 2005). के माध्यम से ई-गवर्नेंस की आधारभूत जानकारी को विश्लेषित किया है तथा इसके अध्ययन के केंद्र में भारत को रखा गया है। संदर्भित पुस्तक के माध्यम से लेखक ने ई-गवर्नेंस की प्रकृति तथा क्षेत्र का वर्णन करते हुए समाज के विभिन्न क्षेत्रों यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, वाणिज्य तथा न्याय व्यवस्था इत्यादि में ई-गवर्नेंस के महत्व का प्रतिपादन किया है।

(शर्मा तथा बारेठ, 2004). में सुशासन, वैश्वीकरण तथा सिविल समाज से संबंधित महत्वपूर्ण लेखों का संकलन किया गया है। इन लेखों में मुख्य रूप से ई-गवर्नेंस की अवधारणा का वर्णन, 21 वीं शताब्दी में सुशासन की भूमिका, सुशासन में जनभागीदारी, 21वीं सदी में प्रशासनिक चुनौतियां, वैश्विक संस्थाऐं यथा

विश्व व्यापार संघ तथा सुशासन, सुशासन तथा सिविल समाज में अंतर्संबंध, भारतीय लोकतंत्र में सुशासन की प्रासंगिकता, भारत में सुशासन के समक्ष चुनौतियां, सुशासन हेतु राजनीतिक दल तथा चुनाव सुधार, सूचना का अधिकार - सिटीजन चार्टर तथा गुड गवर्नेंस में अंतर्संबंध तथा राजस्थान के संदर्भ में पंचायती राज संस्थाओं तथा प्रशासन की अवधारणा इत्यादी का संकलन है।

(शर्मा, 2004). में तकनीकी रूप से ई-गवर्नेंस का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रशासन में इसकी प्रक्रिया को समझाया गया है। लेखक ने ई-गवर्नेंस के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक क़ानूनी ढांचे का वर्णन किया है तथा विशेष रूप से गुजरात राज्य के सन्दर्भ में किये गए केस अध्ययनों का वर्णन किया है।

(सुश्रुम तथा फिलिप, 2003). के प्रकरण अध्ययन में आंध्र प्रदेश में ई-गवर्नेंस के कुछ प्रयोगों के पश्चात प्रशासन में नागरिक केन्द्रीयता का अध्ययन किया गया है। संदर्भित प्रकरण अध्ययन में अध्ययनकर्ताओं द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभिक स्तर पर किए गए ई-गवर्नेंस के प्रयोग से उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता का अध्ययन प्रो. सी० प्रहलाद के निर्देशन में किया है।

(बर्थवाल, 2003). के माध्यम से भारत में सुशासन की अवधारणा तथा उसके विभिन्न पहलुओं की विस्तृत व्याख्या की गयी है। पुस्तक के प्रथम भाग में लेखक ने भारत के परिप्रेक्ष्य में सुशासन की अवधारणा की व्याख्या की है। दूसरे भाग में लेखक ने भारतीय प्रशासन के परिप्रेक्ष्य में प्रशासन के आधारभूत ढांचे की व्याख्या की है, पुस्तक के तीसरे भाग में लेखक ने भारत में सुशासन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में वर्णन किया है। पुस्तक के चौथे भाग में लेखक ने सुशासन की विभिन्न पहलुओं यथा नौकरशाही, राजनीति, सैन्य प्रशासन, मानव अधिकार, लोकतंत्र, जनभागीदारी, व्यवस्थापिका, विकेंद्रीकरण, भ्रष्टाचार तथा गैर सरकारी संगठन इत्यादि के परिप्रेक्ष्य में व्याख्या की है। पुस्तक के पांचवे भाग में लेखक ने पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय नगरीय निकायों के संदर्भ में सुशासन की अवधारणा को समझाया है। पुस्तक के छठे भाग में लेखक ने अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में विशेष रुप से वैश्वीकरण के संदर्भ में सुशासन की अवधारणा पर प्रकाश डाला है।

(अरोड़ा तथा माथुर, 1998). में राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था का उसके संस्थागत आधारभूत ढांचे के सन्दर्भ में व्याख्या की गयी है। पुस्तक के माध्यम से दोनों लेखकों ने राजस्थान में कानून सुधार, न्यायिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन, राजस्व प्रशासन, प्रशासनिक एकीकरण, राज्य वित्तीय प्रशासन, लोक सेवा, राजस्थान की शैक्षणिक व्यवस्था, सामाजिक कल्याण प्रशासन, आधारभूत संरचना विकास, सड़क परिवहन विकास, पर्यटन विकास प्रशासन तथा लोक संपर्क प्रशासन इत्यादि पर प्रकाश डाला है।

(फोल्ज, 1996). में लोक प्रशासन से संबंधित नागरिक सर्वेक्षण के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला गया है। लेखक ने पुस्तक के माध्यम से नागरिक सर्वेक्षण के अर्थ और उसकी आवश्यकता को लोक प्रशासन के संदर्भ में समझाने का प्रयत्न किया है। संदर्भित पुस्तक के माध्यम से लेखक ने लोक नीति निर्माण, लोक नीति कार्यान्वयन तथा लोकनीति मूल्यांकन के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। लेखक ने सर्वेक्षण के सहभागी प्रयास पर विस्तृत व्याख्या करते हुए नागरिक सर्वेक्षण के दुरुपयोग को भी समझाया है।

2.2 शोध पद्धति (Research Methodology)- शोधार्थी के अनुसन्धान का शीर्षक "राजस्थान में ई-गवर्नेंस : जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन का तुलनात्मक अध्ययन" है। शोध के उद्देश्यों के संदर्भ में शोधार्थी को भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के महत्वपूर्ण मिशन मोड़ प्रोजेक्ट ई जिला परियोजना के संदर्भ में पायलेट परियोजना का राजस्थान के दो जिलों जोधपुर तथा अजमेर में क्रियान्वयन तथा उसके के पश्चात उत्पन्न प्रभाव का नागरिक केन्द्रीयता के संबंध में तुलनात्मक अध्ययन करना है। यद्यपि राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना भारत सरकार की है लेकिन ई जिला पायलेट परियोजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया गया है। शोधार्थी का अनुसंधान अनुभवात्मक (Experiential) प्रकार का है। अनुसन्धान का कार्य वर्तमान संदर्भ में किया जाना है, अतः वर्णनात्मक अनुसन्धान पद्धति (Descriptive research methodology) इस सन्दर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त होगी।

2.3 वर्णनात्मक अनुसन्धान पद्धति (Descriptive research methodology)- सामाजिक अनुसन्धान के क्षेत्र में वर्णनात्मक अनुसन्धान पद्धति का सर्वाधिक महत्व है। वर्णनात्मक अनुसन्धान पद्धति का सम्बन्ध भूतकाल तथा भविष्यकाल की अपेक्षा वर्तमान से होता है तथा यह वर्तमान स्थिति को स्पष्ट

करती है। वर्णनात्मक अनुसन्धान पद्धति को अनेक नामों से जाना जाता है यथा सर्वेक्षण विधि, नोर्मेटिव विधि, विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि तथा स्टेप्स विधि इत्यादि।

वर्णात्मक अनुसन्धान विधि के प्रयोग के अनेक उद्देश्य हैं, इसका सर्व प्रमुख उद्देश्य यह है कि यह किसी भी क्रियाकलाप की वर्तमान स्थिति का स्पष्टीकरण करती है जिससे उसके सन्दर्भ में भविष्य के नियोजन में सहायता तथा आसानी रहती है। वर्णनात्मक अनुसन्धान विधि शोध को विश्वसनीय तथा वस्तुनिष्ठ बनाने के लिये आवश्यक प्राथमिक अध्ययन में सहायता प्रदान कराती है।

समाज में मनुष्य के व्यवहार में एकरूपता नहीं है तथा मनुष्य के व्यवहार के विभिन्न पक्ष होतें है, जिनकी जानकारी प्राप्त करनें में वर्णनात्मक अनुसन्धान पद्धति बहुत सहायक है। वर्णनात्मक अनुसन्धान पद्धति सामाजिक तथा आर्थिक नियोजन में अत्यधिक सहायता करती है साथ ही यह सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को जानने में अत्यधिक सहायक है।

2.4 शोध कार्य के संदर्भ में वर्णनात्मक अनुसंधान पद्धति (Descriptive research method) की विशेषताऐं- वर्णनात्मक अनुसंधान विधि में अनुसंधान का एक विशेष उद्देश्य होता है, शोधार्थी के शोध कार्य का विशेष उद्देश्य है जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन का तुलनात्मक अध्ययन तथा क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

वर्णनात्मक अनुसंधान पद्धति में एक समय में अनेक लोगों से आंकड़े एकत्रित (Data collection) किए जा सकते हैं। शोधार्थी द्वारा भी ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात जोधपुर तथा अजमेर जिले से अनुसंधान उपकरण का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का एकत्रीकरण किया जाएगा।

वर्णनात्मक अनुसंधान विधि में अध्ययन क्षेत्र प्रतिदर्श तक सीमित रहता है। शोधार्थी के द्वारा प्रतिदर्श जोधपुर तथा अजमेर जिले से प्राप्त किए जायेंगे तथा इन दो जिलों तक ही शोधार्थी का अध्ययन क्षेत्र सीमित है।

वर्णनात्मक अनुसंधान विधि में शोध कार्य का वर्णन शाब्दिक होता है किंतु इसे गणितीय सूत्रों में भी प्रकट कर सकते हैं। शोधार्थी द्वारा जोधपुर तथा अजमेर जिले से प्राप्त आंकड़ों का सांख्यिकी आधार पर विश्लेषण

करके जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन तथा उससे उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता का वर्णन किया जाएगा।

वर्णनात्मक अनुसंधान विधि का उद्देश्य एक सीमित क्षेत्र में निर्धारित समय में घटी घटना अथवा लागू की गई किसी योजना से होता है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत ई जिला कार्यक्रम का निर्माण किया गया तथा राजस्थान सरकार के सहयोग से इसकी पायलेट परियोजना का क्रियान्वयन जोधपुर तथा अजमेर जिले की दस सेवाओं मे 1 अक्टूबर 2013 को प्रारम्भ किया गया। इसी पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन तथा उससे उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता का अध्ययन शोधार्थी के द्वारा किया जाना है।

2.5 अनुसंधान उपकरण (Research Tools)- शोधकर्ता द्वारा जोधपुर तथा अजमेर में ई जिला पायलेट परियोजना के कार्यान्वयन तथा उससे उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता अध्ययन करने के लिए एक अनुसंधान उपकरण का निर्माण किया गया है जिसकी सहायता से जोधपुर तथा अजमेर जिले में सर्वेक्षण का कार्य किया जाएगा। अनुसंधान उपकरण के मुख्य रुप से चार भाग हैं जो निम्न है:-

अनुसंधान उपकरण के प्रथम भाग में सूचनादाता से संबंधित जानकारी का उल्लेख है यथा सूचनादाता का नाम, पता, लिंग, व्यवसाय, आयु, शिक्षा तथा सूचनादाता शहरी (Urban) अथवा ग्रामीण (Rural) किस क्षेत्र का निवासी है।

अनुसंधान उपकरण के द्वितीय भाग में ई जिला पायलेट परियोजना के कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए अनुसंधानकर्ता ने ई जिला पायलेट परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित दस सेवाओं से संबन्धित 10 प्रश्नों का समावेश किया है। ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली दस सेवाओं का उपयोग करने अथवा नहीं करने से संबंधित दस प्रश्नों का समावेश द्वितीय भाग में किया गया है ताकि द्वितीय भाग के आधार पर प्राप्त आंकड़ों के माध्यम से यह परिणाम प्राप्त किया जा सके कि किस सेवा का उपयोग कितने प्रतिशत लोगों ने किया है।

अनुसंधान उपकरण के तृतीय भाग के माध्यम से अनुसंधानकर्ता द्वारा जोधपुर तथा अजमेर में ई जिला पायलेट परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता का अध्ययन किया जाएगा। इस हेतु शोधकर्ता द्वारा तृतीय भाग में नागरिक केंद्रीयता के सात प्रमुख घटकों के आधार पर रेटिंग स्केल से संबंधित 7 प्रश्नों का निर्धारण किया गया है।

अनुसंधान उपकरण के चतुर्थ भाग में तीन महत्वपूर्ण व्याख्यात्मक प्रश्नों का समावेश किया गया है ताकि इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त हो सके कि सूचनादाताओं ने ई जिला पायलेट परियोजना की कौन सी सेवाओं का उपयोग नहीं किया है, किस कारण से नहीं किया है। इस परियोजना के संदर्भ में ई मित्र सेवा केन्द्रों पर उनके अनुभव किस प्रकार के हैं तथा भविष्य के लिए वो क्या सुझाव देना चाहते हैं।

अनुसंधान उपकरण के निर्माण के पश्चात वैधता परीक्षण (Validity test) के लिए उसे विषय विशेषज्ञ के पास भेजा गया जिन्होंने उसे उपयुक्त पाया तथा अनुसंधान उपकरण का विश्वसनीयता परीक्षण (Reliability test) भी किया गया जिसमें उसका मूल्यांकन सही प्राप्त हुआ है।

2.6 आंकड़ों का संग्रहण (Collection of data) - आंकड़ों के संग्रहण हेतु अनुसंधानकर्ता द्वारा मल्टी स्टेज सैंपलिंग पद्धति का चयन किया गया है। ई जिला पायलेट परियोजना राजस्थान के दो जिलों जोधपुर तथा अजमेर में क्रियान्वित की गई है। शोधकर्ता का अनुसंधान क्षेत्र इन्ही दो जिलों तक सीमित है। सर्वेक्षण के लिए जोधपुर तथा अजमेर जिले को शहरी क्षेत्र (Urban area) तथा ग्रामीण क्षेत्र (Rural area) दो भागों में विभाजित कर लिया गया है, इस प्रकार अनुसंधान क्षेत्र के 4 उप क्षेत्रों जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, अजमेर शहर तथा अजमेर ग्रामीण का निर्धारण किया गया है।

जोधपुर शहरी क्षेत्र से प्रतिदर्श की प्राप्ति हेतु जोधपुर जिले के चार शहरी क्षेत्रों का चयन किया गया है जिनमें जोधपुर नगर निगम क्षेत्र, बिलाड़ा नगरपालिका क्षेत्र, फलोदी नगरपालिका क्षेत्र तथा पीपाड़ सिटी नगरपालिका क्षेत्र है। जोधपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 2, 7, 11, 19, 25, 37, 42, 50,57 तथा 63 से, बिलाड़ा नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 6, 10, 13, 18 तथा 21 से, फलोदी नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड

क्रमांक 3, 8, 16, 20, तथा 28 से तथा पीपाड़ सिटी नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 3, 7, 12, 17, तथा 22 को प्रतिदर्श की प्राप्ति के लिए चयनित किया गया है।

अजमेर शहरी क्षेत्र से प्रतिदर्श की प्राप्ति हेतु अजमेर जिले के चार शहरी क्षेत्रों का चयन किया गया है जिनमें अजमेर नगर निगम क्षेत्र, केकड़ी नगरपालिका क्षेत्र, विजयनगर नगरपालिका क्षेत्र तथा किशनगढ़ नगरपालिका क्षेत्र है। अजमेर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 4, 11, 16, 19, 21, 30, 35, 42, 49 तथा 53 से, केकड़ी नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 3, 9, 15, 20 तथा 24 से, विजयनगर नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 6, 8, 15, 20 तथा 22 से तथा किशनगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड 3, 9, 10, 22 तथा 32 को प्रतिदर्श की प्राप्ति के लिए चयनित किया गया है।

जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र से प्रतिदर्श की प्राप्ति हेतु जोधपुर की 4 पंचायत समितियों का चयन किया गया है जिनमें ओसियां, भोपालगढ़, शेरगढ़ तथा बिलाड़ा है। इनमें पंचायत समिति ओसियां के माथनिया, गोविंदपुरा, भीमसागर, श्रीकरणी पुरा, रावत नगर तथा बासनी धांवरा गावों से, पंचायत समिति भोपालगढ़ के सोयला, खारिया खंगार, असोप, हिंगोली, रामपुरा, नाथु नगर तथा रथुरिया गावों से, पंचायत समिति शेरगढ़ के डेचु, कनोदिया पुरोहितान, गुमानपुरा, हिम्मतपुरा, रावलगढ़ तथा पदमगढ़ गावों से तथा पंचायत समिति बिलाड़ा के बाँकलिया, खेजड़ला, रामपुरिया, सिंधी नगर, होलपुर कलां तथा तिलवासनी गांवों को प्रतिदर्श की प्राप्ति हेतु चयनित किया गया है।

अजमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में प्रतिदर्श की प्राप्ति हेतु अजमेर जिले की 4 पंचायत समितियों का चयन किया गया जिनमें केकड़ी, भिनाय, पीसांगन तथा किशनगढ़ है। इसमें पंचायत समिति केकड़ी के बघेरा, घटियाली, कालाखेत, लक्ष्मीपुरा, जल का खेड़ा तथा पीपलाज गांवों से, पंचायत समिति भिनाय के जेतपुरा, पड़ालिया, अर्जुनपुरा, पडांगा, सिंघवाल तथा उदयगढ़ खेड़ा गांवों से, पंचायत समिति पीसांगन के पिचोलिया, मांगलियावास, अलीपुरा, दौलतखेड़ा, रतनगढ़, सूरजकुंड तथा जसवंतपुरा गांवों से तथा पंचायत समिति किशनगढ़ के अमरपुरा, रूपनगढ़, गूजरवाड़ा, कल्याणपुरा, सलेमाबाद तथा तिलोनिया गांवों को प्रतिदर्श की प्राप्ति हेतु चयनित किया गया है। इस प्रकार जोधपुर तथा अजमेर जिले के नगरीय निकायों के

25-25 वार्डों को तथा ग्रामीण निकायों के 25-25 गावों को प्रतिदर्श की प्राप्ति हेतु चयनित किया गया है। अनुसंधान हेतु प्रतिदर्श का आकार 300 है तथा 150 प्रतिदर्श जोधपुर तथा 150 प्रतिदर्श अजमेर से है।

जोधपुर तथा अजमेर जिले में सर्वेक्षण से प्राप्त प्रतिदर्श (Sample) का विभिन्न आधारों पर विभाजन प्रदर्शित करती तालिका-

विवरण	जोधपुर	अजमेर
कुल प्रतिदर्श	150	150
शहरी	75	75
ग्रामीण	75	75
पुरुष	92	104
महिला	58	46
प्रथम शिक्षा श्रेणी	64	60
द्वितीय शिक्षा श्रेणी	58	54
तृतीय शिक्षा श्रेणी	28	36
प्रथम आयु वर्ग	30	36
द्वितीय आयु वर्ग	36	30
तृतीय आयु वर्ग	28	36
चतुर्थ आयु वर्ग	40	22
पंचम आयु वर्ग	16	26

2.7 आंकड़ों का विश्लेषण (Analysis of data) - वर्णनात्मक अनुसंधान पद्धति के अंतर्गत शोधार्थी द्वारा सर्वेक्षण से अर्जित आंकड़ों का वर्णन जोधपुर तथा अजमेर जिले के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में निम्न पाँच आधारों पर किया जाएगा:-

1. सम्पूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में
2. पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संदर्भ में
3. शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में
4. शिक्षा श्रेणीयों के संदर्भ में
5. आयु वर्गों के संदर्भ में

शिक्षा के आधार पर विश्लेषण करने हेतु अनुसंधानकर्ता ने जोधपुर तथा अजमेर जिले में सूचनादाताओं की तीन श्रेणियां बनाई है:-

प्रथम शिक्षा श्रेणी- प्रथम श्रेणी के अंतर्गत उन सूचनादाताओं को समाविष्ट किया गया है जो बाहरवीं उत्तीर्ण हैं, अथवा उससे कम शिक्षित है।

द्वितीय शिक्षा श्रेणी- द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत उन सूचनादाताओं को समाविष्ट किया गया है, जो बाहरवीं कक्षा से अधिक शिक्षित हैं अथवा स्नातक है।

तृतीय शिक्षा श्रेणी- तृतीय श्रेणी के अंतर्गत उन सूचनादाताओं को समाविष्ट किया गया है, जो स्नातक से अधिक शिक्षित हैं।

आयु के आधार पर पांच आयु वर्गों का निर्माण- आयु के आधार पर विश्लेषण करने के लिए अनुसंधानकर्ता द्वारा सूचनादाताओं के 5 आयु वर्ग निर्धारित किए हैं, जो निम्न हैं :-

प्रथम आयु वर्ग- 25 वर्ष तक अथवा उससे कम आयु के सूचनादाता

द्वितीय आयु वर्ग- 26 वर्ष से अधिक तथा 35 वर्ष तक की आयु के सूचनादाता

तृतीय आयु वर्ग- 36 वर्ष से अधिक तथा 45 वर्ष तक की आयु के सूचनादाता

चतुर्थ आयु वर्ग- 46 वर्ष से अधिक तथा 55 वर्ष तक की आयु के सूचनादाता

पंचम आयु वर्ग- 56 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के सूचनादाता

जोधपुर तथा अजमेर जिले में अनुसंधानकर्ता को सर्वेक्षण से जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उनका संपूर्ण जनसंख्या, पुरुष तथा महिला जनसंख्या, शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या, तीनों शिक्षा श्रेणियों से संबंधित जनसंख्या तथा पाँच आयु वर्गों से संबंधित जनसंख्या के आधार पर विभाजिन कर लिया गया है। प्रत्येक वर्ग को भी ई जिला पायलेट परियोजना की दस सेवाओं के उपयोग तथा नागरिक केंद्रीयता के निर्धारित सात घटकों के संदर्भ में दी गयी प्रतिक्रिया के आधार पर विभाजित कर लिया गया है। इस प्रकार से विश्लेषित आंकड़ों के आधार पर तृतीय तथा चतुर्थ अध्याय में जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन तथा उससे उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

तृतीय अध्याय

(जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन की तुलनात्मकता)

3.1 जोधपुर तथा अजमेर जिले के बारे में सामान्य जानकारी-

जोधपुर - जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जिसे मेट्रोपोलिटन शहर का दर्जा प्राप्त है। स्वतंत्रता पूर्व यह राजस्थान के मारवाड़ रियासत की राजधानी थी। इस शहर की स्थापना वर्ष 1459 में मारवाड़ के राजा रावजोधा ने की थी। जोधपुर राजस्थान का एक प्रमुख पर्यटन शहर है जिसे सूर्य नगरी तथा ब्ल्यू सिटी के नाम से भी जाना जाता है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जोधपुर जिले की जनसंख्या 36,85,681 है तथा इसमें जोधपुर शहर की जनसंख्या 12 लाख 64 हजार है तथा शेष जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या है। जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है। जोधपुर, राजस्थान के सात संभागों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जिसमें 6 जिले क्रमशः बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, पाली तथा सिरोही है।

नगरीय स्वायत शासन की दृष्टि से जोधपुर राजस्थान का दूसरा बड़ा नगर निगम है। विकास प्रशासन की दृष्टि से जोधपुर में 10 उपखंड है, जो क्रमशः जोधपुर, फलौदी, शेरगढ़, ओसियां, पीपाड़ सिटी, बिलाड़ा, भोपालगढ़, लूणी, बाप तथा बालेसर है। राजस्व प्रशासन की दृष्टि से जोधपुर जिले में कुल 13 तहसीलें हैं जो क्रमशः जोधपुर, ओसियां, फलौदी, बिलाडा, भोपालगढ़, शेरगढ़, पीपाड़ सिटी, लूणी, बावड़ी, बालेसर, बाप, लोहावट तथा तिंवरी है। जोधपुर की एकमात्र उप तहसील झंवर है।

जोधपुर राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग तथा एक प्रमुख जिला परिषद मुख्यालय है, जिसमें ग्रामीण स्वशासन की दृष्टि से कुल 16 पंचायत समितियां विद्यमान है जो क्रमश: मंडोर, लूणी, ओसियां, बाप, फलौदी, शेरगढ़, बालेसर, भोपालगढ़, बिलाड़ा, बावड़ी, लोहावट, देचू, सेखला, बापिनी, पिपाड़ सिटी तथा तिवंरी है। जोधपुर जिले के 4 बड़े शहरों में जोधपुर, बिलाड़ा, फलौदी तथा पीपाड़ सिटी आते हैं।

जोधपुर में भारत की अनेक शैक्षणिक तथा अनुसन्धान संस्थाऐं हैं यथा :-

1. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) जोधपुर
2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) जोधपुर
3. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर
4. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
5. जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय (JNVU) जोधपुर
6. केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (AFRI) जोधपुर
7. केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (CAZRI) जोधपुर
8. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO)
9. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जोधपुर

अजमेर- अजमेर राजस्थान का पांचवा बड़ा शहर है जो चारों ओर से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। अजमेर शहर की स्थापना 7 वीं शताब्दी में चौहान राजा अजयराज ने की थी। अजमेर राजस्थान की प्रमुख पर्यटन नगरी है जो विशेष रूप से ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तथा पुष्कर मेले के लिये प्रसिद्ध है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अजमेर जिले की जनसंख्या 25,83,052 है तथा अजमेर जिले का क्षेत्रफल 8,481 वर्ग किलोमीटर है। अजमेर संभाग में आने वाले 4 जिले क्रमशः अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर तथा टोंक है। अजमेर की 16 तहसीलें क्रमशः अजमेर, पीसांगन, ब्यावर, नसीराबाद, मसूदा, विजयनगर, केंकड़ी, सावर, भिनाय, सरवाड, टंटोंटी, किशनगढ़, अराई, पुष्कर, टाडगढ़, तथा रूपनगढ़ है। पंचायती राज के सन्दर्भ में अजमेर में एक जिला परिषद, 9 पंचायत समितियां, तथा 276 ग्राम पंचायतें है। शहरी स्थानीय निकाय के सन्दर्भ में 7 शहरी निकाय तथा 1 केंटोनमेंट बोर्ड है, शहरी निकायों में अजमेर में एक नगर निगम, एक नगर परिषद तथा पांच नगरपालिकाऐं हैं।

अजमेर की 9 पंचायत समितियां क्रमशः श्रीनगर, सिलोरा, पीसांगन, जवाजा, केकड़ी, अंराई, सरवाड़, मसूदा, तथा भिनाय है, जबकि अजमेर जिले के 12 उपखंड क्रमशः अजमेर, किशनगढ़, नसीराबाद, ब्यावर, पुष्कर, पीसांगन, केकड़ी, मसूदा, सरवाड़, भिनाय, रुपनगढ़ तथा टॉटगढ़ है।

3.2 जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना का क्रियान्वयन- जोधपुर तथा अजमेर में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन को जानने से पहले पायलेट परियोजना को जानना आवश्यक है। भारत में केंद्र अथवा राज्य सरकारें जब भी किसी बड़ी योजना का कार्यान्वयन करती हैं तो वे सबसे पहले उस योजना को पूर्ण रूप से लागू नहीं करके उसके कुछ अंशों को अथवा संपूर्ण योजना के संक्षिप्त स्वरूप को सम्पूर्ण योजना क्षेत्र के कुछ सिमित तथा चयनित क्षेत्रों में लागू करती है। यह क्रियान्वयन एक सिमित समय के लिये होता है, इस प्रक्रिया को पायलेट परियोजना कार्यान्वयन कहा जाता है।

इस क्रियान्वयन के एक निर्धारित समय के पश्चात सरकार पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन की व्यापक स्तर पर समीक्षा करती है तथा पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के समय जो कमियां तथा समस्याऐं सामने आती हैं उनका समाधान करके सरकार द्वारा योजना को सम्पूर्ण योजना क्षेत्र में कार्यान्वित किया जाता है।

उदाहरण के रूप में भारत सरकार द्वारा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (MGNREGA) 2005 को प्रारम्भ में सम्पूर्ण भारत में लागू नहीं करके इसे देश के चयनित 100 जिलों में पायलेट परियोजना के रूप में एक वित्तीय वर्ष तक लागू किया गया, इसके पश्चात भारत सरकार द्वारा व्यापक समीक्षा तथा संशोधनों के पश्चात महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को सम्पूर्ण भारत के जिलों में लागू किया गया।

ठीक इसी प्रकार से ई जिला परियोजना जो कि राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना का महत्वपूर्ण घटक है, का क्रियान्वयन यद्यपि भारत के सभी जिलों में किया गया, लेकिन भारत सरकार ने इसे भारत के 16 राज्यों के 41 जिलों में पायलेट परियोजना के रूप में लागू करके बाद में व्यापक समीक्षा तथा संशोधनों के बाद सम्पूर्ण भारत में लागू किया।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना में कुल 31 मिशन मोड़ प्रोजेक्ट हैं, जिनका विभाजन उनके क्रियान्वयन के आधार पर तीन भागों में किया गया है। प्रथम प्रकार के प्रोजेक्ट वे हैं जिनका क्रियान्वयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाना है यथा आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ई कार्यालय, बीमा, आव्रजन, वीजा और विदेशी पंजीकरण एवं ट्रैकिंग (IVFRT), कोर्पोरेट मामलों से जुड़े कार्य, विशिष्ठ पहचान संख्या, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, पेंशन, पासपोर्ट, बैंकिंग तथा डाक।

दूसरी प्रकृति के प्रोजेक्ट वे हैं जिनका कार्यान्वयन राज्यों की सरकारों द्वारा किया गया है यथा नगरपालिकाऐं, शिक्षा, अपराध तथा अपराधी खोज नेटवर्क तथा सिस्टम (CCTNS), कृषि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य, रोजगार कार्यालय, ई पंचायत, राजकोष तथा वाणिज्यिक कर, **ई जिला**, सड़क परिवहन, राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम तथा तीसरी प्रकृति के प्रोजेक्ट वे हैं जिनका क्रियान्वयन केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा एकीकृत रूप से किया जाना है यथा राष्ट्रीय ई शासन सेवा वितरण गेटवे, भारतीय पोर्टल, ई व्यापार के लिये इलेक्ट्रोनिक डाटा इंटरचेंज (EDI), ई प्राप्ति, ई न्यायालय, ई बिज़ तथा सामान्य सेवा केंद्र।

ई जिला पायलेट परियोजना का कार्यान्वयन तो राज्य की सरकार द्वारा किया जाना था, किन्तु इसके लिये वित्त की व्यवस्था केंद्र सरकार के द्वारा की गयी है। यद्यपि ई जिला परियोजना का क्रियान्वयन सम्पूर्ण राजस्थान में किया जाना प्रस्तावित था, किन्तु प्रथम चरण में इसका क्रियान्वयन राजस्थान के दो जिलों जोधपुर तथा अजमेर में पायलेट परियोजना के रूप में किया गया।

राजस्थान में इसका क्रियान्वयन संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया। परियोजना के प्रथम चरण हेतू भारत सरकार ने 642.41 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की तथा इस परियोजना का क्रियान्वयन लोक निजी सहभागिता के आधार पर किया गया। इस परियोजना का क्रियान्वयन संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान द्वारा मैसर्स एच. पी. इण्डिया के सहयोग से किया गया।

जब राजस्थान सरकार द्वारा ई जिला परियोजना सम्पूर्ण राजस्थान में लागू की गयी तब उसमें एक जिले के सभी विभागों का समावेश कर लिया गया, किन्तु पायलेट परियोजना के कार्यान्वयन में जोधपुर तथा अजमेर जिले की दस सेवाओं का ही चयन किया गया।

ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली दस सेवाऐं निम्न हैं -

1. प्रमाण पत्र - आय, अधिवास, जाति, जन्म, मृत्यु आदि।

2. लाइसेंस - शस्त्र तथा व्यापार लाइसेंस आदि।

3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) - राशन कार्ड से सम्बंधित।

4. समाज कल्याण की योजनाऐं - वृद्धावस्था, परिवार तथा विधवा पेंशन तथा अन्य योजनाऐं आदि।

5. शिकायतें - अनुचित कीमतों, अनुपस्थित शिक्षकों, चिकित्सकों की अनुपलब्धता के संबंध में आदि।

6. आरटीआई - सूचना का अधिकार कानून से संबंधित जानकारी की ऑनलाइन फाइलिंग और रसीद।

7. अन्य ई-गवर्नेंस की परियोजनाऐं - पंजीकरण, भूमि अभिलेख, और ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि।

8. सूचना का प्रसार - सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के बारे में।

9. करों का आकलन - संपत्ति कर और अन्य सरकारी कर।

10. उपयोगिता भुगतान - बिजली से संबंधित भुगतान, पानी के बिल व संपत्ति कर आदि।

आम जनता को ये सेवाऐं उपलब्ध कराने, नेटवर्किंग करने तथा सूचनाओं का संग्रहण करने के लिये राजस्थान सरकार द्वारा महत्वपूर्ण आधारभूत सरंचनाओं का विकास किया है। इस सन्दर्भ में पहली महत्वपूर्ण संरचना है नागरिक सेवा केंद्र (common service centres) जिन्हें ई मित्र सेवा केंद्र भी कहा जाता है। नागरिक सेवा केंद्र निजी व्यक्तियों के माध्यम से संचालित वे केंद्र होतें है जहाँ ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क देकर सरकार की सेवाओं तथा योजनाओं के लिये आवेदन किया जाता है तथा अनेक प्रकार के बिलों का भुगतान कर सकतें हैं।

ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत दी जा रही अधिकांश सेवाओं के लिये एक आम आदमी द्वारा नागरिक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। नागरिक सेवा केंद्र आम आदमी तथा सरकार के मध्य एक कड़ी का कार्य करतें है। राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नागरिक सेवा केन्द्रों (CSC) का संचालन निजी क्षेत्र की सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा किया जाता है अर्थात नागरिक सेवा केन्द्रों को राजस्थान सरकार का तकनीकी तथा नेटवर्क लिंक निजी सूचना प्रौद्योगिकी

कंपनियों द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार ये कम्पनियाँ एक सेतु का कार्य करती है। जोधपुर में इस कार्य को मैसर्स जूम डवलपर्स नामक निजी कंपनी द्वारा तथा अजमेर में इस कार्य को मैसर्स सी. एम. एस नामक निजी कंपनी द्वारा किया जाता है।

राजस्थान में ई जिला पायलेट परियोजना को कार्यान्वित करने के लिये राजस्थान सरकार ने जिस दूसरी महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना का निर्माण किया है, वह है राजस्थान स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (SWAN)। इस सरंचना का महत्वपूर्ण कार्य है नागरिक सेवा केन्द्रों को नेटवर्किंग की सुविधा प्रदान करना तथा सरकारी कार्यालयों में इंटरनेट के संचार तंत्र को अध्यतन बनाये रखना, दूसरे शब्दों में कहा जाये तो यह राजस्थान सरकार का नेटवर्किंग तंत्र है जो सभी सरकारी कार्यालयों को आपस में जोड़ रहा है तथा सूचनाओं के अन्तर्विनिमय को आसान कर रहा है।

इस प्रकार राजस्थान स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (SWAN) जोधपुर तथा अजमेर जिले के ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों को जिला सूचना केंद्र, जिला कलक्टर कार्यालय तथा राज्य सचिवालय से जोड़ता है। राजस्थान स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क का निर्माण राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत ही किया गया है तथा इसके लिये अधिकांश वित्त की व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा ही की गयी है, राज्य सरकारों पर इसका वित्तीय भार आंशिक है।

राजस्थान स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क द्वारा जोधपुर तथा अजमेर के जिला मुख्यालय, तहसील तथा ब्लॉक मुख्यालयों को हॉरिजॉन्टल नेटवर्क द्वारा राज्य मुख्यालयों से जोड़ा गया है। यह कार्य भी संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लोक निजी सहभागिता (PPP) के आधार पर किया गया है। इसमें निजी क्षेत्र की कंपनी भारती एयरटेल राजस्थान सरकार के साथ सहभागी के रूप में कार्य कर रही है।

ई जिला पायलेट परियोजना के कार्यान्वयन के लिये बनायी गयी तीसरी महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना राजस्थान स्टेट डाटा सेंटर है, जिसका निर्माण भी राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा पूर्ण रूप से केंद्र सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के आधार पर किया है। केंद्र से राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के

अंतर्गत स्वीकृत राशि से 30.00 करोड़ रुपये से संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नये सूचना प्रौद्योगिकी भवन में 30 दिसंबर 2010 को राजस्थान स्टेट डाटा सेंटर का निर्माण किया गया।

राजस्थान स्टेट डाटा सेंटर वह केंद्र है जहाँ ई जिला पायलेट परियोजना से जुडी सभी सूचनाओं तथा आकड़ों का एकत्रण किया जाता है तथा वहां से वे सूचनाऐं तथा आंकड़ें सम्बंधित विभाग को कार्यवाही के लिये भेज दिये जाते है। उदाहरण के रूप में जोधपुर या अजमेर के किसी व्यक्ति ने नागरिक सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से राजस्थान सरकार की किसी संस्था में सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत ऑनलाइन आवेदन किया तो सबसे पहले वह आवेदन सूचना राजस्थान स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (SWAN) के माध्यम से राजस्थान स्टेट डाटा सेंटर में पहुँच जायेगी तथा वहां से यह आवेदन उस सूचना से सम्बंधित जो भी विभाग है उसको भेज दी जायेगी।

अनुसंधानकर्ता का तृतीय अनुसंधान उद्देश्य राजस्थान में जोधपुर तथा अजमेर में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन का तुलनात्मक अध्ययन करना है। इस हेतु प्रारम्भ में अनुसंधानकर्ता ने ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली 10 सेवाओं में से 5 सेवाओं का चयन अपने शोध कार्य के लिए किया। इन पाँच सेवाओं में से जोधपुर तथा अजमेर जिले के लोगों ने ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली पंचम तथा षष्ठम सेवा का उपयोग ई-गवर्नेंस के माध्यम से बहुत ही कम किया है। इस कारण से अनुसंधानकर्ता को अपने सर्वेक्षण में पंचम तथा षष्ठम सेवा से संबंधित आंकड़े अत्यंत कम प्राप्त हुए, जिनका संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में तो विश्लेषण किया गया है, किंतु पुरुष तथा महिला जनसंख्या के आधार पर, शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर, शिक्षा श्रेणियों के आधार पर तथा आयु वर्गों के आधार पर विश्लेषण अत्यंत कठिन है तथा शेष तीन सेवाओं के आधार पर संपूर्ण ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन का विश्लेषण न्यायोचित नहीं है।

चूंकि अनुसंधानकर्ता का मूल उद्देश्य ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के परिणामों का जोधपुर तथा अजमेर जिले के सन्दर्भ में तुलनात्मक अध्ययन करना है न कि सेवाओं का अध्यन करना। अतः

अनुसंधानकर्ता ने शेष 5 सेवाओं का समावेश भी अपने अध्ययन में कर लिया ताकि ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन का अधिक बेहतर ढंग से अध्ययन तथा विश्लेषण किया जा सके।

3.3 संपूर्ण जनसंख्या के आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण- राजस्थान में जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन की 10 सेवाओं को ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा कार्यान्वित किया गया। शोधकर्ता द्वारा इस संदर्भ में जोधपुर तथा अजमेर जिले में व्यापक रुप से सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण से अर्जित आंकड़ों का सम्पूर्ण जनसंख्या के सन्दर्भ में विश्लेषण निम्न प्रकार से है।

3.4 संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में प्रथम सेवा- प्रथम सेवा से संबंधित आकड़ों की प्राप्ति हेतु अनुसंधान उपकरण के माध्यम से अनुसंधानकर्ता द्वारा जोधपुर तथा अजमेर जिले में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा कि क्या आपने ई-गवर्नेंस के माध्यम से (आय, मूल निवासी, जाति, जन्म, मृत्यु अथवा अन्य) किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता ने यह पाया कि ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली प्रथम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से आय, मूल निवासी, जाति, जन्म, मृत्यु अथवा अन्य किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त करना है, के संदर्भ में जोधपुर में 94.67% जनसंख्या ने जबकि अजमेर में 86.67% जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है।

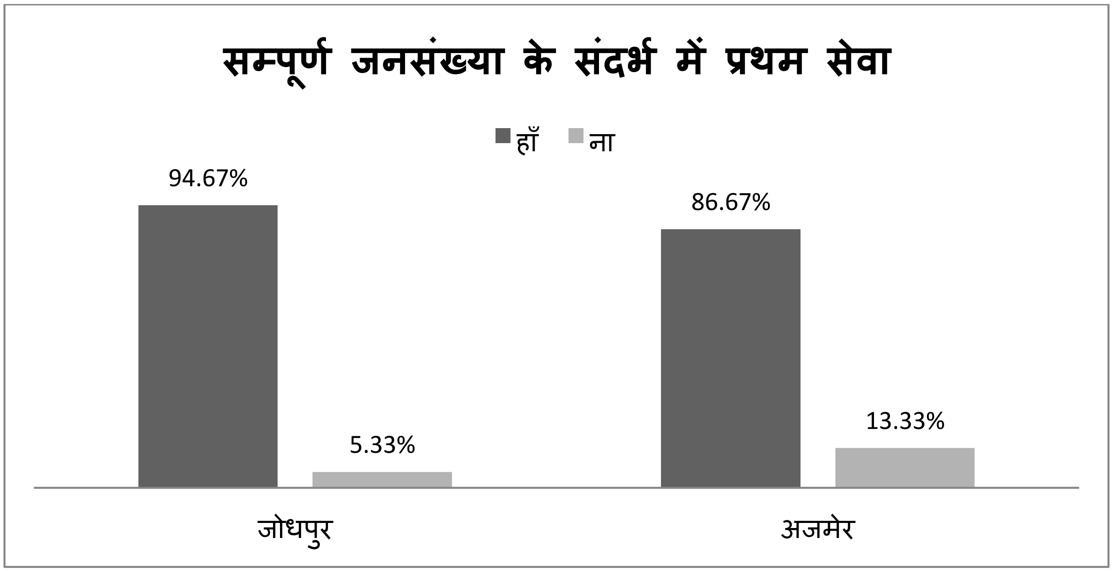

आरेख सं. 3. 4

3.5 संपूर्ण जनसंख्या के संबंध में प्रथम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के तुलनात्मक अध्ययन में यह पाया गया कि ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली प्रथम सेवा जिसमें कि ई-गवर्नेंस के माध्यम से आय, मूल निवासी, जाति, जन्म, मृत्यु अथवा अन्य किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त करना है, के सन्दर्भ में जोधपुर में इस सेवा का लाभ लेने वाले नागरिकों की संख्या अजमेर में इस सेवा का लाभ लेने लेने वाले नागरिकों की संख्या से 8%अधिक है।

3.6 संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में द्वितीय सेवा - अनुसंधानकर्ता द्वारा द्वितीय सेवा के संदर्भ में अनुसंधान उपकरण के माध्यम से जोधपुर तथा अजमेर में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा कि क्या उन्होंने ई-गवर्नेंस के माध्यम से शस्त्र, व्यापार अथवा अन्य किसी भी प्रकार का लाइसेंस प्राप्त किया है?

सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता द्वारा यह पाया गया कि जोधपुर तथा अजमेर में ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली द्वितीय सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से शस्त्र, व्यापार अथवा अन्य किसी भी प्रकार का लाइसेंस प्राप्त किया जाना है, के संदर्भ में जोधपुर में17.33% जनसंख्या ने जबकि अजमेर जिले में लगभग 14.67% जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से शस्त्र, व्यापार अथवा अन्य लाइसेंस प्राप्त किया है।

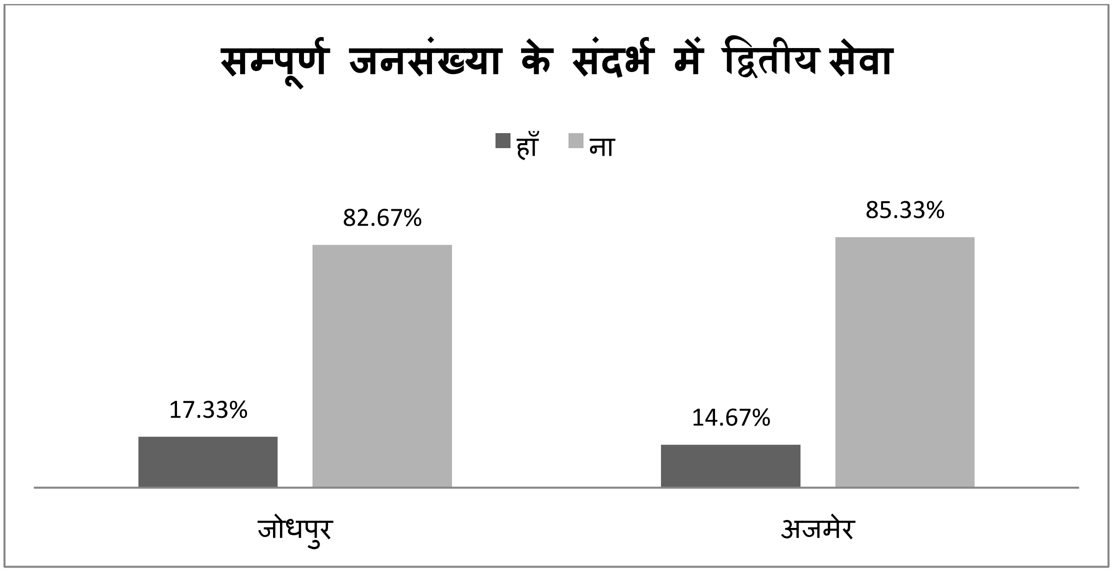

आरेख सं. 3.6

3.7 संपूर्ण जनसंख्या के संबंध में द्वितीय सेवा का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित द्वितीय सेवा के तुलनात्मक अध्ययन में यह पाया गया कि जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना की द्वितीय सेवा जिसमें शस्त्र, व्यापार अथवा अन्य किसी भी प्रकार का लाइसेंस ई-गवर्नेंस के माध्यम से प्राप्त करना है, के सन्दर्भ में जोधपुर जिले की 2.66% अधिक जनसंख्या ने अजमेर जिले की जनसंख्या की तुलना द्वितीय सेवा का उपयोग किया है।

3.8 संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में तृतीय सेवा- तृतीय सेवा के संबंध में आंकड़ों की प्राप्ति हेतु शोधकर्ता द्वारा अनुसंधान उपकरण के माध्यम से जोधपुर तथा अजमेर जिले में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा कि क्या आपने ई-गवर्नेंस के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित राशन कार्ड की सेवाएं प्राप्त की है? इसमें मुख्य रूप से पॉइंट ऑफ सेल मशीन द्वारा बायोमेट्रिक आधार पर उचित मूल्य की दुकान (FPS) से तथा सहकारी समिति से राशन की प्राप्ति एवं ई-गवर्नेंस के आधार पर राशन कार्ड का निर्माण अथवा उस में संशोधन शामिल है।

सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता द्वारा यह पाया गया कि जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली तृतीय सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित राशन कार्ड की सेवाओं का समावेश है, के संदर्भ में जोधपुर जिले में 66.67% जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी राशन कार्ड की सेवाएं प्राप्त की हैं, जबकि अजमेर जिले में 69.33% जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी राशन कार्ड से संबंधित सेवाएं प्राप्त की है।

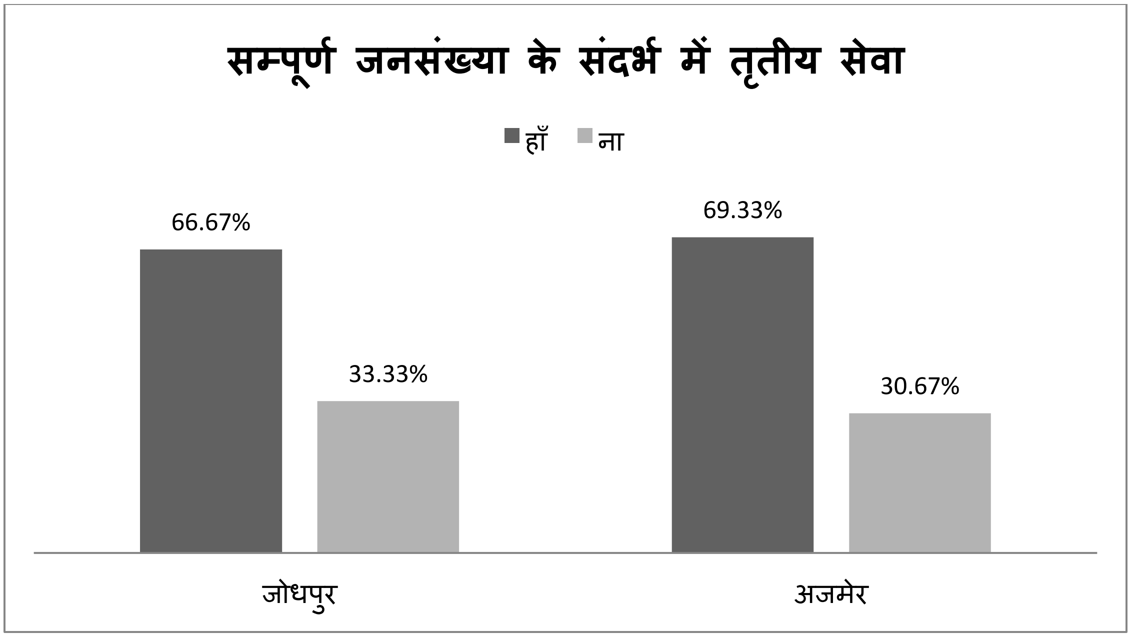

आरेख सं. 3.8

3.9 संपूर्ण जनसंख्या के संबंध में तृतीय सेवा का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित तृतीय सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी राशन कार्ड की सेवाएं प्राप्त करनी है, के तुलनात्मक अध्ययन में यह पाया गया कि अजमेर में 2.66% अधिक जनसंख्या ने इस सेवा का लाभ जोधपुर जिले की जनसंख्या की तुलना में प्राप्त किया है।

3.10 संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में चतुर्थ सेवा- चतुर्थ सेवा से संबंधित आंकड़ों की प्राप्ति हेतु अनुसंधान उपकरण के माध्यम से अनुसंधानकर्ता द्वारा जोधपुर तथा अजमेर जिले के सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा कि क्या उन्होंने ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकार के समाज कल्याण से संबंधित योजनाओं जिनमें प्रमुख रुप से वृद्धावस्था, परिवार तथा विधवा पेंशन अथवा अन्य किसी भी योजना का लाभ प्राप्त किया है?

सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता ने यह पाया कि जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली चतुर्थ सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकार की समाज कल्याण की योजनाओं, जिसमें प्रमुख रुप से वृद्धावस्था, परिवार तथा विधवा पेंशन अथवा अन्य किसी भी प्रकार की योजना का

लाभ प्राप्त किया जाना है, के संदर्भ में यह तथ्य पाया कि जोधपुर जिले में 32% जनसंख्या ने जबकि अजमेर में 40% जनसंख्या ने किसी भी प्रकार की समाज कल्याण की योजना का लाभ ई-गवर्नेंस के प्रयोग से प्राप्त किया है।

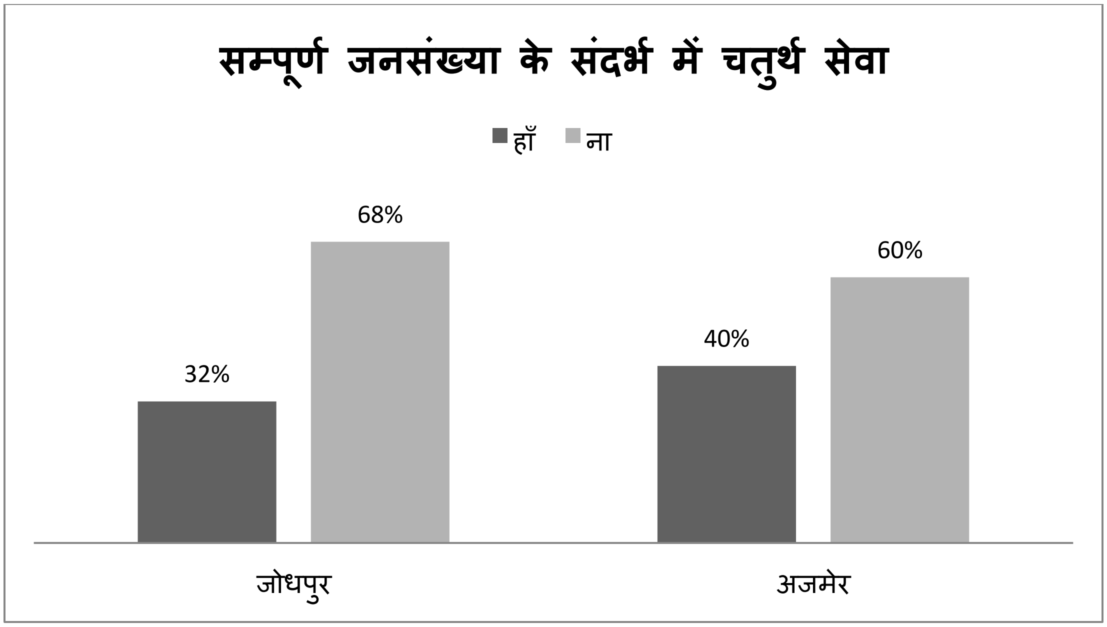

आरेख सं. 3.10

3.11 संपूर्ण जनसंख्या के संबंध में चतुर्थ सेवा का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से कार्यान्वित ई जिला पायलेट परियोजना का क्रियान्वयन जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है जिसके अंतर्गत आने वाली चतुर्थ सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकार की समाज कल्याण की योजनाओं जिनमें प्रमुख रुप से वृद्धावस्था, परिवार तथा विधवा पेंशन अथवा अन्य किसी भी प्रकार की योजना का लाभ प्राप्त किया जाना है के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में यह पाया गया कि अजमेर जिले में जोधपुर जिले की तुलना में 8% अधिक जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से चतुर्थ सेवा के सन्दर्भ में अधिक लाभ प्राप्ति की है।

3.12 संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में पंचम सेवा - पंचम सेवा से संबंधित आंकड़ों की प्राप्ति के लिए अनुसंधानकर्ता ने अनुसंधान उपकरण के माध्यम से जोधपुर तथा अजमेर जिले में संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में

सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा कि क्या आपने ई-गवर्नेंस के माध्यम से किसी भी प्रकार की सरकारी कार्यालयों से संबंधित शिकायत की है? इसमें प्रमुख रुप से वस्तुओं तथा सेवाओं की अनुचित कीमतों से संबंधित शिकायत, शिक्षकों तथा चिकित्सकों की अनुपलब्धता से संबंधित शिकायत अथवा अन्य किसी प्रकार की शिकायत का समावेश है।

सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता ने यह पाया कि जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली पंचम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी कार्यालयों से संबंधित शिकायत करनी है के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने यह पाया कि जोधपुर जिले में 2.67% जनसंख्या ने तथा अजमेर जिले में 1.33% जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के प्रयोग से सरकारी कार्यालयों से संबंधित शिकायत की है।

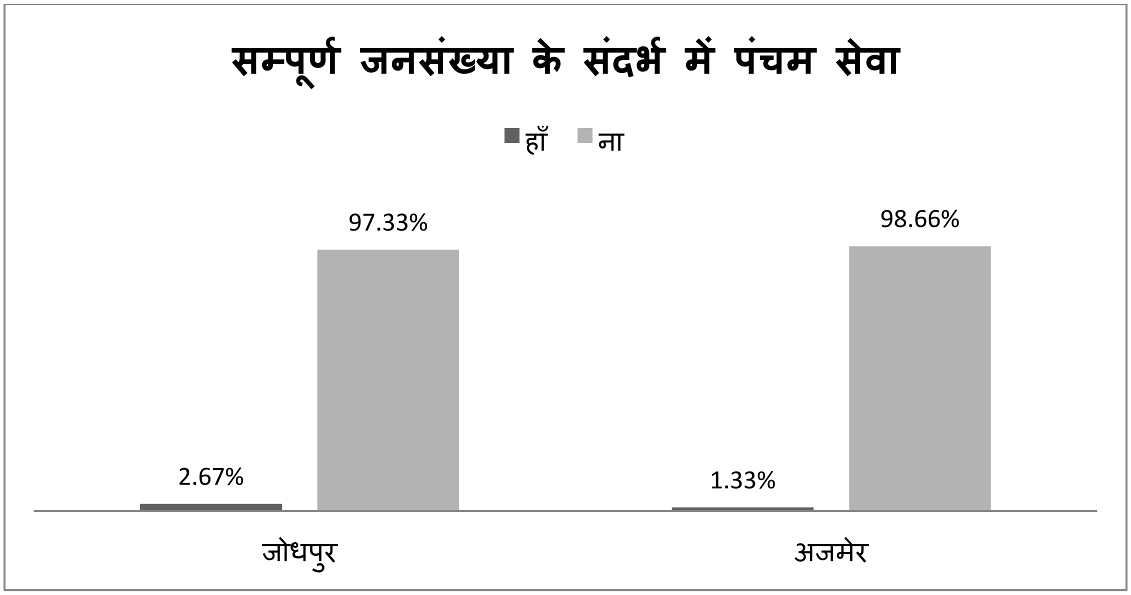

आरेख सं. 3.12

3.13 संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में पंचम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार द्वारा संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से कार्यान्वित ई जिला पायलेट परियोजना की पंचम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के प्रयोग से सरकारी कार्यालयों से संबंधित शिकायत की जानी है, जिनमें मुख्य रूप से वस्तुओं तथा सेवाओं की अनुचित कीमतों, शिक्षकों तथा चिकित्सकों की अनुपलब्धता अथवा अन्य किसी भी प्रकार की शिकायत शामिल है, के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में

अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाया कि जोधपुर जिले की जनसंख्या ने अजमेर जिले की जनसंख्या की तुलना में 1.34% अधिक पंचम सेवा का उपयोग ई-गवर्नेंस के प्रयोग से किया है।

3.14 संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में षष्ठम सेवा- जिला प्रशासन द्वारा जोधपुर तथा अजमेर जिले में क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित षष्ठम सेवा से संबंधित आंकड़ों की प्राप्ति हेतु शोधकर्ता द्वारा जोधपुर तथा अजमेर जिले में संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या आपने ई-गवर्नेंस के माध्यम से सूचना का अधिकार कानून के तहत ऑनलाइन आवेदन किया है?

सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली षष्ठम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से सूचना का अधिकार कानून के तहत ऑनलाइन आवेदन करना है के संदर्भ में जोधपुर जिले में 1.33%जनसंख्या ने तथा अजमेर जिले में 2% जनसंख्या ने सूचना का अधिकार कानून के तहत ऑनलाइन आवेदन किया है।

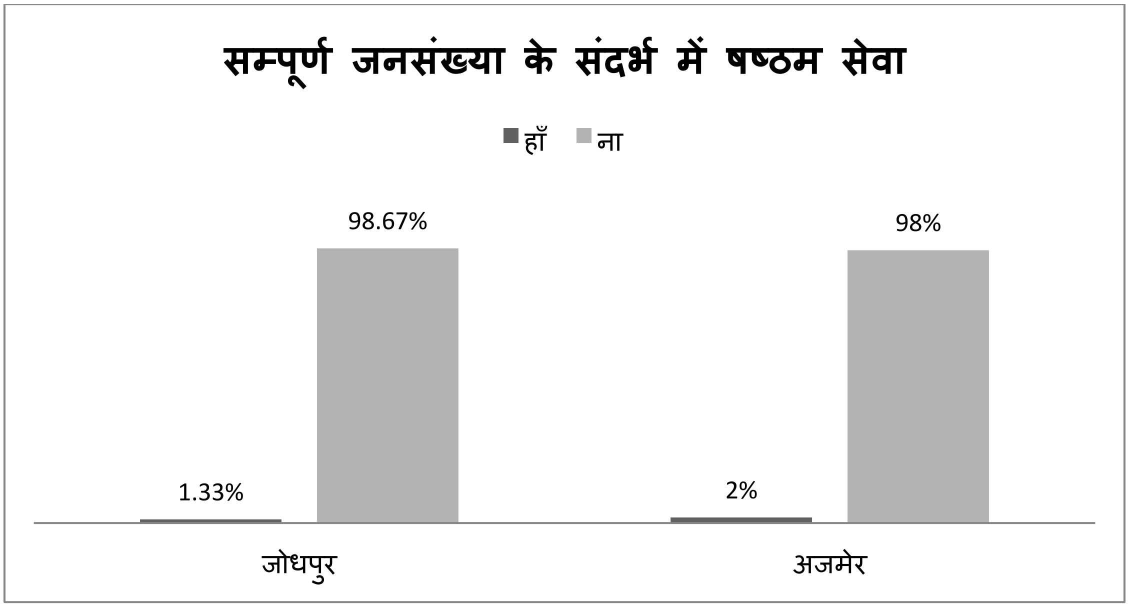

आरेख सं. 3.14

3.15 संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में षष्ठम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित

ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित षष्ठम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के प्रयोग से सूचना का अधिकार कानून के तहत ऑनलाइन आवेदन करना है, के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाया कि जोधपुर जिले की तुलना में अजमेर जिले की जनसंख्या ने 0.67% अधिक ई-गवर्नेंस के प्रयोग से सूचना का अधिकार कानून के तहत ऑनलाइन आवेदन किया है।

3.16 संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में सप्तम सेवा- सप्तम सेवा से संबंधित आंकड़ों की प्राप्ति के लिए शोधकर्ता द्वारा अनुसंधान उपकरण के माध्यम से जोधपुर तथा अजमेर जिले में संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या आपने ई-गवर्नेंस के माध्यम से पंजीकरण, भूमि अभिलेख की प्राप्ति तथा ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सेवाएं प्राप्त की है?

जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली सप्तम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से पंजीकरण, भूमि अभिलेख की प्राप्ति तथा ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सेवाओं को प्राप्त करना है, के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने सर्वेक्षण में यह तथ्य पाए कि जोधपुर जिले की कुल जनसंख्या में से 68% जनसंख्या ने तथा अजमेर जिले की कुल जनसंख्या में से 64% जनसंख्या ने सप्तम सेवा से संबंधित सेवाओं का लाभ ई-गवर्नेंस के प्रयोग से प्राप्त किया है।

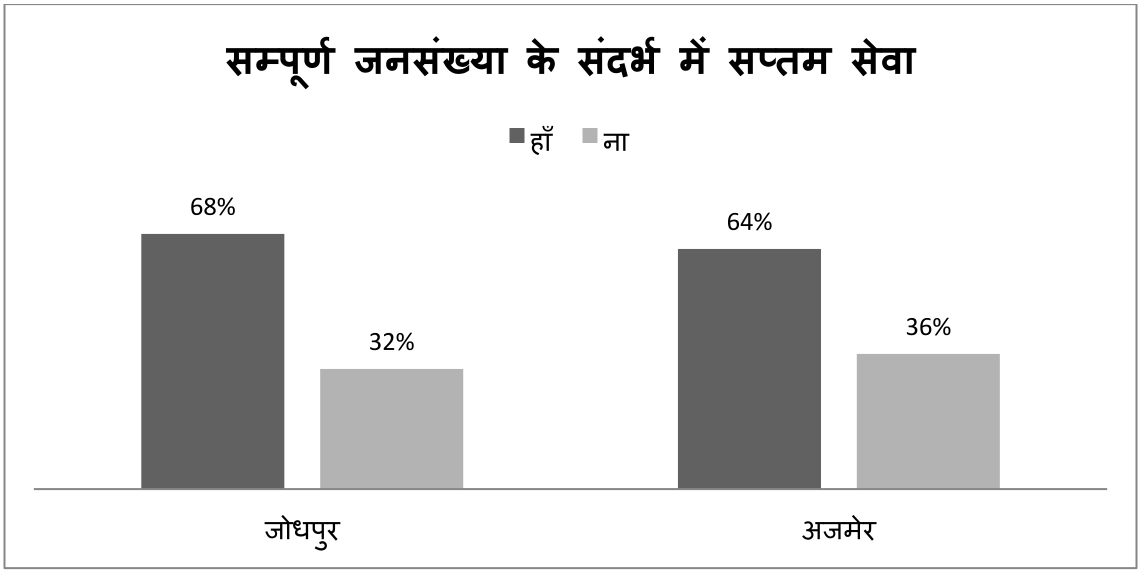

आरेख सं. 3.16

3.17 संपूर्ण जनसंख्या के संबंध में सप्तम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित सप्तम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से पंजीकरण, भूमि अभिलेख तथा ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सेवाओं को प्राप्त करना के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने तुलनात्मक अध्ययन में यह तथ्य पाया कि अजमेर जिले की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की 4% अधिक जनसंख्या ने सप्तम सेवा का लाभ ई-गवर्नेंस के प्रयोग से प्राप्त किया है।

3.18 संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में अष्टम सेवा- अष्टम सेवा से संबंधित आंकड़ों की प्राप्ति हेतु अनुसंधान उपकरण के माध्यम से अनुसंधानकर्ता द्वारा जोधपुर तथा अजमेर जिले में संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या आपके क्षेत्र में सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के प्रचार व प्रसार के लिए ई-गवर्नेंस का प्रयोग किया जाता है?

सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता ने यह पाया कि जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित अष्टम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी योजनाओं का प्रचार व प्रसार किया जाना है, के संदर्भ में जोधपुर जिले की 96% जनसंख्या तथा अजमेर जिले की 97.33% जनसंख्या यह मानती है, कि उनके क्षेत्र में सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं के प्रचार व प्रसार के लिए ई – गवर्नेंस का उपयोग किया जाता है।

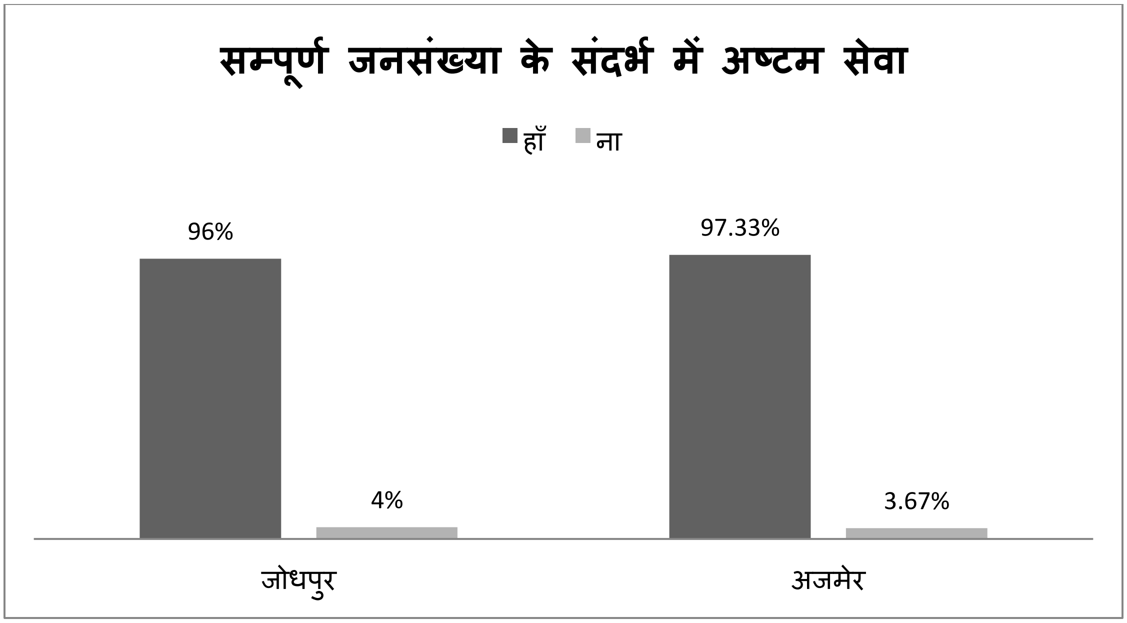

आरेख सं. 3.18

3.19 संपूर्ण जनसंख्या के संबंध में अष्टम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित अष्टम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के प्रचार व प्रसार में ई-गवर्नेंस का उपयोग किया जाना है, के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि जोधपुर जिले की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की 1.33% अधिक जनसंख्या यह मानती है कि उनके क्षेत्र में सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के प्रचार व प्रसार हेतु ई-गवर्नेंस का प्रयोग किया जाता है।

3.20 संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में नवम सेवा- नवम सेवा के संदर्भ में आंकड़ों की प्राप्ति हेतु शोधकर्ता द्वारा अनुसंधान उपकरण के माध्यम से जोधपुर तथा अजमेर जिले में संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या उन्होंने ई-गवर्नेंस के माध्यम से संपत्ति कर अथवा अन्य किसी भी प्रकार के करों का भुगतान किया है?

जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली नवम सेवा जिसके अंतर्गत ई-गवर्नेंस के माध्यम से संपत्ति कर अथवा अन्य किसी भी प्रकार के करों का भुगतान करना है, के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने सर्वेक्षण में यह तथ्य पाए कि जोधपुर जिले में 22.67% जनसंख्या ने तथा अजमेर जिले में 32% जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से नवम सेवा का उपयोग किया है।

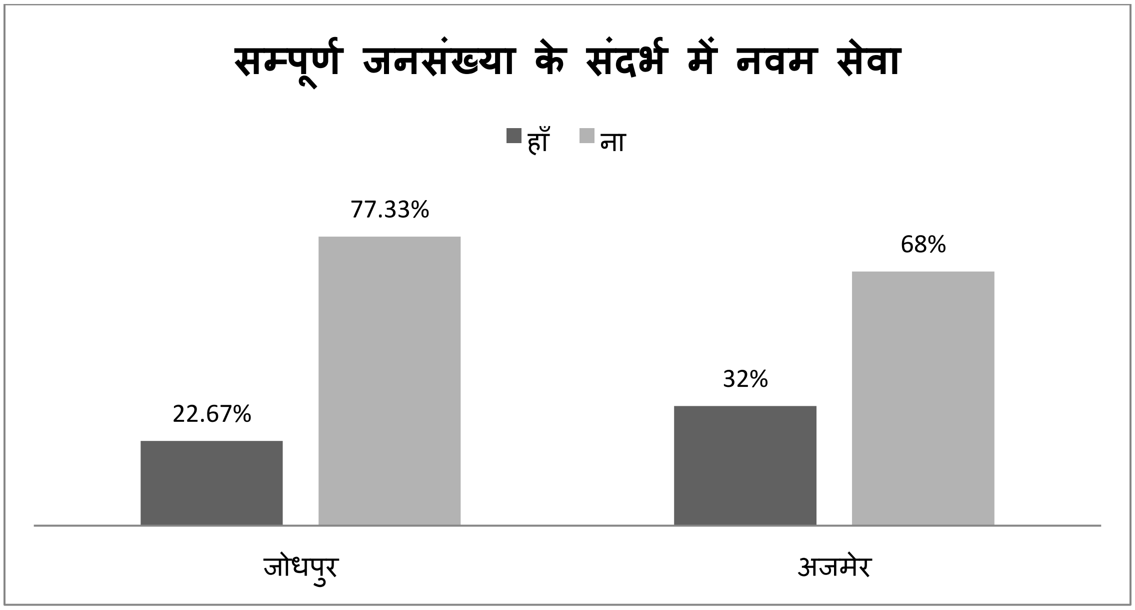

आरेख सं. 3.20

3.21 संपूर्ण जनसंख्या के संबंध में नवम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित नवम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से संपत्ति कर अथवा अन्य किसी भी प्रकार के करों का भुगतान किया जाना है, के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन में अनुसंधानकर्ता ने यह पाया कि जोधपुर जिले की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की 9.33% अधिक जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से नवम सेवा का लाभ प्राप्त किया है।

3.22 संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में दसवीं सेवा- दसवीं सेवा के संदर्भ में आंकड़ों की प्राप्ति हेतु शोधकर्ता द्वारा अनुसंधान उपकरण के माध्यम से जोधपुर तथा अजमेर जिले में संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में

सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या आपने ई-गवर्नेंस के माध्यम से बिजली, पानी अथवा अन्य किसी भी प्रकार के बिलों का भुगतान किया है?

सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता ने यह पाया कि जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली दसवीं सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से बिजली, पानी अथवा अन्य किसी भी प्रकार के बिलों का भुगतान किया जाना है, के संदर्भ में जोधपुर जिले में 89.33% जनसंख्या ने तथा अजमेर जिले में 93.33% जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से दसवीं सेवा का उपयोग किया है।

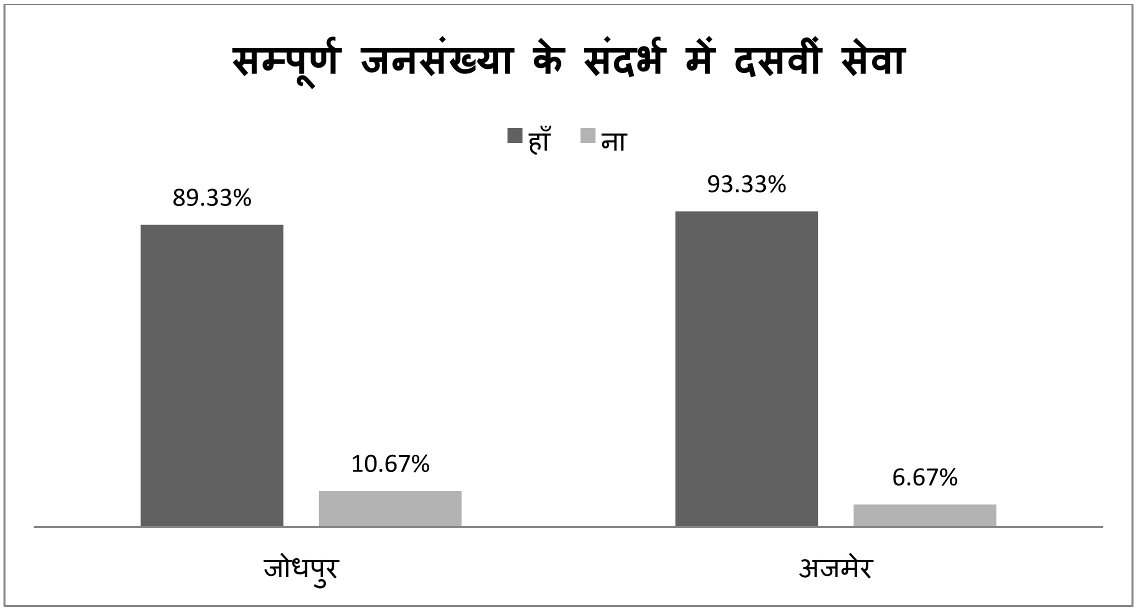

आरेख सं. 3.22

3.23 संपूर्ण जनसंख्या के संबंध में दसवीं सेवा का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित दसवीं सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से बिजली, पानी अथवा अन्य किसी भी प्रकार के बिलों का भुगतान किया जाना है, के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में जोधपुर जिले की तुलना में अजमेर जिले की 4% अधिक जनसंख्या ने दसवीं सेवा का लाभ का ई-गवर्नेंस के प्रयोग से प्राप्त किया है।

3.24 पुरुष तथा महिला जनसंख्या के आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण- राजस्थान में जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन की 10 सेवाओं को ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा कार्यान्वित किया गया। अनुसंधानकर्ता द्वारा इस संदर्भ में जोधपुर तथा अजमेर जिले में विस्तृत रुप से सर्वेक्षण का कार्य किया गया। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण पुरुष तथा महिला जनसंख्या के आधार पर निम्न प्रकार से है।

3.25 पुरुष तथा महिला जनसंख्या के सन्दर्भ में प्रथम सेवा- प्रथम सेवा से संबंधित आकड़ों की प्राप्ति हेतु अनुसंधान उपकरण के माध्यम से अनुसंधानकर्ता द्वारा जोधपुर तथा अजमेर जिले में पुरुष तथा महिला सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या आपने ई-गवर्नेंस के माध्यम से (आय, मूल निवासी, जाति, जन्म, मृत्यु अथवा अन्य) किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र (Certificate) प्राप्त किया है?

सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता ने यह पाया कि जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली प्रथम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से आय, मूल निवासी, जाति, जन्म, मृत्यु अथवा अन्य किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त करना है, के संदर्भ में जोधपुर में कुल पुरुष जनसंख्या में से 96.15% पुरुषों ने तथा कुल महिला जनसंख्या में से 95.67% महिलाओं ने ई-गवर्नेंस के प्रयोग से प्रथम सेवा को प्राप्त किया है। अजमेर जिले में कुल पुरुष जनसंख्या में से 86.96% पुरुषों ने तथा कुल महिला जनसंख्या में से 86.21% महिलाओं ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से प्रथम सेवा को प्राप्त किया है।

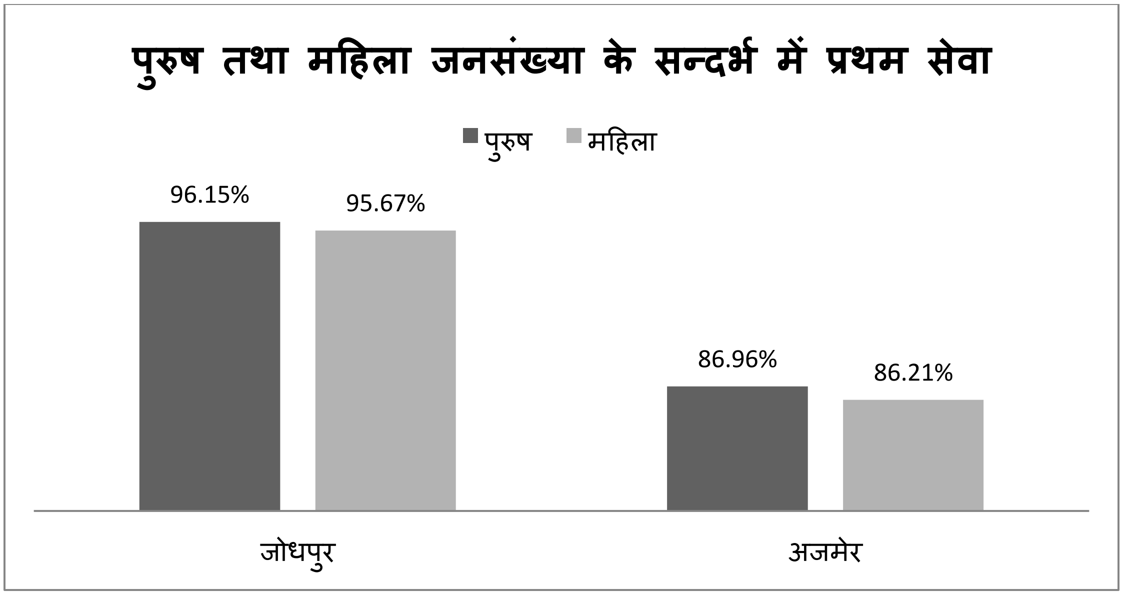

आरेख सं. 3.25

3.26 पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संबंध में प्रथम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन - जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली प्रथम सेवा जिसमें कि ई-गवर्नेंस के माध्यम से आय, मूल निवासी, जाति, जन्म, मृत्यु अथवा अन्य किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त करना है के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन में यह पाया गया कि जोधपुर जिले में महिला जनसंख्या की तुलना में 0.48% पुरुषों ने प्रथम सेवा का अधिक उपयोग किया है। जबकि अजमेर जिले में महिला जनसंख्या की तुलना में 0.75% पुरुषों ने प्रथम सेवा का अधिक उपयोग किया है। अनुसंधान में यह भी पाया गया कि अजमेर जिले के पुरुष जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की पुरुष जनसंख्या ने 9.19% अधिक प्रथम सेवा का अधिक उपयोग किया है, जबकि अजमेर जिले की महिला जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की महिला जनसंख्या ने 9.46% अधिक प्रथम सेवा का उपयोग ई-गवर्नेंस के प्रयोग से किया है।

3.27 पुरुष तथा महिला जनसंख्या के सन्दर्भ में द्वितीय सेवा- अनुसन्धानकर्ता द्वारा द्वितीय सेवा के संदर्भ में अनुसंधान उपकरण के माध्यम से जोधपुर तथा अजमेर में पुरुष तथा महिला सूचनादाताओं से यह

प्रश्न पूछा गया कि क्या उन्होंने ई-गवर्नेंस के माध्यम से शस्त्र, व्यापार अथवा अन्य किसी भी प्रकार का लाइसेंस प्राप्त किया है?

सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता ने यह पाया कि जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली द्वितीय सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से शस्त्र, व्यापार अथवा अन्य किसी भी प्रकार का लाइसेंस प्राप्त करना है के संदर्भ में यह पाया गया कि जोधपुर में कुल पुरुष जनसंख्या में से 25% पुरुषों ने द्वितीय सेवा का लाभ ई-गवर्नेंस के माध्यम से तथा कुल महिला जनसंख्या में से 4.35% महिलाओं ने द्वितीय सेवा का लाभ ई-गवर्नेंस के उपयोग से प्राप्त किया है।

अजमेर जिले के संदर्भ में शोधकर्ता के अर्जित आंकड़ों के अनुसार अजमेर की पुरुष जनसंख्या में से 23.91% पुरुषों ने तथा महिला जनसंख्या में से 3.45% महिलाओं ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से द्वितीय सेवा का उपयोग किया है।

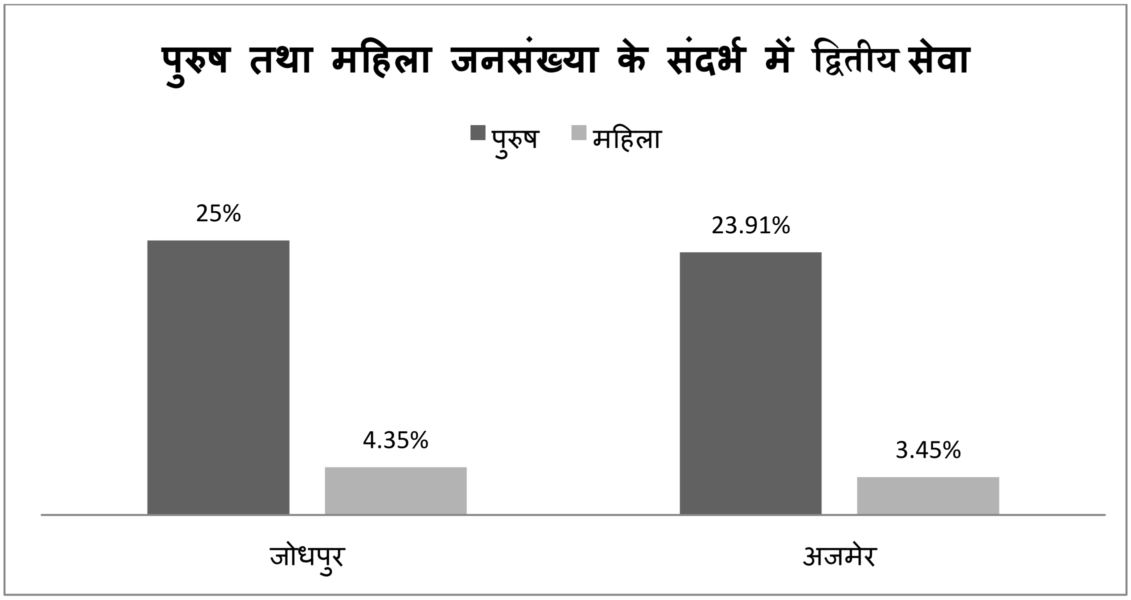

आरेख सं. 3.27

3.28 पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संबंध में द्वितीय सेवा का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित द्वितीय सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से शस्त्र, व्यापार अथवा अन्य किसी भी प्रकार का लाइसेंस प्राप्त करना है, के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन में यह पाया गया कि जोधपुर जिले में महिला जनसंख्या की तुलना में पुरुष जनसंख्या ने 20.65% अधिक तथा अजमेर जिले में महिला जनसंख्या की तुलना में 20.46% अधिक पुरुषों ने द्वितीय सेवा की ई-गवर्नेंस के उपयोग से प्राप्ति की है। जोधपुर जिले की पुरुष जनसंख्या ने अजमेर जिले की पुरुष जनसंख्या की तुलना में 1.09% अधिक द्वितीय सेवा का उपयोग ई-गवर्नेंस की सहायता से किया है। अजमेर जिले की महिला जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की महिला जनसंख्या ने 0.9% अधिक द्वितीय सेवा का उपयोग ई-गवर्नेंस की सहायता से किया है।

3.29 पुरुष तथा महिला जनसंख्या के सन्दर्भ में तृतीय सेवा- तृतीय सेवा के संदर्भ में आंकड़ों की प्राप्ति हेतु शोधकर्ता द्वारा अनुसंधान उपकरण के माध्यम से जोधपुर तथा अजमेर जिले में पुरुष तथा महिला सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या आपने ई-गवर्नेंस के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित राशन कार्ड की सेवाएं प्राप्त की है? इसमें मुख्य रूप से पॉइंट ऑफ सेल मशीन द्वारा बायोमेट्रिक आधार पर उचित मूल्य की दुकान (FPS) से अथवा सहकारी समितियों से राशन की प्राप्ति तथा ई-गवर्नेंस के आधार पर राशन कार्ड का निर्माण अथवा उसमें संशोधन शामिल है।

सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता ने यह पाया कि जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली तृतीय सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित राशन कार्ड की सेवाओं को प्राप्त करना है, के संदर्भ में जोधपुर में पुरुष जनसंख्या में से 71.15% पुरुषों ने तथा महिला जनसंख्या में से 60.87% महिलाओं ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित राशन कार्ड की सुविधाओं का उपयोग किया है। अजमेर में पुरुष जनसंख्या में से 67.39% पुरुषों ने

तथा महिला जनसंख्या में से 72.41% महिलाओं ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली तृतीय सेवा का उपयोग किया है।

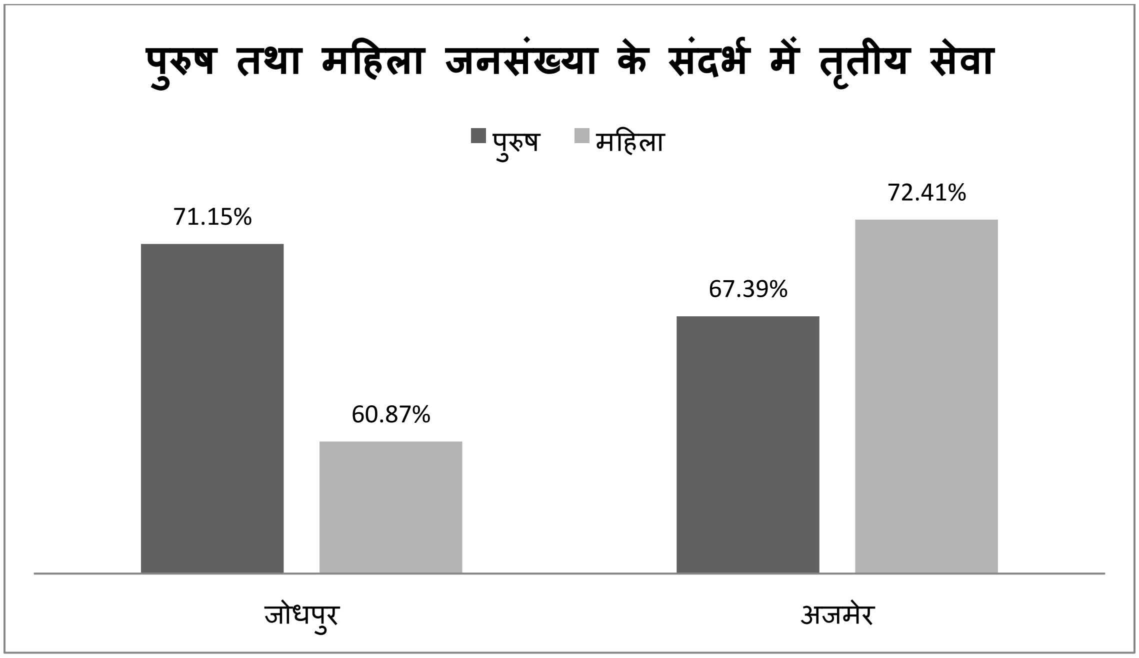

आरेख सं. 3.29

3.30 पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संबंध में तृतीय सेवा का तुलनात्मक अध्ययन - जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित तृतीय सेवा जिसके अंतर्गत ई-गवर्नेंस के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से संबंधित राशन कार्ड से जुड़ी सेवाओं को प्राप्त करना है, के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने यह पाया कि जोधपुर जिले में महिला जनसंख्या की तुलना में 10.28% अधिक पुरुषों ने तथा अजमेर जिले में पुरुष जनसंख्या की तुलना में 5.02% अधिक महिलाओं ने तृतीय सेवा का उपयोग ई-गवर्नेंस के प्रयोग से किया है।

अनुसंधानकर्ता ने अपने सर्वेक्षण में यह तथ्य भी पाए कि जोधपुर जिले की पुरुष जनसंख्या ने अजमेर जिले की पुरुष जनसंख्या की तुलना में ई-गवर्नेंस के माध्यम से तृतीय सेवा का उपयोग 3.76% अधिक तथा

अजमेर जिले की महिला जनसंख्या ने जोधपुर जिले की महिला जनसंख्या की तुलना में ई-गवर्नेंस के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित राशन कार्ड की सुविधाओं का उपयोग 11.54% अधिक किया है |

3.31 पुरुष तथा महिला जनसंख्या के सन्दर्भ में चतुर्थ सेवा- जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना की चतुर्थ सेवा से संबंधित आंकड़ों की प्राप्ति हेतु अनुसंधान उपकरण के माध्यम से अनुसंधानकर्ता द्वारा जोधपुर तथा अजमेर जिले के पुरुष तथा महिला सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या उन्होंने ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकार के समाज कल्याण से संबंधित योजनाओं जिनमें प्रमुख रुप से वृद्धावस्था, परिवार तथा विधवा पेंशन अथवा अन्य किसी प्रकार की योजना का लाभ अर्जित किया है?

सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता ने यह पाया कि जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली चतुर्थ सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के उपयोग से समाज कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं यथा वृद्धावस्था, परिवार तथा विधवा पेंशन अथवा अन्य किसी भी प्रकार की योजना से लाभ प्राप्ति है, के संदर्भ में जोधपुर जिले में 34.62% पुरुषों ने तथा 26.09% महिलाओं ने किसी न किसी प्रकार की समाज कल्याण की योजना का उपयोग ई-गवर्नेंस की सहायता से किया है। जबकि अजमेर जिले में पुरुष जनसंख्या में से 39.13% पुरुषों ने तथा महिला जनसंख्या में से 41.38% महिलाओं ने किसी न किसी प्रकार की चतुर्थ सेवाओं का लाभ ई-गवर्नेंस के उपयोग से प्राप्त किया है।

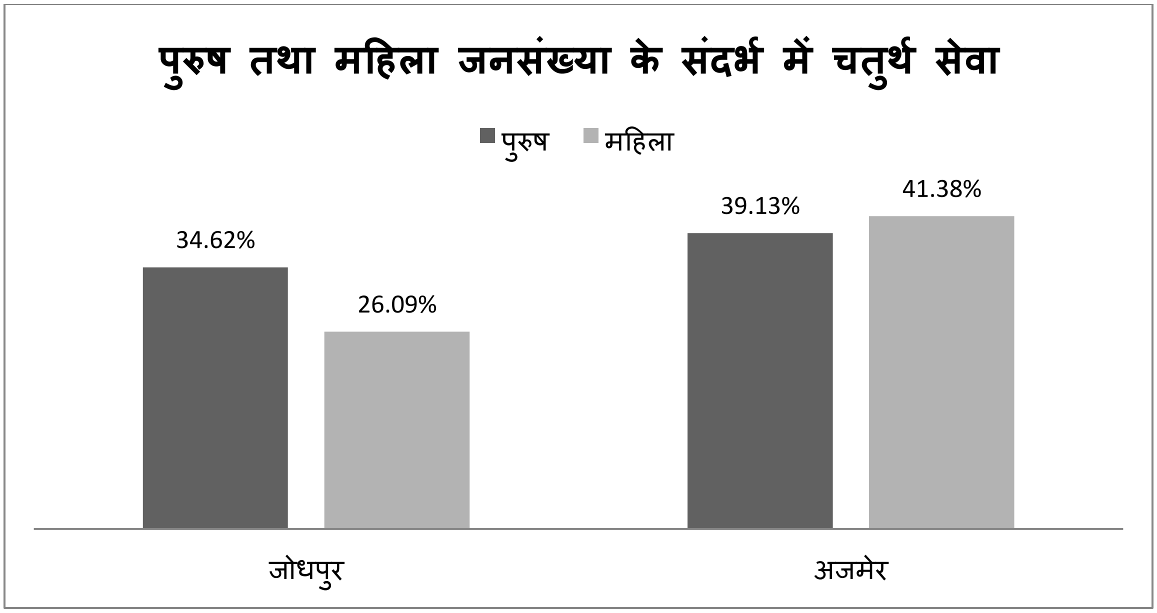

आरेख सं. 3.31

3.32 पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संबंध में चतुर्थ सेवा का तुलनात्मक अध्ययन- राजस्थान सरकार द्वारा जोधपुर तथा अजमेर जिले में संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित चतुर्थ सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकार की समाज कल्याण की योजनाओं से संबंधित वृद्धावस्था पेंशन, परिवार पेंशन, विधवा पेंशन अथवा अन्य किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करना है के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाया कि तुलनात्मक अध्ययन में जोधपुर जिले में महिला जनसंख्या की अपेक्षा पुरुष जनसंख्या ने 8.53% अधिक तथा अजमेर जिले में पुरुष जनसंख्या की अपेक्षा महिला जनसंख्या ने 2.25% अधिक चतुर्थ सेवा का लाभ ई-गवर्नेंस के उपयोग से प्राप्त किया है।

तुलनात्मक अध्ययन में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य भी पाये कि जोधपुर जिले के पुरुष जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले के पुरुष जनसंखया ने 4.51% अधिक तथा जोधपुर जिले की महिला जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की महिला जनसंख्या ने 15.29% अधिक ई-गवर्नेंस के माध्यम से चतुर्थ सेवा का लाभ प्राप्त किया है।

3.33 पुरुष तथा महिला जनसंख्या के सन्दर्भ में सप्तम सेवा- सप्तम सेवा के संबंध में आंकड़ों की प्राप्ति हेतु शोधकर्ता द्वारा अनुसंधान उपकरण के माध्यम से जोधपुर तथा अजमेर जिले में पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा कि क्या आपने ई-गवर्नेंस के माध्यम से पंजीकरण, भूमि अभिलेख की प्राप्ति तथा ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सेवाएं प्राप्त की है?

जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली सप्तम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से पंजीकरण, भूमि अभिलेख की प्राप्ति तथा ड्राइविंग लाइसेंस जैसी विशेष सेवाओं को प्राप्त करना है, के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने अपने सर्वेक्षण में यह तथ्य पाए कि जोधपुर जिले में कुल पुरुष जनसंख्या में से 71.15% पुरुष जनसंख्या ने, कुल महिला जनसंख्या में से 60.87% महिला जनसंख्या ने तथा अजमेर जिले में कुल पुरुष जनसंख्या में से 69.57% पुरुष जनसंख्या ने तथा कुल महिला जनसंख्या में से 55.17% महिला जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से सप्तम सेवा के अंतर्गत आने वाली किसी न किसी प्रकार की सेवाओं का उपयोग किया है।

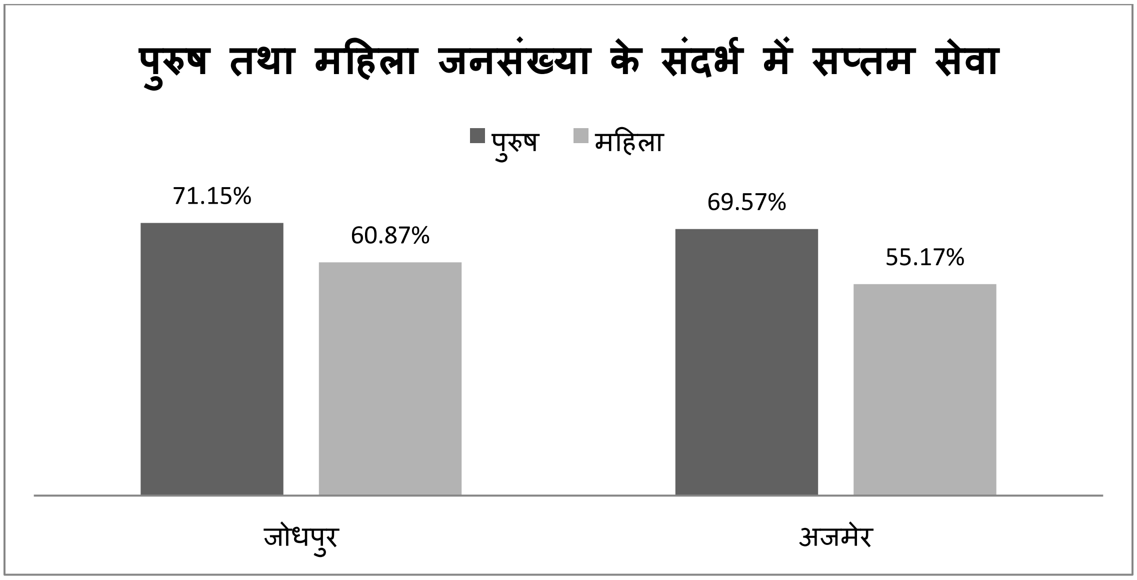

आरेख सं. 3.33

3.34 पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संबंध में सप्तम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन

द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित सप्तम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से पंजीकरण, भूमि अभिलेख की प्राप्ति तथा ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सुविधाओं का उपयोग करना है, के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को यह तथ्य प्राप्त हुए कि जोधपुर जिले में महिला जनसंख्या की तुलना में 10.28% अधिक पुरुष जनसंख्या ने तथा अजमेर जिले में महिला जनसंख्या की तुलना में 14.4% अधिक पुरुष जनसंख्या ने सप्तम सेवा से जुड़ी सेवाओं का उपयोग किया है।

अजमेर जिले की पुरुष जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की 1.58% अधिक पुरुष जनसंख्या ने तथा अजमेर जिले की महिला जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की 5.7% अधिक महिला जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से सप्तम सेवा से संबंधित पंजीकरण, भूमि अभिलेख तथा ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सुविधाओं का उपयोग किया है।

3.35 पुरुष तथा महिला जनसंख्या के सन्दर्भ में अष्टम सेवा- अष्टम सेवा से संबंधित आंकड़ों की प्राप्ति हेतु अनुसंधान उपकरण के माध्यम से अनुसंधानकर्ता द्वारा जोधपुर तथा अजमेर जिले में पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या आपके क्षेत्र में सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं के प्रचार व प्रसार के लिए ई-गवर्नेंस का उपयोग किया जाता है?

जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली अष्टम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों का प्रचार तथा प्रसार किया जाना है, के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता द्वारा किए गए सर्वेक्षण में यह तथ्य पाए गए कि जोधपुर जिले की पुरुष जनसंख्या में से 96.15% पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या में से 95.67% महिला जनसंख्या तथा अजमेर जिले में पुरुष जनसंख्या में से 97.83% पुरुष जनसंख्या तथा महिला जनसंख्या में से 96.55% महिला जनसंख्या यह मानती है, कि उनके क्षेत्र में सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं के प्रचार तथा प्रसार में ई-गवर्नेंस का उपयोग किया जाता है।

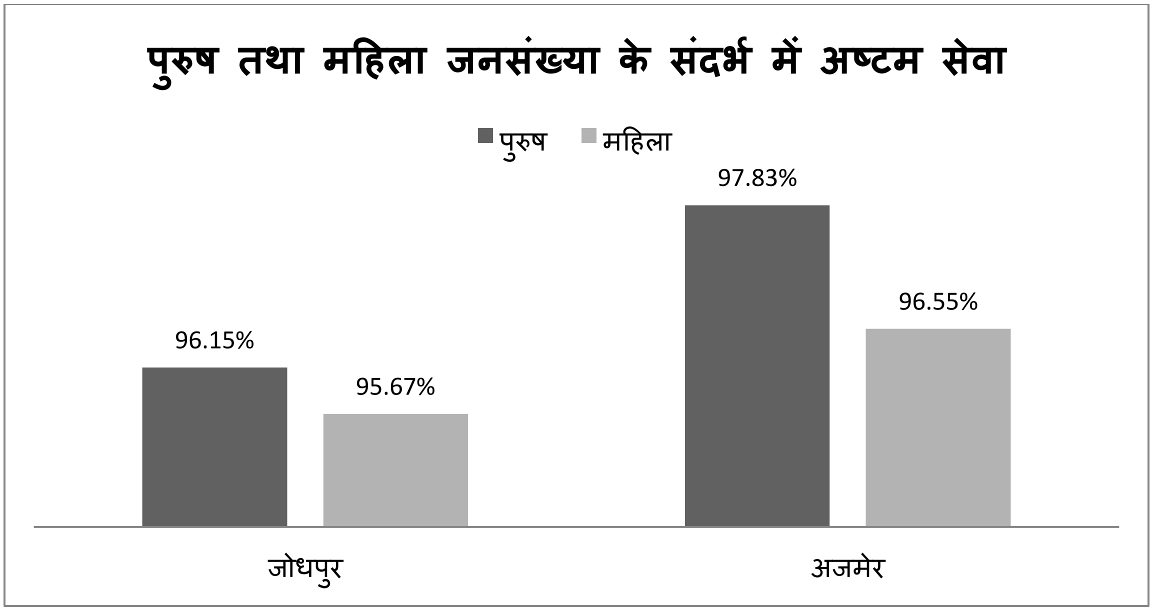

आरेख सं. 3.35

3.36 पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संबंध में अष्टम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित अष्टम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं का प्रचार व प्रसार किया जाना है, के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि जोधपुर जिले में महिला जनसंख्या की तुलना में 0.48% अधिक पुरुष जनसंख्या तथा अजमेर जिले में महिला जनसंख्या की तुलना में 1.28% अधिक पुरुष जनसंख्या यह मानती है कि उनके क्षेत्र में सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं के प्रचार तथा प्रसार में ई-गवर्नेंस का उपयोग किया जाता है।

इसी संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य भी पाए कि जोधपुर जिले की पुरुष जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की 1.68% अधिक पुरुष जनसंख्या तथा जोधपुर जिले की महिला जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की 0.88% अधिक महिला जनसंख्या यह मानती है कि उनके क्षेत्र में सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं के प्रचार व प्रसार में ई-गवर्नेंस का उपयोग किया जाता है।

3.37 पुरुष तथा महिला जनसंख्या के सन्दर्भ में नवम सेवा- नवम सेवा के संबंध में आंकड़ों की प्राप्ति हेतु शोधकर्ता द्वारा अनुसंधान उपकरण के माध्यम से जोधपुर तथा अजमेर जिले में पुरुष तथा महिला के जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से प्रश्न पूछा कि क्या उन्होंने ई-गवर्नेंस के माध्यम से संपत्ति कर अथवा अन्य किसी भी प्रकार के करों का भुगतान किया है?

सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता ने जोधपुर तथा अजमेर जिले के संदर्भ में यह तथ्य पाए कि ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित नवम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से संपत्ति कर अथवा अन्य किसी भी प्रकार के करों का भुगतान करना है, के संदर्भ में जोधपुर जिले में पुरुष जनसंख्या में से 28.85% पुरुषों ने तथा महिला जनसंख्या में से 8.7% महिलाओं ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से नवम सेवा का उपयोग किया है।

जबकि अजमेर जिले में पुरुष जनसंख्या में से 39.13% पुरुष जनसंख्या ने तथा महिला जनसंख्या में से 10.34% महिला जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से संपत्ति कर अथवा अन्य किसी भी प्रकार के करों का भुगतान किया है।

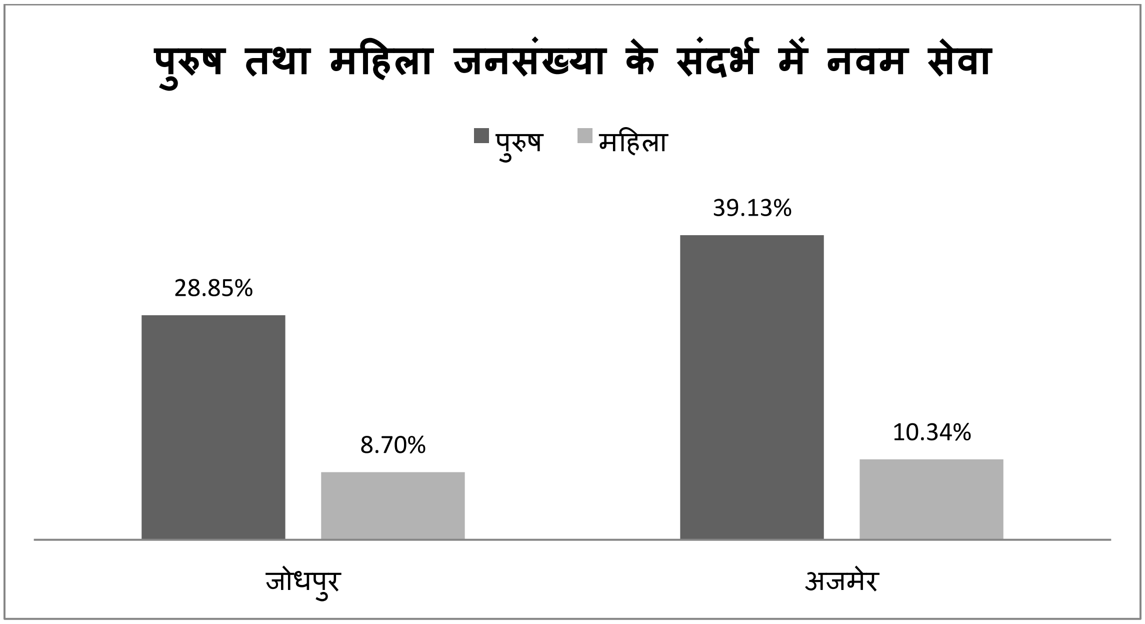

आरेख सं. 3.37

3.38 पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संबंध में नवम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित नवम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से संपत्ति कर अथवा अन्य किसी भी प्रकार के करों का भुगतान किया जाना है, के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि जोधपुर जिले में महिला जनसंख्या की तुलना में पुरुष जनसंख्या ने 20.15% अधिक तथा अजमेर जिले में महिला जनसंख्या की तुलना में पुरुष जनसंख्या ने 28.79% अधिक नवम सेवा का लाभ ई-गवर्नेंस की सहायता से प्राप्त किया है।

इसी संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में यह तथ्य भी प्राप्त हुए कि जोधपुर जिले की पुरुष जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की पुरुष जनसंख्या ने 10.28% अधिक तथा जोधपुर जिले की महिला जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की महिला जनसंख्या ने 1.64% अधिक ई-गवर्नेंस के माध्यम से संपत्ति कर अथवा अन्य किसी भी प्रकार के करों का भुगतान किया है।

3.39 पुरुष तथा महिला जनसंख्या के सन्दर्भ में दसवीं सेवा- दसवीं सेवा के संबंध में आंकड़ों की प्राप्ति हेतु शोधकर्ता द्वारा अनुसंधान उपकरण के माध्यम से जोधपुर तथा अजमेर जिले में पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या आपने ई-गवर्नेंस के माध्यम से बिजली, पानी अथवा अन्य किसी भी प्रकार के बिलों का भुगतान किया है?

जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित दसवीं सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से बिजली, पानी अथवा अन्य किसी भी प्रकार के बिलों का भुगतान किया जाना है, के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने सर्वेक्षण में यह तथ्य पाए कि जोधपुर जिले में कुल पुरुष जनसंख्या में से 88.46% पुरुष जनसंख्या ने तथा कुल महिला जनसंख्या में से 86.96% महिला जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से दसवीं सेवा का उपयोग किया है। अजमेर में कुल पुरुष जनसंख्या में से 93.48% पुरुष जनसंख्या ने तथा कुल महिला जनसंख्या में से 82.76% महिला जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से बिजली, पानी अथवा अन्य किसी भी प्रकार के बिलों का भुगतान किया है।

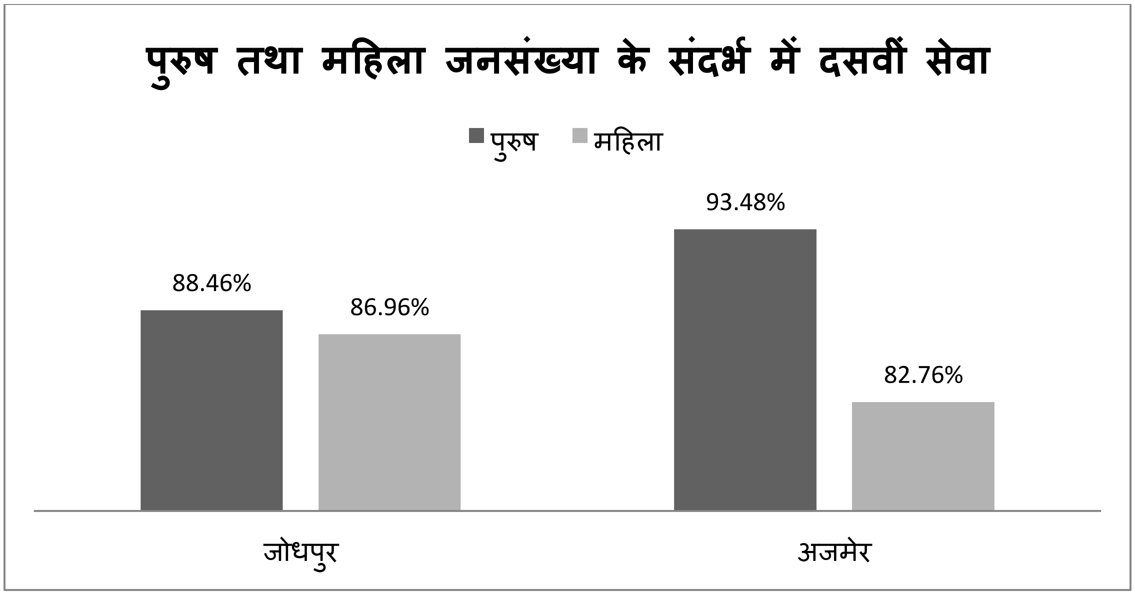

आरेख सं. 3.39

3.40 पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संबंध में दसवीं सेवा का तुलनात्मक अध्ययन - जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित दसवीं सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से बिजली, पानी अथवा अन्य किसी भी प्रकार के बिलों का भुगतान किया जाना है, के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि जोधपुर जिले की महिला जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की पुरुष जनसंख्या ने 1.5% अधिक तथा अजमेर जिले की महिला जनसंख्या की तुलना में पुरुष जनसंख्या ने 10.72% अधिक ई-गवर्नेंस के माध्यम से दसवीं सेवा का उपयोग किया है।

इसी संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को यह तथ्य भी प्राप्त हुए कि जोधपुर जिले की पुरुष जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की पुरुष जनसंख्या ने 5.02% अधिक तथा अजमेर जिले की महिला जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की महिला जनसंख्या ने 4.2% अधिक ई-गवर्नेंस के माध्यम से बिजली, पानी अथवा अन्य किसी भी प्रकार के बिलों का भुगतान किया है।

3.41 शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण- राजस्थान में जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन की 10 सेवाओं को ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा कार्यान्वित किया गया। शोधकर्ता द्वारा इस संदर्भ में जोधपुर तथा अजमेर जिले में व्यापक रुप से सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण से अर्जित आंकड़ों का शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर विश्लेषण निम्न प्रकार से है।

3.42 शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के सन्दर्भ में प्रथम सेवा- प्रथम सेवा से संबंधित आकड़ों की प्राप्ति हेतु अनुसंधान उपकरण के माध्यम से अनुसंधानकर्ता द्वारा जोधपुर तथा अजमेर जिले में शहरी तथा ग्रामीण सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा कि क्या आपने ई-गवर्नेंस के माध्यम से (आय, मूल निवासी, जाति, जन्म, मृत्यु अथवा अन्य) किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र (Certificate) प्राप्त किया है?

सर्वेक्षण में शोधकर्ता द्वारा यह तथ्य पाये गए कि जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली प्रथम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से आय, मूल निवासी, जाति, जन्म, मृत्यु अथवा अन्य किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त करना है, के संदर्भ में जोधपुर में 97.33% शहरी जनसंख्या ने तथा 90.67% ग्रामीण जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से प्रथम सेवा का उपयोग किया है। अजमेर के संदर्भ में यह पाया गया कि अजमेर में कुल शहरी जनसंख्या की 92% शहरी जनसंख्या ने तथा कुल ग्रामीण जनसंख्या की 86.67% ग्रामीण जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से प्रथम सेवा का उपयोग किया है।

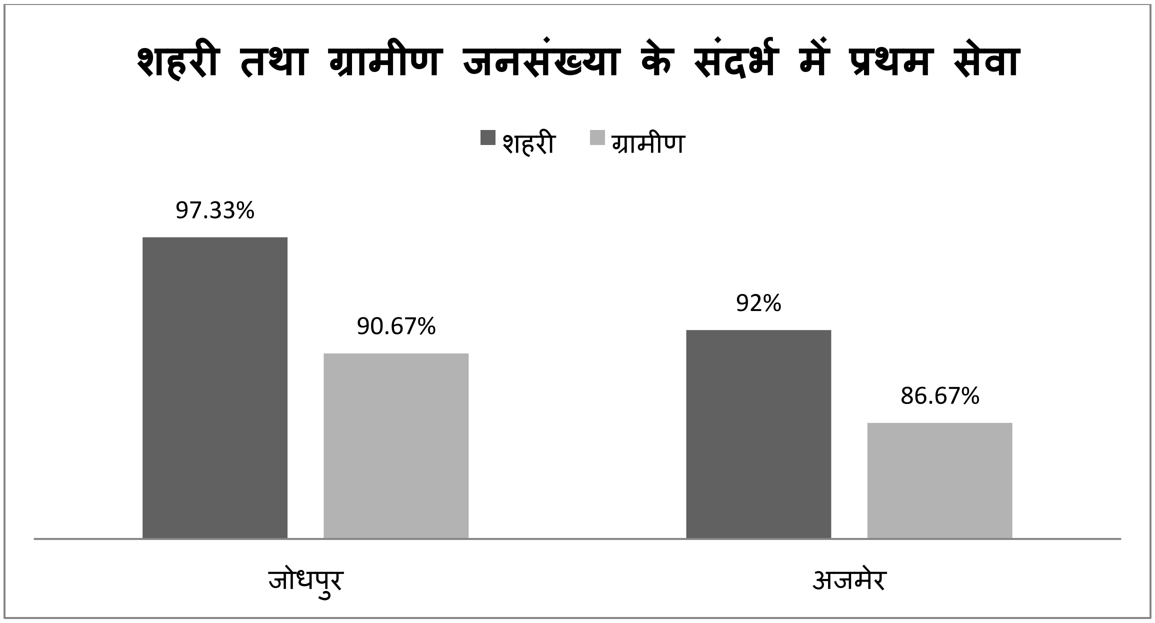

आरेख सं. 3.42

3.43 शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संबंध में प्रथम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार द्वारा संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा ई जिला पायलेट परियोजना का कार्यान्वयन किया गया है। जिसके अंतर्गत आने वाली प्रथम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के आधार पर आय, मूल निवासी, जाति, जन्म, मृत्यु अथवा अन्य किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त करना है, के तुलनात्मक अध्ययन में यह पाया गया कि जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर शहरी क्षेत्र की जनसंख्या ने 6.66% अधिक प्रथम सेवा का उपयोग ई-गवर्नेंस के आधार पर किया है। अजमेर में ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में शहरी जनसंख्या ने प्रथम सेवा का उपयोग 5.33% अधिक किया है।

जोधपुर जिले की शहरी जनसंख्या ने अजमेर जिले की शहरी जनसंख्या की तुलना में ई-गवर्नेंस के आधार पर प्रथम सेवा का उपयोग 5.33% अधिक किया है, जबकि जोधपुर जिले की ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या ने अजमेर जिले की ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या की तुलना में प्रथम सेवा का उपयोग ई-गवर्नेंस के आधार पर 4% अधिक किया है।

3.44 शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के सन्दर्भ में द्वितीय सेवा- अनुसन्धानकर्ता द्वारा द्वितीय सेवा के संदर्भ में अनुसंधान उपकरण के माध्यम से जोधपुर तथा अजमेर में शहरी तथा ग्रामीण सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या उन्होंने ई-गवर्नेंस के माध्यम से शस्त्र, व्यापार अथवा अन्य किसी भी प्रकार का लाइसेंस प्राप्त किया है?

सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता ने यह पाया कि जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली द्वितीय सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से शस्त्र, व्यापार अथवा अन्य किसी भी प्रकार का लाइसेंस प्राप्त करना है, के संदर्भ में यह पाया कि जोधपुर जिले की शहरी जनसंख्या में से 21.33% शहरी जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से द्वितीय सेवा का उपयोग किया है। जोधपुर जिले की ग्रामीण जनसंख्या में से 12% ग्रामीण जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से द्वितीय सेवा का उपयोग किया है। अजमेर जिले की शहरी जनसंख्या में से 18.66% शहरी जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से द्वितीय सेवा का उपयोग किया है। जबकि अजमेर जिले की ग्रामीण जनसंख्या में से 8% ग्रामीण जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से द्वितीय सेवा का उपयोग किया है।

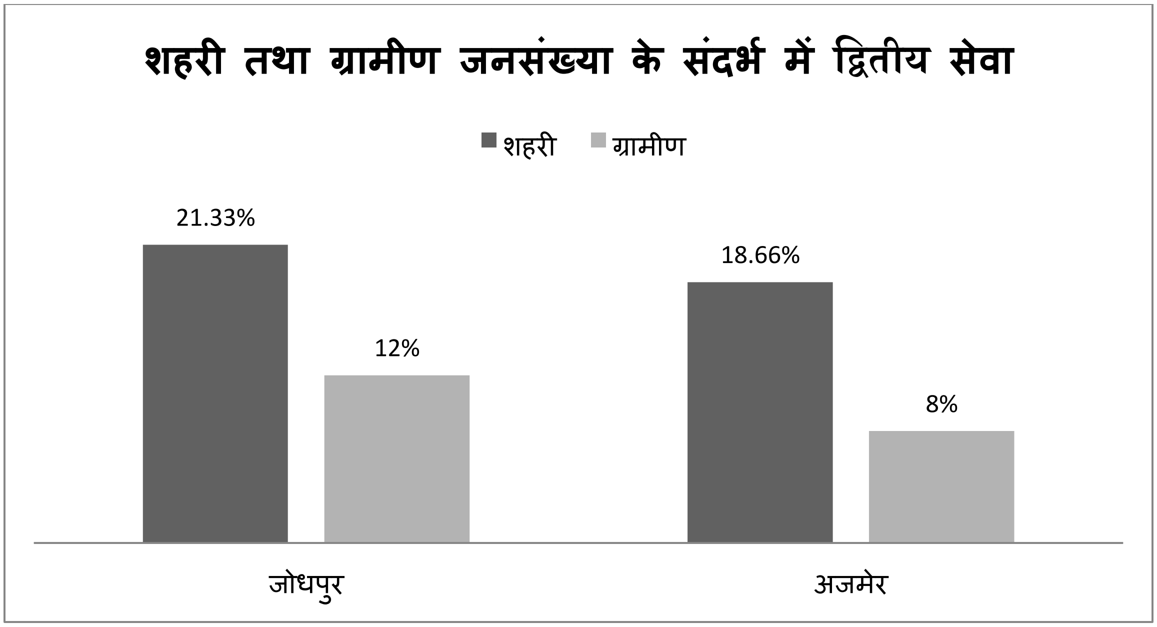

आरेख सं. 3.44

3.45 शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संबंध में द्वितीय सेवा का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से जिला प्रशासन द्वारा ई जिला पायलेट परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस संदर्भ में द्वितीय सेवा के अंतर्गत शस्त्र, व्यापार अथवा अन्य किसी भी प्रकार के लाइसेंस को ई-गवर्नेंस के माध्यम से प्राप्त करना है। इस संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन में यह तथ्य प्राप्त हुए कि जोधपुर जिले में ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में शहरी जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से द्वितीय सेवा का उपयोग 9.33% अधिक किया है। जबकि अजमेर में ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में शहरी जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से द्वितीय सेवा का उपयोग 10.66%% अधिक किया है।

जोधपुर जिले में शहरी जनसंख्या ने अजमेर जिले की शहरी जनसंख्या की तुलना में ई-गवर्नेंस के माध्यम से द्वितीय सेवा का उपयोग 2.67% अधिक किया है। जबकि जोधपुर जिले की ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या ने अजमेर जिले की ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या की तुलना में द्वितीय सेवा का उपयोग 4% अधिक किया है।

3.46 शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के सन्दर्भ में तृतीय सेवा- तृतीय सेवा के संबंध में आंकड़ों की प्राप्ति हेतु शोधकर्ता द्वारा अनुसंधान उपकरण के माध्यम से जोधपुर तथा अजमेर जिले में शहरी तथा ग्रामीण सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या आपने ई-गवर्नेंस के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित राशन कार्ड की सेवाएं प्राप्त की है? इसमें मुख्य रूप से पॉइंट ऑफ सेल मशीन द्वारा बायोमेट्रिक आधार पर उचित मूल्य की दुकानों (FPS) से अथवा सहकारी समितियों से राशन की प्राप्ति तथा ई-गवर्नेंस के आधार पर राशन कार्ड का निर्माण अथवा उसमें संशोधन शामिल है।

सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता ने यह पाया कि जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली तृतीय सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी राशन कार्ड से सम्बद्ध सेवाओं को प्राप्त करना है, के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि जोधपुर जिले में शहरी जनसंख्या में से 46.67% शहरी जनसंख्या ने तथा ग्रामीण जनसंख्या में से 90.67% ग्रामीण जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से तृतीय सेवा का उपयोग किया है। जबकि अजमेर में कुल शहरी जनसंख्या में से

60% शहरी जनसंख्या ने तथा कुल ग्रामीण जनसंख्या में से 85.34% ग्रामीण जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित राशन कार्ड की सेवाओं का उपयोग किया है।

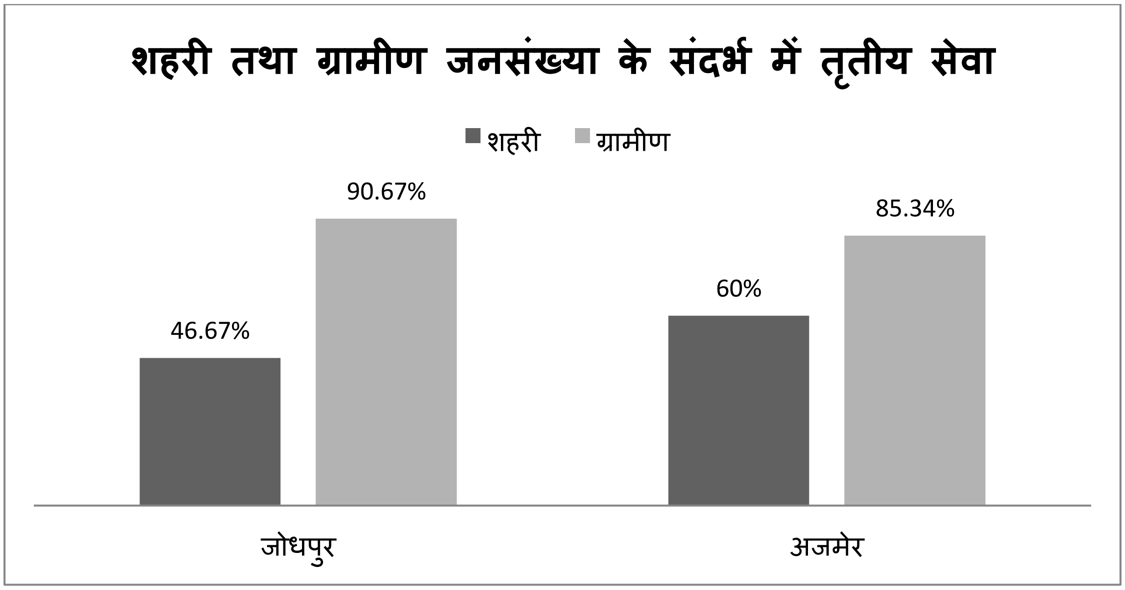

आरेख सं. 3.46

3.47 शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संबंध में तृतीय सेवा का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा ई जिला पायलेट परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत तृतीय सेवा में ई-गवर्नेंस के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित राशन कार्ड की सेवाओं को प्रदान किया जाना है। इस संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में यह तथ्य पाए कि जोधपुर जिले में ग्रामीण जनसंख्या ने शहरी जनसंख्या की तुलना में 44% तथा अजमेर जिले में ग्रामीण जनसंख्या ने शहरी जनसंख्या की तुलना में 25.34% अधिक तृतीय सेवा का उपयोग ई-गवर्नेंस की सहायता से किया है।

अनुसंधानकर्ता ने अपने सर्वेक्षण में यह तथ्य भी पाए कि जोधपुर जिले की शहरी जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की शहरी जनसंख्या ने 13.33% अधिक तृतीय सेवा का उपयोग ई – गवर्नेंस के सहयोग से किया है, जबकि अजमेर जिले की ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की ग्रामीण जनसंख्या ने

5.33% अधिक ई-गवर्नेंस के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित राशन कार्ड की सुविधाओं का उपयोग किया है।

3.48 शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के सन्दर्भ में चतुर्थ सेवा- चतुर्थ सेवा के संबंध में आंकड़ों की प्राप्ति हेतु अनुसंधान उपकरण के माध्यम से अनुसंधानकर्ता द्वारा जोधपुर तथा अजमेर जिले के शहरी तथा ग्रामीण सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या उन्होंने ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकार के समाज कल्याण से संबंधित योजनाओं जिनमें प्रमुख रुप से वृद्धावस्था, परिवार तथा विधवा पेंशन अथवा अन्य किसी भी प्रकार की योजना का उपयोग किया है?

जोधपुर तथा अजमेर जिले में सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता ने यह पाया कि जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित चतुर्थ सेवा जिसमें समाज कल्याण की योजनाओं जिनमें प्रमुख रूप से वृद्धावस्था, परिवार तथा विधवा पेंशन अथवा अन्य किसी सेवा का लाभ प्राप्त करना है के संदर्भ में जोधपुर जिले की कुल शहरी जनसंख्या में से 32% शहरी जनसंख्या ने तथा कुल ग्रामीण जनसंख्या में से 33.34% ग्रामीण जनसंख्या ने समाज कल्याण की योजना का लाभ ई-गवर्नेंस के द्वारा प्राप्त किया है।

इस संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को सर्वेक्षण में अजमेर में यह तथ्य प्राप्त हुए कि अजमेर जिले की कुल शहरी जनसंख्या में से 38.66% शहरी जनसंख्या तथा कुल ग्रामीण जनसंख्या में से 42.67% ग्रामीणों ने ई-गवर्नेंस के द्वारा समाज कल्याण की योजना का उपयोग किया है।

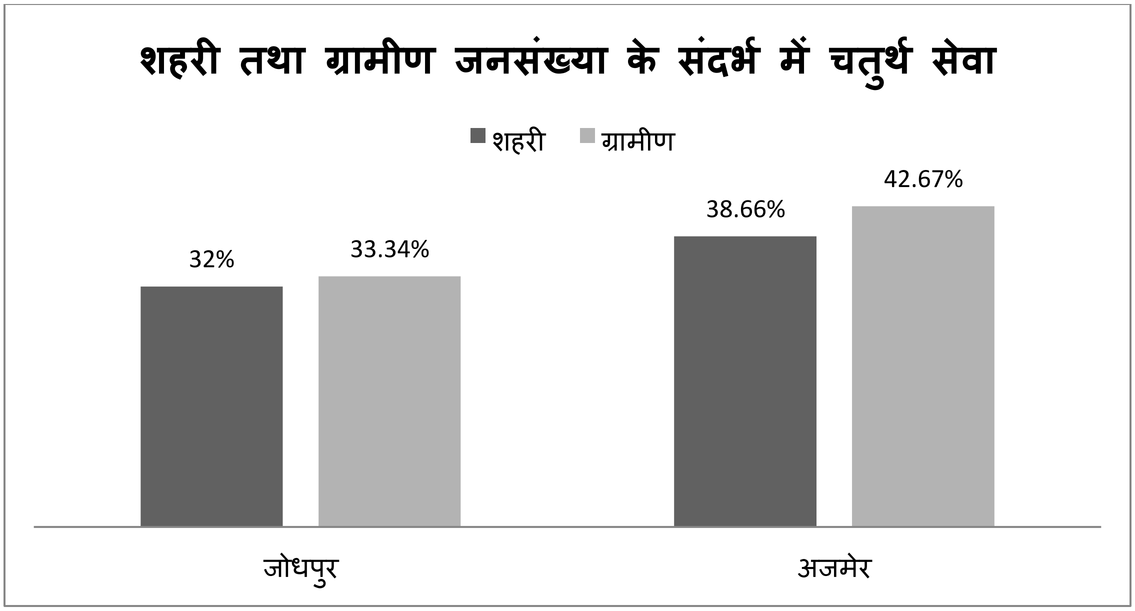

आरेख सं. 3.48

3.49 शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संबंध में चतुर्थ सेवा का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा ई जिला पायलेट परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिससे संबंधित चतुर्थ सेवा के संदर्भ में समाज कल्याण की योजना जिसमें प्रमुख रुप से वृद्धावस्था, परिवार तथा विधवा पेंशन अथवा अन्य योजना का लाभ प्राप्त करना है, के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि जोधपुर जिले में शहरी जनसंख्या की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या ने 1.34% अधिक तथा अजमेर जिले में शहरी जनसंख्या की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या ने 4.01% अधिक चतुर्थ सेवा का उपयोग ई-गवर्नेंस के द्वारा किया है।

इसी संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को यह तथ्य भी प्राप्त हुए कि जोधपुर जिले की शहरी जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की शहरी जनसंख्या ने 6.66% अधिक तथा जोधपुर जिले की ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की ग्रामीण जनसंख्या ने 9.33% अधिक समाज कल्याण की योजना का लाभ ई-गवर्नेंस के द्वारा प्राप्त किया है।

3.50 शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के सन्दर्भ में सप्तम सेवा- सप्तम सेवा के संबंध में आंकड़ों की प्राप्ति हेतु शोधकर्ता द्वारा अनुसंधान उपकरण के माध्यम से जोधपुर तथा अजमेर जिले में शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या आपने ई-गवर्नेंस के माध्यम से पंजीकरण, भूमि अभिलेख की प्राप्ति तथा ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सेवाएं प्राप्त की है?

जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली सप्तम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से पंजीकरण, भूमि अभिलेख और ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सेवाओं को प्राप्त करना है, के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता द्वारा किए गए सर्वेक्षण में यह तथ्य प्राप्त हुए कि जोधपुर जिले में शहरी जनसंख्या में से 80% शहरी जनसंख्या ने तथा ग्रामीण जनसंख्या में से 53.34% ग्रामीण जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से सप्तम सेवा का उपयोग किया है। अजमेर जिले में कुल शहरी जनसंख्या में से 72% शहरी जनसंख्या ने तथा कुल ग्रामीण जनसंख्या में से 49.34% ग्रामीण जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से पंजीकरण, भूमि अभिलेख और ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सेवा का लाभ की ई-गवर्नेंस के द्वारा प्राप्त किया है।

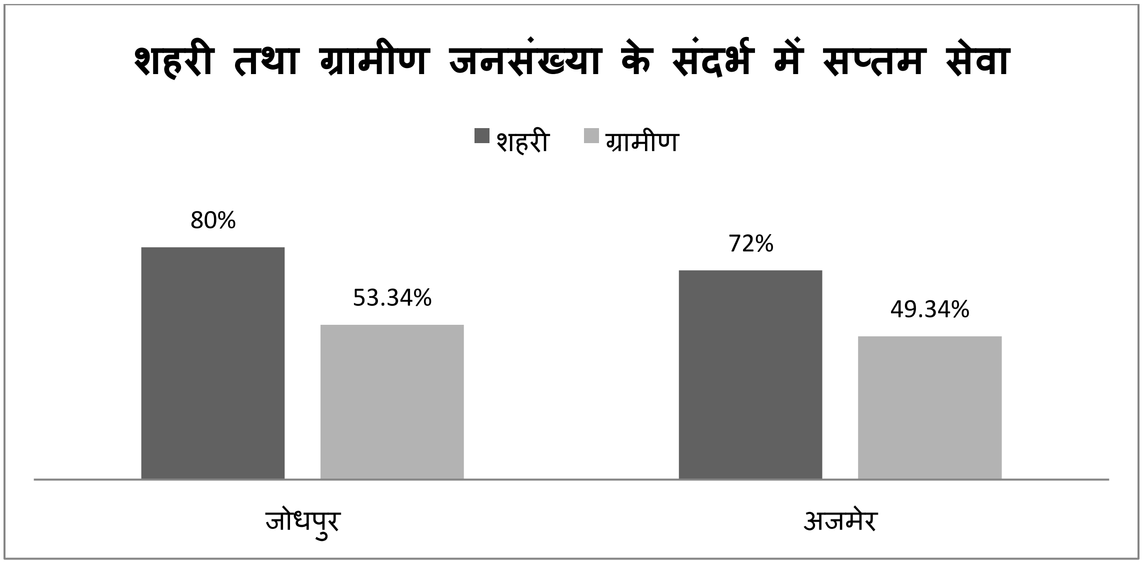

आरेख सं. 3.50

3.51 शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संबंध में सप्तम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से जिला प्रशासन

द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित सप्तम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से पंजीकरण, भूमि अभिलेख और ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन जैसी सेवाओं को प्राप्त करना है, के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि जोधपुर जिले में ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में शहरी जनसंख्या ने 26.66% अधिक तथा अजमेर जिले में ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में शहरी जनसंख्या ने 22.66% अधिक ई-गवर्नेंस के माध्यम से सप्तम सेवा का उपयोग किया है।

तुलनात्मक अध्ययन में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि अजमेर जिले की शहरी जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की 8% अधिक शहरी जनसंख्या ने तथा अजमेर जिले की ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की 4% अधिक ग्रामीण जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से पंजीकरण, भूमि अभिलेख तथा ड्राइविंग लाइसेंस हेतु आवेदन जैसी सुविधाओं का लाभ ई-गवर्नेंस के द्वारा प्राप्त किया है।

3.52 शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के सन्दर्भ में अष्टम सेवा- अष्टम सेवा से संबंधित आंकड़ों की प्राप्ति हेतु अनुसंधान उपकरण के माध्यम से अनुसंधानकर्ता द्वारा जोधपुर तथा अजमेर जिले में शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा कि क्या आप के क्षेत्र में सरकारी योजनाओं के प्रचार व प्रसार के लिए ई-गवर्नेंस का उपयोग किया जाता है?

जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित अष्टम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों का प्रचार तथा प्रसार किया जाना है, के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने सर्वेक्षण में यह तथ्य पाए कि जोधपुर जिले की कुल शहरी जनसंख्या में से 97.33% शहरी जनसंख्या तथा कुल ग्रामीण जनसंख्या में से 93.34% ग्रामीण यह मानती है कि उनके क्षेत्र में सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं के प्रचार व प्रसार के लिए ई-गवर्नेंस का उपयोग किया जाता है।

अजमेर जिले में इस संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को यह तथ्य ज्ञात हुए कि अजमेर जिले में कुल शहरी जनसंख्या में से 98.66% शहरी जनसंख्या तथा कुल ग्रामीण जनसंख्या में से 96% ग्रामीण जनसंख्या यह मानती है कि उनके क्षेत्र में सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं के प्रचार व प्रसार हेतु ई-गवर्नेंस का उपयोग होता है।

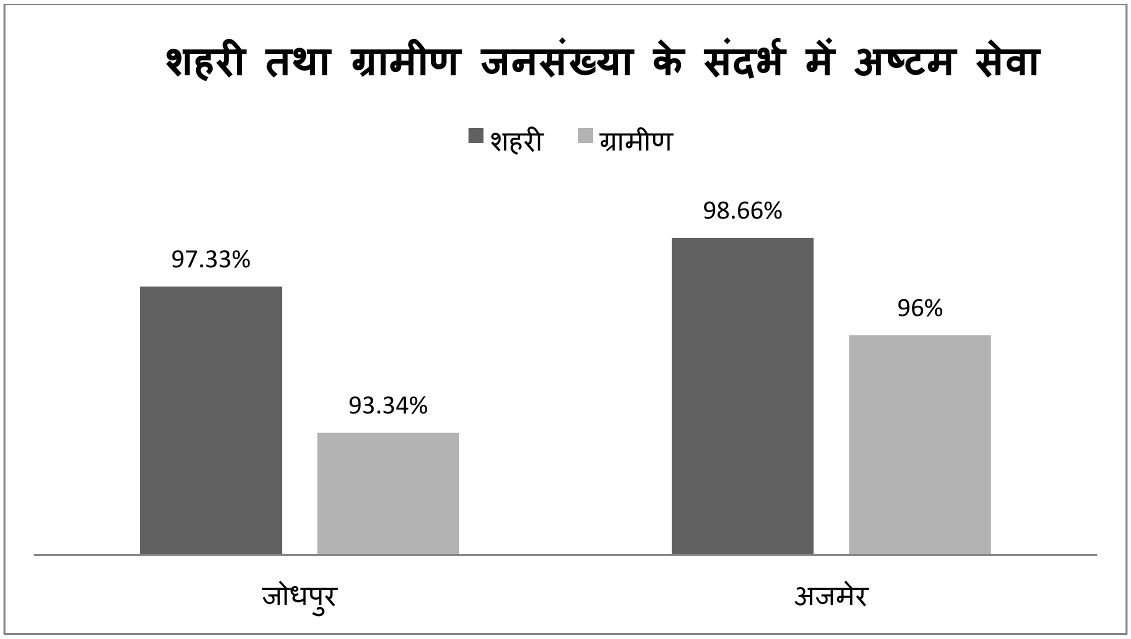

आरेख सं. 3.52

3.53 शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संबंध में अष्टम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित अष्टम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं का प्रचार व प्रसार किया जाना है, के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को तुलनात्मक अध्ययन में यह तथ्य प्राप्त हुए कि जोधपुर जिले में ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में शहरी जनसंख्या 3.99% अधिक तथा अजमेर जिले में ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में शहरी जनसंख्या 2.66% अधिक यह मानती है कि उनके क्षेत्र में सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं के प्रचार व प्रसार के लिए ई-गवर्नेंस का उपयोग किया जाता है।

इसी संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को यह तथ्य भी प्राप्त हुए कि जोधपुर जिले की शहरी जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की 1.33% अधिक शहरी जनसंख्या तथा जोधपुर जिले की ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की 2.66% अधिक ग्रामीण जनसंख्या यह मानती है कि उनके क्षेत्र में सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं के प्रचार व प्रसार के लिए ई-गवर्नेंस का उपयोग किया जाता है।

3.54 शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के सन्दर्भ में नवम सेवा- नवम सेवा के संबंध में आंकड़ों की प्राप्ति हेतु शोधकर्ता द्वारा अनुसंधान उपकरण के माध्यम से जोधपुर तथा अजमेर जिले में शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या उन्होंने ई-गवर्नेंस के माध्यम से संपत्ति कर अथवा अन्य किसी भी प्रकार के करों का भुगतान किया है?

सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली नवम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से संपत्ति कर अथवा अन्य किसी भी प्रकार के करों का भुगतान किया जाना है, के संदर्भ में जोधपुर जिले में कुल शहरी जनसंख्या में से 36% शहरी जनसंख्या ने तथा कुल ग्रामीण जनसंख्या में से 6.67% ग्रामीण जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से नवम सेवा का उपयोग किया है।

जबकि अजमेर में कुल शहरी जनसंख्या में से 38.67% शहरी जनसंख्या ने तथा कुल ग्रामीण जनसंख्या में से 13.34% ग्रामीणों ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से संपत्ति कर अथवा अन्य किसी भी प्रकार के करों का भुगतान किया है।

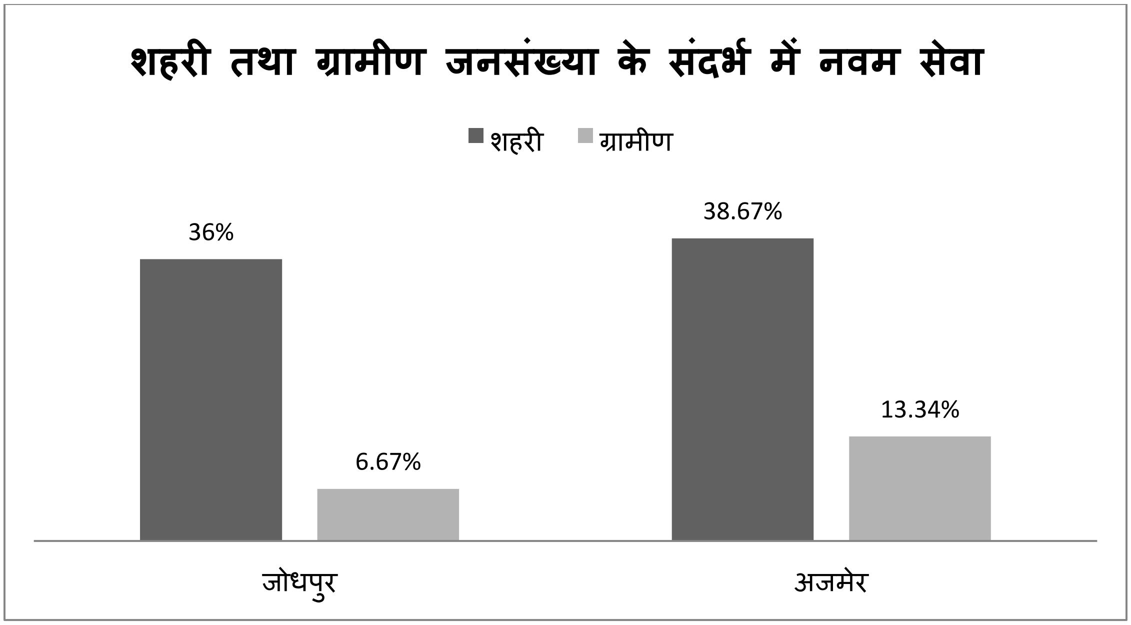

आरेख सं. 3.54

3.55 शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संबंध में नवम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित नवम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से संपत्ति कर अथवा अन्य किसी भी प्रकार के करों का भुगतान किया जाना है, के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि जोधपुर जिले की ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की शहरी जनसंख्या ने 29.33% अधिक तथा अजमेर जिले की ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की शहरी जनसंख्या ने 25.33% अधिक नवम सेवा का उपयोग ई-गवर्नेंस के द्वारा किया है।

इसी संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य भी पाए कि जोधपुर जिले की शहरी जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की शहरी जनसंख्या ने 2.67% अधिक तथा जोधपुर जिले की ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की ग्रामीण जनसंख्या ने 6.67% अधिक ई-गवर्नेंस के माध्यम से संपत्ति कर अथवा अन्य किसी भी प्रकार के करों का भुगतान किया है।

3.56 शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के सन्दर्भ में दसवीं सेवा- दसवीं सेवा के संबंध में आंकड़ों की प्राप्ति के लिए अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान उपकरण के माध्यम से जोधपुर तथा अजमेर जिले में शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या आपने ई-गवर्नेंस के माध्यम से बिजली, पानी अथवा अन्य किसी भी प्रकार के बिलों का भुगतान किया है?

सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली दसवीं सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से बिजली, पानी अथवा अन्य किसी भी प्रकार के बिलों का भुगतान किया जाना है, के संदर्भ में जोधपुर जिले में कुल शहरी जनसंख्या में से 97.33% शहरी जनसंख्या ने तथा कुल ग्रामीण जनसंख्या में से 76% ग्रामीण जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के द्वारा दसवीं सेवा का उपयोग किया है।

जबकि अजमेर जिले में कुल शहरी जनसंख्या में से 96% शहरी जनसंख्या ने तथा कुल ग्रामीण जनसंख्या में से 78.67% ग्रामीण जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से बिजली, पानी अथवा अन्य किसी भी प्रकार के बिलों का भुगतान किया है।

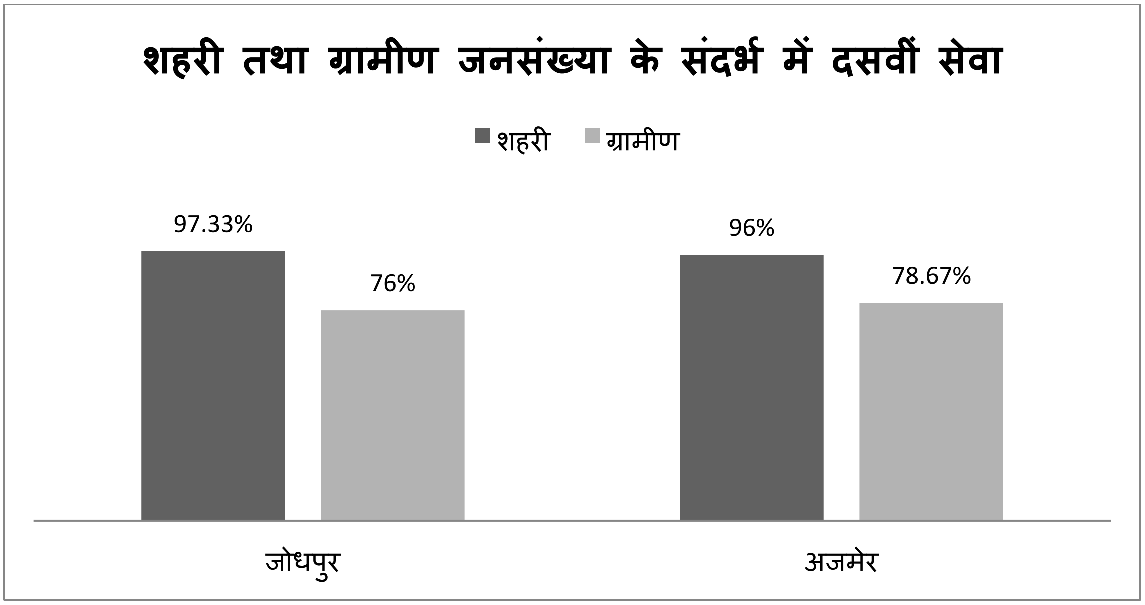

आरेख सं. 3.56

3.57 शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संबंध में दसवीं सेवा का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित दसवीं सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से बिजली, पानी अथवा अन्य किसी भी प्रकार के बिलों का भुगतान किया जाना है, के तुलनात्मक अध्ययन में अनुसंधानकर्ता को यह तथ्य प्राप्त हुए कि जोधपुर जिले में ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में शहरी जनसंख्या ने 21.33% अधिक तथा अजमेर जिले में ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में शहरी जनसंख्या ने 17.33% अधिक ई-गवर्नेंस के माध्यम से दसवीं सेवा का उपयोग किया है।

इसी संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को यह तथ्य भी प्राप्त हुए कि अजमेर जिले की शहरी जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की शहरी जनसंख्या ने 1.33% अधिक तथा जोधपुर जिले की ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में

अजमेर जिले की ग्रामीण जनसंख्या ने 2.67% अधिक ई-गवर्नेंस के माध्यम से बिजली, पानी अथवा अन्य किसी भी प्रकार के बिलों का भुगतान किया है।

3.58 शिक्षा के आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण- राजस्थान में जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन की 10 सेवाओं को ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा कार्यान्वित किया गया। शोधकर्ता द्वारा इस संदर्भ में जोधपुर तथा अजमेर जिले में व्यापक रुप से सर्वेक्षण का कार्य किया गया। सर्वेक्षण से अर्जित आंकड़ों का शिक्षा संदर्भ में विश्लेषण निम्न प्रकार से है।

3.59 तीन शिक्षा श्रेणियों का निर्माण- शिक्षा के आधार पर विश्लेषण करने हेतु अनुसंधानकर्ता ने जोधपुर तथा अजमेर जिले में सूचनादाताओं की तीन श्रेणियां बनाई है:-

प्रथम शिक्षा श्रेणी:- प्रथम श्रेणी के अंतर्गत उन सूचनादाताओं को समाविष्ट किया गया है जो बाहरवीं उत्तीर्ण हैं, अथवा उससे कम शिक्षित है।

द्वितीय शिक्षा श्रेणी:- द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत उन सूचनादाताओं को समाविष्ट किया गया है, जो बाहरवीं कक्षा से अधिक शिक्षित हैं अथवा स्नातक है।

तृतीय शिक्षा श्रेणी:- तृतीय श्रेणी के अंतर्गत उन सूचनादाताओं को समाविष्ट किया गया है, जो स्नातक से अधिक शिक्षित हैं।

3.60 शिक्षा श्रेणियों के संदर्भ में प्रथम सेवा- प्रथम सेवा से संबंधित आकड़ों की प्राप्ति हेतु अनुसंधान उपकरण के माध्यम से अनुसंधानकर्ता द्वारा जोधपुर तथा अजमेर जिले में तीनों शिक्षा श्रेणियों के परिप्रेक्ष्य में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा कि क्या आपने ई-गवर्नेंस के माध्यम से (आय, मूल निवासी, जाति, जन्म, मृत्यु अथवा अन्य) किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र (Certificate) प्राप्त किया है?

सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता ने यह पाया कि जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली प्रथम सेवा जिसमें कि ई-गवर्नेंस के माध्यम से आय, मूल निवासी, जाति, जन्म, मृत्यु अथवा अन्य किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त करना है, के संदर्भ में जोधपुर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी के अंतर्गत आने वाली जनसंख्या में से 93.33% जनसंख्या ने प्रथम सेवा का लाभ ई-गवर्नेंस के ज़रिये प्राप्त

किया है। जोधपुर जिले में द्वितीय शिक्षा श्रेणी के अंतर्गत आने वाली कुल जनसंख्या में से 96.3% जनसंख्या ने तथा तृतीय शिक्षा श्रेणी के अंतर्गत आने वाली कुल जनसंख्या में से 94.44% जनसंख्या ने प्रथम सेवा का लाभ ई-गवर्नेंस के के ज़रिये प्राप्त किया है।

जबकि अजमेर में प्रथम शिक्षा श्रेणी के अंतर्गत आने वाली कुल जनसंख्या में से 81.25% जनसंख्या ने तथा द्वितीय शिक्षा श्रेणी के अंतर्गत आने वाली कुल जनसंख्या में से 89.66% जनसंख्या ने तथा तृतीय शिक्षा श्रेणी के अंतर्गत आने वाली कुल जनसंख्या में से 92.86% जनसंख्या ने प्रथम सेवा का लाभ ई-गवर्नेंस के के ज़रिये प्राप्त किया है।

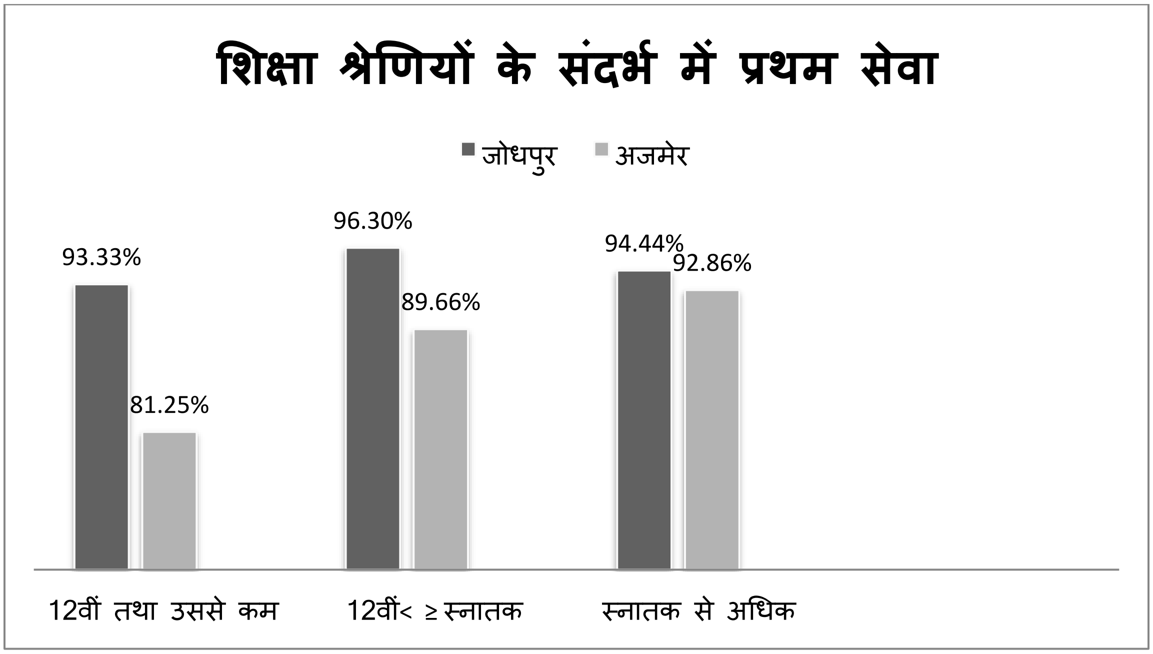

आरेख सं. 3.60

3.61 शिक्षा श्रेणियों के संबंध में प्रथम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन - जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित प्रथम सेवा, जिसमें कि ई-गवर्नेंस के माध्यम से आय, मूल निवासी, जाति, जन्म, मृत्यु अथवा अन्य किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त करना है, के शिक्षा की तीन श्रेणियों के आधार पर किये गए सर्वेक्षण में यह पाया गया कि जोधपुर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी की कुल जनसंख्या ने

अजमेर जिले की प्रथम शिक्षा श्रेणी की कुल जनसंख्या की तुलना में प्रथम सेवा का उपयोग ई-गवर्नेंस के आधार पर 12.08% अधिक किया है।

जोधपुर जिले की द्वितीय शिक्षा श्रेणी की कुल जनसंख्या ने अजमेर जिले की द्वितीय शिक्षा श्रेणी की कुल जनसंख्या की तुलना में प्रथम सेवा का उपयोग ई-गवर्नेंस के आधार पर 6.64% अधिक किया है। जोधपुर जिले में तृतीय शिक्षा श्रेणी की कुल जनसंख्या ने अजमेर जिले की तृतीय शिक्षा श्रेणी की कुल जनसंख्या की तुलना में प्रथम सेवा का उपयोग 1.58% अधिक किया है।

जोधपुर जिले में द्वितीय शिक्षा श्रेणी की कुल जनसंख्या ने प्रथम शिक्षा श्रेणी की कुल जनसंख्या की तुलना में प्रथम सेवा का उपयोग ई – गवर्नेंस के ज़रिये 2.97% अधिक किया है। जोधपुर में द्वितीय शिक्षा श्रेणी की कुल जनसंख्या ने तृतीय शिक्षा श्रेणी की कुल जनसंख्या की तुलना में प्रथम सेवा का उपयोग ई-गवर्नेंस के ज़रिये 1.86% अधिक किया है। जोधपुर जिले में तृतीय शिक्षा श्रेणी की कुल जनसंख्या ने प्रथम शिक्षा श्रेणी की तुलना में प्रथम सेवा का उपयोग ई-गवर्नेंस के ज़रिये 1.11% अधिक किया है।

अजमेर जिले में द्वितीय शिक्षा श्रेणी की कुल जनसंख्या ने प्रथम शिक्षा श्रेणी की कुल जनसंख्या की तुलना में प्रथम सेवा का उपयोग ई-गवर्नेंस के ज़रिये 8.41% अधिक किया है। अजमेर जिले में तृतीय शिक्षा श्रेणी की कुल जनसंख्या ने द्वितीय शिक्षा श्रेणी की कुल जनसंख्या की तुलना में प्रथम सेवा का उपयोग ई-गवर्नेंस के ज़रिये 3.2% अधिक किया है। अजमेर जिले में तृतीय शिक्षा श्रेणी की कुल जनसंख्या ने प्रथम शिक्षा श्रेणी की कुल जनसंख्या की तुलना में प्रथम सेवा का उपयोग 11.61% अधिक किया है।

3.62 शिक्षा श्रेणियों के संदर्भ में द्वितीय सेवा- अनुसंधानकर्ता द्वारा द्वितीय सेवा के संदर्भ में अनुसंधान उपकरण के माध्यम से जोधपुर तथा अजमेर में तीन शिक्षा श्रेणियों के सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा कि क्या उन्होंने ई-गवर्नेंस के माध्यम से शस्त्र, व्यापार अथवा अन्य किसी भी प्रकार का लाइसेंस प्राप्त किया है?

सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता ने यह पाया कि जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली द्वितीय सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से शस्त्र, व्यापार अथवा अन्य किसी भी प्रकार

का लाइसेंस प्राप्त करना है, के संदर्भ में जोधपुर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी की कुल जनसंख्या में से 13.33% द्वितीय शिक्षा श्रेणी की कुल जनसंख्या में से 22.22% तथा तृतीय शिक्षा श्रेणी की कुल जनसंख्या में से 16.67% जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के द्वारा द्वितीय सेवा का उपयोग किया है।

अजमेर जिले में इस संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को सर्वेक्षण के माध्यम से यह तथ्य ज्ञात हुए कि अजमेर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी की कुल जनसंख्या में से 12.5% द्वितीय शिक्षा श्रेणी की कुल जनसंख्या में से 20.59% तथा तृतीय शिक्षा श्रेणी की कुल जनसंख्या में से 14.29% जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के ज़रिये द्वितीय सेवा का उपयोग किया है।

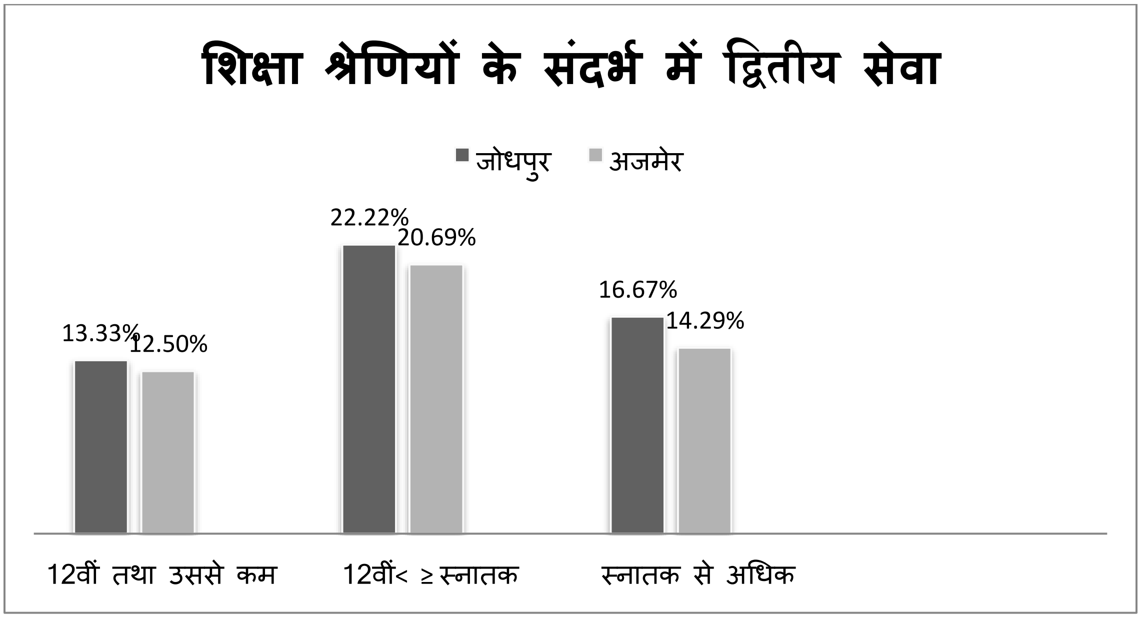

आरेख सं. 3.62

3.63 शिक्षा श्रेणियों के संबंध में द्वितीय सेवा का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से जिला प्रशासन द्वारा ई जिला पायलेट परियोजना का कार्यान्वयन किया गया। इस संदर्भ में द्वितीय सेवा के अंतर्गत शस्त्र, व्यापार अथवा अन्य किसी भी प्रकार के लाइसेंस को ई-गवर्नेंस के द्वारा प्राप्ति के तुलनात्मक अध्ययन में यह तथ्य प्राप्त हुए कि अजमेर जिले की तुलना में जोधपुर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने 0.83% अधिक द्वितीय

सेवा का उपयोग ई-गवर्नेंस के ज़रिये किया है। जोधपुर जिले की द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने अजमेर जिले की द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या से 1.53% अधिक तथा जोधपुर जिले की तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने अजमेर जिले की तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में 2.38% अधिक द्वितीय सेवा का उपयोग ई-गवर्नेंस के ज़रिये किया है।

द्वितीय सेवा के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन में यह भी पाया गया कि जोधपुर जिले में द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में द्वितीय सेवा का उपयोग 8.89% अधिक, जोधपुर जिले में द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में द्वितीय सेवा का उपयोग 5.55% तथा जोधपुर जिले में तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में द्वितीय सेवा का उपयोग ई-गवर्नेंस के जरिये 3.34% अधिक किया है।

अजमेर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने द्वितीय सेवा का उपयोग ई-गवर्नेंस के तहत 8.19% अधिक किया है। अजमेर जिले में तृतीय शिक्षा श्रेणी की तुलना में द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने द्वितीय सेवा का उपयोग ई-गवर्नेंस के तहत 6.4% अधिक किया है। अजमेर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी की तुलना में तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने द्वितीय सेवा का उपयोग ई-गवर्नेंस के तहत 1.79% अधिक किया है।

3.64 शिक्षा श्रेणियों के संदर्भ में तृतीय सेवा- तृतीय सेवा के संबंध में आंकड़ों की प्राप्ति के लिए शोधकर्ता द्वारा अनुसंधान उपकरण के माध्यम से जोधपुर तथा अजमेर जिले में तीन शिक्षा श्रेणीयों के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा कि क्या आपने ई-गवर्नेंस के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित राशन कार्ड की सेवाएं प्राप्त की है? इसमें मुख्य रूप से पॉइंट ऑफ सेल मशीन द्वारा बायोमेट्रिक आधार पर उचित मूल्य की दुकानों (FPS) से अथवा सहकारी समितियों से राशन की प्राप्ति तथा ई-गवर्नेंस के आधार पर राशन कार्ड का निर्माण अथवा उसमें संशोधन शामिल है।

सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता ने यह पाया कि जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली तृतीय सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित राशन

कार्ड की सेवाएं प्राप्त करनी है, के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि जोधपुर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी की 83.33% जनसंख्या, द्वितीय शिक्षा श्रेणी की 59.26% जनसंख्या तथा तृतीय शिक्षा श्रेणी की 50.5% जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित राशन कार्ड की सेवाओं का उपयोग किया है। अजमेर जिले में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि अजमेर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी 81.25% जनसंख्या ने, द्वितीय शिक्षा श्रेणी की 68.97% जनसंख्या ने तथा तृतीय शिक्षा श्रेणी की 42.86% जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित राशन कार्ड की सुविधाओं का उपयोग किया है।

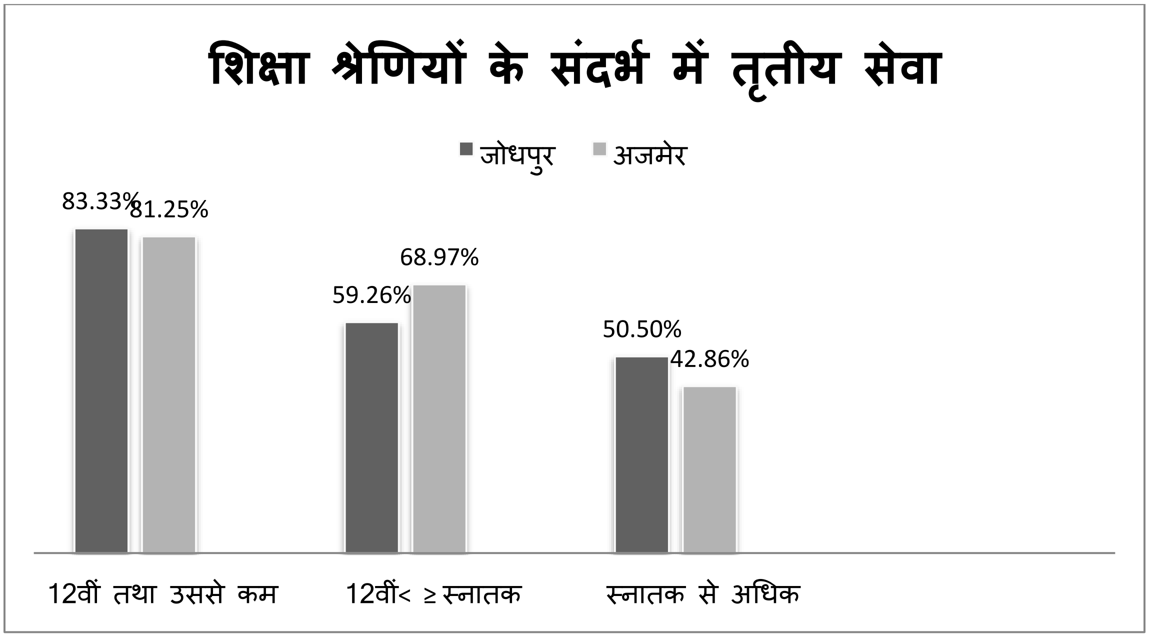

आरेख सं. 3.64

3.65 शिक्षा श्रेणियों के संबंध में तृतीय सेवा का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा ई जिला पायलेट परियोजना का कार्यान्वयन किया गया है, जिसमें तृतीय सेवा के अंतर्गत ई-गवर्नेंस के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित राशन कार्ड की सेवाओं का उपयोग किया जाना है। अनुसंधानकर्ता द्वारा तीन शिक्षा श्रेणियों के आधार पर किए गए सर्वेक्षण में तुलनात्मक अध्ययन में यह तथ्य पाए गए कि

अजमेर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने तृतीय सेवा का उपयोग 2.08% अधिक, जोधपुर जिले की द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने तृतीय सेवा का उपयोग 9.71% अधिक तथा अजमेर जिले की तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने 7.64% अधिक तृतीय सेवा का उपयोग ई-गवर्नेंस के जरिये किया है।

अनुसंधानकर्ता द्वारा इस संदर्भ में यह तथ्य भी पाए गए कि जोधपुर जिले में द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने 24.07% अधिक, तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने 8.76% अधिक तथा तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने 32.83% अधिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित राशन कार्ड की सेवाओं का उपयोग ई-गवर्नेंस के द्वारा किया है।

तृतीय सेवा के संदर्भ में अजमेर जिले में द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने 12.28% अधिक, तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने 26.11% अधिक तथा तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने 38.39% अधिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित राशन कार्ड की सेवा का उपयोग ई-गवर्नेंस के जरिये किया है।

3.66 शिक्षा श्रेणियों के संदर्भ में चतुर्थ सेवा- चतुर्थ सेवा से संबंधित आंकड़ों की प्राप्ति हेतु अनुसंधान उपकरण के माध्यम से अनुसंधानकर्ता द्वारा जोधपुर तथा अजमेर जिले में तीन शिक्षा श्रेणियों के आधार पर सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा कि क्या उन्होंने ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकार के समाज कल्याण से संबंधित योजनाओं जिनमें प्रमुख रुप से वृद्धावस्था, परिवार तथा विधवा पेंशन अथवा अन्य किसी भी प्रकार की योजना का लाभ प्राप्त किया है?

सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता ने यह पाया कि जोधपुर तथा अजमेर में ई जिला पायलेट परियोजना के कार्यान्वयन के अंतर्गत आने वाली चतुर्थ सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के जरिये समाज कल्याण की योजनाओं जिनमें प्रमुख रुप

से वृद्धावस्था, परिवार तथा विधवा पेंशन अथवा अन्य किसी भी प्रकार की योजना का उपयोग करना है के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि जोधपुर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी की 40% जनसंख्या ने, द्वितीय शिक्षा श्रेणी की 29.63% जनसंख्या ने तथा तृतीय शिक्षा श्रेणी की 22.22% जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के द्वारा चतुर्थ सेवा का लाभ प्राप्त किया है।

अजमेर जिले के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को यह तथ्य प्राप्त हुए कि अजमेर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी की 40.63% जनसंख्या ने, द्वितीय शिक्षा श्रेणी श्रेणी की 41.38% जनसंख्या ने तथा तृतीय शिक्षा श्रेणी की 35.71% जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के अंतर्गत समाज कल्याण से संबंधित किसी भी प्रकार की योजना का उपयोग किया है।

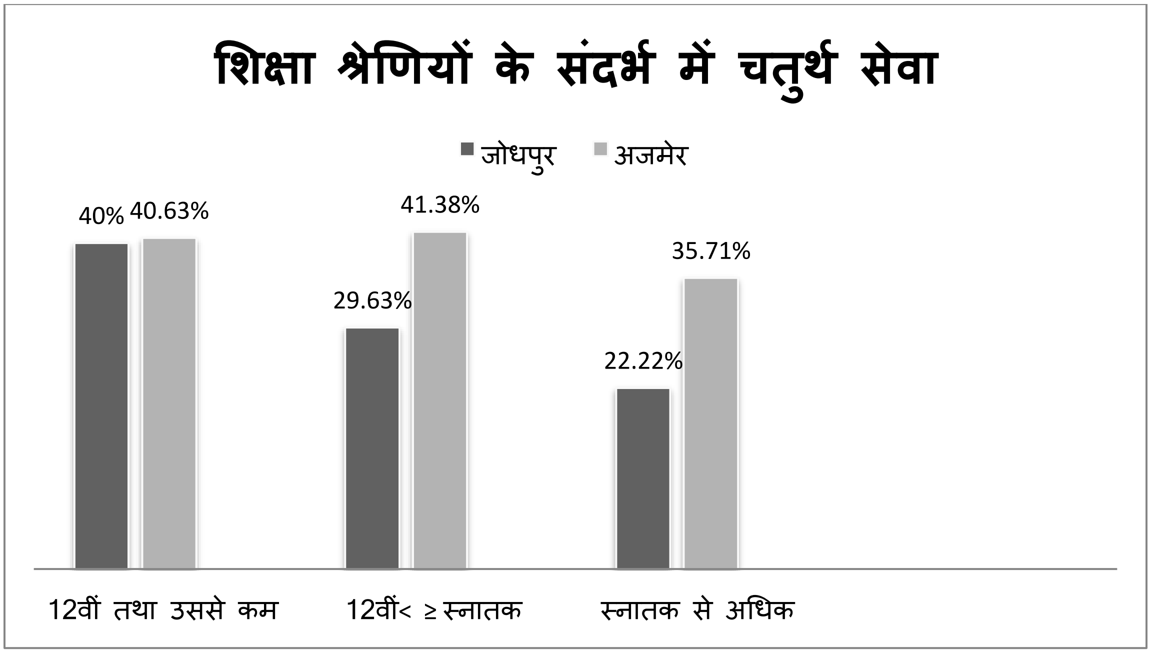

आरेख सं. 3.66

3.67 शिक्षा श्रेणियों के संबंध में चतुर्थ सेवा का तुलनात्मक अध्ययन- राजस्थान सरकार द्वारा जोधपुर तथा अजमेर जिले में संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से जिला प्रशासन की 10 सेवाओं में ई जिला पायलेट परियोजना का कार्यान्वयन किया गया है जिससे संबंधित चतुर्थ सेवा में ई-गवर्नेंस के अंतर्गत समाज कल्याण की योजनाओं जिनमें प्रमुख रूप से वृद्धावस्था, परिवार तथा विधवा पेंशन

अथवा अन्य किसी भी प्रकार की योजना का लाभ प्राप्त किया जाना है, के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने सर्वेक्षण में निम्न तथ्य पाए कि जोधपुर जिले की तुलना में अजमेर जिले की प्रथम शिक्षा श्रेणी की 0.63% अधिक जनसंख्या ने, जोधपुर जिले की द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की द्वितीय शिक्षा श्रेणी की 11.75% अधिक जनसंख्या ने तथा जोधपुर जिले की तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की तृतीय शिक्षा श्रेणी की 13.49% अधिक जनसंख्या ने चतुर्थ सेवा का उपयोग ई-गवर्नेंस के जरिये किया है।

इस संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने निम्न तथ्य भी पाए कि जोधपुर जिले की द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने 10.37% अधिक, तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने 7.41% अधिक तथा तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने 17.78% अधिक ई-गवर्नेंस के जरिये समाज कल्याण की किसी भी प्रकार की योजना उपयोग किया है।

अजमेर जिले में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि अजमेर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी की तुलना में द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने 0.75% अधिक, तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने 5.67% अधिक तथा तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने 4.92% अधिक ई-गवर्नेंस के जरिये समाज कल्याण की किसी भी प्रकार की योजना का लाभ प्राप्त किया है।

3.68 शिक्षा श्रेणियों के संदर्भ में सप्तम सेवा - सप्तम सेवा के संबंध में आंकड़ों की प्राप्ति हेतु शोधकर्ता द्वारा अनुसंधान उपकरण के माध्यम से जोधपुर तथा अजमेर जिले में तीन शिक्षा श्रेणियों की जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या आपने ई-गवर्नेंस के माध्यम से पंजीकरण, भूमि अभिलेख की प्राप्ति तथा ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सेवाएं प्राप्त की है?

सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि जोधपुर तथा अजमेर में ई जिला पायलेट परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित सप्तम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से पंजीकरण, भूमि अभिलेख तथा ड्राइविंग

लाइसेंस हेतु आवेदन जैसी सेवाओं को प्राप्त करना है, के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि जोधपुर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी की 46.67% जनसंख्या ने, द्वितीय शिक्षा श्रेणी की 77.78% जनसंख्या तथा तृतीय शिक्षा श्रेणी की 83.33% जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से सप्तम सेवा से जुड़ी सेवाओं का उपयोग किया है।

जबकि अजमेर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी की 53.13% जनसंख्या ने, द्वितीय शिक्षा श्रेणी की 68.97% जनसंख्या ने तथा तृतीय शिक्षा श्रेणी की 78.57% जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से पंजीकरण, भूमि अभिलेख तथा ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन जैसी किसी भी प्रकार की सेवा का लाभ प्राप्त किया है।

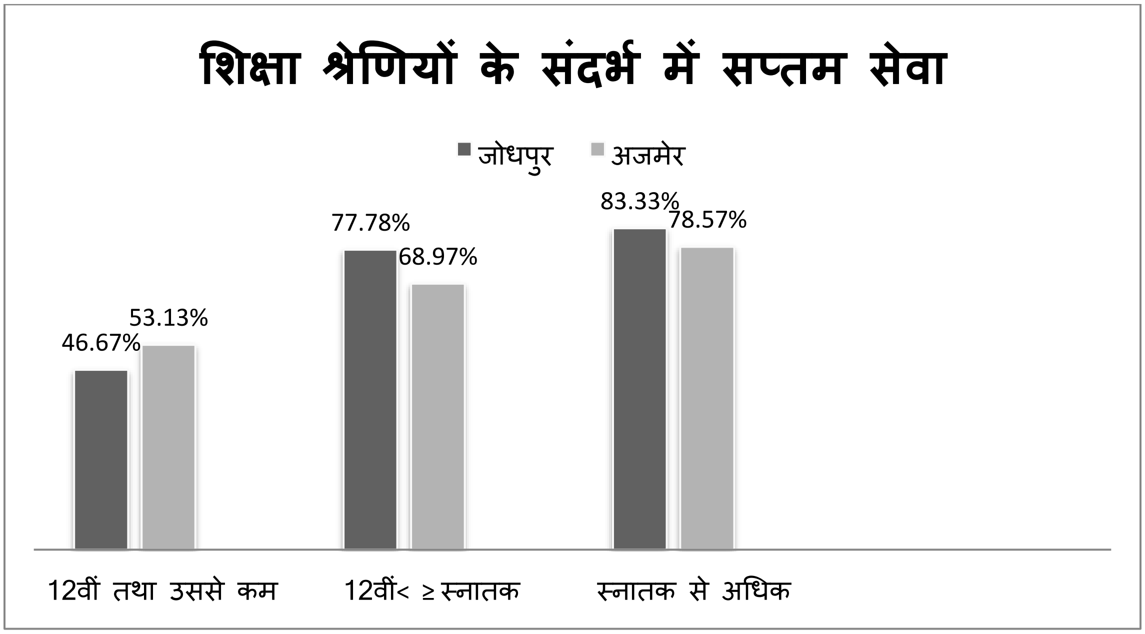

आरेख सं. 3.68

3.69 शिक्षा श्रेणियों के संबंध में सप्तम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली सप्तम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से पंजीकरण, भूमि अभिलेख और ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन जैसी सेवाओं का उपयोग करना है, के आपेक्षिक अध्ययन के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि जोधपुर जिले की प्रथम शिक्षा श्रेणी की तुलना में अजमेर जिले

की प्रथम शिक्षा श्रेणी की 6.46% अधिक जनसंख्या ने, अजमेर जिले की द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की द्वितीय श्रेणी की 8.81% अधिक जनसंख्या ने तथा अजमेर जिले की तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की तृतीय शिक्षा श्रेणी की 4.76% अधिक जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से सप्तम सेवा से संबंधित किसी भी सेवा का उपयोग किया है।

जोधपुर जिले की प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की द्वितीय शिक्षा श्रेणी की 31.11% अधिक जनसंख्या ने, जोधपुर जिले की द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की तृतीय शिक्षा श्रेणी की 5.55% अधिक जनसंख्या ने तथा जोधपुर जिले की प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में तृतीय शिक्षा श्रेणी की 36.66% अधिक जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से पंजीकरण, भूमि अभिलेख और ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन जैसी सुविधाओं का उपयोग किया है।

अजमेर जिले की प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की द्वितीय शिक्षा श्रेणी की 15.84% अधिक जनसंख्या ने, अजमेर जिले की द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की तृतीय शिक्षा श्रेणी की 9.6% अधिक जनसंख्या ने तथा अजमेर जिले की प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में तृतीय शिक्षा श्रेणी की 25.44% अधिक जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से पंजीकरण, भूमि अभिलेख और ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सेवाओं का उपयोग प्राप्त किया है।

3.70 शिक्षा श्रेणियों के संदर्भ में अष्टम सेवा - अष्टम सेवा के संबंध में आंकड़ों की प्राप्ति हेतु अनुसंधान उपकरण के माध्यम से अनुसंधानकर्ता द्वारा जोधपुर तथा अजमेर जिले में तीन शिक्षा श्रेणियों से संबंधित जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या आपके क्षेत्र में सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं के प्रचार व प्रसार के लिए ई-गवर्नेंस का प्रयोग किया जाता है?

अनुसंधानकर्ता ने यह पाया कि जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली अष्टम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों का प्रचार तथा प्रसार किया जाना है, के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि जोधपुर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी की 93.33% जनसंख्या, द्वितीय शिक्षा श्रेणी की 96.3% जनसंख्या तथा तृतीय शिक्षा श्रेणी की 94.44%

जनसंख्या यह मानती है कि उनके क्षेत्र में सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के प्रचार व प्रसार हेतु ई-गवर्नेंस का उपयोग किया जाता है।

इस संदर्भ में अजमेर जिले में सर्वेक्षण में यह तथ्य पाए गए कि अजमेर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी की 96.55% जनसंख्या, द्वितीय शिक्षा श्रेणी की 96.55% जनसंख्या तथा तृतीय शिक्षा श्रेणी की 92.86% जनसंख्या यह मानती है कि उनके क्षेत्र में सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं के प्रचार व प्रसार हेतु ई-गवर्नेंस का प्रयोग किया जाता है।

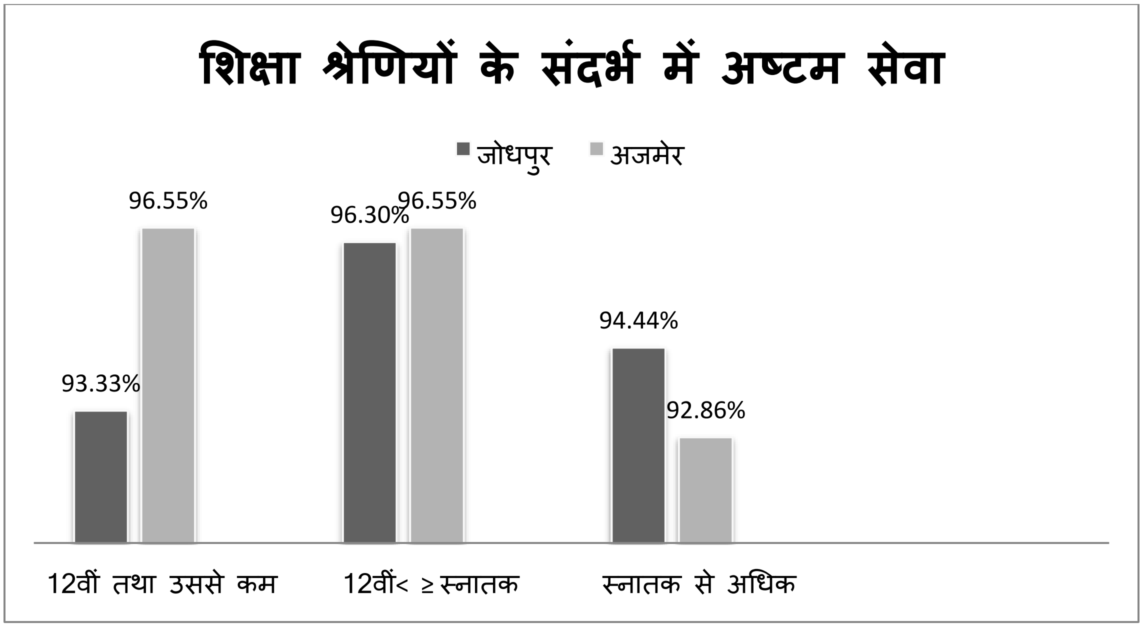

आरेख सं. 3.70

3.71 शिक्षा श्रेणियों के संबंध में अष्टम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन - जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली अष्टम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी योजनाओं का प्रचार व प्रसार किया जाना है के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को यह तथ्य प्राप्त हुए कि जोधपुर जिले की प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 3.22% अधिक, जोधपुर जिले की द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में

अजमेर जिले की द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 0.25% अधिक तथा अजमेर जिले की तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 1.58% अधिक यह मानती है कि उनके क्षेत्र में सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं के प्रचार व प्रसार हेतु ई-गवर्नेंस का प्रयोग किया जाता है।

इसी संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को यह तथ्य भी प्राप्त हुए कि जोधपुर जिले की प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 2.97% अधिक, तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 1.86% अधिक तथा प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 1.11% अधिक यह मानती है कि उनके क्षेत्र में सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं के प्रचार तथा प्रसार के लिए ई-गवर्नेंस का प्रयोग होता है।

अजमेर जिले के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को यह तथ्य प्राप्त हुए की अजमेर जिले की प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या तथा द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या समान रुप से, जबकि तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में प्रथम तथा द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 3.69% अधिक यह मानती है कि सरकार द्वारा उनके क्षेत्र में सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं के प्रचार व प्रसार हेतु ई-गवर्नेंस का प्रयोग किया जाता है।

3.72 शिक्षा श्रेणियों के संदर्भ में नवम सेवा- नवम सेवा के संबंध में आंकड़ों की प्राप्ति हेतु शोधकर्ता द्वारा अनुसंधान उपकरण के माध्यम से जोधपुर तथा अजमेर जिले में विभिन्न शिक्षा श्रेणियों की जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा कि क्या उन्होंने ई-गवर्नेंस के माध्यम से संपत्ति कर अथवा अन्य किसी भी प्रकार के करों का भुगतान किया है?

सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली नवम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से संपत्ति कर अथवा अन्य किसी भी प्रकार के करों का भुगतान किया जाना है, के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि जोधपुर जिले में प्रथम शिक्षा

श्रेणी की 10% जनसंख्या ने, द्वितीय शिक्षा श्रेणी की 25.93% जनसंख्या ने तथा तृतीय शिक्षा श्रेणी की 38.89% जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से नवम सेवा का उपयोग किया है।

इसी संदर्भ में अजमेर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी की 22.88% जनसंख्या ने, द्वितीय शिक्षा श्रेणी की 31.03% जनसंख्या ने तथा तृतीय शिक्षा श्रेणी की 57.14% जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से संपत्ति कर अथवा अन्य किसी भी प्रकार के करों का भुगतान किया है।

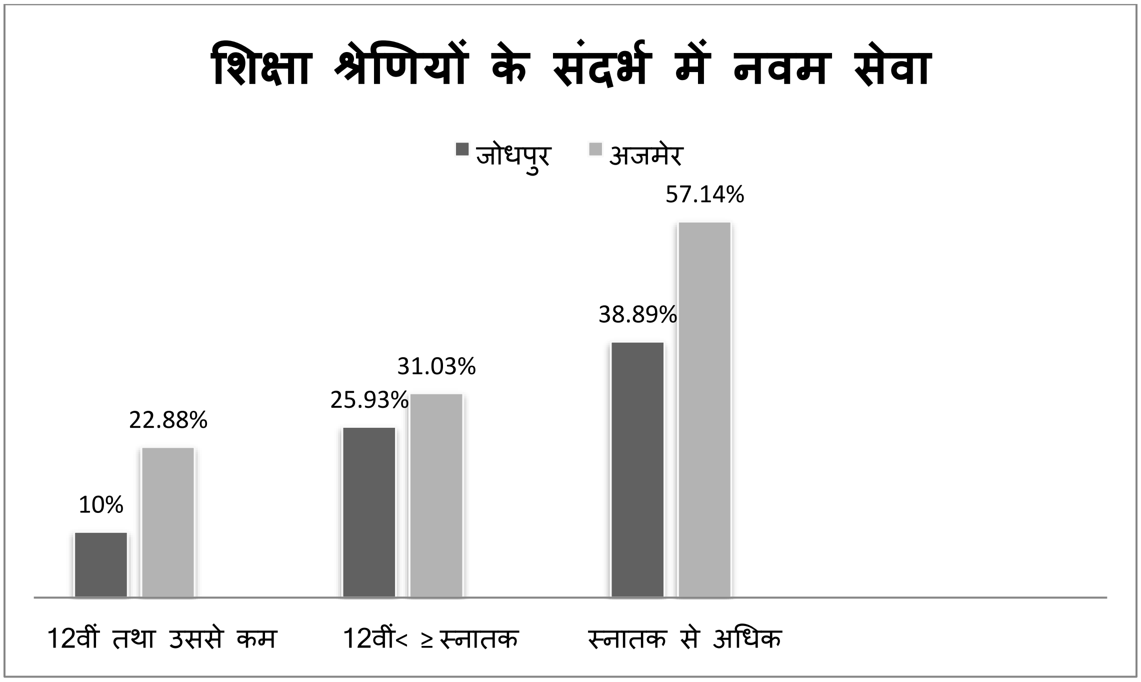

आरेख सं. 3.72

3.73 शिक्षा श्रेणियों के संबंध में नवम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित नवम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से संपत्ति कर अथवा अन्य किसी भी प्रकार के करों का भुगतान किया जाना है, के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को यह तथ्य प्राप्त हुए कि जोधपुर जिले की प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने 12.88% अधिक, जोधपुर जिले की द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की

तुलना में अजमेर जिले की द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने 5.1% अधिक तथा जोधपुर जिले की तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने 18.25% अधिक नवम सेवा का उपयोग ई-गवर्नेंस के जरिये किया है।

इसी संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य भी पाए कि जोधपुर जिले की प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने 15.93% अधिक, द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने 12.96% अधिक तथा प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने 28.89% अधिक ई-गवर्नेंस के माध्यम से संपत्ति कर अथवा अन्य प्रकार के करों का भुगतान किया है।

जबकि अजमेर जिले के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि अजमेर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में द्वितीय श्रेणी की जनसंख्या ने 8.15% अधिक, तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने 26.11% अधिक तथा प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने 34.26% अधिक ई-गवर्नेंस के माध्यम से संपत्ति कर अथवा अन्य प्रकार के करों का भुगतान किया है।

3.74 शिक्षा श्रेणियों के संदर्भ में दसवीं सेवा- दसवीं सेवा के संबंध में आंकड़ों की प्राप्ति हेतु शोधकर्ता द्वारा अनुसंधान उपकरण के माध्यम से जोधपुर तथा अजमेर जिले में विभिन्न शिक्षा श्रेणियों की जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा कि क्या आपने ई-गवर्नेंस के माध्यम से बिजली, पानी अथवा अन्य किसी भी प्रकार के बिलों का भुगतान किया है?

सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित दसवीं सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से बिजली, पानी अथवा अन्य किसी भी प्रकार के बिलों का भुगतान किया जाना है, के संदर्भ में जोधपुर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी की 80% जनसंख्या ने, द्वितीय शिक्षा श्रेणी की 96.3% जनसंख्या ने तथा तृतीय शिक्षा श्रेणी की 94.44% जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से दसवीं सेवा का उपयोग किया है।

जबकि अजमेर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी की 84.38% जनसंख्या ने, द्वितीय शिक्षा श्रेणी की 96.55% जनसंख्या ने तथा तृतीय शिक्षा श्रेणी की 92.86% जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से बिजली, पानी अथवा अन्य किसी भी प्रकार के बिलों का भुगतान किया है।

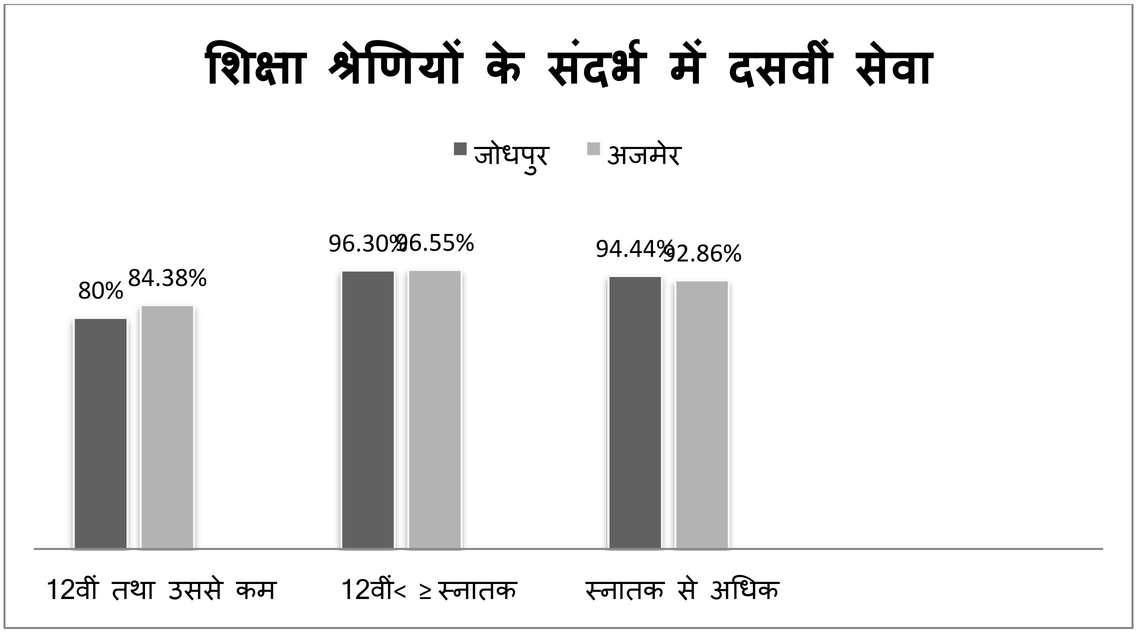

आरेख सं. 3.74

3.75 शिक्षा श्रेणियों के संबंध में दसवीं सेवा का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित दसवीं सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से बिजली, पानी अथवा अन्य किसी भी प्रकार के बिलों का भुगतान किया जाना है, के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि जोधपुर जिले की प्रथम शिक्षा श्रेणी की तुलना में अजमेर जिले की प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने 4.38% अधिक, जोधपुर जिले की द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने 0.16% अधिक तथा अजमेर जिले की तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने 1.58% अधिक, ई-गवर्नेंस के माध्यम से दसवीं सेवा का लाभ उपयोग किया है।

इसी प्रकार जोधपुर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने 16.39% अधिक, जोधपुर जिले की तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने 1.95% अधिक तथा जोधपुर जिले की प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने 14.44% अधिक ई-गवर्नेंस के माध्यम से बिजली, पानी अथवा अन्य किसी भी प्रकार के बिलों का भुगतान किया है।

इसी संदर्भ में अजमेर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने 12.17% अधिक, तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने 3.69% अधिक तथा प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने 8.48% अधिक ई-गवर्नेंस के माध्यम से बिजली, पानी अथवा अन्य किसी भी प्रकार के बिलों का भुगतान किया है।

3.76 आयु के आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण - राजस्थान में जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन की 10 सेवाओं को ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा कार्यान्वित किया गया। शोधकर्ता द्वारा इस संदर्भ में जोधपुर तथा अजमेर जिले में विस्तृत रुप से सर्वेक्षण का कार्य किया गया। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का आयु के आधार पर विश्लेषण निम्न प्रकार से है।

3.77 आयु के आधार पर पांच आयु वर्गों का निर्माण - आयु के आधार पर विश्लेषण करने के लिए अनुसंधानकर्ता ने सूचनादाताओं के 5 आयु वर्ग निर्धारित किए है:-

प्रथम आयु वर्ग- 25 वर्ष तक अथवा उससे कम आयु के सूचनादाता

द्वितीय आयु वर्ग- 26 वर्ष से अधिक तथा 35 वर्ष तक की आयु के सूचनादाता

तृतीय आयु वर्ग- 36 वर्ष से अधिक तथा 45 वर्ष तक की आयु के सूचनादाता

चतुर्थ आयु वर्ग- 46 वर्ष से अधिक तथा 55 वर्ष तक की आयु के सूचनादाता

पंचम आयु वर्ग- 56 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के सूचनादाता

3.78 आयु वर्गों के संदर्भ में प्रथम सेवा - प्रथम सेवा से संबंधित आकड़ों की प्राप्ति हेतु अनुसंधान उपकरण के माध्यम से अनुसंधानकर्ता द्वारा जोधपुर तथा अजमेर जिले में विभिन्न आयु वर्ग के आधार पर सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा कि क्या आपने ई-गवर्नेंस के माध्यम से आय, मूल निवासी, जाति, जन्म, मृत्यु अथवा अन्य किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र (Certificate) प्राप्त किया है?

सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता ने यह पाया कि जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली प्रथम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से आय, मूल निवासी, जाति, जन्म, मृत्यु अथवा अन्य किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त करना है के संदर्भ में जोधपुर में प्रथम आयु वर्ग की 94.44%, द्वितीय आयु वर्ग की 93.33%, तृतीय आयु वर्ग की 94.44%, चतुर्थ आयु वर्ग की 90.91% तथा पंचम आयु वर्ग की 92.31% जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से प्रथम सेवा का उपयोग किया है। अजमेर जिले में प्रथम आयु वर्ग की 86.67% जनसंख्या ने, द्वितीय आयु वर्ग की 88.89% जनसंख्या ने, तृतीय आयु वर्ग की 92.86% जनसंख्या ने, चतुर्थ आयु वर्ग की 85% जनसंख्या ने तथा पंचम आयु वर्ग की 87.5% जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से प्रथम सेवा उपयोग किया है।

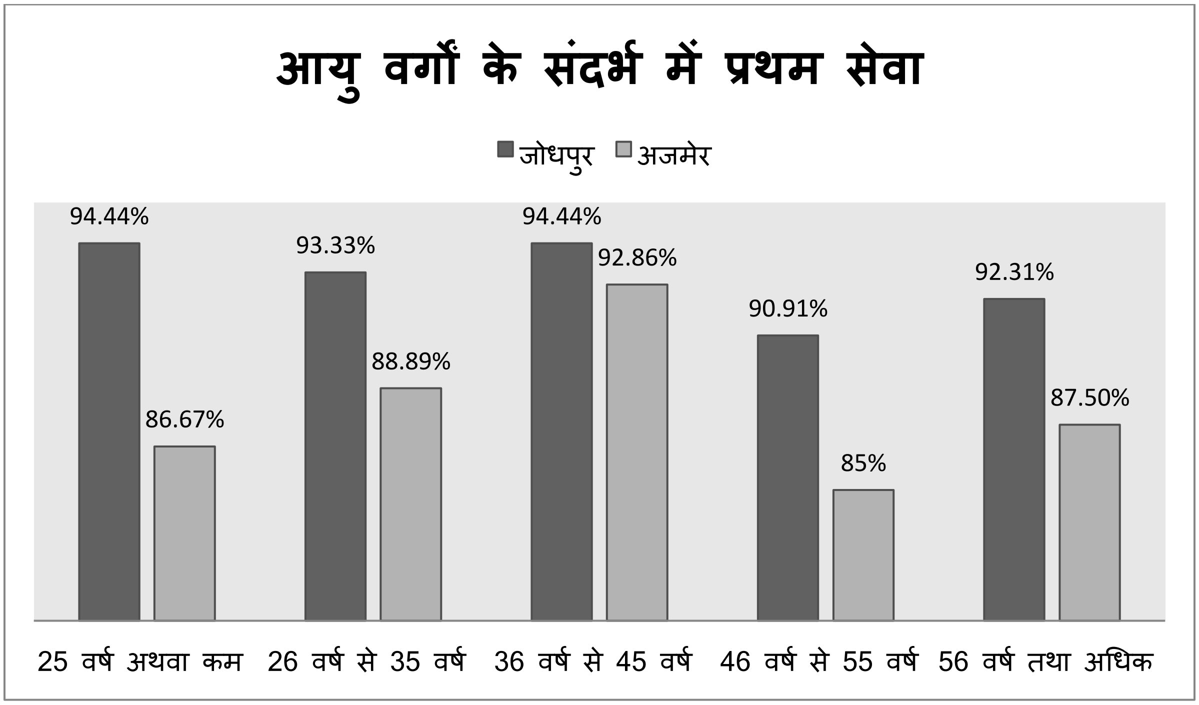

आरेख सं. 3.78

3.79 आयु वर्गों के संबंध में प्रथम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा ई जिला पायलेट परियोजना को कार्यान्वित किया गया। जिसमें प्रथम सेवा के अंतर्गत ई-गवर्नेंस के माध्यम से आय, मूल निवासी, जाति, जन्म, मृत्यु अथवा अन्य किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र (Certificate) प्राप्त किया जाना है। आयु के संदर्भ में विभिन्न वर्गों के आपेक्षिक अध्ययन में यह पाया गया कि जोधपुर जिले में प्रथम आयु वर्ग की जनसंख्या ने अजमेर जिले की प्रथम आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में 7.77% अधिक प्रथम सेवा का उपयोग ई-गवर्नेंस के आधार पर किया है।

अजमेर जिले की द्वितीय आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की द्वितीय आयु वर्ग की जनसंख्या ने 4.44% अधिक प्रथम सेवा का उपयोग ई-गवर्नेंस के आधार पर किया है। जोधपुर जिले की तृतीय आयु वर्ग की जनसंख्या ने अजमेर जिले की तृतीय आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में 1.58% अधिक प्रथम सेवा का उपयोग ई-गवर्नेंस के आधार पर किया है। अजमेर जिले की चतुर्थ आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की चतुर्थ आयु वर्ग की जनसंख्या ने 5.91% अधिक प्रथम सेवा का उपयोग ई-गवर्नेंस के आधार पर किया है तथा जोधपुर जिले की पंचम आयु वर्ग की जनसंख्या ने अजमेर जिले की पंचम आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में प्रथम सेवा का उपयोग ई-गवर्नेंस के आधार पर 4.81% अधिक किया है।

3.80 आयु वर्गों के संदर्भ में द्वितीय सेवा - अनुसंधानकर्ता द्वारा द्वितीय सेवा के संदर्भ में अनुसंधान उपकरण के माध्यम से जोधपुर तथा अजमेर में विभिन्न आयु वर्ग के सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या उन्होंने ई-गवर्नेंस के माध्यम से शस्त्र, व्यापार अथवा अन्य किसी भी प्रकार का लाइसेंस प्राप्त किया है?

सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता ने यह पाया कि जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली द्वितीय सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से शस्त्र, व्यापार अथवा अन्य किसी भी प्रकार का लाइसेंस प्राप्त करना है, के संदर्भ में जोधपुर जिले में प्रथम आयु वर्ग की कुल जनसंख्या में से 5.56% जनसंख्या ने, द्वितीय आयु वर्ग की कुल जनसंख्या में से 13.33% जनसंख्या ने, तृतीय आयु वर्ग की कुल

जनसंख्या में से 27.78% जनसंख्या ने, चतुर्थ आयु वर्ग की कुल जनसंख्या में से 27.27% जनसंख्या ने तथा पंचम आयु वर्ग की कुल जनसंख्या में से 15.38% जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से द्वितीय सेवा का उपयोग किया है।

अजमेर जिले में प्रथम आयु वर्ग की कुल जनसंख्या में से 6.67% जनसंख्या ने, द्वितीय आयु वर्ग की कुल जनसंख्या में से 16.67% जनसंख्या ने, तृतीय आयु वर्ग की कुल जनसंख्या में से 21.43% जनसंख्या ने, चतुर्थ आयु वर्ग की कुल जनसंख्या में से 25% जनसंख्या ने तथा पंचम आयु वर्ग की कुल जनसंख्या में से 12.5% जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से द्वितीय सेवा का उपयोग किया है।

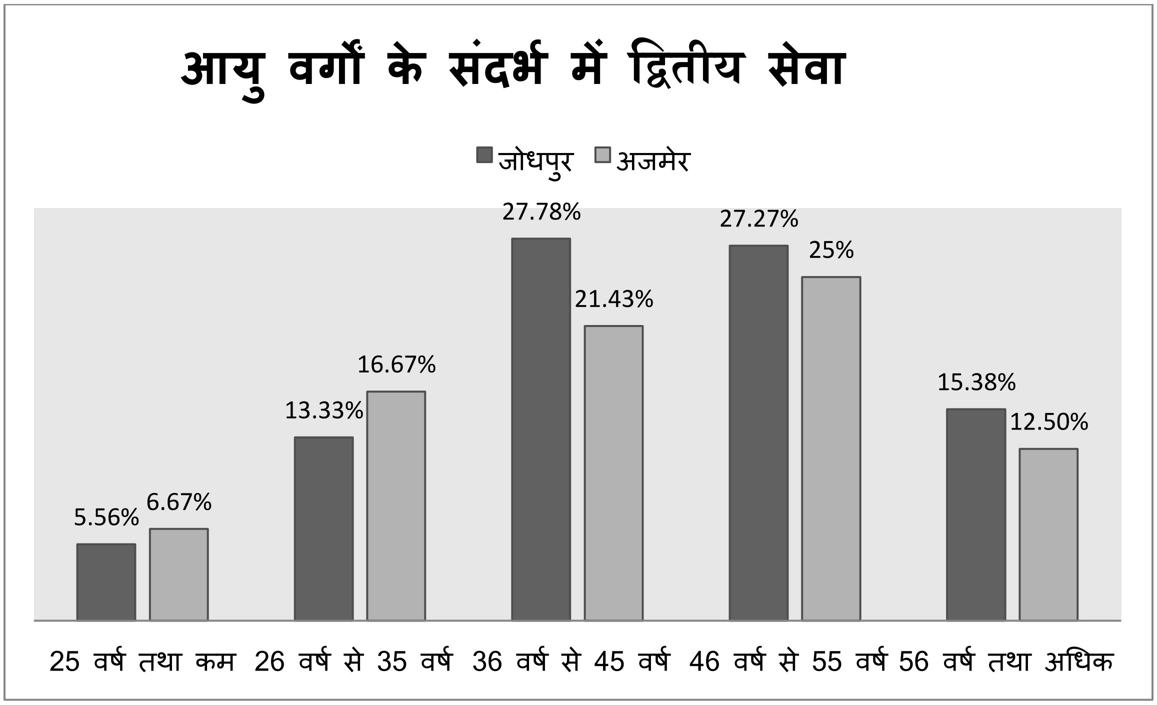

आरेख सं. 3.80

3.81 आयु वर्गों के संबंध में द्वितीय सेवा का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से जिला प्रशासन द्वारा ई जिला पायलेट परियोजना का कार्यान्वयन किया गया। इस संदर्भ में द्वितीय सेवा के अंतर्गत ई-गवर्नेंस के आधार पर शस्त्र, व्यापार अथवा अन्य किसी भी प्रकार के लाइसेंस को प्रदान किया जाना है, के तुलनात्मक अध्ययन के

संदर्भ में अनुसंधानकर्ता द्वारा यह पाया गया कि अजमेर जिले में प्रथम आयु वर्ग की जनसंख्या ने जोधपुर जिले की प्रथम आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में ई-गवर्नेंस के आधार पर द्वितीय सेवा का उपयोग 1.11% अधिक किया है। अजमेर जिले की द्वितीय आयु वर्ग की जनसंख्या ने जोधपुर जिले की द्वितीय आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में ई-गवर्नेंस के आधार पर द्वितीय सेवा का उपयोग 3.34% अधिक किया है।

अनुसंधानकर्ता द्वारा तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में यह पाया गया कि जोधपुर जिले की तृतीय आयु वर्ग की जनसंख्या द्वारा अजमेर जिले के तृतीय आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में द्वितीय सेवा का उपयोग ई-गवर्नेंस के जरिये 6.35% अधिक किया है। जोधपुर जिले की चतुर्थ आयु वर्ग की जनसंख्या द्वारा अजमेर जिले की चतुर्थ आयु वर्ग की तुलना में ई-गवर्नेंस के आधार पर द्वितीय सेवा का उपयोग 2.27% अधिक किया है । जोधपुर जिले की पंचम आयु वर्ग की जनसंख्या द्वारा अजमेर जिले की पंचम आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में द्वितीय सेवा का उपयोग ई-गवर्नेंस के आधार पर 2.88% अधिक किया गया है।

3.82 आयु वर्गों के संदर्भ में तृतीय सेवा - तृतीय सेवा के संबंध में आंकड़ों की प्राप्ति के लिए शोधकर्ता ने अनुसंधान उपकरण के माध्यम से जोधपुर तथा अजमेर जिले में विभिन्न आयु वर्ग के सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा कि क्या आपने ई-गवर्नेंस के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित राशन कार्ड की सेवाएं प्राप्त की है? इसमें मुख्य रूप से पॉइंट ऑफ सेल मशीन द्वारा बायोमेट्रिक आधार पर उचित मूल्य की दुकानों (FPS) से अथवा सहकारी समितियों से राशन की प्राप्ति तथा ई-गवर्नेंस के आधार पर राशन कार्ड का निर्माण अथवा उसमें संशोधन शामिल है।

जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित तृतीय सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित राशन कार्ड की सेवाओं का उपयोग किया जाना है के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता द्वारा विभिन्न आयु वर्गों के परिप्रेक्ष्य में किए गए सर्वेक्षण में यह तथ्य पाए गए कि जोधपुर जिले में प्रथम आयु वर्ग की 72.22% जनसंख्या ने, द्वितीय आयु वर्ग की 60% जनसंख्या ने, तृतीय आयु वर्ग की 61.11% जनसंख्या ने, चतुर्थ आयु वर्ग की 63.64% जनसंख्या ने तथा

पंचम आयु वर्ग की 76.92% जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी राशन कार्ड की सेवाओं का उपयोग किया है।

अजमेर जिले में विभिन्न आयु वर्ग के परिप्रेक्ष्य में किए गए सर्वेक्षण में यह तथ्य पाए गए कि अजमेर जिले में प्रथम आयु वर्ग की 60% जनसंख्या ने, द्वितीय आयु वर्ग की 66.67% जनसंख्या ने, तृतीय आयु वर्ग की 78.57% जनसंख्या ने, चतुर्थ आयु वर्ग की 75% जनसंख्या ने तथा पंचम आयु वर्ग की 62.5% जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी राशन कार्ड की सेवा का उपयोग किया है।

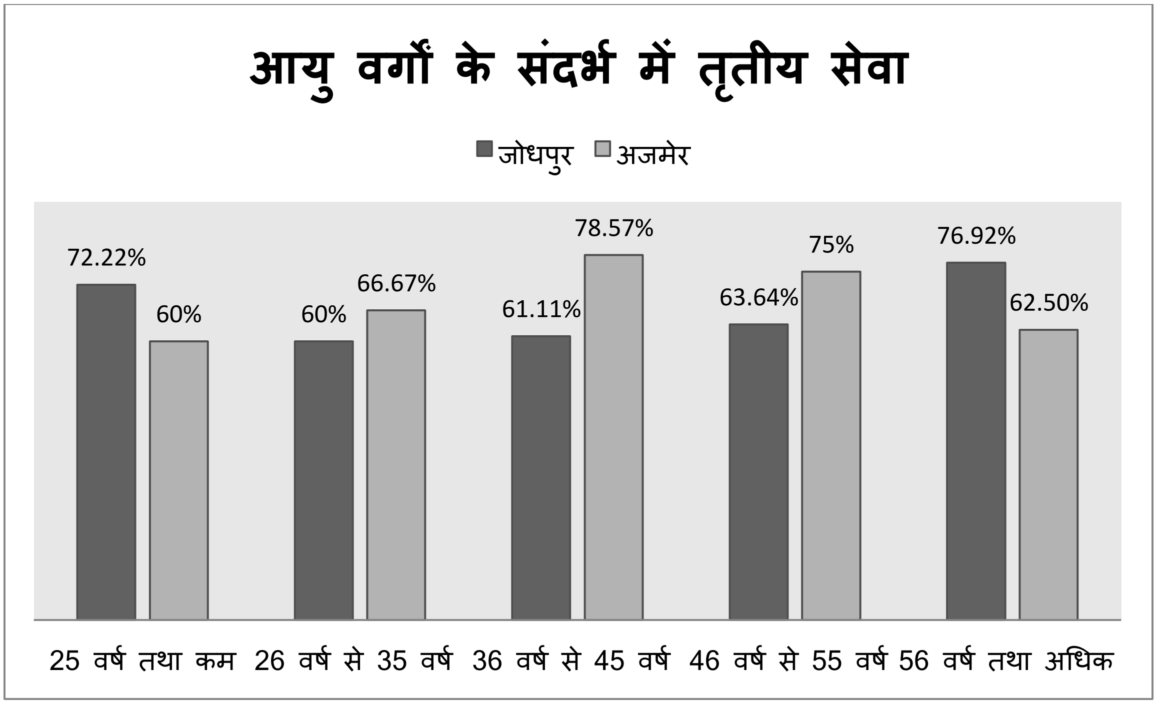

आरेख सं. 3.82

3.83 आयु वर्गों के संबंध में तृतीय सेवा का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलट परियोजना से संबंधित तृतीय सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित राशन कार्ड की सेवाओं का प्रयोग किया जाना है, के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता द्वारा विभिन्न आयु वर्ग के परिप्रेक्ष में किए गए तुलनात्मक अध्ययन में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि अजमेर

जिले के प्रथम आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की प्रथम आयु वर्ग की जनसंख्या ने 12.22% अधिक तृतीय सेवा उपयोग किया है।

जोधपुर जिले की द्वितीय आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की द्वितीय आयु वर्ग की जनसंख्या ने 6.67% अधिक, जोधपुर जिले की तृतीय आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की तृतीय आयु वर्ग की जनसंख्या ने 17.46% अधिक, जोधपुर जिले की चतुर्थ आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की चतुर्थ आयु वर्ग की जनसंख्या ने 11.36% अधिक तथा अजमेर जिले की पंचम आयु वर्ग की जनसंख्या ने जोधपुर जिले की पंचम आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में 14.42% अधिक ई-गवर्नेंस के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी राशन कार्ड की सेवाओं से लाभ प्राप्ति की है।

3.84 आयु वर्गों के संदर्भ में चतुर्थ सेवा - जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना की चतुर्थ सेवा से संबंधित आंकड़ों की प्राप्ति हेतु अनुसंधान उपकरण के माध्यम से अनुसंधानकर्ता द्वारा जोधपुर तथा अजमेर जिले के विभिन्न आयु वर्ग के सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या उन्होंने ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकार के समाज कल्याण से संबंधित योजनाओं जिनमें प्रमुख रुप से वृद्धावस्था, परिवार तथा विधवा पेंशन अथवा अन्य किसी भी प्रकार की योजना का लाभ पाया है।

सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता ने जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित चतुर्थ सेवा जिसके अंतर्गत ई-गवर्नेंस के द्वारा समाज कल्याण की प्रमुख योजनाओं जिनमें वृद्धावस्था, परिवार तथा विधवा पेंशन अथवा अन्य किसी भी प्रकार की योजना का उपयोग करना है के संदर्भ में यह तथ्य पाए कि जोधपुर जिले में प्रथम आयु वर्ग की 50% जनसंख्या ने, द्वितीय आयु वर्ग की 26.67% जनसंख्या ने, तृतीय आयु वर्ग की 16.67% जनसंख्या ने, चतुर्थ आयु वर्ग की 27.27% जनसंख्या ने तथा पंचम आयु वर्ग की 53.85% जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से चतुर्थ सेवा का उपयोग किया है।

शोधकर्ता ने अपने सर्वेक्षण में अजमेर जिले के संदर्भ में यह तथ्य पाए कि अजमेर जिले में प्रथम आयु वर्ग की 53.33% जनसंख्या ने, द्वितीय आयु वर्ग की 33.33% जनसंख्या ने, तृतीय आयु वर्ग की 28.57%

जनसंख्या ने, चतुर्थ आयु वर्ग की 40% जनसंख्या ने तथा पंचम आयु वर्ग की 62.5% जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के द्वारा समाज कल्याण की किसी भी प्रकार की योजना का उपयोग किया है।

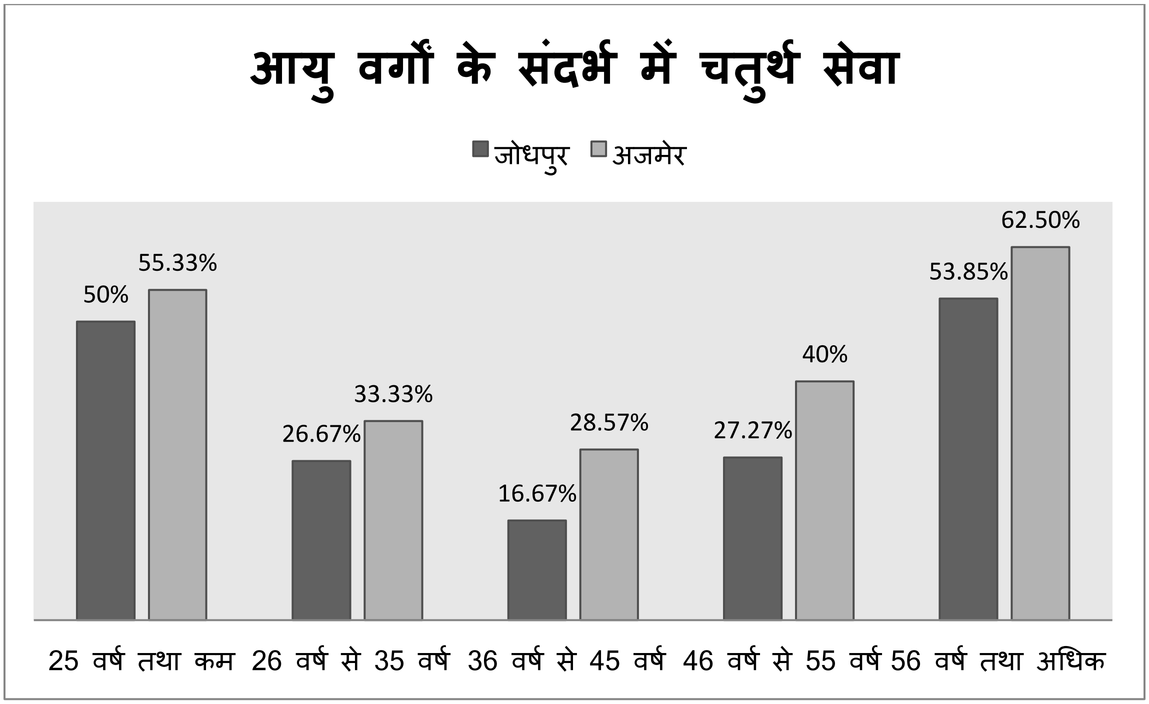

आरेख सं. 3.84

3.85 आयु वर्गों के संबंध में चतुर्थ सेवा का तुलनात्मक अध्ययन - राजस्थान सरकार द्वारा संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना का कार्यान्वयन किया गया है, जिससे संबंधित चतुर्थ सेवा में ई-गवर्नेंस के माध्यम से नागरिकों को समाज कल्याण की योजनाओं जिनमें प्रमुख रूप से वृद्धावस्था, परिवार तथा विधवा पेंशन अथवा अन्य किसी भी प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया जाना है, के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन करने पर अनुसंधानकर्ता ने सर्वेक्षण में यह तथ्य पाए कि जोधपुर जिले के प्रथम आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की प्रथम आयु वर्ग की जनसंख्या ने 3.33% अधिक, जोधपुर जिले के द्वितीय आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले के द्वितीय आयु वर्ग की जनसंख्या ने 6.66% अधिक, जोधपुर जिले के तृतीय आयु वर्ग की

जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की तृतीय आयु वर्ग की जनसंख्या ने 11.9% अधिक चतुर्थ सेवा का लाभ ई-गवर्नेंस के जरिये प्राप्त किया है।

जोधपुर जिले के चतुर्थ आयु वर्ग की तुलना में अजमेर जिले के चतुर्थ आयु वर्ग की जनसंख्या ने 12.73% अधिक तथा जोधपुर जिले के पंचम आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की पंचम आयु वर्ग की जनसंख्या ने 8.65% अधिक ई-गवर्नेंस के जरिये समाज कल्याण की किसी भी प्रकार की योजना का उपयोग किया है।

3.86 आयु वर्गों के संदर्भ में सप्तम सेवा- सप्तम सेवा के संबंध में आंकड़ों की प्राप्ति के लिए शोधकर्ता द्वारा अनुसंधान उपकरण के माध्यम से जोधपुर तथा अजमेर जिले में संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या आपने ई-गवर्नेंस के माध्यम से पंजीकरण, भूमि अभिलेख की प्राप्ति तथा ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन जैसी सेवाएं प्राप्त की है?

सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता ने यह पाया कि जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली सप्तम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से पंजीकरण, भूमि अभिलेख की प्राप्ति तथा ड्राइविंग लाइसेंस हेतु आवेदन जैसी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करना है, के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को यह तथ्य प्राप्त हुए कि जोधपुर जिले में प्रथम आयु वर्ग की 66.67% जनसंख्या ने, द्वितीय आयु वर्ग 73.33% जनसंख्या ने, तृतीय आयु वर्ग की 66.67% जनसंख्या ने, चतुर्थ आयु वर्ग की 72.73% जनसंख्या ने तथा पंचम आयु वर्ग की 53.85% जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से सप्तम सेवा की प्राप्ति की है।

इसी संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को अजमेर जिले में यह तथ्य प्राप्त हुए कि अजमेर जिले में प्रथम आयु वर्ग की 60% जनसंख्या ने, द्वितीय आयु वर्ग की 61.11% जनसंख्या ने, तृतीय आयु वर्ग की 64.29% जनसंख्या ने, चतुर्थ आयु वर्ग की 75% जनसंख्या ने तथा पंचम आयु वर्ग की 50% जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से सप्तम सेवा से संबंधित पंजीकरण, भूमि अभिलेख तथा ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सेवा उपयोग किया है।

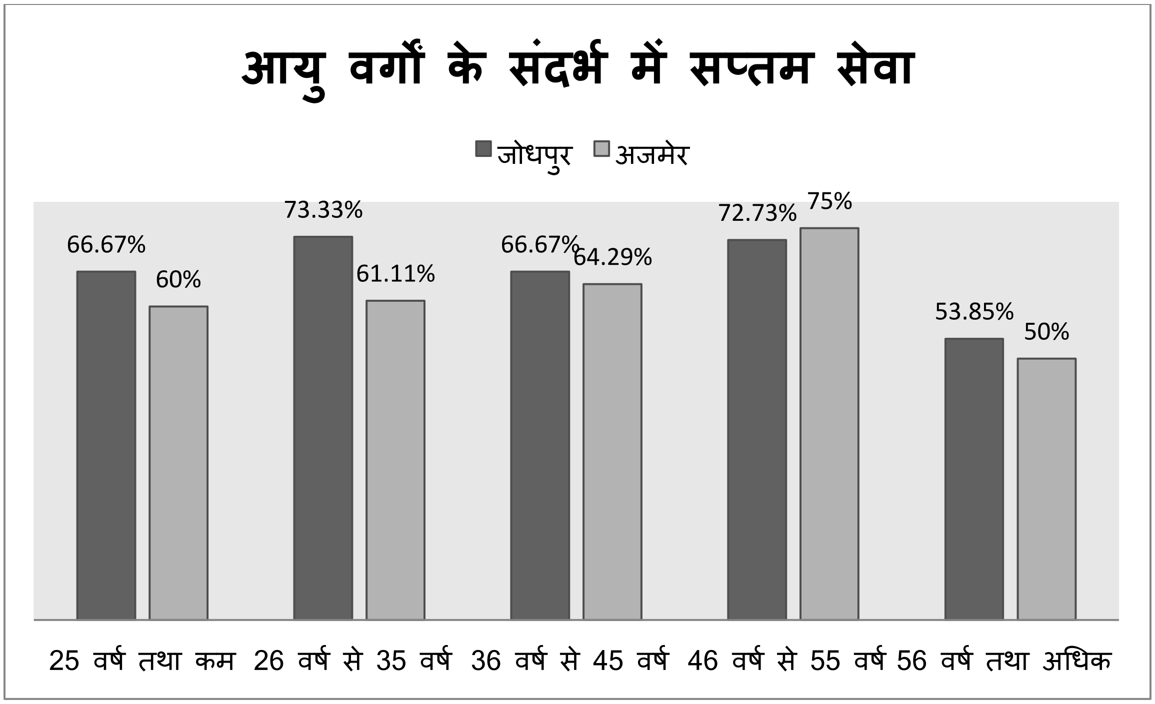

आरेख सं. 3.86

3.87 आयु वर्गों के संबंध में सप्तम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन - जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित सप्तम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से पंजीकरण, भूमि अभिलेख की प्राप्ति तथा ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सेवाओं की प्राप्ति करनी है, के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने यह पाया कि अजमेर जिले की प्रथम आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले के प्रथम आयु वर्ग की 6.67% अधिक जनसंख्या ने, अजमेर जिले की द्वितीय आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की द्वितीय आयु वर्ग की 12.22% अधिक जनसंख्या ने, अजमेर जिले की तृतीय आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की तृतीय आयु वर्ग की 2.38% अधिक जनसंख्या ने, जोधपुर जिले की चतुर्थ आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की चतुर्थ आयु वर्ग की 2.27% अधिक जनसंख्या ने तथा अजमेर जिले की पंचम आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की पंचम आयु वर्ग की 3.85% अधिक जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से पंजीकरण, भूमि अभिलेख की प्राप्ति तथा ड्राइविंग लाइसेंस जैसी किसी न किसी प्रकार की सेवा का उपयोग किया है।

3.88 आयु वर्गों के संदर्भ में अष्टम सेवा - अष्टम सेवा से संबंधित आंकड़ों की प्राप्ति हेतु अनुसंधान उपकरण के माध्यम से अनुसंधानकर्ता द्वारा जोधपुर तथा अजमेर जिले में विभिन्न आयु वर्गों की जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा कि क्या आपके क्षेत्र में सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं के प्रचार तथा प्रसार के लिए ई-गवर्नेंस का प्रयोग किया जाता है?

अनुसंधानकर्ता ने जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली अष्टम सेवा जिसमें सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के प्रचार तथा प्रसार के लिए ई-गवर्नेंस का उपयोग किया जाना है, के संदर्भ में यह तथ्य पाए कि जोधपुर जिले में प्रथम आयु वर्ग की 94.44% जनसंख्या, द्वितीय आयु वर्ग की 93.33% जनसंख्या, तृतीय आयु वर्ग की 94.44% जनसंख्या, चतुर्थ आयु वर्ग की 90.91% जनसंख्या तथा पंचम आयु वर्ग की 92.31% जनसंख्या यह मानती है कि उनके क्षेत्र में सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं के प्रचार तथा प्रसार के लिए ई-गवर्नेंस का उपयोग किया जाता है।

इसी संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने अजमेर जिले में यह तथ्य पाए कि अजमेर जिले में प्रथम आयु वर्ग की 93.33% जनसंख्या, द्वितीय आयु वर्ग की 94.44% जनसंख्या, तृतीय आयु वर्ग की 92.88% जनसंख्या, चतुर्थ आयु वर्ग की 95% जनसंख्या तथा पंचम आयु वर्ग की 87.5% जनसंख्या यह मानती है कि उनके क्षेत्र में सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं के प्रचार तथा प्रसार के लिए ई-गवर्नेंस का उपयोग किया जाता है।

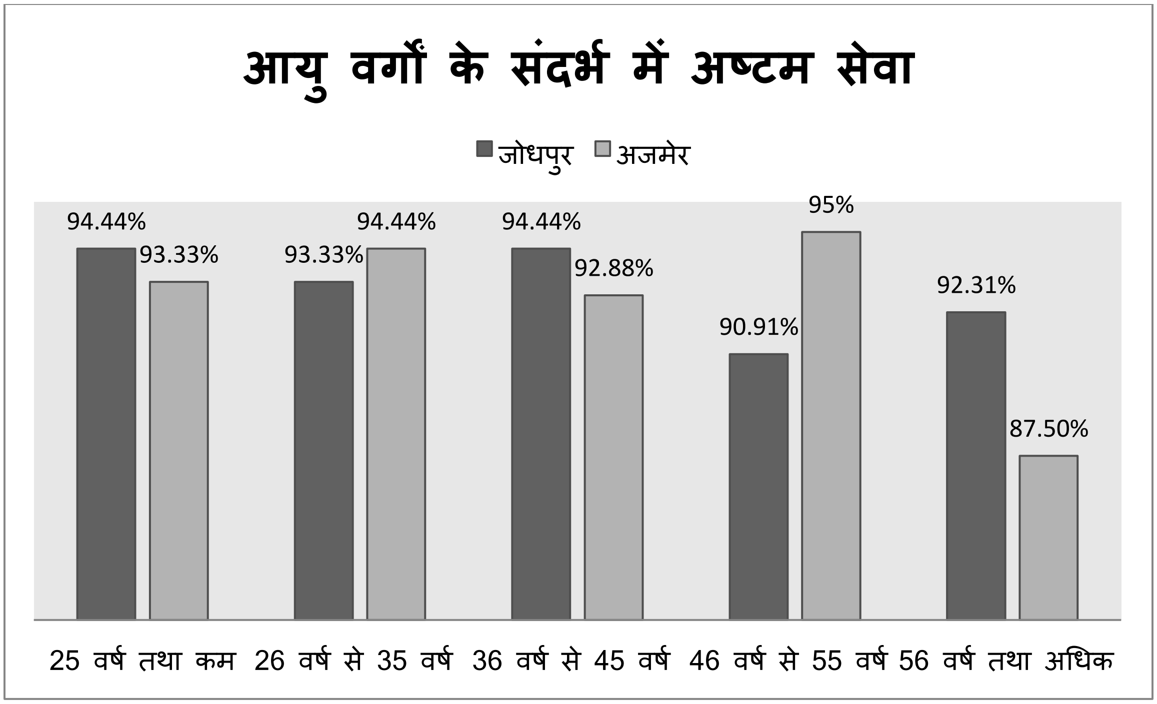

आरेख सं. 3.88

3.89 आयु वर्गों के संबंध में अष्टम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन - जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित अष्टम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों का प्रचार तथा प्रसार किया जाना है, के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि अजमेर जिले की प्रथम आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की प्रथम आयु वर्ग की जनसंख्या 1.11% अधिक, जोधपुर जिले की द्वितीय आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की द्वितीय आयु वर्ग की जनसंख्या 1.11% अधिक, अजमेर जिले की तृतीय आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की तृतीय आयु वर्ग की जनसंख्या 1.56% अधिक, जोधपुर जिले की चतुर्थ आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की चतुर्थ आयु वर्ग की जनसंख्या 4.09% अधिक तथा अजमेर जिले की पंचम आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की पंचम आयु वर्ग की जनसंख्या 4.81% अधिक यह मानती है कि उनके क्षेत्र में सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं के प्रचार तथा प्रसार के लिए ई-गवर्नेंस का उपयोग किया जाता है।

3.90 आयु वर्गों के संदर्भ में नवम सेवा- नवम सेवा के संदर्भ में आंकड़ों की प्राप्ति के लिए शोधकर्ता द्वारा अनुसंधान उपकरण के माध्यम से जोधपुर तथा अजमेर जिले में विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या उन्होंने ई-गवर्नेंस के माध्यम से संपत्ति कर अथवा अन्य किसी भी प्रकार के करों का भुगतान किया है?

जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित नवम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से संपत्ति कर अथवा अन्य प्रकार के करों का भुगतान किया जाना है, से संबंधित सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि जोधपुर जिले में प्रथम आयु वर्ग की 5.56% जनसंख्या ने, द्वितीय आयु वर्ग की 33.33% जनसंख्या ने, चतुर्थ आयु वर्ग की 38.89% जनसंख्या ने, चतुर्थ आयु वर्ग की 27.27% जनसंख्या ने तथा पंचम आयु वर्ग की 15.38% जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से नवम सेवा का उपयोग किया है।

अजमेर के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को यह तथ्य प्राप्त हुए कि अजमेर जिले में प्रथम आयु वर्ग की 6.67% जनसंख्या ने, द्वितीय आयु वर्ग की 44.44% जनसंख्या ने, तृतीय आयु वर्ग की 42.86% जनसंख्या ने, चतुर्थ आयु वर्ग की 40% जनसंख्या ने तथा पंचम आयु वर्ग की 12.5% जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के प्रयोग से नवम सेवा से संबंधित संपत्ति कर अथवा अन्य प्रकार के करों का भुगतान किया है।

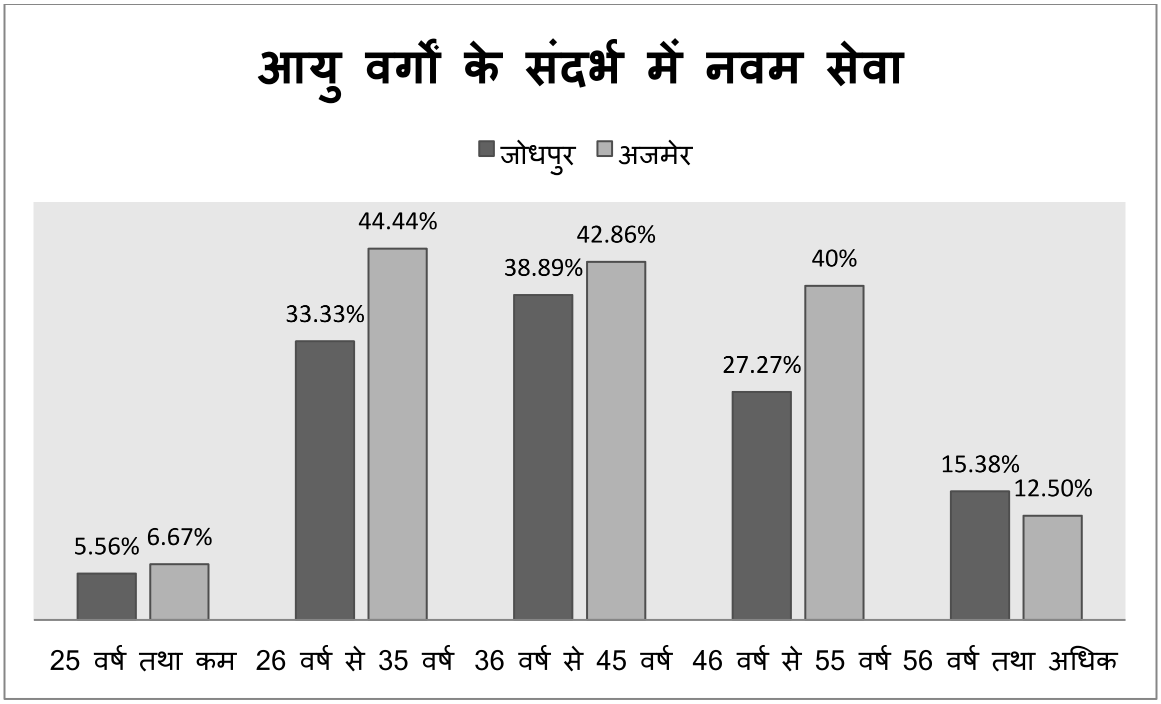

आरेख सं. 3.90

3.91 आयु वर्गों के संबंध में नवम सेवा का तुलनात्मक अध्ययन - जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित नवम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से संपत्ति कर अथवा अन्य प्रकार के करों का भुगतान करना है, के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि जोधपुर जिले की प्रथम आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की प्रथम आयु वर्ग की जनसंख्या ने 1.11% अधिक, जोधपुर जिले की द्वितीय आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की द्वितीय आयु वर्ग की जनसंख्या ने 11.11% अधिक, जोधपुर जिले की तृतीय आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की तृतीय आयु वर्ग की जनसंख्या ने 3.97% अधिक, जोधपुर जिले की चतुर्थ आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की चतुर्थ आयु वर्ग की जनसंख्या ने 12.73% अधिक तथा अजमेर जिले की पंचम आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की पंचम आयु वर्ग की जनसंख्या ने 2.88% अधिक ई-गवर्नेंस के माध्यम से संपत्ति कर अथवा अन्य प्रकार के करों का भुगतान किया है।

3.92 आयु वर्गों के संदर्भ में दसवीं सेवा- दसवीं सेवा के संदर्भ में आंकड़ों की प्राप्ति के लिए शोधकर्ता द्वारा अनुसंधान उपकरण के माध्यम से जोधपुर तथा अजमेर जिले में विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा कि क्या आपने ई-गवर्नेंस के माध्यम से बिजली, पानी अथवा अन्य किसी भी प्रकार के बिलों का भुगतान किया है?

सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली दसवीं सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से बिजली, पानी अथवा अन्य किसी भी प्रकार के बिलों का भुगतान किया जाना है, के संदर्भ में जोधपुर जिले में प्रथम आयु वर्ग की 94.44% जनसंख्या ने, द्वितीय आयु वर्ग की 86.67% जनसंख्या ने, तृतीय आयु वर्ग की 88.89% जनसंख्या ने, चतुर्थ आयु वर्ग 90.91% जनसंख्या ने तथा पंचम आयु वर्ग की 84.62% जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से दसवीं सेवा का उपयोग किया है।

जबकि अजमेर जिले में प्रथम आयु वर्ग की 93.33% जनसंख्या ने, द्वितीय आयु वर्ग की 88.89% जनसंख्या ने, तृतीय आयु वर्ग की 85.71% जनसंख्या ने, चतुर्थ आयु वर्ग की 90% जनसंख्या ने तथा पंचम आयु वर्ग की 87.5% जनसंख्या ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से बिजली, पानी अथवा अन्य किसी भी प्रकार के बिलों का भुगतान किया है।

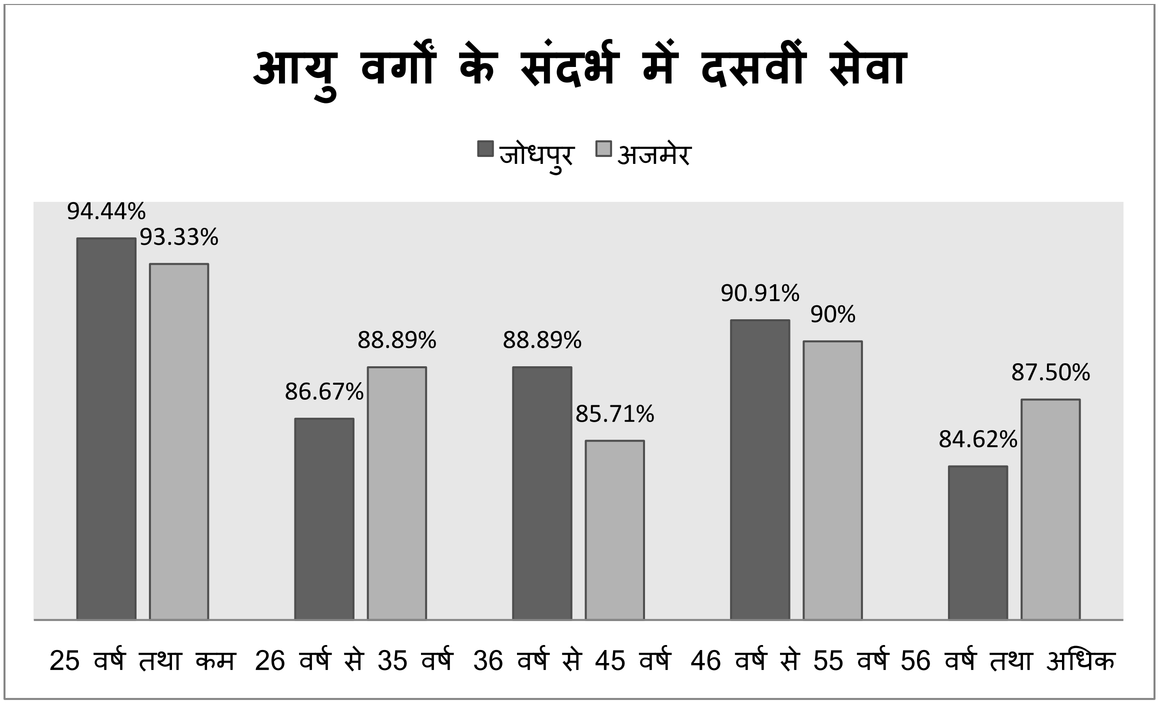

आरेख सं. 3.92

3.93 आयु वर्गों के संबंध में दसवीं सेवा का तुलनात्मक अध्ययन - जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित दसवीं सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से बिजली, पानी अथवा अन्य किसी भी प्रकार के बिलों का भुगतान किया जाना है, के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को यह तथ्य प्राप्त हुए कि अजमेर जिले की प्रथम आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले के प्रथम आयु वर्ग की जनसंख्या ने 1.11% अधिक, जोधपुर जिले की द्वितीय आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की द्वितीय आयु वर्ग की जनसंख्या ने 2.22% अधिक, अजमेर जिले की तृतीय आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की तृतीय आयु वर्ग की जनसंख्या ने 88.89% अधिक, अजमेर जिले की चतुर्थ आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की चतुर्थ आयु वर्ग की जनसंख्या ने 0.91% अधिक, तथा जोधपुर जिले की पंचम आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की पंचम आयु वर्ग की जनसंख्या ने 2.88% अधिक ई-गवर्नेंस के माध्यम से बिजली, पानी अथवा अन्य किसी भी प्रकार के बिलों की अदायगी की है।

चतुर्थ अध्याय

(जोधपुर तथा अजमेर जिले के प्रशासन में नागरिक केन्द्रीयता की तुलनात्मकता)

4.1 नागरिक केन्द्रीयता (Citizen centricity) का अर्थ- नागरिक केन्द्रियता से आशय प्रशासन की नागरिक उन्मुख व्यवस्था से है, जिसकी सेवाओं के केंद्र में नागरिक का सामाजिक कल्याण तथा संतुष्टि है। प्रशासन की कार्यप्रणाली, प्रक्रिया तथा सेवाओं के वितरण का तरीका इस प्रकार का हो कि नागरिक बड़ी सहजता व सुलभता से सेवाओं प्राप्त कर सके।

नागरिक केन्द्रीयता पर जवाहर लाल नेहरू के विचार "Administration is meant to achieve something, and not to exist in some kind of an ivory tower, following certain rules of procedure and, Narcissus-like, looking on itself with complete satisfaction. The test after all is the human beings and their welfare." (March 29, 1954).

4.2 नागरिक केन्द्रित प्रशासन के गुण- नागरिक केन्द्रित प्रशासन की कार्यक्षमता अधिक होती है, जिससे सेवाओं का त्वरित तथा प्रभावी वितरण किया जाता है। प्रशासनिक संगठन की कार्यक्षमता अधिक होने से कम समय में व्यापक स्तर पर जन समूह को सेवाऐं प्रदान की जाती है, जिससे संगठन में प्रभावशीलता का गुण स्थापित होता है तथा जनता का प्रशासनिक संगठन तथा सरकार में विश्वास उत्पन्न होता है।

नागरिक केन्द्रित प्रशासन में पादर्शिता का गुण होता है जिससे जनता अपने कार्यों, सेवाओं तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुडी जानकारी को सरलता व सुलभता से प्राप्त कर सकती है। नागरिक केन्द्रित प्रशासन का शिकायत निरोध तंत्र सरल तथा प्रभावी होता है जिससे जनता की शिकायतों का शीघ्र तथा उचित समाधान हो जाता है।

नागरिक केन्द्रित प्रशासन में प्रशासन द्वारा सेवाओं का वितरण तथा योजनाओं का कार्यान्वयन जनता की सहभागिता से किया जाता है तथा इस लोक सहभागिता को प्राप्त करने के लिये प्रशासन द्वारा सेवाओं तथा योजनाओं के सन्दर्भ में सूचनाओं का प्रसार किया जाता है।

नागरिक केन्द्रित प्रशासन संगठन के अन्दर तथा समाज में लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं को बढ़ाने का प्रयास करता है। प्रशासनिक संगठनों में प्रत्यायोजन द्वारा सत्ता तथा उत्तरदायित्व का स्पष्ठ विभाजन होता है तथा हर एक स्तर पर पदाधिकारीयों तथा कर्मचारियों की जवाबदेयता सुनिश्चित होती है।

नागरिक केन्द्रित प्रशासन में परिवर्तनात्मकता का गुण पाया जाता है अर्थात प्रशासन आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से संगठन को अध्यतन बनाये रखते हुए सेवाओं का वितरण करते हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने से प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण हो जाता है जिससे आम जनता सहजता से इनका लाभ प्राप्त कर सकती है।

नागरिक केन्द्रित प्रशासन में मूल्यांकन तथा मॉनिटरिंग की नियमितता रहती है तथा प्रशासकों का ध्यान परिणामों पर केन्द्रित रहता है जिससे प्रशासन में एक प्रभावशाली नियंत्रण व्यवस्था विद्यमान रहती है। नागरिक केन्द्रित प्रशासन लक्ष्य तथा परिणाम केन्द्रित होकर ग्राहक उन्मुखता की भावना से कार्य करता है।

नागरिक केन्द्रित प्रशासन में नैतिकता तथा मूल्यों का समावेश होता है तथा ऐसा प्रशासन सदाचार की भावना के साथ सेवाओं का वितरण करता है तथा नागरिक केन्द्रित प्रशासन (Citizen centric administration) में कार्मिकों द्वारा आचार संहिता (Code of conduct) के अनुरूप व्यवहार किया जाता है।

नागरिक केन्द्रीयता को प्राप्त करने के लिये प्रशासन को गुड गवर्नेंस की संकल्पना के अनुरूप कार्य करने की आवश्यकता होती है। सुशासन का सामान्य अर्थ है 'अच्छा शासन' अर्थात हमारी प्रशासनिक व्यवस्था लोक हित में लक्ष्योन्मुख होकर कार्य करे जिससे अवधारित परिणामों को अर्जित किया जा सके।

4.3 जोधपुर तथा अजमेर जिले में नागरिक केन्द्रीयता का स्तर- भारत सरकार के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत 16 राज्यों के 41 जिलों में ई जिला पायलेट परियोजना का कार्यान्वयन राज्य की सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकार के वित्तीय सहयोग से किया गया। राजस्थान के जोधपुर तथा अजमेर जिले का चयन ई जिला पायलेट परियोजना के पायलेट अध्ययन हेतु किया गया। भारत सरकार द्वारा जोधपुर तथा अजमेर जिले का ई जिला पायलेट परियोजना के लिये वर्ष 2010 में चयन किया गया था तथा वित्तीय वर्ष 2013–14

के अंत तक राजस्थान सरकार इस परियोजना को क्रियान्वित कर सकी है। भारत में पूर्व के अध्ययनों में यह पाया गया है कि जब भी ई-गवर्नेंस से जुड़े प्रयोग किये गये हैं, उससे प्रशासन के विभिन्न पहलुओं में अंतर आया है जिसके फलस्वरूप नागरिक केन्द्रीयता के स्तर में भी परिवर्तन आया है। चतुर्थ अध्याय में यह अध्ययन किया जायेगा कि जोधपुर तथा अजमेर में ई जिला पायलेट परियोजना के कार्यान्वयन से नागरिक केन्द्रीयता (Citizen centricity) का स्तर कितना प्राप्त हुआ है।

जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के स्तर को जानने के लिए अनुसंधानकर्ता ने सर्वेक्षण हेतु अपने अनुसंधान उपकरण में नागरिक केंद्रीयता के सात घटकों का समावेश किया है, जो निम्न है-

1. सरकारी सेवाओं की सही समय पर प्रदायगी
2. सरकारी सेवाओं को प्राप्त करने में नागरिकों के समय तथा धन की बचत
3. प्रशासन की नागरिकों के प्रति ग्राहक सेवा की भावना में वृद्धि
4. प्रशासन द्वारा नागरिकों की शिकायतों का सही समय पर समाधान
5. सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं की नागरिकों तक सही समय पर पहुँच
6. सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों में नागरिकों की भागीदारी
7. सरकारी कार्यालयों के कार्यों में पारदर्शिता

शोधकर्ता द्वारा नागरिक केन्द्रीयता के स्तर को जानने के लिये अनुसंधान उपकरण के माध्यम से आंकड़ों का संग्रहण किया गया। अनुसंधान उपकरण का तृतीय भाग रेटिंग स्केल के आधार पर बनाया गया, जिसमें उपरोक्त नागरिक केंद्रीयता के सात घटकों से संबंधित सात प्रश्नों का समावेश था। सूचनादाताओं से प्राप्त प्रतिक्रिया का सांख्यिकी आधार पर विश्लेषण करने से जोधपुर तथा अजमेर जिले में नागरिक केंद्रीयता का स्तर प्राप्त हुआ।

4.4 संपूर्ण जनसंख्या के आधार पर नागरिक केन्द्रीयता का विश्लेषण- राजस्थान में जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन की 10 सेवाओं को ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा कार्यान्वित किया गया है । शोधकर्ता द्वारा ई-गवर्नेंस के क्रियान्वयन के फलस्वरूप उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के स्तर को जानने के लिए जोधपुर तथा अजमेर जिले में विस्तृत रुप से सर्वेक्षण का कार्य किया गया। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का सम्पूर्ण जनसंख्या के सन्दर्भ में विश्लेषण निम्न प्रकार से है।

4.5 संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का प्रथम घटक- जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा जिले की 10 सेवाओं में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के प्रथम घटक के स्तर को जानने के लिए जोधपुर तथा अजमेर जिले में संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या पहले की अपेक्षा सरकार द्वारा आपको सही समय पर सेवाओं की प्रदायगी हो रही है?

इस संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने सर्वेक्षण में यह तथ्य पाए कि जोधपुर तथा अजमेर में ई जिला पायलेट परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के प्रथम घटक के संदर्भ में जोधपुर जिले में 96% जनसंख्या यह मानती है कि ई जिला पायलेट परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात पहले की तुलना में सरकार द्वारा सही समय पर सेवाओं की प्रदायगी बढ़ी है। अजमेर जिले की 93.07% जनसंख्या यह मानती है कि ई जिला पायलेट परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात पहले की तुलना में सरकार द्वारा सही समय पर सेवाओं की प्रदायगी बढ़ी है।

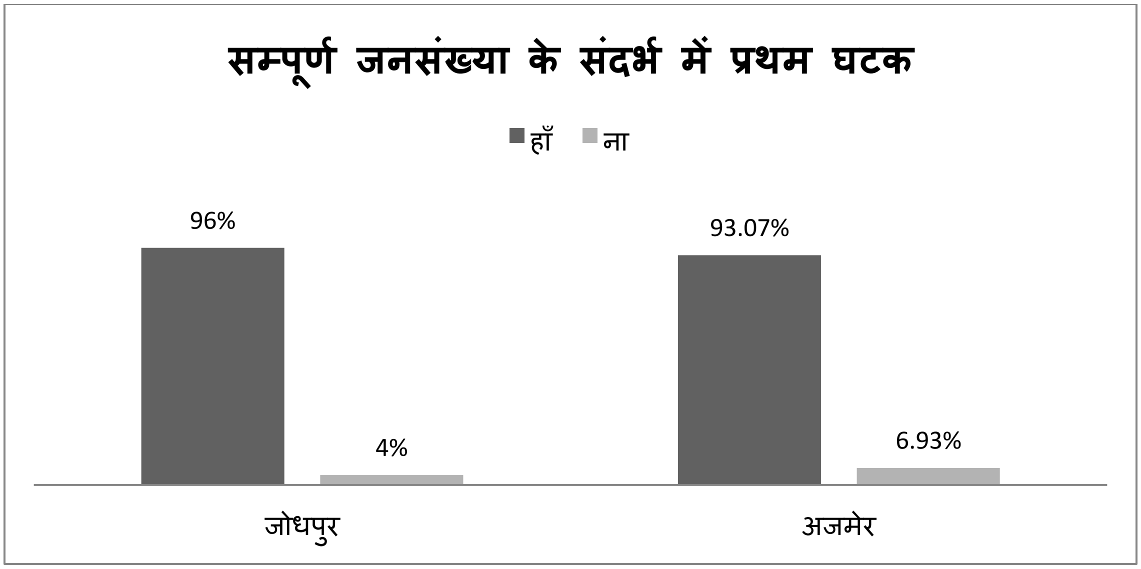

आरेख सं. 4.5

4.6 संपूर्ण जनसंख्या के संबंध में प्रथम घटक का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के प्रथम घटक तत्व जिसमें नागरिकों को सरकार द्वारा सेवाओं की सही समय पर प्रदायगी का अध्ययन किया जाना है, के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि अजमेर जिले की तुलना में जोधपुर जिले की 2.93% अधिक जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकार द्वारा उन्हें सेवाओं की सही समय पर प्रदायगी बढ़ी है।

4.7 संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का द्वितीय घटक- जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा जिले की 10 सेवाओं में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के द्वितीय घटक के स्तर को जानने के लिए अनुसंधानकर्ता द्वारा जोधपुर तथा अजमेर जिले में संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा कि क्या पहले की तुलना में उनके द्वारा सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में उनके समय तथा धन की बचत बढ़ी है?

इस संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने सर्वेक्षण में यह तथ्य पाए कि जोधपुर तथा अजमेर में ई जिला पायलेट परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के द्वितीय घटक के संदर्भ में जोधपुर जिले की

89.60% जनसंख्या, जबकि अजमेर जिले की 87.47% जनसंख्या यह मानती है कि ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात पहले की तुलना में सरकारी सेवाओं की लाभ प्राप्ति में उनके समय और धन की बचत अधिक हो रही है।

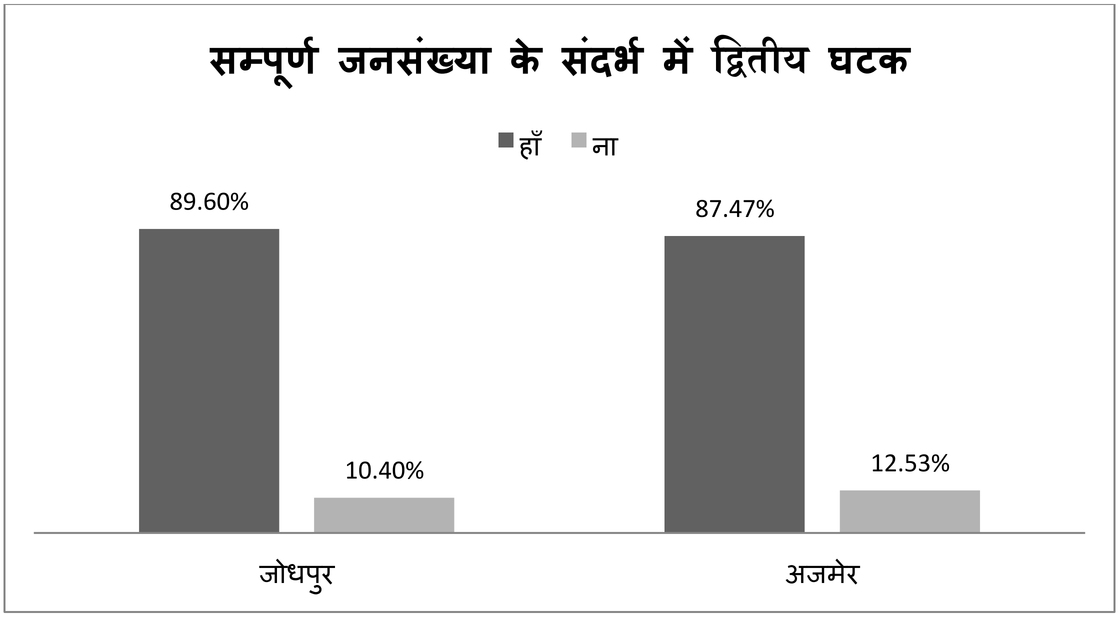

आरेख सं. 4.7

4.8 संपूर्ण जनसंख्या के संबंध में द्वितीय घटक का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के द्वितीय घटक तत्व जिसमें नागरिकों को पहले की तुलना में सरकारी सेवाओं की लाभ प्राप्ति में समय तथा धन की बचत का अध्ययन किया जाना है, के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि अजमेर जिले की तुलना में जोधपुर जिले की 2.13% अधिक जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकार द्वारा सेवाओं की प्रदायगी में उनके समय तथा धन की बचत बढ़ी है।

4.9 संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का तृतीय घटक- जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा जिले की 10 सेवाओं में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न

नागरिक केंद्रीयता के तृतीय घटक के स्तर को जानने के लिए जोधपुर तथा अजमेर जिले में संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह यह प्रश्न पूछा गया कि क्या पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन की आपके प्रति ग्राहक सेवा की भावना बढ़ी है?

इस संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने सर्वेक्षण में यह तथ्य पाए कि जोधपुर तथा अजमेर में ई जिला पायलेट परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केन्द्रीयता के तृतीय घटक के संदर्भ में जोधपुर की 75.20% जनसंख्या तथा अजमेर की 76.53% जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन की उनके प्रति ग्राहक सेवा की भावना बढ़ी है।

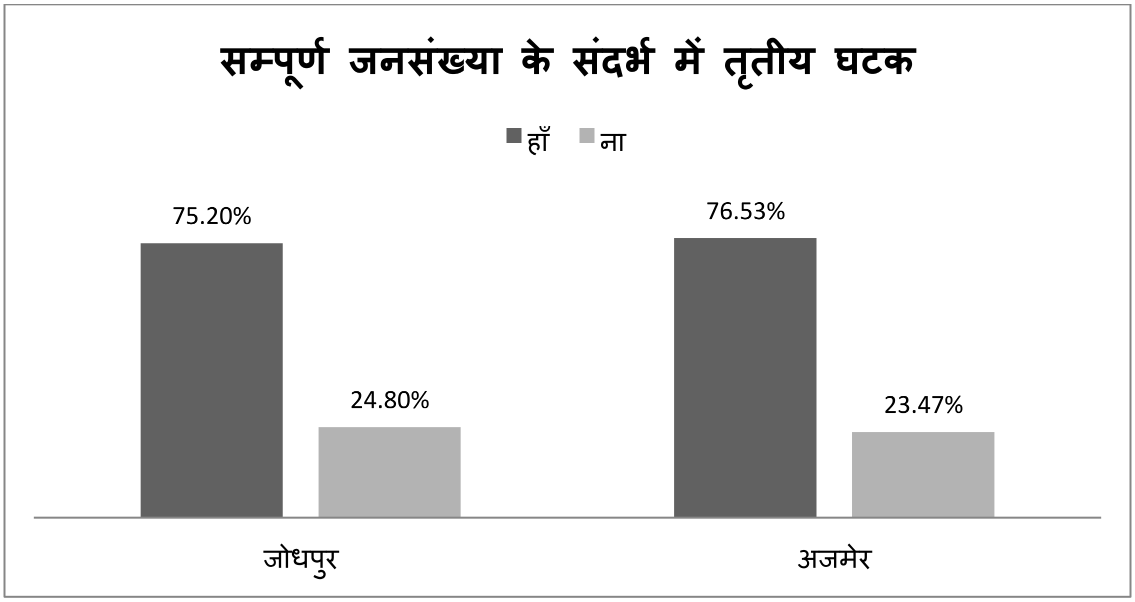

आरेख सं. 4.9

4.10 संपूर्ण जनसंख्या के संबंध में तृतीय घटक का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के तृतीय घटक, जिसमें सरकारी प्रशासन की नागरिकों के प्रति ग्राहक सेवा की भावना के बढ़ने का अध्यन किया जाना है, के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि जोधपुर जिले की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की

1.33% अधिक जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन की उनके प्रति ग्राहक सेवा की भावना बढ़ी है।

4.11 संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का चतुर्थ घटक- जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा जिले की 10 सेवाओं में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के चतुर्थ घटक के स्तर को जानने के लिए जोधपुर तथा अजमेर जिले में संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन द्वारा आपकी शिकायतों का सही समय पर समाधान किया जा रहा है?

जोधपुर तथा अजमेर में ई जिला पायलेट परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात अनुसंधानकर्ता द्वारा किए गए सर्वेक्षण में यह तथ्य प्राप्त किये गए कि नागरिक केंद्रीयता के चतुर्थ घटक के संदर्भ में जोधपुर की 80.53% तथा अजमेर की भी 80.53% जनसंख्या समान रुप से यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन द्वारा उनकी शिकायतों का सही समय पर समाधान करने की प्रवृत्ति बढ़ी है।

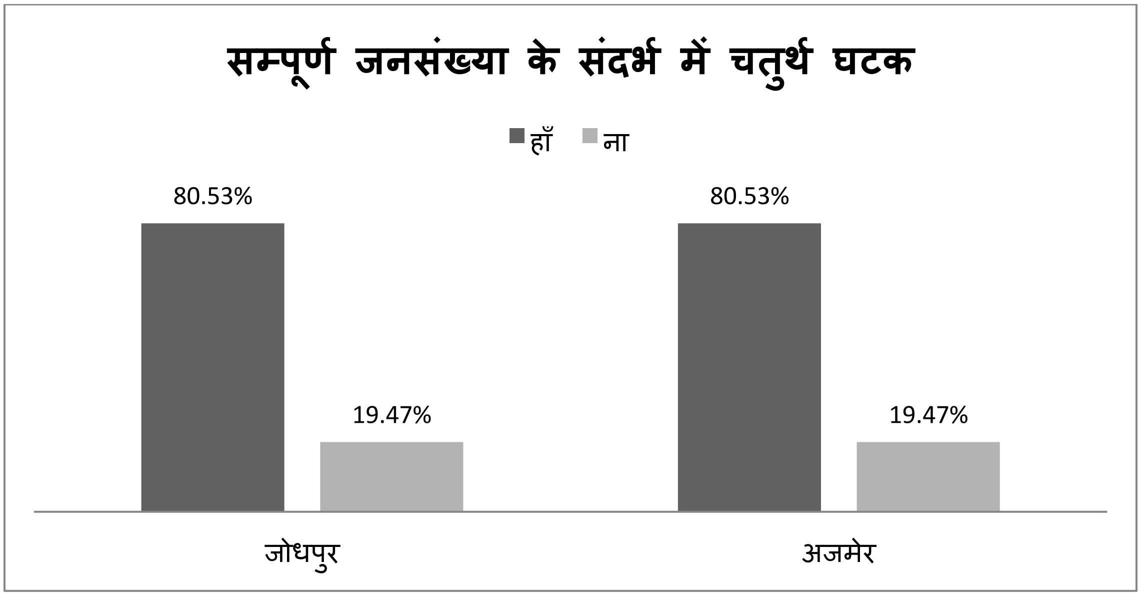

आरेख सं. 4.11

4.12 संपूर्ण जनसंख्या के संबंध में चतुर्थ घटक का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित चतुर्थ घटक के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि जोधपुर तथा अजमेर जिले की जनसंख्या समान रूप से यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन द्वारा उनकी शिकायतों का सही समय पर समाधान करने की प्रवृत्ति बढ़ी है।

4.13 संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का पंचम घटक- जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा जिले की 10 सेवाओं में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के पंचम घटक के स्तर को जानने के लिए जोधपुर तथा अजमेर जिले में संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन द्वारा सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं की जानकारी आप तक सही समय पर पहुंचायी जा रही है?

अनुसंधानकर्ता ने सर्वेक्षण में यह तथ्य पाए कि जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता से संबंधित पंचम घटक के संदर्भ में जोधपुर की 90.67% तथा अजमेर की 92.80% जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन द्वारा सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं की जानकारी उन तक सही समय पर पहुंचायी जा रही है।

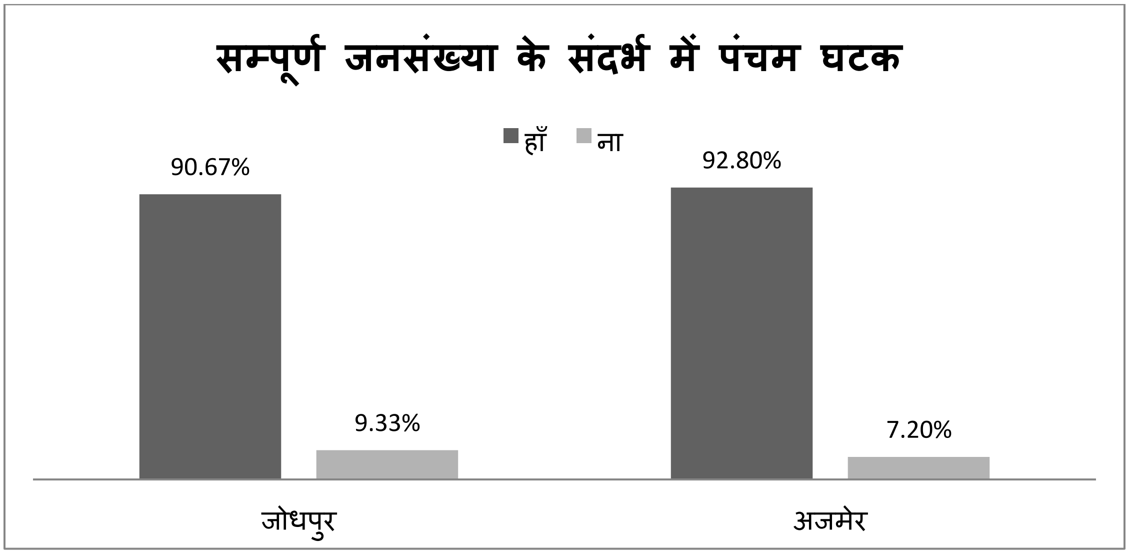

आरेख सं. 4.13

4.14 संपूर्ण जनसंख्या के संबंध में पंचम घटक का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से उत्पन्न नागरिक केन्द्रीयता से संबंधित पंचम घटक के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को तुलनात्मक रुप से यह तथ्य प्राप्त हुए कि जोधपुर जिले की तुलना में अजमेर जिले की जनसंख्या 2.13% अधिक यह मानती है कि सरकारी प्रशासन द्वारा सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं की जानकारी उन तक पहले की तुलना में अब शीघ्र समय पर पहुंच रही है।

4.15 संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का षष्ठम घटक- जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा जिले की 10 सेवाओं में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के षष्ठम घटक के स्तर को जानने के लिए जोधपुर तथा अजमेर जिले में संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन के क्रियाकलापों तथा योजनाओं में आपकी भागीदारी बढ़ी है?

अनुसंधानकर्ता ने सर्वेक्षण में यह तथ्य पाए कि जोधपुर तथा अजमेर में ई जिला पायलेट परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केन्द्रीयता के षष्ठम घटक के संदर्भ में जोधपुर की 74.13% तथा अजमेर की 77.07% जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन के क्रियाकलापों तथा योजनाओं में उनकी भागीदारी बढ़ी है।

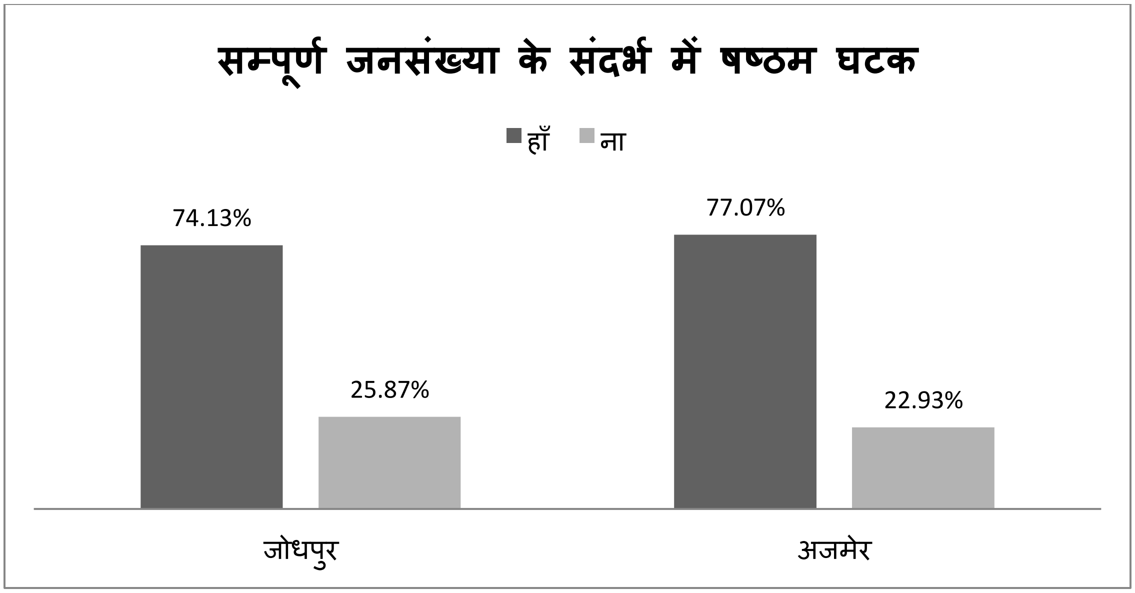

आरेख सं. 4.15

4.16 संपूर्ण जनसंख्या के संबंध में षष्ठम घटक का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना के फलस्वरूप उत्पन्न नागरिक केन्द्रीयता से संबंधित षष्ठम घटक के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को तुलनात्मक अध्ययन से यह तथ्य प्राप्त हुए कि जोधपुर जिले की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की 2.94% अधिक जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन के क्रियाकलापों तथा योजनाओं में उनकी भागीदारी बढ़ी है।

4.17 संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का सप्तम घटक- जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा जिले की 10 सेवाओं में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के सप्तम घटक के स्तर को जानने के लिए जोधपुर तथा अजमेर जिले में संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या पहले की तुलना में सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ी है?

सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि जोधपुर तथा अजमेर में ई जिला पायलेट परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता से संबंधित सप्तम घटक के संदर्भ में जोधपुर जिले में

74.13% जनसंख्या तथा अजमेर जिले में 75.47% जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ी है।

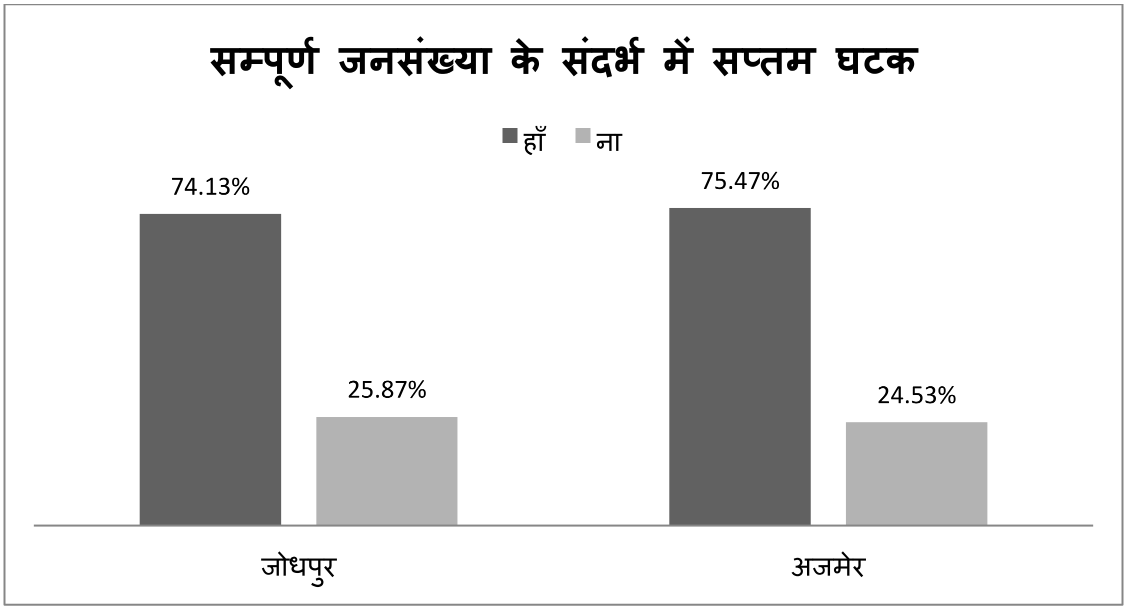

आरेख सं. 4.17

4.18 संपूर्ण जनसंख्या के संबंध में सप्तम घटक का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से प्राप्त नागरिक केंद्रीयता से संबंधित सप्तम घटक के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन में अनुसंधानकर्ता को यह तथ्य प्राप्त हुए कि जोधपुर जिले की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की जनसंख्या 1.34% अधिक यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ी है।

4.19 पुरुष तथा महिला जनसंख्या के आधार पर नागरिक केन्द्रीयता का विश्लेषण- राजस्थान में जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन की 10 सेवाओं को ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा कार्यान्वित किया गया है। अनुसंधानकर्ता द्वारा ई-गवर्नेंस के क्रियान्वयन के फलस्वरूप उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के स्तर को जानने के लिए जोधपुर तथा अजमेर जिले में विस्तृत रुप से सर्वेक्षण का

कार्य किया गया। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का पुरुष तथा महिला जनसंख्या के आधार पर नागरिक केंद्रीयता के सन्दर्भ में विश्लेषण निम्न प्रकार से है।

4.20 पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का प्रथम घटक- जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा जिले की 10 सेवाओं में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के प्रथम घटक के स्तर को पुरुष तथा महिला जनसंख्या के आधार पर जानने के लिए जोधपुर तथा अजमेर जिले में सूचनादाताओं से प्रश्न पूछा कि क्या पहले की तुलना में सरकार द्वारा आपको सेवाओं की सही समय पर प्रदायगी बढ़ी है?

अनुसंधानकर्ता ने सर्वेक्षण में यह तथ्य पाए कि जोधपुर तथा अजमेर में ई जिला पायलेट परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के प्रथम घटक के संदर्भ में जोधपुर जिले के 95.38% पुरुष तथा 97.39% महिलाऐं, जबकि अजमेर जिले में 92.61% पुरुष तथा 93.79% महिलाऐं यह मानती है कि सरकार द्वारा उन्हें सेवाओं की सही समय पर प्रदायगी बढ़ी है।

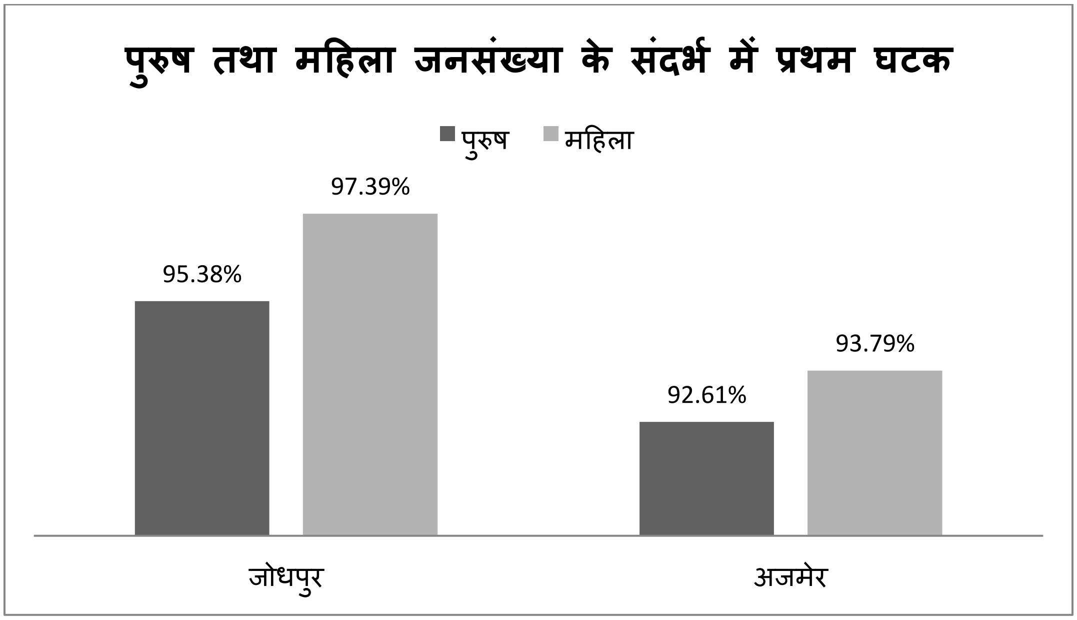

आरेख सं. 4.20

4.21 पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संबंध में प्रथम घटक का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के प्रथम घटक तत्व जिसमें नागरिकों को सरकार द्वारा सेवाओं की सही समय पर प्रदायगी का अध्ययन किया जाना है के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि जोधपुर जिले में पुरुष जनसंख्या की तुलना में महिला जनसंख्या 2.01% अधिक तथा अजमेर जिले में पुरुष जनसंख्या की तुलना में 1.18% अधिक महिला जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकार द्वारा सेवाओं की सही समय पर प्रदायगी बढ़ी है।

अजमेर जिले की पुरुष जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की पुरुष जनसंख्या 2.77% अधिक तथा अजमेर जिले की महिला जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की 3.6% अधिक महिला जनसंख्या ने यह माना है कि ई जिला पायलेट परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात, पहले की तुलना में सरकार द्वारा उन्हें सेवाओं की सही समय पर प्रदायगी बढ़ी है।

4.22 पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का द्वितीय घटक- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से जिले की 10 सेवाओं में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रियता के द्वितीय घटक के स्तर को जानने के लिए अनुसंधानकर्ता द्वारा जोधपुर तथा अजमेर जिले में पुरुष तथा महिला सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या पहले की तुलना में सरकारी सेवा को प्राप्त करने में उनके समय और धन की बचत बढ़ी है?

इस संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने सर्वेक्षण में यह तथ्य पाए कि जोधपुर तथा अजमेर में ई जिला पायलेट परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के द्वितीय घटक के संदर्भ में जोधपुर जिले में 88.85% पुरुष तथा 91.3% महिलाऐं यह मानती है कि सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में पहले की तुलना में उनके समय और धन की बचत बढ़ी है। जबकि अजमेर जिले के संदर्भ में 87.83% पुरुष तथा

86.9% महिलाऐं यह मानती हैं कि पहले की तुलना में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में उनके समय तथा धन की बचत बढ़ी है।

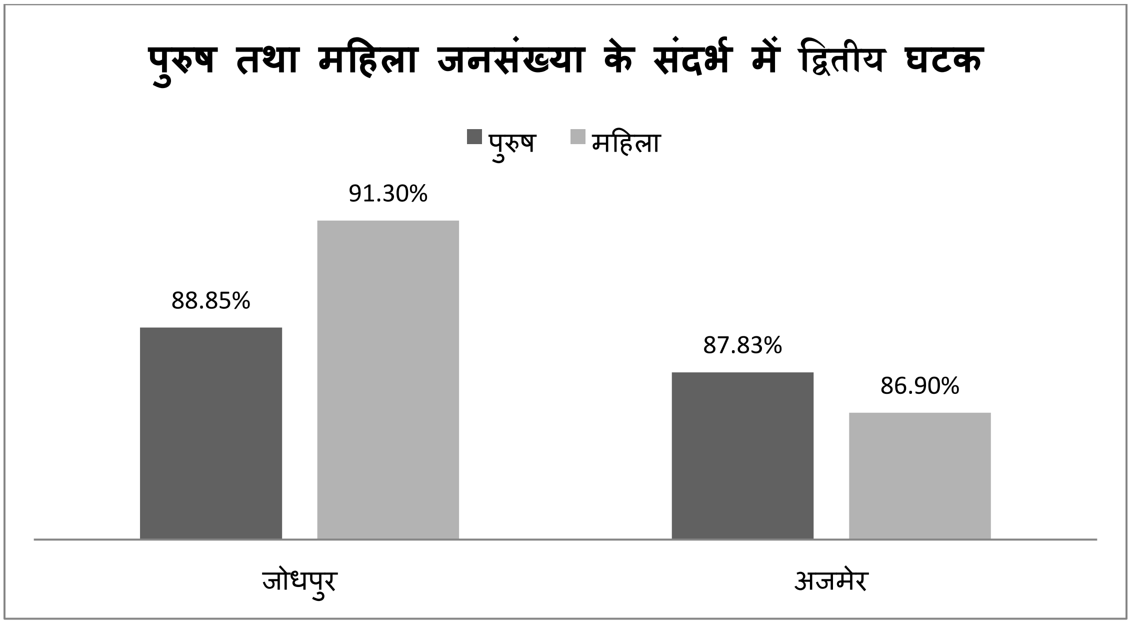

आरेख सं. 4.22

4.23 पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संबंध में द्वितीय घटक का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रियता के द्वितीय घटक तत्व में नागरिकों को पहले की तुलना में सरकारी सेवा की प्राप्ति में समय तथा धन की बचत का अध्ययन किया जाना है। तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने यह पाया कि जोधपुर में 2.45% अधिक महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में तथा अजमेर में 0.93% अधिक पुरुषों ने महिलाओं की तुलना में यह माना कि पहले की तुलना में सरकारी सेवा की प्राप्ति में उनके समय और धन की बचत बढ़ी है।

अजमेर जिले के पुरुष जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले के 1.02% अधिक पुरुष तथा अजमेर जिले की कुल महिला जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की 4.4% अधिक महिलाऐं यह मानती हैं कि ई जिला

पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात सरकारी सेवाओं की लाभ प्राप्ति में उनके समय और धन की बचत बढ़ी है।

4.24 पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का तृतीय घटक- जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा जिले की 10 सेवाओं में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के तृतीय घटक के स्तर को जानने के लिए जोधपुर तथा अजमेर जिले में पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन की आपके प्रति ग्राहक सेवा की भावना बढ़ी है?

अनुसंधानकर्ता ने सर्वेक्षण में यह तथ्य पाए कि जोधपुर तथा अजमेर में ई जिला पायलेट परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केन्द्रीयता के तृतीय घटक के संदर्भ में जोधपुर जिले में 75.77% पुरुष जनसंख्या तथा 73.91% महिला जनसंख्या, जबकि अजमेर जिले में 75.22% पुरुष जनसंख्या तथा 78.62% महिला जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन की उनके प्रति ग्राहक सेवा की भावना बढ़ी है।

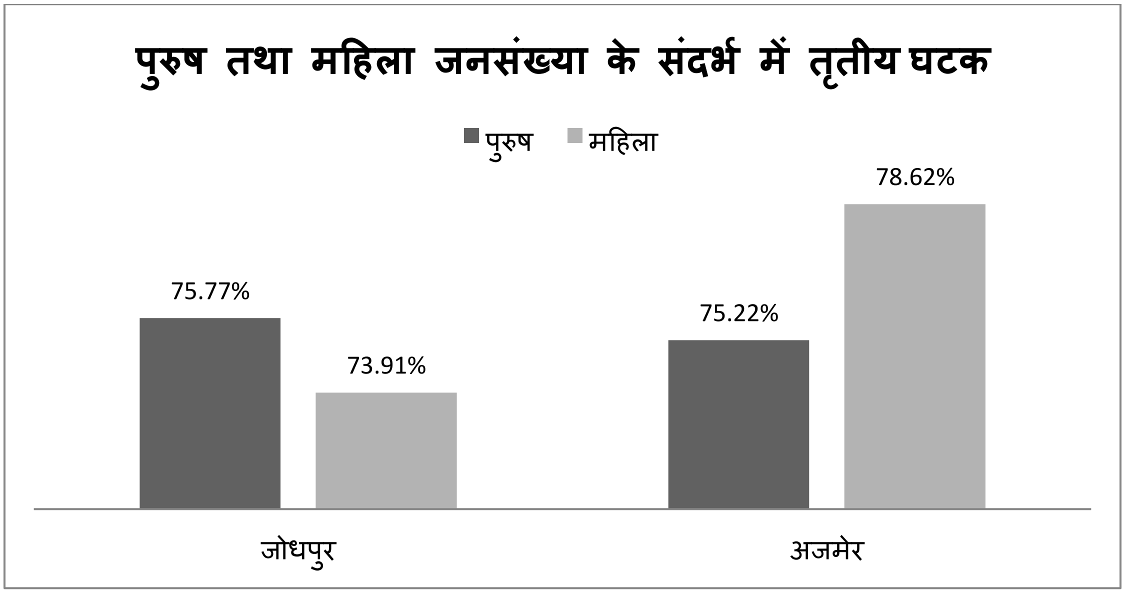

आरेख सं. 4.24

4.25 पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संबंध में तृतीय घटक का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित तृतीय घटक जिसमें सरकारी प्रशासन की नागरिकों के प्रति ग्राहक सेवा की भावना में वृद्धि का अध्ययन किया जाना है, के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को यह तथ्य प्राप्त हुए हैं कि जोधपुर जिले में महिला जनसंख्या की तुलना में पुरुष जनसंख्या 1.86% ज्यादा तथा अजमेर में पुरुष जनसंख्या के तुलनात्मक महिला जनसंख्या 3.4% अधिक यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन की उनके प्रति ग्राहक सेवा की भावना बढ़ी है।

अजमेर जिले की पुरुष जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की पुरुष जनसंख्या 0.55% अधिक तथा जोधपुर जिले की महिला जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की महिला जनसंख्या 4.71% अधिक यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन की उनके प्रति ग्राहक सेवा की भावना बढ़ी है।

4.26 पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का चतुर्थ घटक- जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा जिले की 10 सेवाओं में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के चतुर्थ घटक के स्तर को जानने के लिए जोधपुर तथा अजमेर जिले में पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन द्वारा आपकी शिकायतों का सही समय पर समाधान किया जा रहा है?

जोधपुर तथा अजमेर में ई जिला पायलेट परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता से संबंधित चतुर्थ घटक के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने सर्वेक्षण में यह तथ्य प्राप्त किए कि जोधपुर में कुल पुरुष जनसंख्या में से 80.38% पुरुष जनसंख्या तथा कुल महिला जनसंख्या में से 80.87% महिला जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन द्वारा उनकी शिकायतों का सही समय पर समाधान करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। जबकि अजमेर में कुल पुरुष जनसंख्या में से 80% पुरुष जनसंख्या तथा कुल महिला जनसंख्या में से 81.38% महिला जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में प्रशासन द्वारा उनकी शिकायतों का सही समय पर समाधान करने की प्रवृत्ति बढ़ी है।

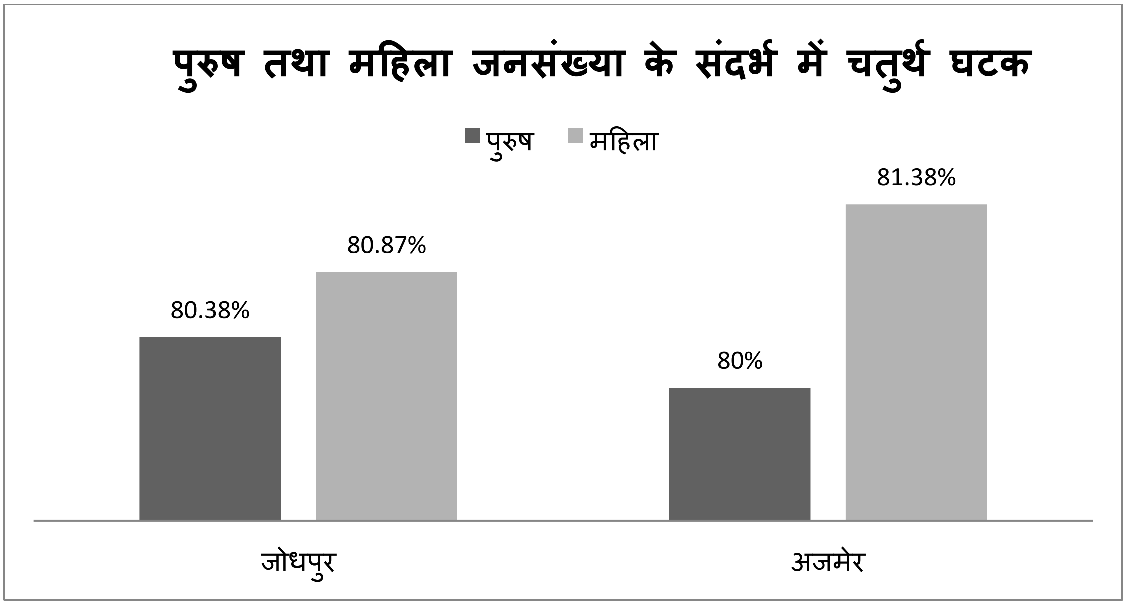

आरेख सं. 4.26

4.27 पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संबंध में चतुर्थ घटक का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केन्द्रीयता से संबंधित चतुर्थ घटक के तुलनात्मक अध्ययन में अनुसंधानकर्ता को यह तथ्य प्राप्त हुए कि जोधपुर जिले में पुरुष जनसंख्या की तुलना में महिला जनसंख्या 0.49% अधिक तथा अजमेर जिले में पुरुष जनसंख्या की तुलना में महिला जनसंख्या 1.38% अधिक यह मानती है कि पहले की तुलना में प्रशासन द्वारा उनकी शिकायतों का सही समय पर समाधान करने की प्रवृत्ति बढ़ी है।

इसी संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को यह तथ्य भी प्राप्त हुए कि अजमेर जिले की पुरुष जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की पुरुष जनसंख्या 0.38% अधिक तथा जोधपुर जिले की महिला जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की महिला जनसंख्या 0.51% अधिक यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन द्वारा उनकी शिकायतों का सही समय पर समाधान करने की प्रवृत्ति बढ़ी है।

4.28 पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का पंचम घटक- जोधपुर तथा अजमेर में जिला प्रशासन द्वारा जिले की 10 सेवाओं में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के पंचम घटक के स्तर को जानने के लिए जोधपुर तथा अजमेर जिले में पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या सरकारी प्रशासन द्वारा सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं की जानकारी आप तक पहले की तुलना में सही समय पर पहुंचायी जा रही है?

सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि जोधपुर तथा अजमेर में ई जिला पायलेट परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केन्द्रीयता से संबंधित पंचम घटक के संदर्भ में जोधपुर में पुरुष जनसंख्या में से 90.38% पुरुष जनसंख्या तथा महिला जनसंख्या में से 91.3% महिला जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन द्वारा सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं की जानकारी उन तक सही समय पर पहुंचायी जा रही है। जबकि अजमेर में पुरुष जनसंख्या में से 93.04% पुरुष जनसंख्या तथा कुल महिला जनसंख्या में से 92.41% महिला जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन द्वारा सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं की जानकारी उन तक सही समय पर पहुंचायी जा रही है।

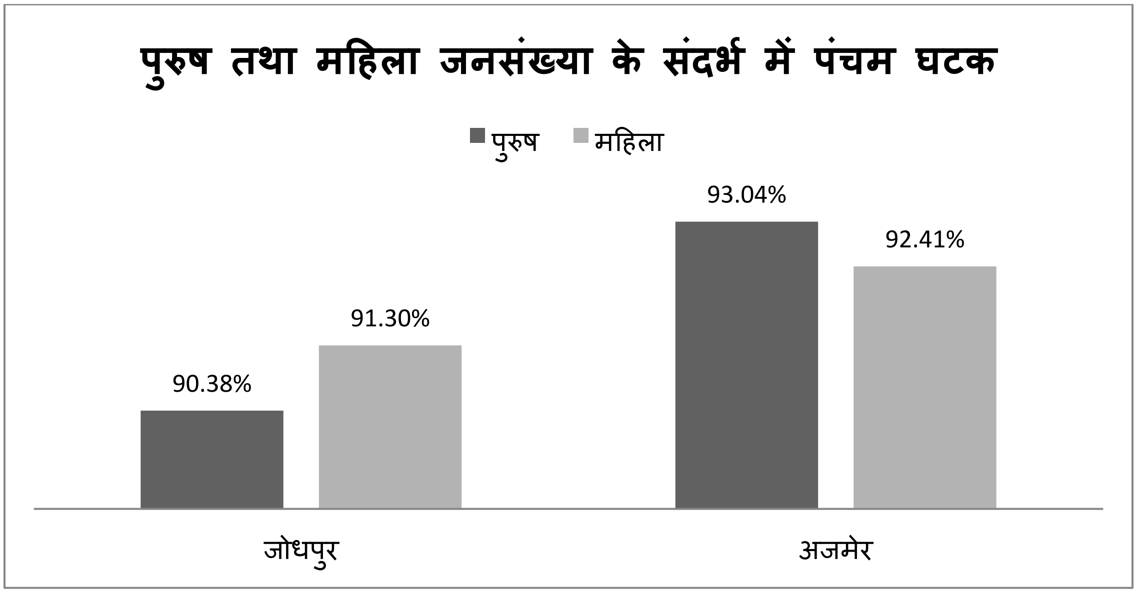

आरेख सं. 4.28

4.29 पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संबंध में पंचम घटक का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से उत्पन्न नागरिक केन्द्रीयता से संबंधित पंचम घटक के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को यह तथ्य प्राप्त हुए कि जोधपुर जिले में पुरुष जनसंख्या की तुलना में महिला जनसंख्या 0.92% अधिक तथा अजमेर जिले में महिला जनसंख्या की तुलना में पुरुष जनसंख्या 0.63% अधिक मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं की जानकारी उन तक सही समय पर पहुंचायी जा रही है।

इसी संदर्भ में जोधपुर जिले की पुरुष जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की पुरुष जनसंख्या 2.66% अधिक तथा जोधपुर जिले की महिला जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की महिला जनसंख्या 1.11% अधिक यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन द्वारा सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं की जानकारी उन तक सही समय पर पहुंचायी जा रही है।

4.30 पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का षष्ठम घटक- जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा जिले की 10 सेवाओं में ई जिला पायलट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के षष्ठम घटक के स्तर को जानने के लिए जोधपुर तथा अजमेर जिले में पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन के क्रियाकलापों तथा योजनाओं में आपकी भागीदारी बढ़ी है?

जोधपुर तथा अजमेर में ई जिला पायलेट परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केन्द्रीयता से संबंधित षष्ठम घटक के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने सर्वेक्षण में यह तथ्य पाए कि जोधपुर जिले में सकल पुरुष जनसंख्या में से 75% पुरुष जनसंख्या तथा सकल महिला जनसंख्या में से 72.17% महिला जनसंख्या, जबकि अजमेर जिले में सकल पुरुष जनसंख्या में से 76.96% पुरुष जनसंख्या तथा सकल महिला जनसंख्या में से 77.24% महिला जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन के क्रियाकलापों तथा योजनाओं में उनकी भागीदारी बढ़ी है।

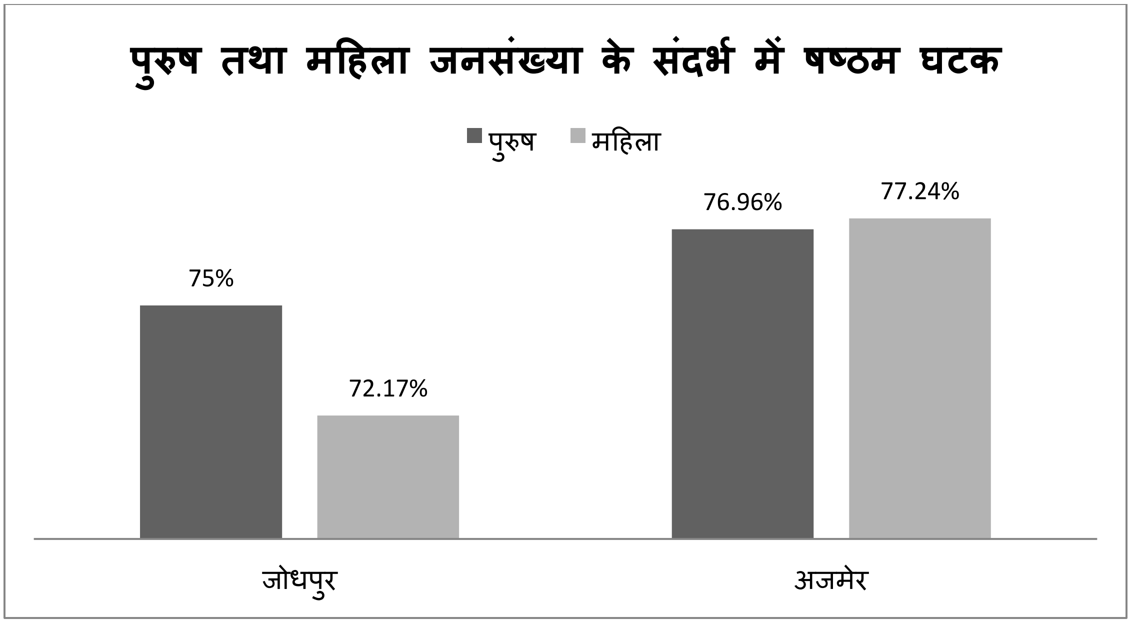

आरेख सं. 4.30

4.31 पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संबंध में षष्ठम घटक का तुलनात्मक अध्ययन- राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से उत्पन्न नागरिक केन्द्रीयता से संबंधित षष्ठम घटक के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को यह तथ्य प्राप्त हुए कि जोधपुर जिले में महिला जनसंख्या के तुलनात्मक पुरुष जनसंख्या 2.83% अधिक तथा अजमेर जिले में पुरुष जनसंख्या के तुलनात्मक महिला जनसंख्या 0.28% अधिक यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन के क्रियाकलापों तथा योजनाओं में उनकी भागीदारी बढ़ी है।

इसी संदर्भ में जोधपुर जिले की पुरुष जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की पुरुष जनसंख्या 1.96% अधिक तथा जोधपुर जिले की महिला जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की महिला जनसंख्या 5.07% अधिक यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन के क्रियाकलापों तथा योजनाओं में उनकी भागीदारी बढ़ी है।

4.32 पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का सप्तम घटक- जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा जिले की 10 सेवाओं में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के सप्तम घटक के स्तर को जानने के लिए जोधपुर तथा अजमेर जिले में पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या पहले की तुलना में सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ी है?

जोधपुर तथा अजमेर में ई जिला पायलेट परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता से संबंधित सप्तम घटक के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि जोधपुर जिले में सकल पुरुष जनसंख्या में से 74.23% पुरुष जनसंख्या तथा सकल महिला जनसंख्या में से 73.91% महिला जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ी है । जबकि अजमेर जिले में सकल पुरुष जनसंख्या में से 75.65% पुरुष जनसंख्या तथा सकल महिला जनसंख्या में से 75.17% महिला जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ी है ।

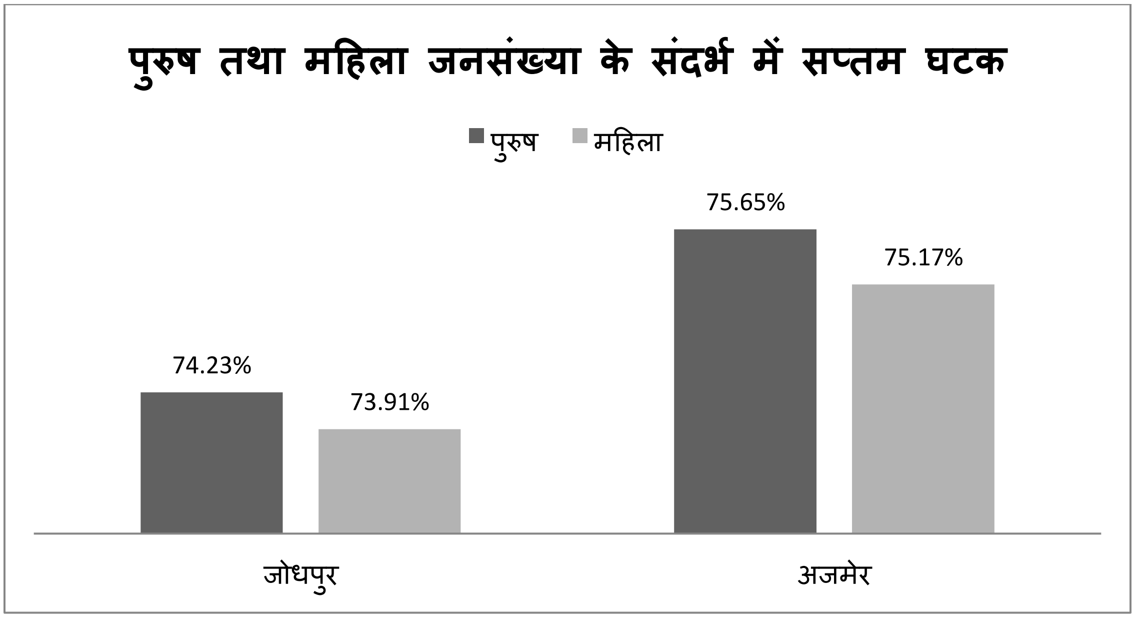

आरेख सं. 4.32

4.33 पुरुष तथा महिला जनसंख्या के संबंध में सप्तम घटक का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन से उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता से संबंधित सप्तम घटक के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को यह तथ्य प्राप्त हुए कि जोधपुर जिले में महिला जनसंख्या की तुलना में पुरुष जनसंख्या 0.32% अधिक तथा अजमेर जिले में महिला जनसंख्या की तुलना में पुरुष जनसंख्या 0.48% अधिक यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ी है।

इसी संदर्भ में जोधपुर जिले की पुरुष जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की पुरुष जनसंख्या 1.42% अधिक तथा जोधपुर जिले की महिला जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की महिला जनसंख्या 1.26% अधिक यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ी है।

4.34 शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर नागरिक केन्द्रीयता का विश्लेषण- राजस्थान में जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन की 10 सेवाओं को ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा कार्यान्वित किया गया है। शोधकर्ता द्वारा ई-गवर्नेंस के क्रियान्वयन के फलस्वरूप उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के स्तर को जानने के लिए जोधपुर तथा अजमेर जिले में विस्तृत रुप से सर्वेक्षण का कार्य किया गया। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर नागरिक केंद्रीयता के सन्दर्भ में विश्लेषण निम्न प्रकार से है।

4.35 शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के सन्दर्भ में नागरिक केंद्रीयता का प्रथम घटक- जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा जिले की 10 सेवाओं में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के प्रथम घटक के स्तर को जानने के लिए जोधपुर तथा अजमेर जिले में शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या पूर्व की अपेक्षा में प्रशासन द्वारा आपको सेवाओं की सही समय पर प्रदायगी हो रही है?

इस संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने सर्वेक्षण में यह तथ्य पाए कि जोधपुर तथा अजमेर में ई जिला पायलेट परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के प्रथम घटक के संदर्भ में जोधपुर जिले की

96.1% शहरी तथा 95.09% ग्रामीण जनसंख्या यह मानती है कि ई जिला पायलेट परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात पूर्व की अपेक्षा सरकार द्वारा सेवाओं की सही समय पर प्रदायगी बढ़ी है, जबकि अजमेर जिले में 94.04% शहरी जनसंख्या तथा 91.43% ग्रामीण जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकार द्वारा सेवाओं की सही समय पर प्रदायगी बढ़ी है।

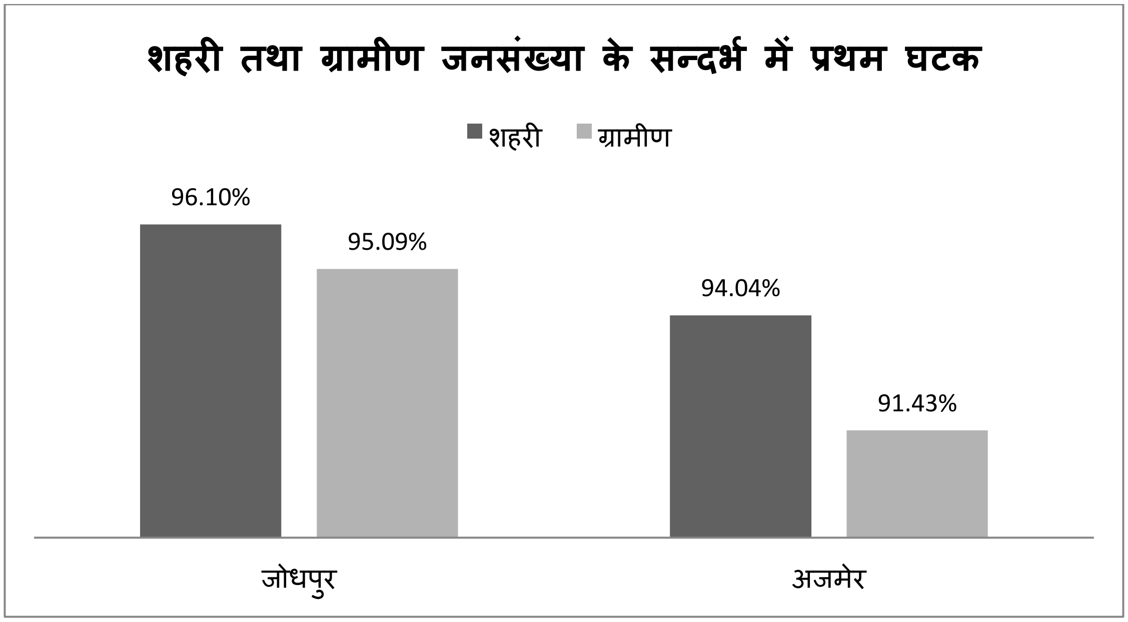

आरेख सं. 4.35

4.36 शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संबंध में प्रथम घटक का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के प्रथम घटक जिसमें नागरिकों को सरकार द्वारा सेवाओं की सही समय पर प्रदायगी का अध्ययन किया जाना है, के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने तुलनात्मक अध्ययन में यह तथ्य पाए कि जोधपुर जिले की ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की 1.01% अधिक शहरी जनसंख्या तथा अजमेर जिले की ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की 2.61% अधिक शहरी जनसंख्या यह मानती है, कि पहले की तुलना में सरकार द्वारा उन्हें सेवाओं की सही समय पर प्रदायगी बढ़ी है।

इसी संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को यह तथ्य भी प्राप्त हुए कि अजमेर जिले की शहरी जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की शहरी जनसंख्या 2.06% अधिक तथा अजमेर जिले की ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की ग्रामीण जनसंख्या 3.66% अधिक यह मानती है, कि पहले की तुलना में सरकार द्वारा उन्हें सेवाओं की सही समय पर प्रदायगी बढ़ी है।

4.37 शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के सन्दर्भ में नागरिक केंद्रीयता का द्वितीय घटक- जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा जिले की 10 सेवाओं में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के द्वितीय घटक के स्तर को जानने के लिए अनुसंधानकर्ता द्वारा जोधपुर तथा अजमेर जिले में शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या पहले की तुलना में उनके द्वारा सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में उनके समय तथा धन की बचत हो रही है?

अनुसंधानकर्ता ने सर्वेक्षण में यह तथ्य पाए कि जोधपुर तथा अजमेर में ई जिला पायलेट परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के द्वितीय घटक के संदर्भ में जोधपुर जिले में 91.71% शहरी जनसंख्या तथा 87.1% ग्रामीण जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी सेवाओं का उपयोग करने में उनके समय तथा धन की बचत बढ़ी है। जबकि अजमेर जिले में 88.51% शहरी जनसंख्या तथा 85.71% ग्रामीण जनसंख्या यह मानती है, कि पहले की तुलना में सरकारी सेवाओं का उपयोग करने में उनके समय तथा धन की बचत बढ़ी है।

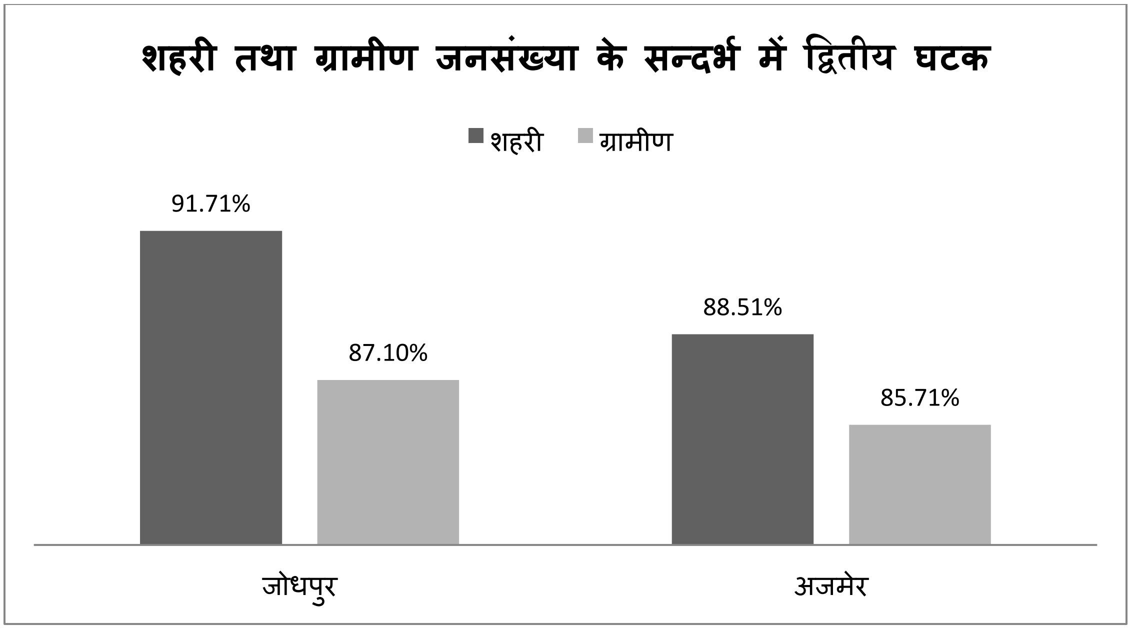

आरेख सं. 4.37

4.38 शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संबंध में द्वितीय घटक का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता से संबंधित द्वितीय घटक के तुलनात्मक अध्ययन में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य प्राप्त प्राप्त किए कि जोधपुर जिले में ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में शहरी जनसंख्या 4.61% अधिक तथा अजमेर जिले में ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में शहरी जनसंख्या 2.8% अधिक यह मानती है, कि पहले की तुलना में सरकारी सेवाओं का उपयोग करने में उनके समय तथा धन की बचत बढ़ी है।

इसी संदर्भ में अजमेर जिले की शहरी जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की शहरी जनसंख्या 3.2% अधिक तथा अजमेर जिले की ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की ग्रामीण जनसंख्या 1.39% अधिक यह मानती है, कि पहले की तुलना में सरकारी सेवाओं का उपयोग करने में उनके समय तथा धन की बचत बढ़ी है।

4.39 शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के सन्दर्भ में नागरिक केंद्रीयता का तृतीय घटक- जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा जिले की 10 सेवाओं में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के तृतीय घटक के स्तर को जानने के लिए जोधपुर तथा अजमेर जिले में शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन की आपके प्रति ग्राहक सेवा की भावना बढ़ी है?

सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के कार्यान्वयन से उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता से संबंधित तृतीय घटक के संदर्भ में जोधपुर जिले की 76.59% शहरीय जनसंख्या तथा 73.5% ग्रामीण जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन की उनके प्रति ग्राहक सेवा की भावना बढ़ी है, जबकि अजमेर जिले में 76.6% शहरी जनसंख्या तथा 76.43% ग्रामीण जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन की उनके प्रति ग्राहक सेवा की भावना बढ़ी है।

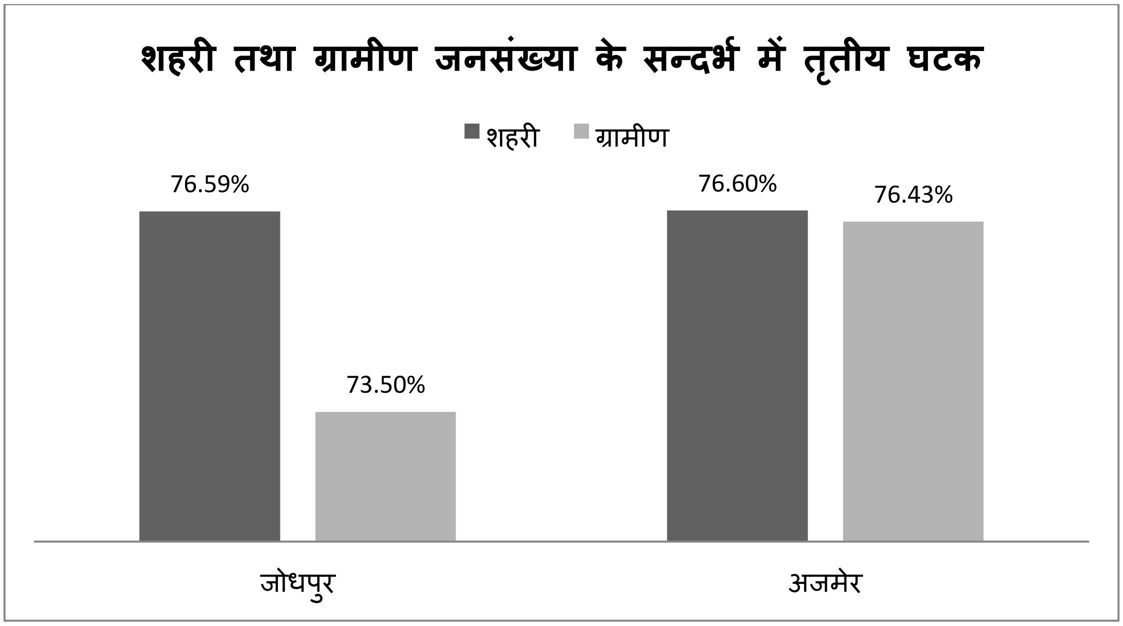

आरेख सं. 4.39

4.40 शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संबंध में तृतीय घटक का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के तृतीय घटक के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को तुलनात्मक अध्ययन में यह तथ्य प्राप्त हुए कि जोधपुर जिले में ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में शहरी जनसंख्या 3.09% अधिक तथा अजमेर जिले में ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में शहरी जनसंख्या 0.17% अधिक यह मानती है कि पहले की तुलना में प्रशासन की उनके प्रति ग्राहक सेवा की भावना बढ़ी है।

इसी संदर्भ में जोधपुर जिले की शहरी जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की शहरी जनसंख्या 0.01% अधिक तथा जोधपुर जिले की ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की ग्रामीण जनसंख्या 2.93% अधिक यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन तंत्र की उनके प्रति ग्राहक सेवा की भावना बढ़ी है।

4.41 शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के सन्दर्भ में नागरिक केंद्रीयता का चतुर्थ घटक- जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा जिले की 10 सेवाओं में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के चतुर्थ घटक के स्तर को जानने के लिए जोधपुर तथा अजमेर जिले में शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से प्रश्न पूछा कि क्या पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन द्वारा आपकी शिकायतों का सही समय पर समाधान किया जा रहा है?

जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता से संबंधित चतुर्थ घटक के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने सर्वेक्षण में यह तथ्य प्राप्त किए कि जोधपुर जिले में कुल शहरी जनसंख्या में से 78.54% शहरी जनसंख्या तथा कुल ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या में से 82.9% ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन द्वारा उनकी शिकायतों का सही समय पर समाधान करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। अजमेर जिले में कुल शहरी जनसंख्या में से 81.7% शहरी

जनसंख्या तथा कुल ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या में से 78.57% ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में प्रशासन द्वारा उनकी शिकायतों का सही समय पर समाधान करने की प्रवृत्ति बढ़ी है।

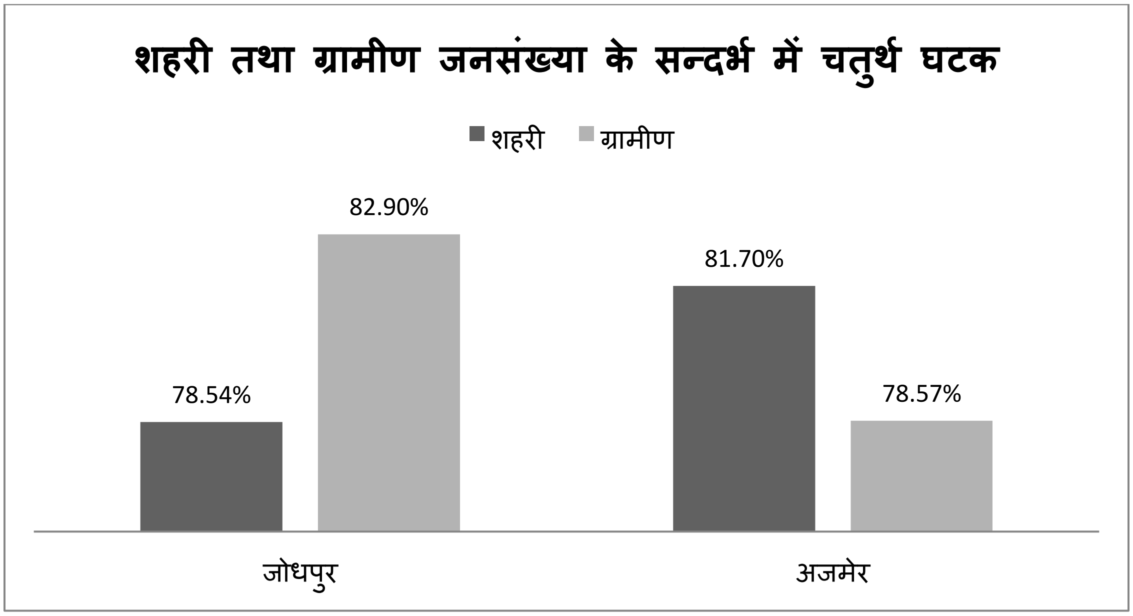

आरेख सं. 4.41

4.42 शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संबंध में चतुर्थ घटक का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केन्द्रीयता से संबंधित चतुर्थ घटक के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को यह तथ्य प्राप्त हुए कि जोधपुर जिले में शहरी जनसंख्या की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या 4.36% अधिक तथा अजमेर जिले में ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में शहरी जनसंख्या 3.13% अधिक यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन द्वारा उनकी शिकायतों का सही समय पर समाधान करने की प्रवृत्ति बढ़ी है।

इसी संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को यह तथ्य भी प्राप्त हुए कि जोधपुर जिले की शहरी जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की शहरी जनसंख्या 3.16% अधिक तथा अजमेर जिले की ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में

जोधपुर जिले की ग्रामीण जनसंख्या 4.33% अधिक यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकार द्वारा उनकी शिकायतों का सही समय पर समाधान करने की प्रवृत्ति बढ़ी है।

4.43 शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के सन्दर्भ में नागरिक केंद्रीयता का पंचम घटक- जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा जिले की 10 सेवाओं में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के पंचम घटक के स्तर को जानने के लिए जोधपुर तथा अजमेर जिले में शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या पूर्व की अपेक्षा में सरकार द्वारा सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं की खबर आप तक सही समय पर पहुंचायी जा रही है?

जोधपुर तथा अजमेर में ई जिला पायलेट परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता से संबंधित पंचम घटक के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने सर्वेक्षण में यह तथ्य पाए कि जोधपुर जिले में 91.22% शहरी जनसंख्या तथा 90% ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या, जबकि अजमेर जिले में 91.91% शहरी जनसंख्या तथा 94.29% ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन द्वारा सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं की जानकारी उन तक सही समय पर पहुंचायी जा रही है।

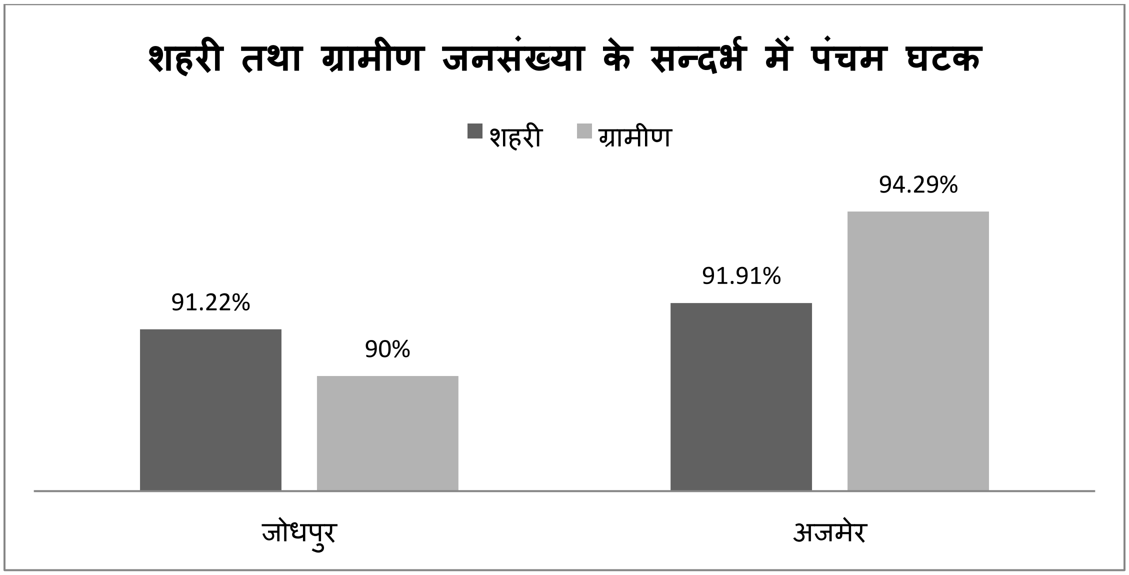

आरेख सं. 4.43

4.44 शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संबंध में पंचम घटक का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केन्द्रीयता से संबंधित पंचम घटक के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को यह तथ्य प्राप्त हुए कि जोधपुर जिले में ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में शहरी जनसंख्या 1.22% अधिक तथा अजमेर जिले में शहरी जनसंख्या की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या 2.38% अधिक यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन द्वारा सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं की जानकारी उन तक सही समय पर पहुंचायी जा रही है।

इसी संदर्भ में जोधपुर जिले की शहरी जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की शहरी जनसंख्या 0.69% अधिक तथा जोधपुर जिले की ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की ग्रामीण जनसंख्या 4.29% अधिक यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं की जानकारी उन तक सही समय पर पहुंचायी जा रही है।

4.45 शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के सन्दर्भ में नागरिक केंद्रीयता का षष्ठम घटक- जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा जिले की 10 सेवाओं में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के षष्ठम घटक के स्तर को जानने के लिए जोधपुर तथा अजमेर जिले में शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन के क्रियाकलापों तथा योजनाओं में आपकी भागीदारी बढ़ी है?

अनुसंधानकर्ता ने सर्वेक्षण में यह तथ्य पाए कि जोधपुर तथा अजमेर में ई जिला पायलेट परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता से संबंधित षष्ठम घटक के संदर्भ में जोधपुर जिले में कुल शहरी जनसंख्या में से 74.15% शहरी जनसंख्या तथा कुल ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या में से 74.10% ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या, जबकि अजमेर जिले में कुल शहरी जनसंख्या में से 77.87% शहरी जनसंख्या तथा कुल ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या में से 75.71% ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन के क्रियाकलापों तथा योजनाओं में उनकी भागीदारी बढ़ी है।

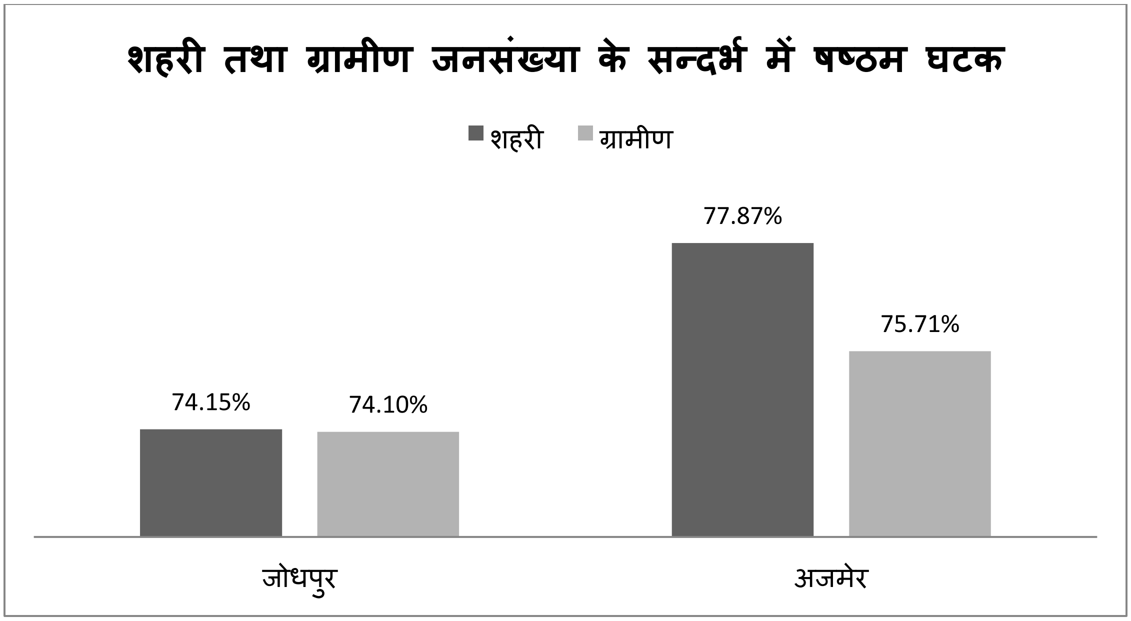

आरेख सं. 4.45

4.46 शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संबंध में षष्ठम घटक का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित षष्ठम घटक के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में जोधपुर जिले में ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में शहरी जनसंख्या 0.05% अधिक तथा अजमेर जिले में ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में शहरी जनसंख्या 2.16% अधिक यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन के क्रियाकलापों तथा योजनाओं में उनकी भागीदारी बढ़ी है।

इसी संदर्भ में जोधपुर जिले की शहरी जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की शहरी जनसंख्या 3.72% अधिक तथा जोधपुर जिले की ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की ग्रामीण जनसंख्या 1.61% अधिक यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन के क्रियाकलापों तथा योजनाओं में उनकी भागीदारी बढ़ी है।

4.47 शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के सन्दर्भ में नागरिक केंद्रीयता का सप्तम घटक- जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा जिले की 10 सेवाओं में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के

पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के सप्तम घटक के स्तर को जानने के लिए जोधपुर तथा अजमेर जिले में शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से प्रश्न पूछा कि क्या पहले की तुलना में सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ी है?

अनुसंधानकर्ता ने सर्वेक्षण में यह तथ्य पाए कि जोधपुर तथा अजमेर में ई जिला पायलेट परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केन्द्रीयता से संबंधित सप्तम घटक के संदर्भ में जोधपुर जिले में कुल शहरी जनसंख्या में से 76.1% शहरी जनसंख्या तथा कुल ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या में से 71.8% ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ी है।

अजमेर जिले में कुल शहरी जनसंख्या में से 78.3% शहरी जनसंख्या तथा कुल ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या में से 70.71% ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ी है।

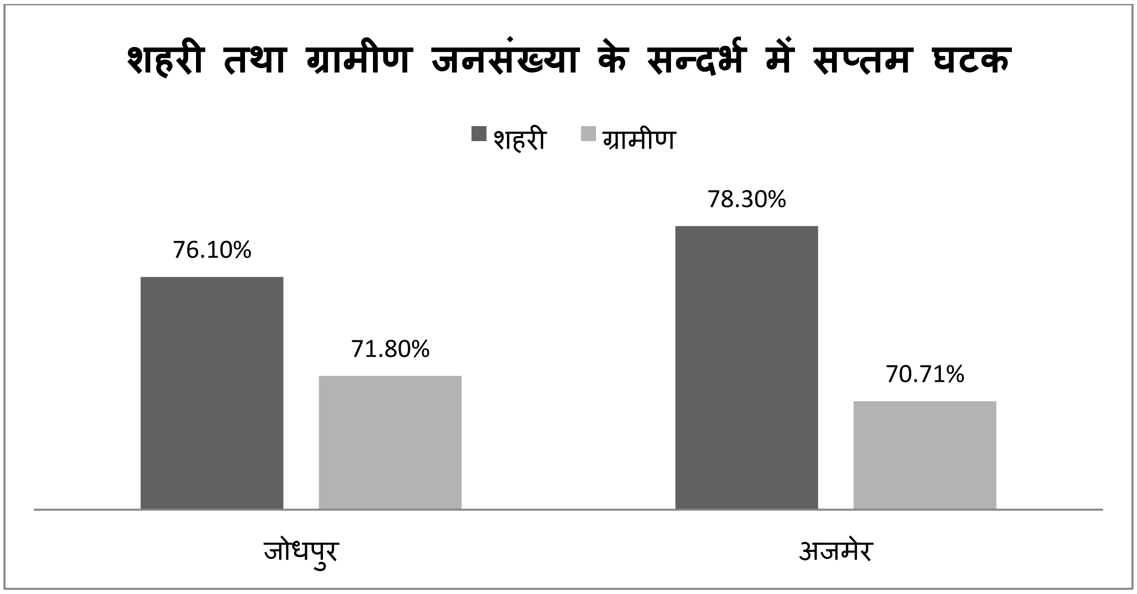

आरेख सं. 4.47

4.48 शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के संबंध में सप्तम घटक का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला

प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से उत्पन्न नागरिक केन्द्रीयता से संबंधित सप्तम घटक के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को यह तथ्य प्राप्त हुए कि जोधपुर जिले की शहरी जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की शहरी जनसंख्या 2.2% अधिक तथा अजमेर जिले की ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की ग्रामीण जनसंख्या 1.09% अधिक यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ी है।

4.49 शिक्षा स्तर के संदर्भ में नागरिक केंद्रीयता का विश्लेषण- राजस्थान में जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन की 10 सेवाओं को ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा कार्यान्वित किया गया है। अनुसंधानकर्ता द्वारा ई-गवर्नेंस के क्रियान्वयन के फलस्वरूप उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के स्तर को जानने के लिए जोधपुर तथा अजमेर जिले में विस्तृत रुप से सर्वेक्षण का कार्य किया गया। सर्वेक्षण से अर्जित आंकड़ों का दोनों जिलों में शिक्षा के आधार पर नागरिक केंद्रीयता के सन्दर्भ में विश्लेषण निम्न प्रकार से है।

4.50 शिक्षा के आधार पर तीन प्रकार की शिक्षा श्रेणियों का निर्माण- शिक्षा के आधार पर विश्लेषण करने हेतु अनुसंधानकर्ता ने जोधपुर तथा अजमेर जिले में सूचनादाताओं की तीन श्रेणियां बनाई है:-

प्रथम शिक्षा श्रेणी- प्रथम श्रेणी के अंतर्गत उन सूचनादाताओं को समाविष्ट किया गया है जो बाहरवीं उत्तीर्ण हैं, अथवा उससे कम शिक्षित है।

द्वितीय शिक्षा श्रेणी- द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत उन सूचनादाताओं को समाविष्ट किया गया है, जो बाहरवीं कक्षा से अधिक शिक्षित हैं अथवा स्नातक है।

तृतीय शिक्षा श्रेणी- तृतीय श्रेणी के अंतर्गत उन सूचनादाताओं को समाविष्ट किया गया है, जो स्नातक से अधिक शिक्षित है।

4.51 शिक्षा श्रेणियों के सन्दर्भ में नागरिक केंद्रीयता का प्रथम घटक- जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा जिले की 10 सेवाओं में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के प्रथम घटक के स्तर को जानने के लिए जोधपुर तथा अजमेर जिले में तीन शिक्षा श्रेणियों

से सम्बंधित जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या पूर्व की अपेक्षा में सरकार द्वारा आपको सही समय पर सेवाओं की प्रदायगी हो रही है?

सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना की क्रियान्विति के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के प्रथम घटक के संदर्भ में जोधपुर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी की 96% जनसंख्या, द्वितीय शिक्षा श्रेणी की 94.81% जनसंख्या तथा तृतीय शिक्षा श्रेणी की 97.78% जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकार द्वारा उन्हें सेवाओं की सही समय पर प्रदायगी बढ़ी है। जबकि अजमेर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी की 88.13% जनसंख्या, द्वितीय शिक्षा श्रेणी की 96.55% जनसंख्या तथा तृतीय शिक्षा श्रेणी की 97.14% जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में उन्हें सरकार द्वारा सेवाओं की सही समय पर प्रदायगी बढ़ी है।

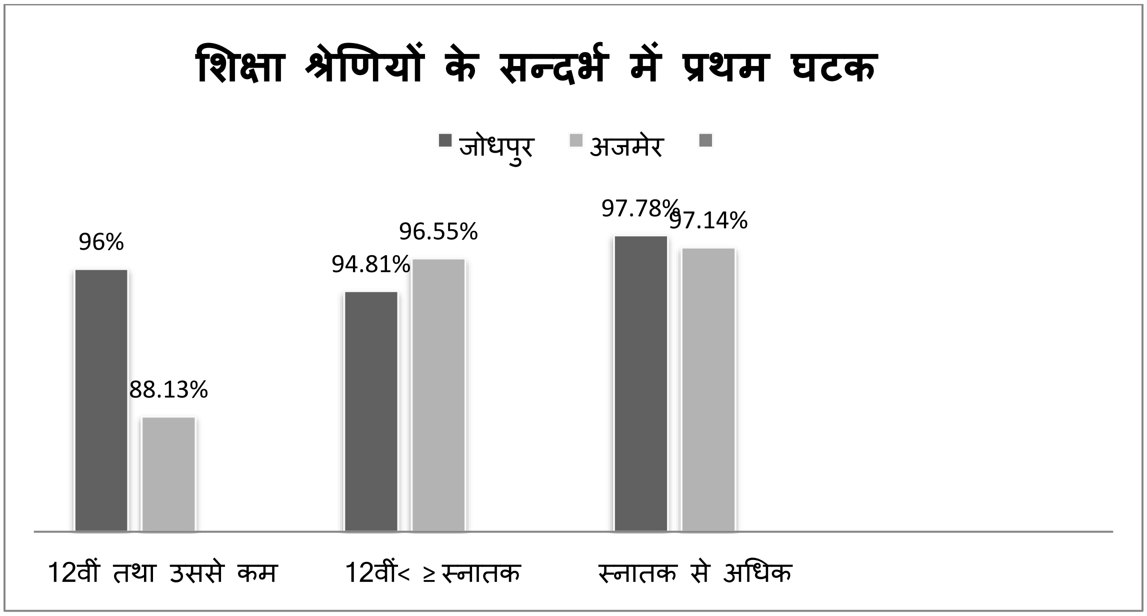

आरेख सं. 4.51

4.52 शिक्षा श्रेणियों के संबंध में प्रथम घटक का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रियता से संबंधित प्रथम घटक के

तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य प्राप्त किए कि अजमेर जिले की प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 7.87% अधिक, जोधपुर जिले की द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 1.74% अधिक तथा अजमेर जिले की तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 0.64% अधिक यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकार द्वारा उन्हें सेवाओं की सही समय पर प्रदायगी बढ़ी है।

जोधपुर जिले में द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 1.19% अधिक, द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 2.97% अधिक तथा प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 1.78% अधिक यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकार द्वारा उन्हें सेवाओं की सही समय पर प्रदायगी बढ़ी है।

जबकि अजमेर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 8.42% अधिक, द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 0.59% अधिक तथा प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 9.01% अधिक यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकार द्वारा उन्हें सेवाओं की सही समय पर प्रदायगी बढ़ी है।

4.53 शिक्षा श्रेणियों के सन्दर्भ में नागरिक केंद्रीयता का द्वितीय घटक- जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा जिले की 10 सेवाओं में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के द्वितीय घटक के स्तर को जानने के लिए अनुसंधानकर्ता द्वारा जोधपुर तथा अजमेर जिले में तीन शिक्षा श्रेणियों से संबंधित जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या पहले की तुलना में उनके द्वारा सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में उनके समय तथा धन की बचत हो रही है?

सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के द्वितीय घटक के संदर्भ में जोधपुर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी की 85.33% जनसंख्या, द्वितीय शिक्षा श्रेणी की 91.85% जनसंख्या तथा तृतीय शिक्षा श्रेणी की

93.33% जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी सेवाओं को प्राप्त करने में उनके समय तथा धन की बचत बढ़ी है।

जबकि अजमेर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी की 86.88% जनसंख्या, द्वितीय शिक्षा श्रेणी की 87.59% जनसंख्या तथा तृतीय शिक्षा श्रेणी की 88.57% जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी सेवाओं को प्राप्त करने में उनके समय तथा धन की बचत बढ़ी है।

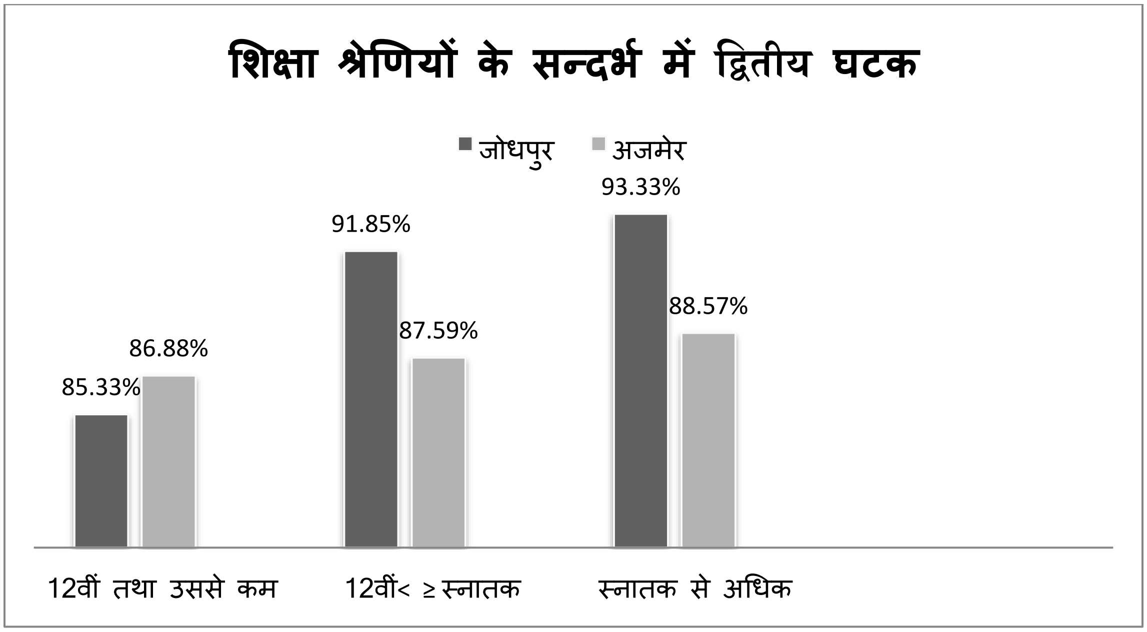

आरेख सं. 4.53

4.54 शिक्षा श्रेणियों के संबंध में द्वितीय घटक का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता से संबंधित द्वितीय घटक के तुलनात्मक अध्ययन में अनुसंधानकर्ता को यह तथ्य प्राप्त हुए कि जोधपुर जिले की प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 1.55% अधिक, अजमेर जिले की द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 4.26% अधिक तथा अजमेर जिले की तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की तृतीय शिक्षा

श्रेणी की 4.76% अधिक जनसंख्या यह मानती है, कि पहले की तुलना में सरकारी सेवाओं को प्राप्त करने में उनके समय तथा धन की बचत बढ़ी है।

इसी संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को यह तथ्य भी प्राप्त हुए कि जोधपुर जिले की प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 6.52% अधिक, द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 1.48% अधिक तथा प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 8% अधिक यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी सेवाओं को प्राप्त करने में उनके समय तथा धन की बचत बढ़ी है।

अजमेर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 0.71% अधिक, द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 0.98% अधिक तथा प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 1.69% अधिक यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी सेवाओं की प्राप्ति में उनके समय तथा धन की बचत बढ़ी है।

4.55 शिक्षा श्रेणियों के सन्दर्भ में नागरिक केंद्रीयता का तृतीय घटक- जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा जिले की 10 सेवाओं में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के तृतीय घटक के स्तर को जानने के लिए जोधपुर तथा अजमेर जिले में तीन शिक्षा श्रेणियों से सम्बंधित जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन की आपके प्रति ग्राहक सेवा की भावना बढ़ी है?

सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केन्द्रीयता से संबंधित तृतीय घटक के संदर्भ में जोधपुर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी की 72.67% जनसंख्या, द्वितीय शिक्षा श्रेणी की 76.3% जनसंख्या तथा तृतीय शिक्षा श्रेणी की 77.78% जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन की उनके प्रति ग्राहक सेवा की भावना बढ़ी है। जबकि अजमेर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी की 71.25% जनसंख्या,

द्वितीय शिक्षा श्रेणी की 79.31% जनसंख्या तथा तृतीय शिक्षा श्रेणी की 82.86% जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन की उनके प्रति ग्राहक सेवा की भावना बढ़ी है।

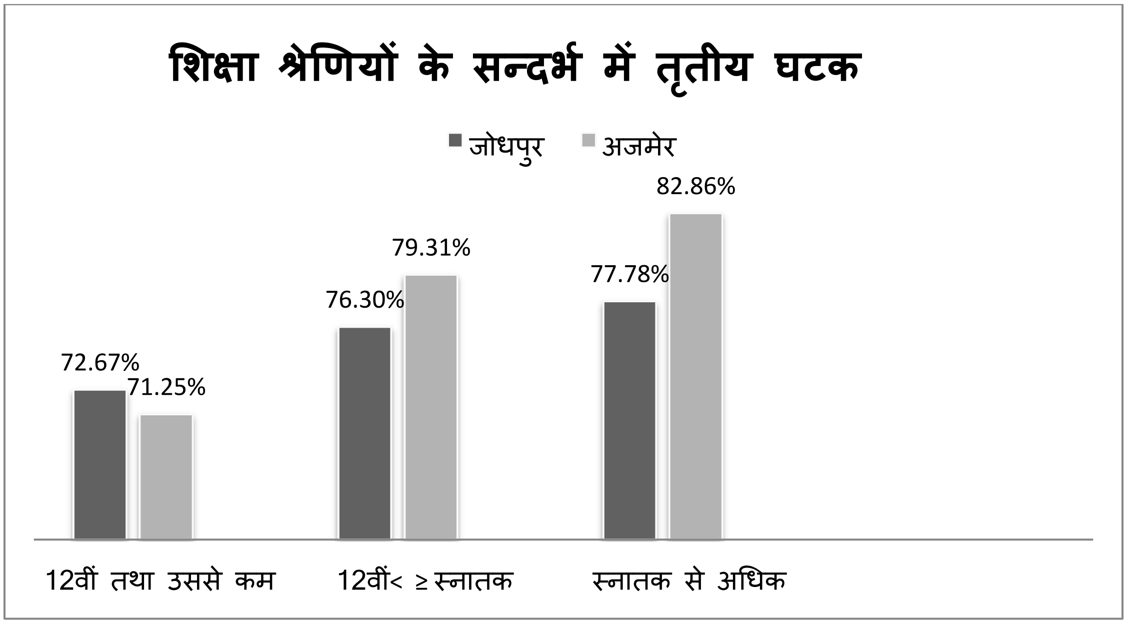

आरेख सं. 4.55

4.56 शिक्षा श्रेणियों के संबंध में तृतीय घटक का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता से संबंधित तृतीय घटक के तुलनात्मक अध्ययन में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि अजमेर जिले की प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 1.42% अधिक, जोधपुर जिले की द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 3.01% अधिक तथा जोधपुर जिले की तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 5.08% अधिक यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन की उनके प्रति ग्राहक सेवा की भावना बढ़ी है।

जोधपुर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 3.63% अधिक, द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 1.48% अधिक तथा प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 5.11% अधिक यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन की उनके प्रति ग्राहक सेवा की भावना बढ़ी है।

अजमेर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 8.06% अधिक, द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 3.55% अधिक तथा प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 11.61% अधिक यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन की उनके प्रति ग्राहक सेवा की भावना बढ़ी है।

4.57 शिक्षा श्रेणियों के सन्दर्भ में नागरिक केंद्रीयता का चतुर्थ घटक- जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा जिले की 10 सेवाओं में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के चतुर्थ घटक के स्तर को जानने के लिए जोधपुर तथा अजमेर जिले में तीन शिक्षा श्रेणियों से सम्बंधित जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से प्रश्न पूछा कि क्या पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन द्वारा आपकी शिकायतों का सही समय पर समाधान किया जा रहा है?

अनुसंधानकर्ता ने सर्वेक्षण में यह तथ्य पाए कि जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के चतुर्थ घटक के संदर्भ में जोधपुर में प्रथम शिक्षा श्रेणी की 80% जनसंख्या, द्वितीय शिक्षा श्रेणी की 82.96% जनसंख्या तथा तृतीय शिक्षा श्रेणी की 77.78% जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन द्वारा उनकी शिकायतों का सही समय पर समाधान करने की प्रवृत्ति बढ़ी है।

जबकि अजमेर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी की 75.63% जनसंख्या, द्वितीय शिक्षा श्रेणी की 84.14% जनसंख्या तथा तृतीय शिक्षा श्रेणी की 84.29% जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में प्रशासन द्वारा उनकी शिकायतों का सही समय पर समाधान करने की प्रवृत्ति बढ़ी है।

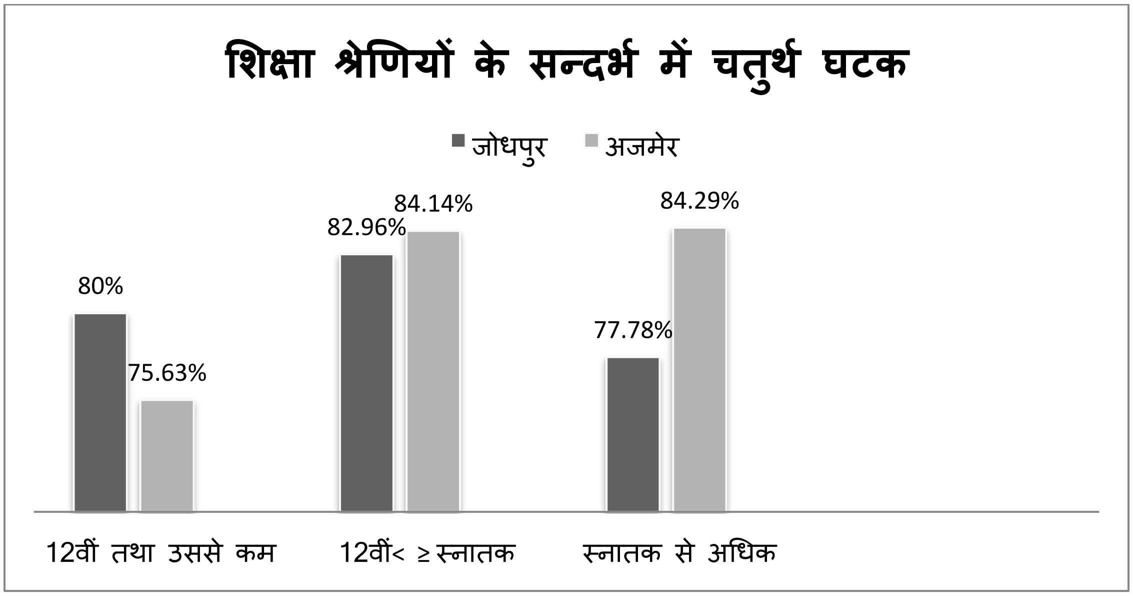

आरेख सं. 4.57

4.58 शिक्षा श्रेणियों के संबंध में चतुर्थ घटक का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित नागरिक केन्द्रीयता के चतुर्थ घटक के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि अजमेर जिले की प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 4.37% अधिक, जोधपुर जिले की द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 1.18% अधिक तथा जोधपुर जिले की तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 6.51% अधिक यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन द्वारा उनकी शिकायतों का सही समय पर समाधान करने की प्रवृत्ति बढ़ी है।

जोधपुर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 2.96% अधिक, तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 5.18% अधिक तथा तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 2.22% अधिक यह

मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन द्वारा उनकी शिकायतों का सही समय पर समाधान करने की प्रवृत्ति बढ़ी है।

जबकि अजमेर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 8.51% अधिक, द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 0.15% अधिक तथा प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 8.66% अधिक यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन द्वारा उनकी शिकायतों का सही समय पर समाधान करने की प्रवृत्ति बढ़ी है।

4.59 शिक्षा श्रेणियों के सन्दर्भ में नागरिक केंद्रीयता का पंचम घटक- जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा जिले की 10 सेवाओं में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के पंचम घटक के स्तर को जानने के लिए जोधपुर तथा अजमेर जिले में तीन शिक्षा श्रेणियों से सम्बंधित जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या पूर्व की अपेक्षा में प्रशासन द्वारा शासकीय कार्यक्रमों तथा योजनाओं की जानकारी आप तक सही समय पर पहुंचायी जा रही है?

अनुसंधानकर्ता ने सर्वेक्षण में यह तथ्य पाए कि जोधपुर तथा अजमेर में ई जिला पायलेट परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के पंचम घटक के संदर्भ में जोधपुर जिले की प्रथम शिक्षा श्रेणी की 87.33% जनसंख्या, द्वितीय शिक्षा श्रेणी की 94.07% जनसंख्या तथा तृतीय शिक्षा श्रेणी की 91.11% जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं की जानकारी उन तक सही समय पर पहुंचायी रही है।

जबकि अजमेर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी की 93.75% जनसंख्या, द्वितीय शिक्षा श्रेणी की 91.03% जनसंख्या तथा तृतीय शिक्षा श्रेणी की 94.29% जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन द्वारा सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं की जानकारी उन तक सही समय पर पहुंचायी जा रही है।

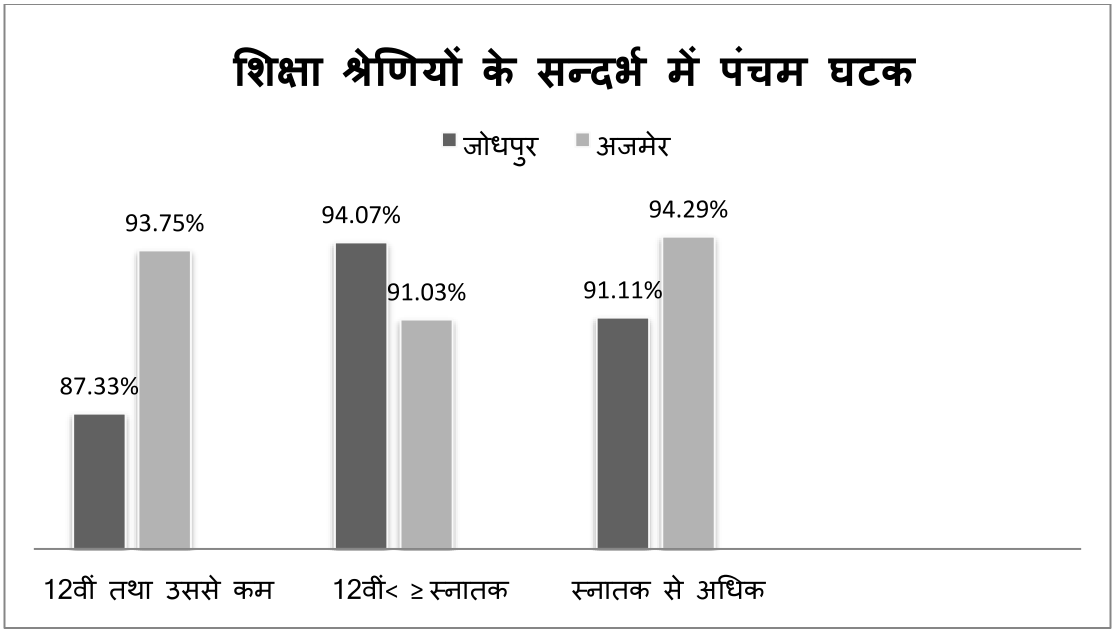

आरेख सं. 4.59

4.60 शिक्षा श्रेणियों के संबंध में पंचम घटक का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित नागरिक केन्द्रीयता के पंचम घटक के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को यह तथ्य प्राप्त हुए कि जोधपुर जिले की प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 6.42% अधिक, अजमेर जिले की द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 3.04% अधिक तथा जोधपुर जिले की तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की तृतीय शिक्षा श्रेणी की 3.18% अधिक जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं की जानकारी उन तक सही समय पर पहुंचायी जा रही है।

जोधपुर जिले की प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 6.74% अधिक, द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 2.96% अधिक तथा प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 3.78% अधिक यह

मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं की जानकारी उन तक सही समय पर पहुंचायी जा रही है।

जबकि अजमेर जिले में द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 2.72% अधिक, द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 3.26% अधिक तथा प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 0.54% अधिक यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं की जानकारी उन तक सरकारी प्रशासन द्वारा सही समय पर पहुंचायी जा रही है।

4.61 शिक्षा श्रेणियों के सन्दर्भ में नागरिक केंद्रीयता का षष्ठम घटक- जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा जिले की 10 सेवाओं में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के षष्ठम घटक के स्तर को जानने के लिए जोधपुर तथा अजमेर जिले में विभिन्न शिक्षा श्रेणियों से सम्बंधित जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन के क्रियाकलापों तथा योजनाओं में आपकी भागीदारी बढ़ी है?

अनुसंधानकर्ता ने सर्वेक्षण में यह तथ्य पाए कि जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना की क्रियान्विति के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता से संबंधित षष्ठम घटक के संदर्भ में जोधपुर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी की 72% जनसंख्या, द्वितीय शिक्षा श्रेणी की 74.81% जनसंख्या तथा तृतीय शिक्षा श्रेणी की 76.61% जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन के क्रियाकलापों तथा योजनाओं में उनकी भागीदारी बढ़ी है।

जबकि अजमेर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी की 75.63% जनसंख्या, द्वितीय शिक्षा श्रेणी की 80% जनसंख्या तथा तृतीय शिक्षा श्रेणी की 74.29% जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन के क्रियाकलापों तथा योजनाओं में उनकी भागीदारी बढ़ी है।

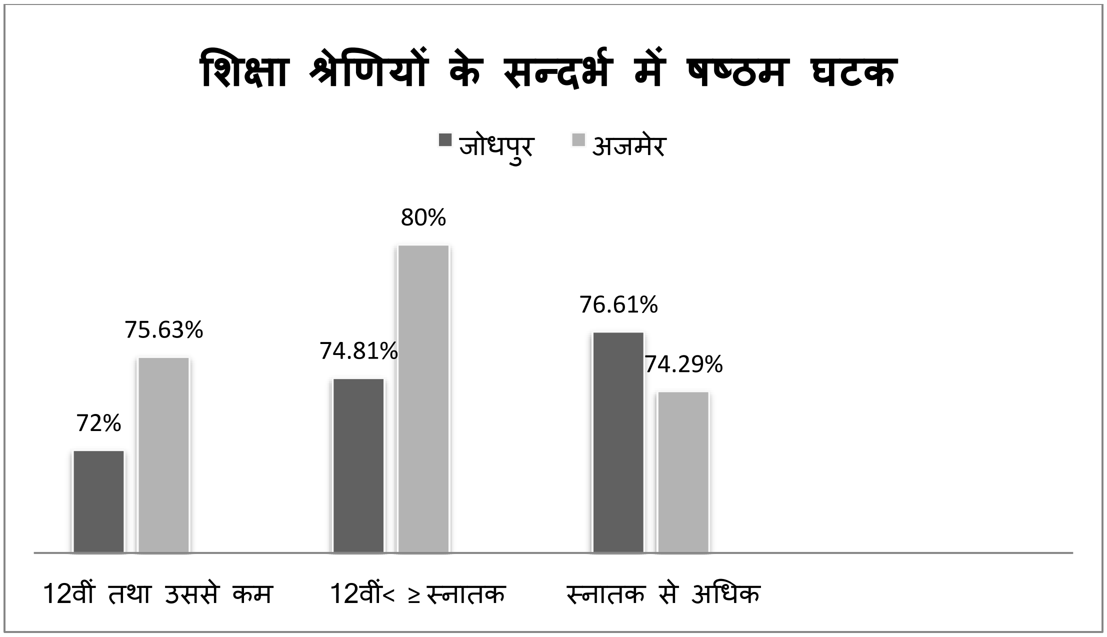

आरेख सं. 4.61

4.62 शिक्षा श्रेणियों के संबंध में षष्ठम घटक का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित षष्ठम घटक के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को यह तथ्य प्राप्त हुए कि जोधपुर जिले की प्रथम शिक्षण श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 3.63% अधिक, जोधपुर जिले की द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 5.19% अधिक तथा अजमेर जिले की तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 2.32% अधिक मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन के क्रियाकलापों तथा योजनाओं में उनकी भागीदारी बढ़ी है।

इसी संदर्भ में जोधपुर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 2.81% अधिक, द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 1.8% अधिक तथा प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 4.61% अधिक

यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन के क्रियाकलापों तथा योजनाओं में उनकी भागीदारी बढ़ी है।

जबकि अजमेर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 4.37% अधिक, तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 5.71% अधिक तथा तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 1.34% अधिक यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन के क्रियाकलापों तथा योजनाओं में उनकी भागीदारी बढ़ी है।

4.63 शिक्षा श्रेणियों के सन्दर्भ में नागरिक केंद्रीयता का सप्तम घटक- जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा जिले की 10 सेवाओं में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के सप्तम घटक के स्तर को जानने के लिए जोधपुर तथा अजमेर जिले में विभिन्न शिक्षा श्रेणियों से सम्बंधित जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या पहले की तुलना में सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ी है?

सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता को यह तथ्य प्राप्त हुए कि जोधपुर तथा अजमेर में ई जिला पायलेट परियोजना की क्रियान्विति के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता से संबंधित सप्तम घटक के संदर्भ में जोधपुर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी की 70.67% जनसंख्या, द्वितीय शिक्षा श्रेणी की 77.04% जनसंख्या तथा तृतीय शिक्षा श्रेणी की 75.56% जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ी है। जबकि अजमेर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी की 72.5% जनसंख्या, द्वितीय शिक्षा श्रेणी की 77.24% जनसंख्या तथा तृतीय शिक्षा श्रेणी की 78.25% जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ी है।

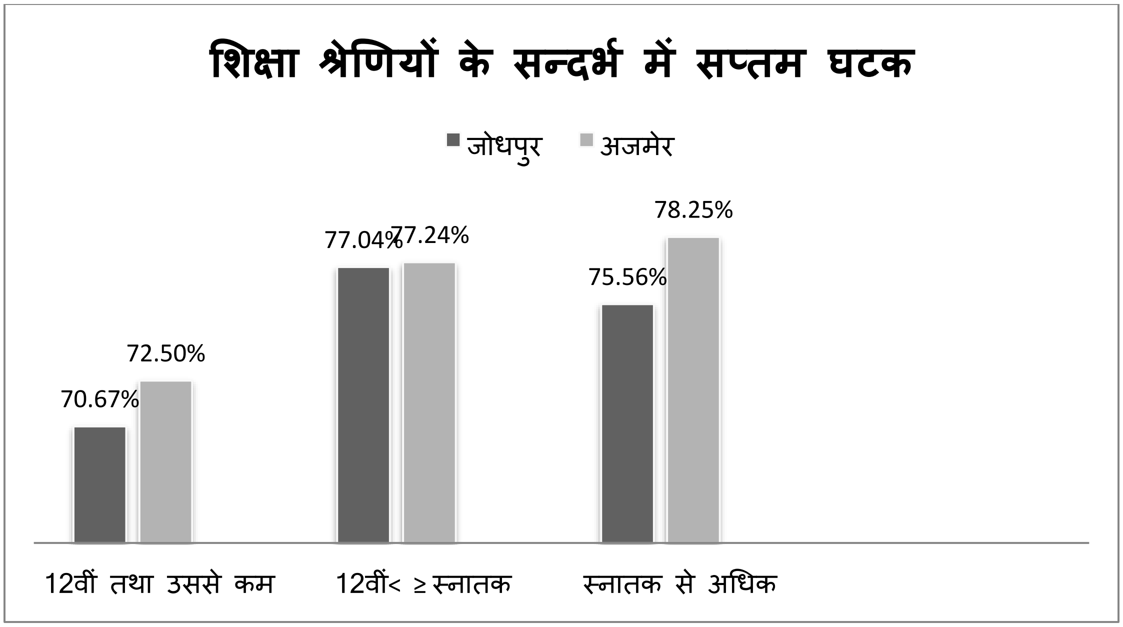

आरेख सं. 4.63

4.64 शिक्षा श्रेणियों के संबंध में सप्तम घटक का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता से संबंधित सप्तम घटक के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन में अनुसंधानकर्ता को यह तथ्य प्राप्त हुए कि जोधपुर जिले की प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 1.83% अधिक, जोधपुर जिले की द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 0.2% अधिक तथा जोधपुर जिले की तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 2.69% अधिक यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ी है।

जबकि इसी संदर्भ में जोधपुर जिले में प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 6.37% अधिक, तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या

1.48% अधिक तथा प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 4.89% अधिक यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ी है।

जबकि अजमेर जिले की प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 4.74% अधिक तथा द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 1.01% अधिक तथा प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या की तुलना में तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या 5.75% अधिक यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ी है।

4.65 आयु के आधार पर नागरिक केन्द्रीयता का विश्लेषण- राजस्थान में जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन की 10 सेवाओं को ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत जिला प्रशासन के द्वारा कार्यान्वित किया गया है। अनुसंधानकर्ता द्वारा ई-गवर्नेंस के क्रियान्वयन के फलस्वरूप उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के स्तर को जानने के लिए जोधपुर तथा अजमेर जिले में विस्तृत रुप से सर्वेक्षण का कार्य किया गया। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का आयु के आधार पर नागरिक केंद्रीयता के सन्दर्भ में विश्लेषण निम्न प्रकार से है।

4.66 आयु के आधार पर पांच आयु वर्गों का निर्माण- आयु के आधार पर विश्लेषण करने के लिए अनुसंधानकर्ता द्वारा सूचनादाताओं के 5 आयु वर्ग निर्धारित किए हैं, जो निम्न है-

प्रथम आयु वर्ग- 25 वर्ष तक अथवा उससे कम आयु के सूचनादाता

द्वितीय आयु वर्ग- 26 वर्ष से अधिक तथा 35 वर्ष तक की आयु के सूचनादाता

तृतीय आयु वर्ग- 36 वर्ष से अधिक तथा 45 वर्ष तक की आयु के सूचनादाता

चतुर्थ आयु वर्ग- 46 वर्ष से अधिक तथा 55 वर्ष तक की आयु के सूचनादाता

पंचम आयु वर्ग- 56 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के सूचनादाता

4.67 आयु वर्गों के सन्दर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का प्रथम घटक- जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा जिले की 10 सेवाओं में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के प्रथम घटक के स्तर को जानने के लिए जोधपुर तथा अजमेर जिले में विभिन्न आयु वर्ग

से संबंधित जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या पहले की अपेक्षा सही समय पर सरकार द्वारा आपको सेवाओं की प्रदायगी हो रही है?

सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना की क्रियान्विति के पश्चात उत्पन्न नागरिक केन्द्रीयता से संबंधित प्रथम घटक के संदर्भ में जोधपुर जिले में प्रथम आयु वर्ग की 93.33% जनसंख्या, द्वितीय आयु वर्ग की 94.67% जनसंख्या, तृतीय आयु वर्ग की 97.78% जनसंख्या, चतुर्थ आयु वर्ग की 96.36% जनसंख्या तथा पंचम आयु वर्ग की 98.46% जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकार द्वारा उन्हें सेवाओं की सही समय पर प्रदायगी हो रही है।

जबकि अजमेर जिले में प्रथम आयु वर्ग की 96% जनसंख्या, द्वितीय आयु वर्ग की 90% जनसंख्या, तृतीय आयु वर्ग 94.29% जनसंख्या, चतुर्थ आयु वर्ग की 94% जनसंख्या तथा पंचम आयु वर्ग की 90% जनसंख्या यह मानती है कि सरकारी प्रशासन द्वारा उन्हें पहले की तुलना में सेवाओं की सही समय पर प्रदायगी हो रही है।

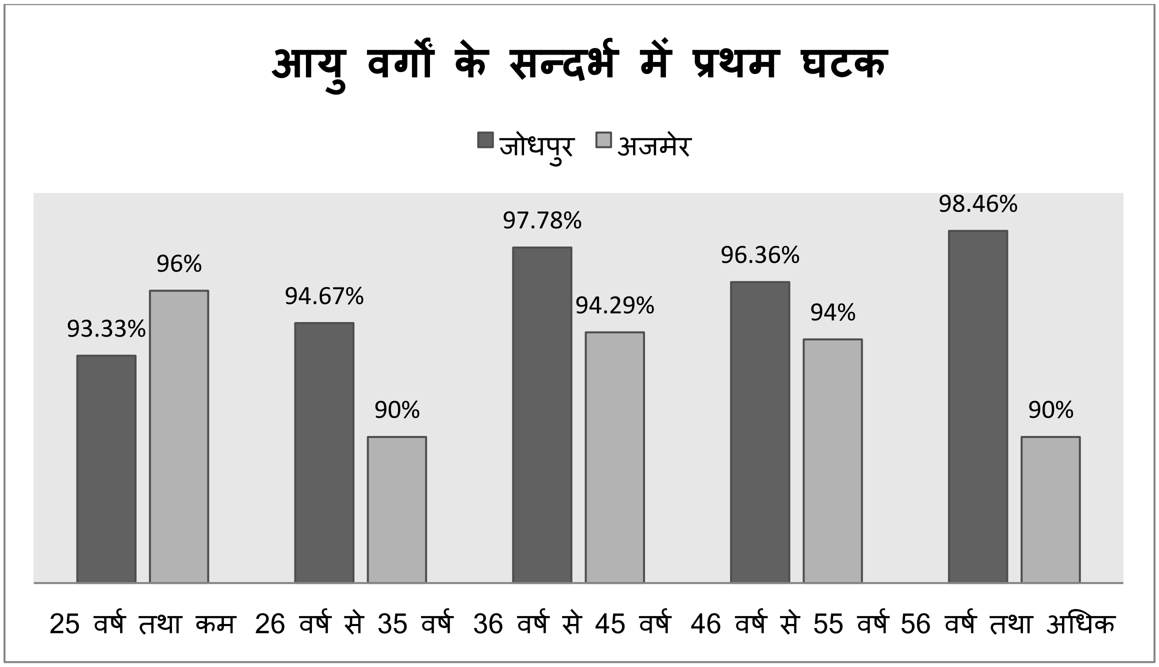

आरेख सं. 4.67

4.68 आयु वर्गों के संबंध में प्रथम घटक का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन से उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता से संबंधित प्रथम घटक तत्व जिसमें सरकार द्वारा नागरिकों को सेवाओं की सही समय पर प्रदायगी का अध्ययन किया जाना है, के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि जोधपुर जिले की प्रथम आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की प्रथम आयु वर्ग की जनसंख्या 2.67% अधिक, अजमेर जिले की द्वितीय आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की द्वितीय आयु वर्ग की जनसंख्या 4.67% अधिक, अजमेर जिले की तृतीय आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की तृतीय आयु वर्ग की जनसंख्या 3.49% अधिक, अजमेर जिले की चतुर्थ आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की चतुर्थ आयु वर्ग की जनसंख्या 2.36% अधिक तथा अजमेर जिले की पंचम आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की पंचम आयु वर्ग की जनसंख्या 8.46% अधिक यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकार द्वारा उन्हें सेवाओं की सही समय पर प्रदायगी बढ़ी है।

4.69 आयु वर्गों के सन्दर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का द्वितीय घटक- जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा जिले की 10 सेवाओं में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के द्वितीय घटक के स्तर को जानने के लिए अनुसंधानकर्ता द्वारा जोधपुर तथा अजमेर जिले में विभिन्न आयु वर्ग से संबंधित जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या पहले की तुलना में उनके द्वारा सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में उनके समय तथा धन की बचत हो रही है?

इस संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने सर्वेक्षण में यह तथ्य पाए कि जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना की क्रियान्विति के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के द्वितीय घटक के संदर्भ में जोधपुर जिले में प्रथम आयु वर्ग की 90% जनसंख्या, द्वितीय आयु वर्ग की 89.33% जनसंख्या, तृतीय आयु वर्ग की 93.33% जनसंख्या, चतुर्थ आयु वर्ग की 87.27% जनसंख्या तथा पंचम आयु वर्ग की 86.15% जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी सेवाओं को प्राप्त करने में उनके समय तथा धन की बचत बढ़ी

है। जबकि अजमेर जिले में प्रथम आयु वर्ग की 88% जनसंख्या, द्वितीय आयु वर्ग की 82.22% जनसंख्या, तृतीय आयु वर्ग की 91.43% जनसंख्या, चतुर्थ आयु वर्ग की 90% जनसंख्या तथा पंचम आयु वर्ग की 85% जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी सेवाओं को प्राप्त करने में उनके समय तथा धन की बचत बढ़ी है।

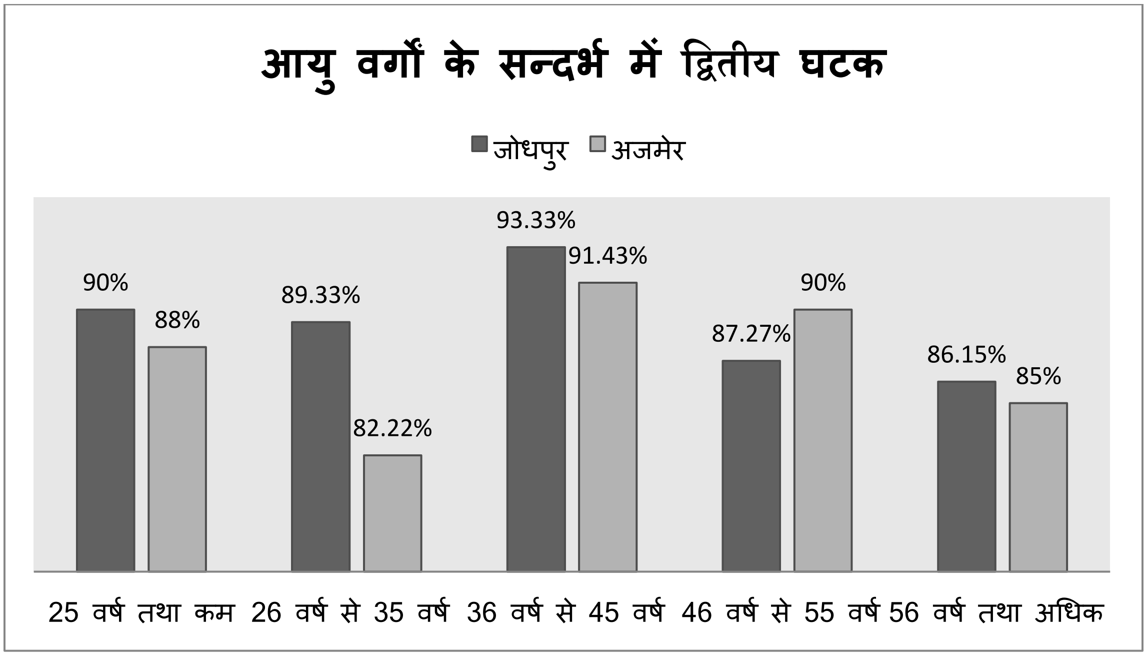

आरेख सं. 4.69

4.70 आयु वर्गों के संबंध में द्वितीय घटक का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना की क्रियान्विति के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता से संबंधित द्वितीय घटक के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को यह तथ्य प्राप्त हुए कि अजमेर जिले की प्रथम आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की प्रथम आयु वर्ग की जनसंख्या 2% अधिक, अजमेर जिले की द्वितीय आयु वर्ग की तुलना में जोधपुर जिले की द्वितीय आयु वर्ग की जनसंख्या 7.11% अधिक, अजमेर जिले की तृतीय आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की तृतीय आयु वर्ग की जनसंख्या 1.9% अधिक, जोधपुर जिले की चतुर्थ आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की चतुर्थ आयु वर्ग की जनसंख्या 2.73% अधिक तथा अजमेर जिले की पंचम आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले

की पंचम आयु वर्ग की जनसंख्या 1.15% अधिक यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी सेवाओं का उपयोग करने में उनके समय तथा धन की बचत बढ़ी है।

4.71 आयु वर्गों के सन्दर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का तृतीय घटक- जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा जिले की 10 सेवाओं में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के तृतीय घटक के स्तर को जानने के लिए जोधपुर तथा अजमेर जिले में विभिन्न आयु वर्ग से सम्बंधित जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन की आपके प्रति ग्राहक सेवा की भावना बढ़ी है?

इस संदर्भ में अनुसंधानकर्ता ने सर्वेक्षण में यह तथ्य पाए कि जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना की क्रियान्विति के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के तृतीय घटक के संदर्भ में जोधपुर जिले में प्रथम आयु वर्ग की 72.22% जनसंख्या, द्वितीय आयु वर्ग की 76% जनसंख्या, तृतीय आयु वर्ग की 75.56% जनसंख्या, चतुर्थ आयु वर्ग की 72.73% जनसंख्या तथा पंचम आयु वर्ग की 80% जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन की उनके प्रति ग्राहक सेवा की भावना बढ़ी है।

जबकि अजमेर जिले में प्रथम आयु वर्ग की 86.67% जनसंख्या, द्वितीय आयु वर्ग की 73.33% जनसंख्या, तृतीय आयु वर्ग की 77.14% जनसंख्या, चतुर्थ आयु वर्ग की 75% जनसंख्या तथा पंचम आयु वर्ग की 67.5% जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन की उनके प्रति ग्राहक सेवा की भावना बढ़ी है।

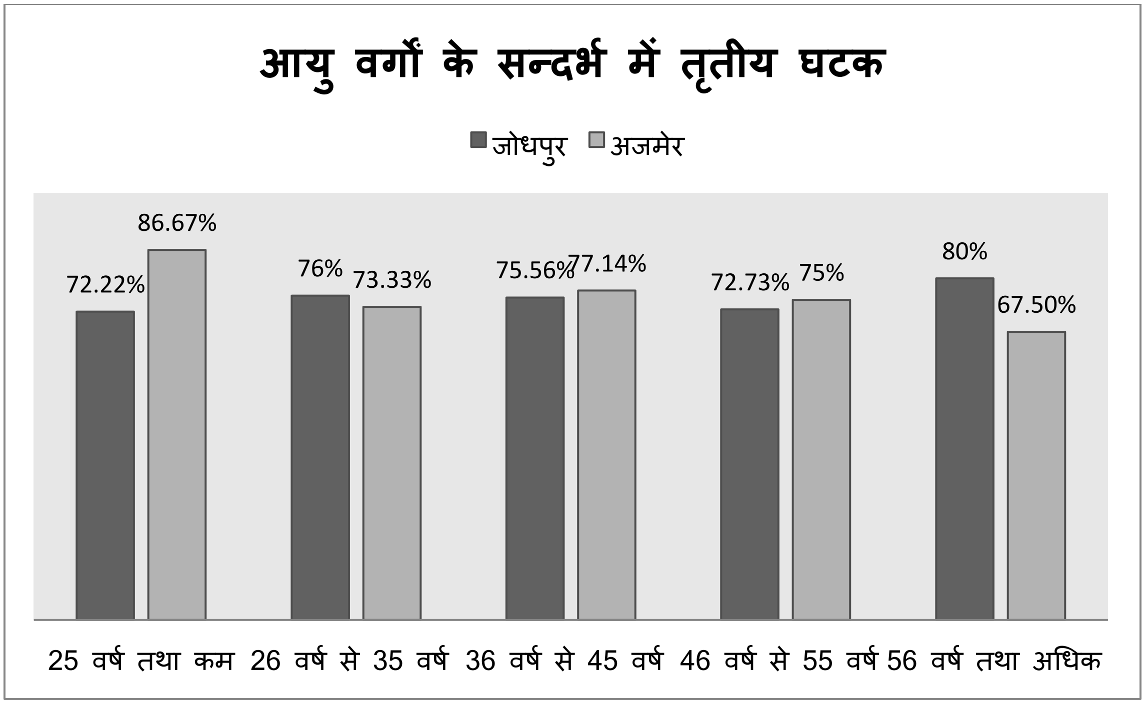

आरेख सं. 4.71

4.72 आयु वर्गों के संबंध में तृतीय घटक का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के तृतीय घटक के तुलनात्मक अध्ययन में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि जोधपुर जिले की प्रथम आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की प्रथम आयु वर्ग की जनसंख्या 14.45% अधिक, अजमेर जिले की द्वितीय आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की द्वितीय आयु वर्ग की जनसंख्या 2.67% अधिक, जोधपुर जिले की तृतीय आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की तृतीय आयु वर्ग की जनसंख्या 1.58% अधिक, जोधपुर जिले की चतुर्थ आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की चतुर्थ आयु वर्ग की जनसंख्या 2.27% अधिक तथा अजमेर जिले की पंचम आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की पंचम आयु वर्ग की जनसंख्या 12.5% अधिक यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन की उनके प्रति ग्राहक सेवा की भावना बढ़ी है।

4.73 आयु वर्गों के सन्दर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का चतुर्थ घटक- जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा जिले की 10 सेवाओं में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के चतुर्थ घटक के स्तर को जानने के लिए जोधपुर तथा अजमेर जिले में विभिन्न आयु वर्ग से सम्बंधित जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन द्वारा आपकी शिकायतों का सही समय पर समाधान किया जा रहा है?

सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता ने यह तथ्य पाए कि जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना की क्रियान्विति के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता से संबंधित चतुर्थ घटक के संदर्भ में जोधपुर जिले में प्रथम आयु वर्ग की 81.11% जनसंख्या, द्वितीय आयु वर्ग की 76% जनसंख्या, तृतीय आयु वर्ग की 84.44% जनसंख्या, चतुर्थ आयु वर्ग की 78.18% जनसंख्या तथा पंचम आयु वर्ग की 81.54% जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन द्वारा उनकी शिकायतों का सही समय पर समाधान करने की प्रवृत्ति बढ़ी है।

जबकि अजमेर जिले में प्रथम आयु वर्ग की 82.67% जनसंख्या, द्वितीय आयु वर्ग की 75.56% जनसंख्या, तृतीय आयु वर्ग की 84.29% जनसंख्या, चतुर्थ आयु वर्ग की 80% जनसंख्या तथा पंचम आयु वर्ग की 82.5% जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन द्वारा उनकी शिकायतों का सही समय पर समाधान करने की प्रवृत्ति बढ़ी है।

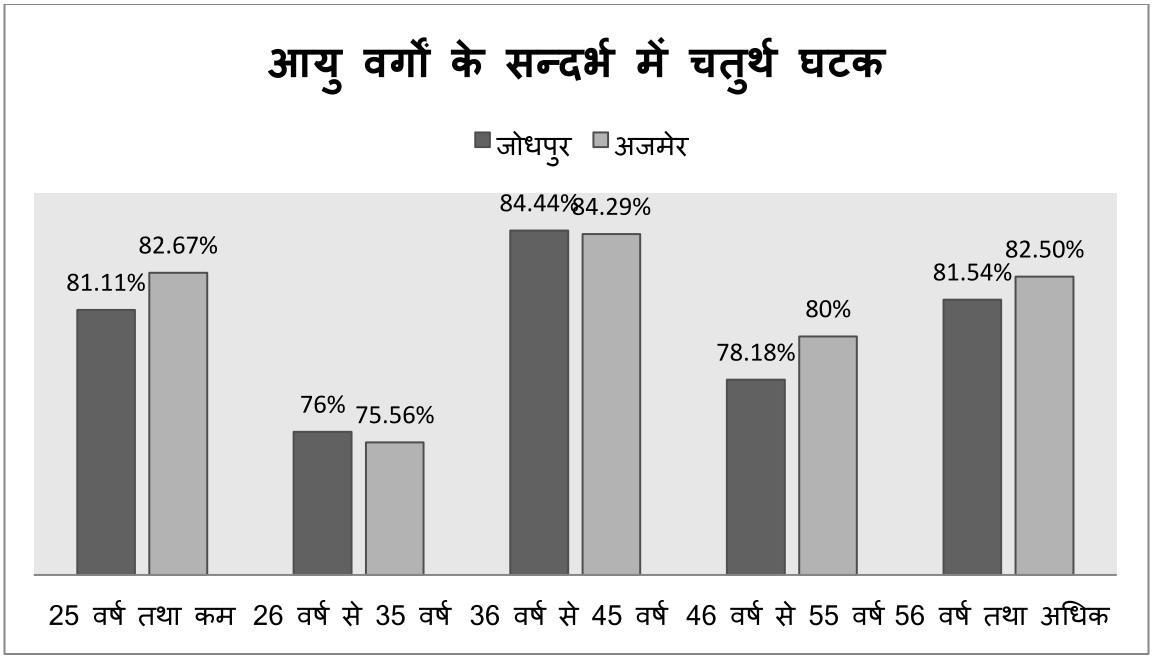

आरेख सं. 4.73

4.74 आयु वर्गों के संबंध में चतुर्थ घटक का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित चतुर्थ घटक के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को यह तथ्य प्राप्त हुए कि जोधपुर जिले की प्रथम आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की प्रथम आयु वर्ग की जनसंख्या 1.56% अधिक, अजमेर जिले की द्वितीय आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की द्वितीय आयु वर्ग की जनसंख्या 0.44% अधिक, अजमेर जिले की तृतीय आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की तृतीय आयु वर्ग की जनसंख्या 0.15% अधिक, जोधपुर जिले की चतुर्थ आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की चतुर्थ आयु वर्ग की जनसंख्या 1.82% अधिक तथा जोधपुर जिले की पंचम आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की पंचम आयु वर्ग की जनसंख्या 0.96% अधिक यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन द्वारा उनकी शिकायतों का सही समय पर समाधान करने की प्रवृत्ति बढ़ी है।

4.75 आयु वर्गों के सन्दर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का पंचम घटक- जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा जिले की 10 सेवाओं में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के पंचम घटक के स्तर को जानने के लिए जोधपुर तथा अजमेर जिले में विभिन्न आयु वर्ग से सम्बंधित जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या पूर्व की अपेक्षा में प्रशासन द्वारा सरकार के कार्यक्रमों तथा योजनाओं की जानकारी आप तक सही समय पर पहुंचायी जा रही है?

जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना की क्रियान्विति के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता से संबंधित पंचम घटक के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को सर्वेक्षण के माध्यम से यह तथ्य प्राप्त हुए कि जोधपुर जिले में प्रथम आयु वर्ग की 93.33% जनसंख्या, द्वितीय आयु वर्ग की 88% जनसंख्या, तृतीय आयु वर्ग की 94.44% जनसंख्या, चतुर्थ आयु वर्ग की 87.27% जनसंख्या तथा पंचम आयु वर्ग की 87.69% जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं की जानकारी उन तक अब सही समय पर पहुँच रही है।

जबकि अजमेर जिले में प्रथम आयु वर्ग की 93.33% जनसंख्या, द्वितीय आयु वर्ग की 95.56% जनसंख्या, तृतीय आयु वर्ग की 92.86% जनसंख्या, चतुर्थ आयु वर्ग की 90% जनसंख्या तथा पंचम आयु वर्ग की 92.5% जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन द्वारा सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं की जानकारी उन तक सही समय पर पहुंचायी जा रही है।

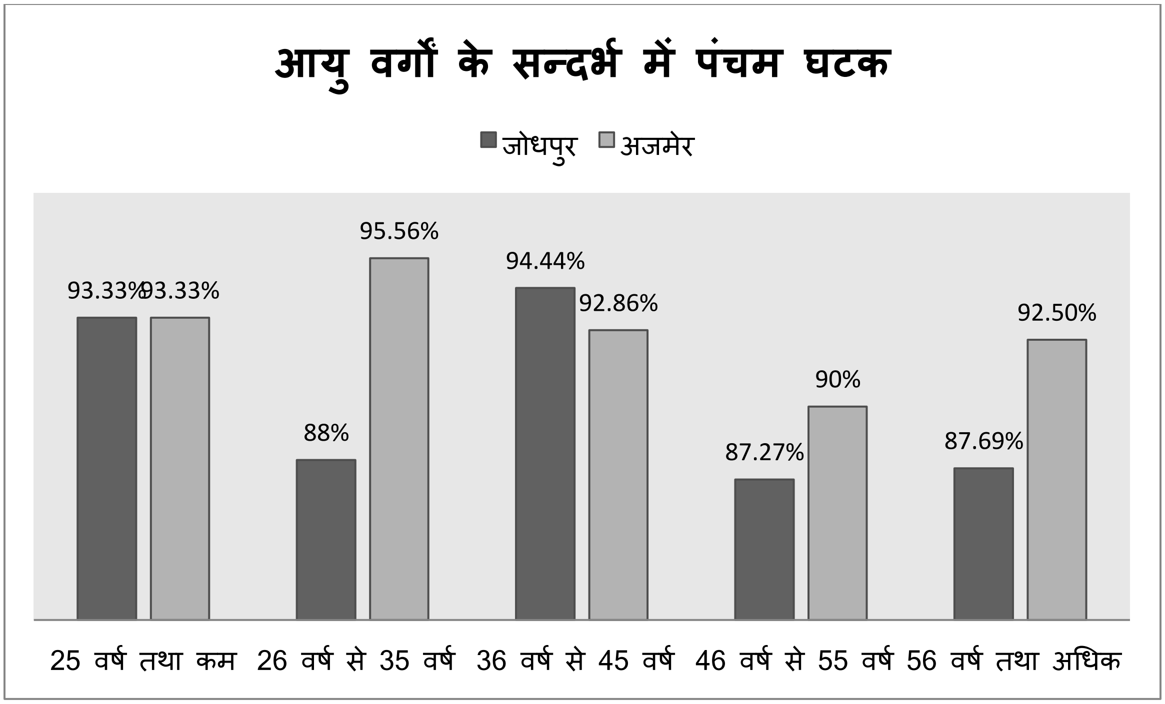

आरेख सं. 4.75

4.76 आयु वर्गों के संबंध में पंचम घटक का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित ई जिला पायलेट परियोजना से उत्पन्न नागरिक केन्द्रीयता से संबंधित पंचम घटक के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को यह तथ्य प्राप्त हुए कि जोधपुर तथा अजमेर जिले में प्रथम आयु वर्ग की जनसंख्या समान रूप से, जोधपुर जिले की द्वितीय आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की द्वितीय आयु वर्ग की जनसंख्या 7.56% अधिक, अजमेर जिले की तृतीय आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की तृतीय आयु वर्ग की जनसंख्या 1.58% अधिक, जोधपुर जिले की चतुर्थ आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की चतुर्थ आयु वर्ग की जनसंख्या 2.73% अधिक तथा जोधपुर जिले में की पंचम आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की पंचम आयु वर्ग की जनसंख्या 4.81% अधिक यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन द्वारा सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं की जानकारी उन तक सही समय पर पहुंचायी जा रही है।

4.77 आयु वर्गों के सन्दर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का षष्ठम घटक- जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा जिले की 10 सेवाओं में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के षष्ठम घटक के स्तर को जानने के लिए जोधपुर तथा अजमेर जिले में विभिन्न आयु वर्ग से सम्बंधित जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन के क्रियाकलापों तथा योजनाओं में आपकी भागीदारी बढ़ी है?

जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना की क्रियान्विति के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता से संबंधित षष्ठम घटक के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को सर्वेक्षण के माध्यम से यह तथ्य प्राप्त हुए कि जोधपुर जिले में प्रथम आयु वर्ग की 75.56% जनसंख्या, द्वितीय आयु वर्ग की 74.67% जनसंख्या, तृतीय आयु वर्ग की 73.33% जनसंख्या, चतुर्थ आयु वर्ग की 72.73% जनसंख्या तथा पंचम आयु वर्ग की 73.85% जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन के क्रियाकलापों तथा योजनाओं में उनकी भागीदारी बढ़ी है।

जबकि अजमेर जिले में प्रथम आयु वर्ग की 81.33% जनसंख्या, द्वितीय आयु वर्ग की 77.78% जनसंख्या, तृतीय आयु वर्ग की 75.71% जनसंख्या, चतुर्थ आयु वर्ग की 77% जनसंख्या तथा पंचम आयु वर्ग की 70% जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन के क्रियाकलापों तथा योजनाओं में उनकी भागीदारी बढ़ी है।

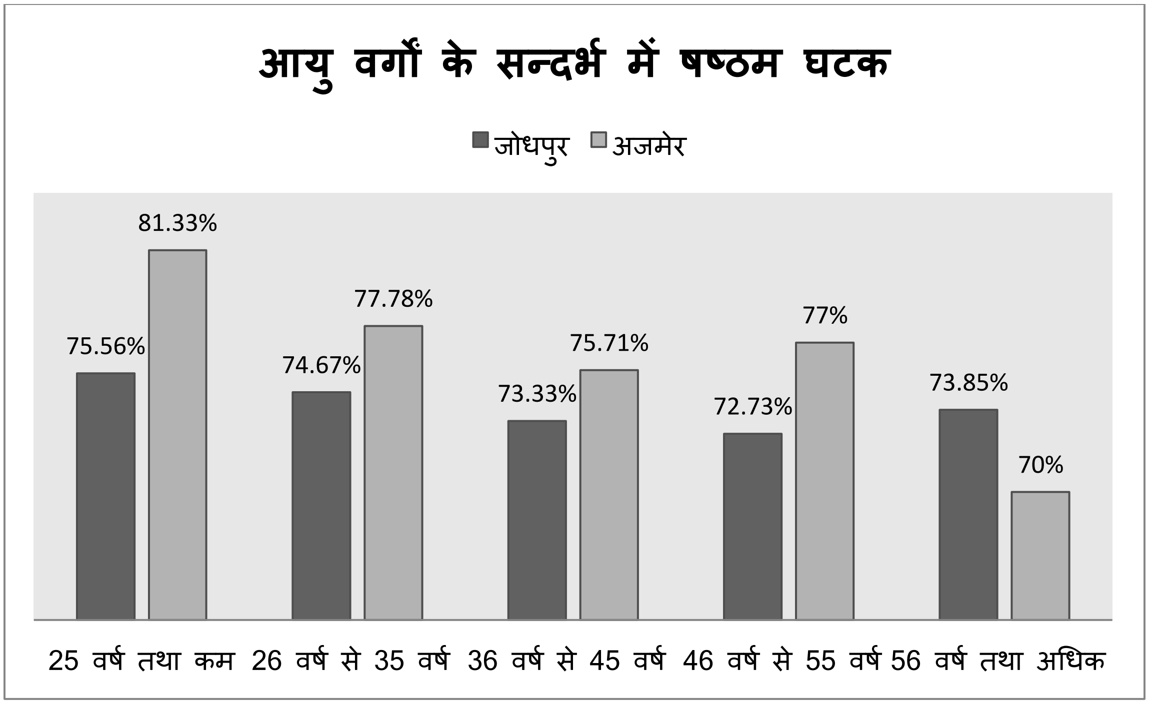

आरेख सं. 4.77

4.78 आयु वर्गों के संबंध में षष्ठम घटक का तुलनात्मक अध्ययन- जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केन्द्रीयता के षष्ठम घटक के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को सर्वेक्षण के माध्यम से यह तथ्य प्राप्त हुए कि जोधपुर जिले की प्रथम आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की प्रथम आयु वर्ग की जनसंख्या 5.77% अधिक, जोधपुर जिले की द्वितीय आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की द्वितीय आयु वर्ग की जनसंख्या 3.11% अधिक, जोधपुर जिले की तृतीय आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की तृतीय आयु वर्ग की जनसंख्या 2.38% अधिक, जोधपुर जिले की चतुर्थ आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की चतुर्थ आयु वर्ग की जनसंख्या 4.27% अधिक तथा अजमेर जिले की पंचम आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की पंचम आयु वर्ग की जनसंख्या 3.85% अधिक यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी प्रशासन के क्रियाकलापों तथा योजनाओं में उनकी भागीदारी बढ़ी है।

4.79 आयु वर्गों के सन्दर्भ में नागरिक केन्द्रीयता का सप्तम घटक- जोधपुर तथा अजमेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा जिले की 10 सेवाओं में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के सप्तम घटक के स्तर को जानने के लिए जोधपुर तथा अजमेर जिले में विभिन्न आयु वर्ग से सम्बंधित जनसंख्या के संदर्भ में सूचनादाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या पहले की तुलना में सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ी है?

सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता को यह तथ्य प्राप्त हुए कि जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना की क्रियान्विति के पश्चात उत्पन्न नागरिक केन्द्रीयता से संबंधित सप्तम घटक के संदर्भ में जोधपुर जिले में प्रथम आयु वर्ग की 74.44% जनसंख्या, द्वितीय आयु वर्ग की 73.33% जनसंख्या, तृतीय आयु वर्ग की 76.67% जनसंख्या, चतुर्थ आयु वर्ग की 69.09% जनसंख्या तथा पंचम आयु वर्ग की 75.38% जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ी है।

इसी संदर्भ में अजमेर जिले में प्रथम आयु वर्ग की 81.33% जनसंख्या, द्वितीय आयु वर्ग 70% जनसंख्या, तृतीय आयु वर्ग की 74.29% जनसंख्या, चतुर्थ आयु वर्ग 75% जनसंख्या तथा पंचम आयु वर्ग की 80% जनसंख्या यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ी है।

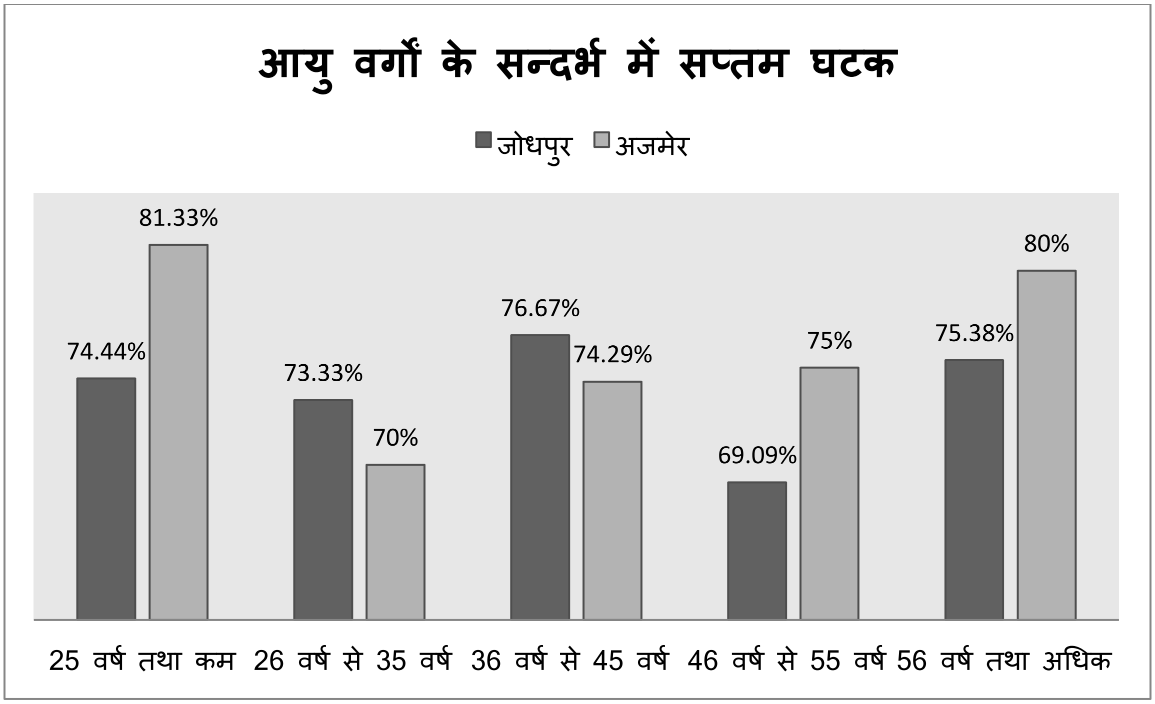

आरेख सं. 4.79

4.80 आयु वर्गों के संबंध में सप्तम घटक का तुलनात्मक अध्ययन- ई जिला पायलेट परियोजना से उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता से संबंधित सप्तम घटक के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को यह तथ्य प्राप्त हुए कि जोधपुर जिले की प्रथम आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की प्रथम आयु वर्ग की जनसंख्या 6.89% अधिक, अजमेर जिले की द्वितीय आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की द्वितीय आयु वर्ग की जनसंख्या 3.33% अधिक, अजमेर जिले की तृतीय आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की तृतीय आयु वर्ग की जनसंख्या 2.38% अधिक, जोधपुर जिले की चतुर्थ आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की चतुर्थ आयु वर्ग की जनसंख्या 5.91% अधिक तथा जोधपुर जिले की पंचम आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की पंचम आयु वर्ग की जनसंख्या 4.62% अधिक यह मानती है कि पहले की तुलना में सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ी है।

पंचम

अध्याय

{निष्कर्ष तथा सुझाव}

5.1 राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना की वर्तमान में स्थिति- अनुसंधानकर्ता द्वारा जिस ई जिला पायलेट परियोजना पर अनुसंधान का कार्य किया गया है, वह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा वर्ष 2006 में बनाई गई राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना का एक महत्वपूर्ण मिशन मोड प्रोजेक्ट है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की पहली सरकार द्वारा वर्ष 2006 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना का निर्माण किया गया, जिसका उद्देश्य संपूर्ण भारत में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना तथा सरकारी सेवाओं को ई-गवर्नेंस के माध्यम से प्रदान करना था।

इस योजना में भारत सरकार द्वारा कुल 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट बनाए गए थे, जिन्हें तीन हिस्सों में विभाजित किया गया। प्रथम श्रेणी के मिशन मोड प्रोजेक्ट वो थे जिन्हें केवल केंद्र सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जाना था। द्वितीय श्रेणी के मिशन मोड प्रोजेक्ट वो थे जिन्हें केवल राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जाना था तथा तृतीय श्रेणी के मिशन मोड प्रोजेक्ट वो थे जिन्हें केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रुप से क्रियान्वित किया जाना था।

प्रथम श्रेणी के मिशन मोड़ प्रोजेक्ट जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जाना था में आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ई कार्यालय, बीमा, आव्रजन, वीजा, विदेशी पंजीकरण एवं ट्रैकिंग, कॉरपोरेट मामलों से जुड़े कार्य, विशिष्ट पहचान संख्या, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, पेंशन, पासपोर्ट, बैंकिंग तथा डाक इत्यादि थे।

द्वितीय श्रेणी के मिशन मोड प्रोजेक्ट जिन्हें राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जाना था में प्रमुख रुप से नगरपालिकाऐं, शिक्षा, अपराध तथा अपराधी खोज नेटवर्क तथा सिस्टम(CCTNS), कृषि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य, रोजगार कार्यालय, ई पंचायत, राजकोष तथा वाणिज्य कर, ई जिला कार्यक्रम, सड़क परिवहन तथा राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम थे।

तृतीय श्रेणी के मिशन मोड प्रोजेक्टों जिन्हें केंद्र तथा राज्य द्वारा संयुक्त रुप से अधिकृत किया जाना था में राष्ट्रीय ई शासन सेवा वितरण गेटवे, भारतीय पोर्टल, व्यापार के लिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ई प्राप्ति, ई न्यायालय, ई बिज तथा सामान्य सेवा केंद्र थे।

वर्ष 2013 में भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ तथा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी तथा श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी ई-गवर्नेंस के प्रबल पक्षधर तथा समर्थक रहे हैं तथा गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने गुजरात में ई-गवर्नेंस के संदर्भ में व्यापक स्तर पर कार्य किए। अपनी इस महत्वाकांक्षा को सार्थक रूप देने के लिए तथा संपूर्ण भारत का डिजिटलाइजेशन करने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना का ही एक व्यापक और विस्तारित रूप है, इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में संपूर्ण सरकारी तंत्र को केंद्र से स्थानीय स्तर तक व्यापक रुप से ई-गवर्नेंस के माध्यम से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है ताकि संपूर्ण सरकारी तंत्र को किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उपयोग में लिया जा सके।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इसे कुल 9 आधारभूत स्तंभों में विभाजित किया गया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का पांचवा आधारभूत स्तंभ है ई क्रांति अर्थात नागरिकों को सरकारी सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक प्रदायगी। इस संदर्भ में भारत सरकार का मूल मंत्र है गवर्नेंस के कायाकल्प के लिए ई-गवर्नेंस का कायाकल्प। ई क्रांति के अंतर्गत भारत सरकार ने कुल 44 मिशन मोड परियोजनाओं का निर्माण किया है तथा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत आने वाले 31 मिशन मोड प्रोजेक्टों का इनमें समावेश कर दिया गया है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना की भांति डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले 44 मिशन मोड़ परियोजनाओं को भी तीन श्रेणी में बांटा गया है।

प्रथम श्रेणी में उन मिशन मोड़ परियोजनाओं को रखा गया है, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जाना है। इसमें कुल 13 मिशन मोड परियोजनाओं को रखा गया है जिसमें आयकर, पासपोर्ट, कंपनी कार्य से जुड़े मामले, बीमा, राष्ट्रीय नागरिक डेटाबेस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, पेंशन, बैंकिंग, ई कार्यालय, पोस्ट ऑफिस, वीजा तथा आव्रजन, ई संसद तथा अर्धसैनिक बलों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े सामान्य कार्यक्रमों का समावेश है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में द्वितीय श्रेणी के मिशन मोड प्रोजेक्ट वह हैं जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जाना है। इनकी कुल संख्या 17 है, इनमें भू अभिलेख, ई जिला कार्यक्रम, सड़क परिवहन, पंजीकरण, कृषि, कोषागार, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, वाणिज्य कर, पुलिस प्रशासन, रोजगार, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ई विधान, कृषि, ग्रामीण विकास तथा महिला एवं बाल विकास जैसे कार्यक्रमों का समावेश है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में तृतीय श्रेणी के मिशन मोड प्रोजेक्ट वह हैं, जिन्हें केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रुप से क्रियान्वित किया जाना है इनकी कुल संख्या 14 है। इनमें ई कॉमर्स, ई बीज, कॉमन सर्विस सेंटर, इंडिया पोर्टल, ई कोर्ट, ई प्राप्ति, नेशनल सर्विस डिलीवरी गेटवे, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण से जुड़े लाभ, सड़क एवं राजमार्ग सूचना प्रणाली, ई भाषा, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा शहरी गवर्नेंस जैसे कार्यक्रमों का समावेश है।

5.2 ई जिला पायलेट परियोजना की वर्तमान में स्थिति- ई जिला कार्यक्रम वर्ष 2006 में तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना की एक महत्वपूर्ण मिशन मोड परियोजना है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना में कुल 31 मिशन मोड परियोजनाऐं थी, जिनमें से एक महत्वपूर्ण परियोजना ई जिला कार्यक्रम है जिसे राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जाना था। वर्ष 2010 में भारत सरकार ने देश के 16 राज्यों के 41 जिलों का चयन किया, जिसमें ई जिला कार्यक्रम को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में जिला प्रशासन की मात्र 10 सेवाओं में लागू किया गया।

इस संदर्भ में राजस्थान सरकार के सहयोग से भारत सरकार ने राजस्थान के 2 जिलों जोधपुर तथा अजमेर का चयन किया। ई जिला पायलेट प्रोजेक्ट में जिला प्रशासन की चयनित 10 सेवाओं को ग्राम पंचायत स्तर तक ई-गवर्नेंस के आधार पर प्रदान किया जाना था, किंतु तत्कालीन राजस्थान सरकार की इस पायलेट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में गति थोड़ी धीमी रही, यही कारण है कि वर्ष 2013 के पूर्वार्द्ध तक राजस्थान सरकार के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के संदर्भ में वर्कशॉप का ही आयोजन होता रहा।

वर्ष 2013 के उत्तरार्ध में जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना का कार्यान्वयन प्रारंभ हुआ तथा वर्ष 2014 के अंत तक जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना का ठीक से क्रियान्वयन हो सका। ई जिला पायलेट परियोजना राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी जिसे भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में विलोपित कर दिया है। अतः वर्तमान में ई जिला कार्यक्रम डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में संपूर्ण भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए नौ आधारभूत स्तंभों का निर्माण किया गया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का पांचवा आधारभूत स्तंभ है ई क्रांति अर्थात नागरिक सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक प्रदायगी। ई क्रांति के अंतर्गत भारत सरकार ने कुल 44 मिशन मोड परियोजनाओं को शामिल किया है तथा उन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया है।

प्रथम श्रेणी में वे मिशन मोड परियोजनाऐं हैं जिन्हें केंद्र द्वारा क्रियान्वित किया जाना है। द्वितीय श्रेणी में वे मिशन मोड परियोजनाऐं हैं, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जाना है तथा तृतीय श्रेणी में वे मिशन मोड परियोजना हैं जिन्हें केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रुप से क्रियान्वित किया जाना है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजना में भी 31 मिशन मोड परियोजनाओं का विभाजन इन्हीं तीन श्रेणियों में किया गया था तथा यह ई जिला कार्यक्रम राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी जिसे राज्य द्वारा क्रियान्वित किया जाना है, के अंतर्गत आता था।

डिजिटल इंडिया के महत्वपूर्ण आधारभूत स्तंभ ई क्रांति के अंतर्गत ई जिला कार्यक्रम का समावेश कर दिया गया है। अतः वर्तमान में ई जिला कार्यक्रम डिजिटल इंडिया का एक महत्वपूर्ण मिशन मोड प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य भारत के राज्यों के जिलों में जिला प्रशासन द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को पूर्ण रूप से ई-गवर्नेंस के आधार पर प्रदान किया जाना है।

5.3 ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाऐं- ई जिला पायलेट परियोजना के सफल क्रियान्वयन में आने वाली सबसे प्रमुख बाधा है, जनता की सक्रिय भागीदारी का अभाव, विशेष रुप से जोधपुर तथा अजमेर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों की ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी योजनाओं

तथा कार्यक्रमों में भागीदारी बहुत कम है। ग्रामीण क्षेत्र जो शहरों के निकटस्थ हैं उनमें यद्यपि यह समस्या कम पायी जाती है, किंतु वे ग्रामीण क्षेत्र जो शहरों से अत्यधिक दूर हैं तथा दुर्गम इलाकों में स्थित हैं, वहां के लोगों की अभी भी ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी सेवाओं की प्राप्ति की क्षमता बहुत कम है।

जोधपुर तथा अजमेर जिले में शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में बहुत अच्छी है तथा शहरों में ग्रामीण क्षेत्र के समान भाषा संबंधी समस्या भी नहीं है, इस कारण से जोधपुर तथा अजमेर जिले में शहरी क्षेत्र के नागरिकों ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की तुलना में ई जिला पायलेट परियोजना की सेवाओं का उपयोग ई-गवर्नेंस के माध्यम से बहुत अधिक किया है।

ई जिला पायलेट परियोजना के जोधपुर तथा अजमेर जिले में सफल क्रियान्वयन में आने वाली दूसरी प्रमुख बाधा दुरस्त इलाकों में कॉमन सर्विस सेंटर अर्थात ई मित्र सेवा केंद्रों की कमी है। राजस्थान सरकार द्वारा ई मित्र सेवा केंद्रों का संचालन सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मोड पर चलाया जा रहा है। यह न केवल राजस्थान में ई-गवर्नेंस की स्थापना का एक मजबूत स्तंभ है, बल्कि यह रोजगार प्रदान करने का भी एक महत्वपूर्ण मार्ग है।

जोधपुर तथा अजमेर जिले के शहरी क्षेत्रों में तो ई मित्र सेवा केंद्र पर्याप्त मात्रा में है तथा जो लोग शहरों में ई मित्र केंद्रों का संचालन कर रहे हैं, उन्हें उनसे आय भी बहुत अच्छी हो रही है किंतु जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ई मित्र केंद्रों का संचालन कर रहे हैं, उन्हें शहर में चलने वाले ई मित्र सेवा केंद्रों के समान आय नहीं हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र के युवक ग्रामीण क्षेत्रों में ई मित्र केंद्रों का संचालन तभी कर रहे हैं जब उस ग्राम की जनसंख्या ज्यादा हो तथा उसका शहर से संपर्क अच्छा हो। जोधपुर तथा अजमेर जिले के ग्रामीण इलाके जो शहरों से दूर स्थिति में है तथा जहां जनसंख्या बहुत कम है, वहां आज भी ई मित्र सेवा केंद्रों का अभाव है।

जोधपुर तथा अजमेर जिले में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर तो ई मित्र सेवा केंद्र मिल जाते हैं, किंतु जो गांव ग्राम पंचायत मुख्यालय के अंतर्गत आते हैं वहां पर ई मित्र सेवा केंद्रों का आज भी अभाव है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट के संचालन में भी बहुत ज्यादा बाधाऐं आती हैं, सर्वर से जुड़ी समस्याऐं बार-बार होने से ग्रामीण क्षेत्रों में ई मित्र केंद्रों के संचालन में समस्या आती है।

जोधपुर तथा अजमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग विशेष रुप से वृद्ध आयु से संबंधित लोग तकनीकी ज्ञान का अभाव रखतें हैं तथा सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली पर अधिक विश्वास करते हैं, यह भी ई जिला पायलेट परियोजना के सफल क्रियान्वयन में एक प्रमुख बाधा है। अनुसंधानकर्ता ने अपने अध्ययन में पाया कि ई जिला पायलेट परियोजना के संदर्भ में जोधपुर तथा अजमेर जिले के नागरिक साधारण कार्य के लिए तो ई मित्र सेवा केंद्रों का उपयोग करते हैं, किंतु जब कार्य जटिल तथा बड़ा होता है तब वह सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली पर ही विश्वास करते हैं।

5.4 ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली वह सेवाएं जिनका अधिक उपयोग किया गया है- जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत कुल 10 सेवाओं का समावेश था, जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा ई-गवर्नेंस के माध्यम से नागरिकों को प्रदान किया जाना था। किंतु इन दस सेवाओं के उपयोग की दर जोधपुर तथा अजमेर जिले के नागरिकों में अलग अलग रही। इन 10 सेवाओं में कुछ सेवाएं ऐसी रही जिनका उपयोग जोधपुर तथा अजमेर जिले के नागरिकों ने अधिक किया। इनमें प्रमुख रुप से प्रथम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से आय, मूल निवासी, जाति, जन्म, मृत्यु अथवा अन्य किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त करना है।

तृतीय सेवा जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी राशन कार्ड से संबंधित सेवाएं प्राप्त करनी है, सप्तम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से पंजीकरण, भूमि अभिलेख और ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन जैसी सेवाओं को प्राप्त करना है। अष्टम सेवा जिसमें सरकारी योजनाओं के प्रचार तथा प्रसार के लिए ई-गवर्नेंस का उपयोग किया जाना है तथा दसवीं सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से बिजली, पानी अथवा अन्य किसी भी प्रकार के बिलों का भुगतान किया जाना है, जैसी सेवाओं का जोधपुर तथा अजमेर जिले के नागरिकों ने अत्यधिक उपयोग किया।

ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित कुछ सेवाएं ऐसी भी रही जिनका उपयोग जोधपुर तथा अजमेर जिले के नागरिकों ने कम तो नहीं किया किंतु अधिक उपयोग भी नहीं किया, इनमें प्रमुख रुप से चतुर्थ सेवा जिसमें समाज कल्याण विभाग की योजनाओं से संबंधित वृद्धवस्था पेंशन, परिवार पेंशन, विधवा पेंशन अथवा अन्य

किसी भी प्रकार की योजना का लाभ प्राप्त करना है तथा नवम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से संपत्ति कर अथवा अन्य किसी भी प्रकार के करों का भुगतान करना शामिल है।

5.5 ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली वह सेवाएं जिनका कम उपयोग किया गया है- ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत 10 सेवाओं में से कुछ सेवाएं ऐसी रही जिनका जोधपुर तथा अजमेर जिले के नागरिकों ने बहुत कम उपयोग किया। इनमें मुख्य रूप से द्वितीय सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से शस्त्र, व्यापार अथवा अन्य किसी भी प्रकार का लाइसेंस प्राप्त करना है। पंचम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से किसी भी प्रकार के सरकारी कार्यों से संबंधित शिकायत करनी है, जिनमें प्रमुख रूप से वस्तुओं तथा सेवाओं की अनुचित कीमतों, शिक्षकों तथा चिकित्सकों की अनुपलब्धता से संबंधित शिकायत शामिल है तथा षष्ठम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन आवेदन शामिल है, का समावेश है।

5.6 जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन की तुलनात्मकता- राजस्थान सरकार के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात अनुसंधानकर्ता द्वारा किए गए सर्वेक्षण का विश्लेषण करने पर अनुसंधानकर्ता को यह तथ्य प्राप्त हुए कि जोधपुर जिले की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की जनसंख्या ने ई जिला पायलेट परियोजना की सेवाओं का ई-गवर्नेंस के आधार पर अधिक उपयोग किया है।

ई जिला पायलेट परियोजना की वह सेवाएं जिनका जोधपुर जिले की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की जनसंख्या ने अधिक उपयोग किया है, उनमें तृतीय सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी राशन कार्ड से संबंधित सेवाओं को प्राप्त करना, चतुर्थ सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से राज्य सरकार की समाज कल्याण की योजना से संबंधित किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त करना, अष्टम सेवा जिसमें सरकारी योजनाओं के प्रचार तथा प्रसार के लिए ई-गवर्नेंस का उपयोग किया जाना, नवम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से संपत्ति कर अथवा अन्य किसी भी प्रकार के करों का भुगतान किया

जाना, तथा दसवीं सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से बिजली, पानी अथवा अन्य किसी भी प्रकार के बिलों का भुगतान किया जाना है।

ई जिला पायलेट परियोजना की वह सेवाएं जिनका अजमेर जिले की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की जनसंख्या ने अधिक उपयोग किया है, उनमें प्रमुख रुप से प्रथम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से आय, मूल निवासी, जाति, जन्म, मृत्यु अथवा अन्य किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना है, द्वितीय सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से शस्त्र, व्यापार अथवा अन्य किसी भी प्रकार का लाइसेंस प्राप्त किया जाना है तथा सप्तम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से पंजीकरण, भूमि अभिलेख तथा ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन जैसी सेवाओं को प्राप्त करना है।

5.7 पुरुष जनसंख्या के संदर्भ में ई जिला पायलेट के क्रियान्वयन की तुलनात्मता- जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात अनुसंधानकर्ता द्वारा किए गए सर्वेक्षण का विश्लेषण करने पर अनुसंधानकर्ता को जोधपुर तथा अजमेर जिले की पुरुष जनसंख्या के संदर्भ में यह तथ्य प्राप्त हुए कि जोधपुर जिले की पुरुष जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की पुरुष जनसंख्या ने ई जिला पायलेट परियोजना की सेवाओं का अधिक उपयोग किया है। अजमेर जिले की पुरुष जनसंख्या ने जिन सेवाओं का अधिक उपयोग किया है, उनमें चतुर्थ सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकार की समाज कल्याण की योजनाओं से संबंधित सेवाओं का लाभ प्राप्त करना, अष्टम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया जाना है, नवम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से संपत्ति कर अथवा अन्य किसी भी प्रकार के करों का भुगतान किया जाना है तथा दसवीं सेवा जिसमें कि ई-गवर्नेंस के माध्यम से बिजली, पानी अथवा अन्य किसी भी प्रकार के बिलों का भुगतान किया जाना है।

ई जिला पायलेट परियोजना की वह सेवाएं जिनका अजमेर जिले की पुरुष जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की पुरूष जनसंख्या ने अधिक्र उपयोग किया है, उनमें प्रथम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से आय, मूल निवासी, जाति, जन्म, मृत्यु अथवा अन्य किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना है, द्वितीय सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से शस्त्र, व्यापार अथवा अन्य किसी प्रकार का लाइसेंस प्राप्त किया जाना है,

तृतीय सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी राशन कार्ड से सम्बंधित सेवाओं को प्राप्त किया जाना है तथा सप्तम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से पंजीकरण, भूमि अभिलेख तथा ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सुविधाओं को प्राप्त किया जाना है।

5.8 महिला जनसंख्या के संदर्भ में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन की तुलनात्मकता- जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात अनुसंधानकर्ता द्वारा किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने पर अनुसंधानकर्ता को महिला जनसंख्या के संदर्भ में यह तथ्य प्राप्त हुए कि जोधपुर जिले की महिला जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की महिला जनसंख्या ने ई जिला पायलेट परियोजना की सेवाओं का अधिक उपयोग किया है।

जोधपुर जिले की महिला जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की महिला जनसंख्या ने ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली जिन सेवाओं का अधिक उपयोग किया है, उनमें तृतीय सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी राशन कार्ड से संबंधित सेवाओं को प्राप्त किया जाना है, चतुर्थ सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकार की समाज कल्याण की योजनाओं से संबंधित किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त किया जाना है, अष्टम सेवा जिसमें सरकारी योजनाओं के प्रचार तथा प्रसार के लिए ई-गवर्नेंस का उपयोग किया जाना है तथा नवम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से संपत्ति कर अथवा अन्य किसी भी प्रकार के करों का भुगतान किया जाना है।

ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली वह सेवाएं जिनका अजमेर जिले की महिला जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की महिला जनसंख्या ने अधिक उपयोग किया है, उनमें प्रथम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से आय, मूल निवासी, जाति, जन्म, मृत्यु अथवा अन्य किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना है, द्वितीय सेवा जिसमें ही ई-गवर्नेंस के माध्यम से शस्त्र, व्यापार अथवा अन्य किसी भी प्रकार का लाइसेंस प्राप्त किया जाना है, सप्तम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से पंजीकरण, भूमि अभिलेख तथा ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन जैसी सेवाओं को प्राप्त किया जाना है तथा दसवीं सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से बिजली, पानी अथवा अन्य किसी भी प्रकार के बिलों का भुगतान किया जाना है।

5.9 शहरी जनसंख्या के संदर्भ में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन की तुलनात्मकता- जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात अनुसंधानकर्ता द्वारा किए गए सर्वेक्षण का विश्लेषण करने पर अनुसंधानकर्ता को यह तथ्य प्राप्त हुए कि अजमेर जिले की शहरी जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की शहरी जनसंख्या ने ई जिला पायलेट परियोजना की सेवाओं का अधिक उपयोग किया है।

ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली वह सेवाएं जिनका जोधपुर जिले की शहरी जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की शहरी जनसंख्या ने अधिक उपयोग किया है, उनमें तृतीय सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी राशन कार्ड से संबंधित सेवाओं को प्राप्त किया जाना है, चतुर्थ सेवा जिसमें सरकार की समाज कल्याण की योजनाओं से संबंधित किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त किया जाना है, अष्टम सेवा जिसमें सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के प्रचार तथा प्रसार के लिए ई-गवर्नेंस का उपयोग किया जाना है तथा नवम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से संपत्ति कर अथवा अन्य किसी भी प्रकार के करों का भुगतान किया जाना है।

ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली वह सेवाएं जिनका अजमेर जिले की शहरी जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की शहरी जनसंख्या ने अधिक उपयोग किया है, उनमें प्रथम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से आय, मूल निवासी, जाति, जन्म, मृत्यु अथवा अन्य किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना है, द्वितीय सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से शस्त्र, व्यापार अथवा अन्य किसी भी प्रकार का लाइसेंस प्राप्त किया जाना है, सप्तम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से पंजीकरण, भूमि अभिलेख और ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन जैसी सेवाओं को प्राप्त किया जाना है तथा दसवीं सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से बिजली, पानी अथवा अन्य किसी भी प्रकार के बिलों का भुगतान किया जाना है।

5.10 ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन की तुलनात्मकता- ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात जोधपुर तथा अजमेर जिले में अनुसंधानकर्ता द्वारा किए गए सर्वेक्षण का विश्लेषण करने पर अनुसंधानकर्ता को ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ

में यह तथ्य प्राप्त हुए कि जोधपुर जिले की ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की ग्रामीण जनसंख्या ने ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली सेवाओं का अधिक उपयोग किया है। ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली वह सेवाएं जिनका जोधपुर जिले की ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की ग्रामीण जनसंख्या ने अधिक उपयोग किया है, उनमें चतुर्थ सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकार की समाज कल्याण की योजनाओं से संबंधित किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त किया जाना है, अष्टम सेवा जिसमें सरकारी योजनाओं के प्रचार तथा प्रसार के लिए ई-गवर्नेंस का उपयोग किया जाना है, नवम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से संपत्ति कर अथवा अन्य किसी भी प्रकार के करों का भुगतान किया जाना है तथा दसवीं सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से बिजली, पानी अथवा अन्य किसी भी प्रकार के बिलों का भुगतान किया जाना है।

ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली वह सेवाएं जिनका अजमेर जिले की ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की ग्रामीण जनसंख्या ने अधिक उपयोग किया है, उनमें प्रथम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से आय, मूल निवासी, जाति, जन्म, मृत्यु अथवा अन्य किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना है, द्वितीय सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से शस्त्र, व्यापार अथवा अन्य किसी भी प्रकार का लाइसेंस प्राप्त किया जाना है, तृतीय सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन कार्ड से संबंधित सेवाओं को प्राप्त किया जाना है तथा सप्तम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से पंजीकरण, भूमि अभिलेख तथा ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन जैसी सेवाओं को प्राप्त किया जाना है।

5.11 शिक्षा के आधार पर ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन की तुलनात्मकता-

अनुसंधानकर्ता ने अपने अध्ययन में यह पाया कि तीनों शिक्षा श्रेणियों के संदर्भ में अजमेर जिले की तीनों शिक्षा श्रेणियों ने जोधपुर जिले की तीनों शिक्षा श्रेणियों की तुलना में ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित सेवाओं का उपयोग अधिक किया है। ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली प्रथम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से आय, मूल निवासी, जाति, जन्म, मृत्यु अथवा अन्य किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त करना है, का शिक्षा के संदर्भ में सर्वाधिक उपयोग जोधपुर जिले की द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने

किया है । द्वितीय सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से शस्त्र, व्यापार अथवा अन्य किसी भी प्रकार का लाइसेंस प्राप्त किया जाना है, का सर्वाधिक उपयोग जोधपुर जिले की द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने किया है।

तृतीय सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी राशन कार्ड से संबंधित सेवाओं को प्राप्त किया जाना है, का सर्वाधिक उपयोग जोधपुर जिले की प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने किया है। चतुर्थ सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकार की समाज कल्याण की योजनाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की सेवाओं का लाभ प्राप्त किया जाना है, का सर्वाधिक उपयोग अजमेर जिले की द्वितीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने किया है। सप्तम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से पंजीकरण, भूमि अभिलेख और ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन जैसी सुविधाओं को प्राप्त किया जाना है, का सर्वाधिक उपयोग जोधपुर जिले की तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने किया है।

अष्टम सेवा जिसमें सरकारी योजनाओं के प्रचार तथा प्रसार के लिए ई-गवर्नेंस का उपयोग किया जाना है, के संदर्भ में सर्वाधिक लाभ अजमेर जिले की प्रथम शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने प्राप्त किया है। नवम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से संपत्ति कर अथवा अन्य किसी भी प्रकार के करों का भुगतान किया जाना है, का सर्वाधिक लाभ अजमेर जिले की तृतीय शिक्षा श्रेणी की जनसंख्या ने प्राप्त किया है। दसवीं सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से बिजली, पानी अथवा अन्य किसी प्रकार के बिलों का भुगतान किया जाना है, के संदर्भ में सर्वाधिक लाभ अजमेर जिले की द्वितीय शिक्षा श्रेणी ने प्राप्त किया है।

5.12 आयु के आधार पर ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन की तुलनात्मकता-

अनुसंधानकर्ता ने जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वन के पश्चात अपने अध्ययन में यह पाया कि जोधपुर तथा अजमेर जिले में प्रथम आयु वर्ग के संदर्भ में अजमेर जिले के प्रथम आयु वर्ग की तुलना में जोधपुर जिले के प्रथम आयु वर्ग की जनसंख्या ने, द्वितीय आयु वर्ग के संदर्भ में जोधपुर जिले के द्वितीय आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की द्वितीय आयु वर्ग की जनसंख्या ने, तृतीय आयु वर्ग के संदर्भ में जोधपुर जिले की तृतीय आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में

अजमेर जिले की तृतीय आयु वर्ग की जनसंख्या ने, चतुर्थ आयु वर्ग के संदर्भ में जोधपुर जिले की चतुर्थ आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की चतुर्थ आयु वर्ग की जनसंख्या ने तथा पंचम आयु वर्ग के संदर्भ में अजमेर जिले के पंचम आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले के पंचम आयु वर्ग की जनसंख्या ने ई जिला पायलेट परियोजना से संबंधित सेवाओं का ई-गवर्नेंस के आधार पर अधिक उपयोग किया है।

अनुसंधानकर्ता ने अपने अध्ययन में यह पाया कि ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली प्रथम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से आय, मूल निवासी जाति, जन्म, मृत्यु अथवा अन्य किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना है, का सर्वाधिक उपयोग जोधपुर जिले की तृतीय आयु वर्ग की जनसंख्या ने, द्वितीय सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से शस्त्र, व्यापार अथवा अन्य किसी भी प्रकार का लाइसेंस प्राप्त किया जाना है, का सर्वाधिक उपयोग जोधपुर जिले की तृतीय आयु वर्ग की जनसंख्या ने, तृतीय सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी राशन कार्ड से संबंधित सेवाओं को प्राप्त किया जाना है, का सर्वाधिक उपयोग जोधपुर जिले की पंचम आयु वर्ग की जनसंख्या ने किया है। चतुर्थ सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकार की समाज कल्याण की योजनाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की सेवा तथा लाभ को प्राप्त किया जाना है, का सर्वाधिक उपयोग अजमेर जिले की द्वितीय आयु वर्ग की जनसंख्या ने किया है।

सप्तम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से पंजीकरण, भूमि अभिलेख, ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन जैसी सुविधाओं को प्राप्त किया जाना है, का सर्वाधिक उपयोग अजमेर जिले की चतुर्थ आयु वर्ग की जनसंख्या ने किया है। अष्टम सेवा जिसमें सरकारी योजनाओं के प्रचार तथा प्रसार के लिए ई-गवर्नेंस का उपयोग किया जाना है, का सर्वाधिक लाभ अजमेर जिले की चतुर्थ आयु वर्ग की जनसंख्या ने किया है। नवम सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से संपत्ति कर अथवा अन्य किसी भी प्रकार के करों का भुगतान किया जाना है, का सर्वाधिक उपयोग अजमेर जिले की द्वितीय आयु वर्ग की जनसंख्या ने किया है तथा दसवीं सेवा जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से बिजली, पानी अथवा अन्य किसी भी प्रकार के बिलों का भुगतान किया जाना है, का सर्वाधिक उपयोग जोधपुर जिले की प्रथम आयु वर्ग की जनसंख्या ने किया है।

5.13 ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात जोधपुर तथा अजमेर जिले में नागरिक केंद्रीयता- अनुसंधानकर्ता को अपने अनुसंधान में जोधपुर जिले की तुलना में अजमेर जिले में नागरिक केंद्रीयता अधिक प्राप्त हुई। अनुसंधानकर्ता ने नागरिक केंद्रीयता के सात घटकों के आधार पर जोधपुर तथा अजमेर जिले में सर्वेक्षण का कार्य किया था। नागरिक केंद्रीयता के जिन घटकों में जोधपुर जिले में अजमेर जिले की तुलना में अधिक नागरिक केंद्रीयता प्राप्त हुई, उनमें पहले की तुलना में सरकार द्वारा नागरिकों को सेवाओं की सही समय पर प्रदायगी तथा पहले की तुलना में सरकारी सेवाओं को प्राप्त करने में नागरिकों के समय तथा धन की बचत है।

जबकि नागरिक केंद्रीयता के जिन घटकों में जोधपुर जिले की तुलना में अजमेर जिले में अधिक नागरिक केंद्रीयता अधिक प्राप्त हुई, उनमें पहले की तुलना में प्रशासन की नागरिकों के प्रति ग्राहक सेवा की भावना, पहले की तुलना में सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं की जानकारी की नागरिकों तक सही समय पर पहुंच, पहले की तुलना में प्रशासन के क्रियाकलापों तथा योजनाओं में नागरिकों की भागीदारी में वृद्धि तथा पहले की तुलना में सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता का विकास है। अनुसंधानकर्ता को नागरिक केंद्रीयता के चतुर्थ घटक जिसमें पहले की तुलना में प्रशासन द्वारा नागरिकों की शिकायतों का सही समय पर समाधान है, के संदर्भ में जोधपुर तथा अजमेर जिले में एक समान नागरिक केंद्रीयता प्राप्त हुई है।

5.14 पुरुष जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केंद्रीयता की तुलनात्मकता- अनुसंधानकर्ता ने अपने अध्ययन में जोधपुर जिले की पुरुष जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की पुरुष जनसंख्या में नागरिक केंद्रीयता को अधिक पाया। नागरिक केंद्रीयता के जिन घटकों में अजमेर जिले की पुरुष जनसंख्या में जोधपुर जिले की पुरुष जनसंख्या की तुलना में अधिक नागरिक केंद्रीयता पायी गई उनमें सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं की जानकारी की नागरिकों तक सही समय पर पहुंच, पहले की तुलना में प्रशासन के क्रियाकलापों तथा योजनाओं में नागरिकों की भागीदारी में वृद्धि तथा पहले की तुलना में सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता का विकास है।

नागरिक केंद्रीयता के जिन घटकों में जोधपुर जिले की पुरुष जनसंख्या में अजमेर जिले की पुरुष जनसंख्या की तुलना में नागरिक केंद्रियता को अधिक पाया गया, उनमें पहले की तुलना में सरकार द्वारा नागरिकों को सेवाओं की सही समय पर प्रदायगी, पहले की तुलना में सरकारी सेवाओं को प्राप्त करने में नागरिकों के समय तथा धन की बचत, पहले की तुलना में प्रशासन की नागरिकों के प्रति ग्राहक सेवा की भावना में वृद्धि तथा पहले की तुलना में प्रशासन द्वारा नागरिकों की शिकायतों का सही समय पर समाधान है।

5.15 महिला जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केंद्रियता की तुलनात्मकता- अनुसंधानकर्ता ने अपने अध्ययन में जोधपुर जिले की महिला जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की महिला जनसंख्या में नागरिक केंद्रीयता को अधिक पाया। अनुसंधानकर्ता ने जोधपुर जिले की महिला जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की महिला जनसंख्या में नागरिक केंद्रीयता के जिन घटकों को अधिक पाया है, उनमें पहले की तुलना में प्रशासन की नागरिकों के प्रति ग्राहक सेवा की भावना में वृद्धि, पहले की तुलना में प्रशासन द्वारा नागरिकों की शिकायतों का सही समय पर समाधान, सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं की जानकारी की नागरिकों तक सही समय पर पहुंच, पहले की तुलना में प्रशासन के क्रियाकलापों तथा योजनाओं में नागरिकों की भागीदारी में वृद्धि तथा पहले की तुलना में सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता का विकास है।

अनुसंधानकर्ता द्वारा अजमेर जिले की महिला जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की महिला जनसंख्या में नागरिक केंद्रीयता के जिन घटकों को अधिक पाया गया, उनमें पहले की तुलना में सरकार द्वारा सेवाओं की सही समय पर प्रदायगी तथा पहले की तुलना में सरकारी सेवाओं की प्राप्ति में नागरिकों के समय तथा धन की बचत है।

5.16 शहरी जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केंद्रीयता की तुलनात्मकता- अनुसंधानकर्ता को अपने सर्वेक्षण में जोधपुर जिले की शहरी जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की शहरी जनसंख्या में अधिक नागरिक केंद्रीयता प्राप्त हुई। नागरिक केंद्रीयता के जिन घटकों में जोधपुर जिले की शहरी जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की शहरी जनसंख्या में अधिक नागरिक केंद्रीयता प्राप्त हुई, उनमें पहले की तुलना में प्रशासन की नागरिकों के प्रति ग्राहक सेवा की भावना में वृद्धि, पहले की तुलना में प्रशासन द्वारा नागरिकों की

शिकायतों का सही समय पर समाधान, पहले की तुलना में सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं की जानकारी की नागरिकों तक सही समय पर पहुंच, पहले की तुलना में प्रशासन के क्रियाकलापों तथा योजनाओं में नागरिकों की भागीदारी में वृद्धि तथा पहले की तुलना में सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता का विकास है।

नागरिक केंद्रीयता के जिन घटकों में अजमेर जिले की शहरी जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की शहरी जनसंख्या में अधिक नागरिक केंद्रीयता प्राप्त हुई, उनमें पहले की तुलना में सरकार द्वारा नागरिकों को सही समय पर सेवाओं की प्रदायगी तथा पहले की तुलना में सरकारी सेवाओं की प्राप्ति में नागरिकों के समय तथा धन की बचत है।

5.17 ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में नागरिक केंद्रीयता की तुलनात्मकता- अनुसंधानकर्ता को अपने सर्वेक्षण में अजमेर जिले की ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की ग्रामीण जनसंख्या में अधिक नागरिक केंद्रीयता प्राप्त हुई। नागरिक केंद्रीयता के जिन घटकों में अजमेर जिले की ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में जोधपुर जिले की ग्रामीण जनसंख्या में अधिक नागरिक केंद्रीयता प्राप्त हुई, उनमें पहले की तुलना में सरकार द्वारा नागरिकों को सेवाओं की सही समय पर प्रदायगी, पहले की तुलना में सरकारी सेवाओं को प्राप्त करने में नागरिकों के समय तथा धन की बचत, पहले की तुलना में प्रशासन द्वारा नागरिकों की शिकायत का सही समय पर समाधान तथा पहले की तुलना में सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता का विकास है। नागरिक केंद्रीयता के जिन घटकों में जोधपुर जिले की ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में अजमेर जिले की ग्रामीण जनसंख्या में अधिक नागरिक केंद्रीयता प्राप्त हुई है उनमें पहले की तुलना में प्रशासन की नागरिकों के प्रति ग्राहक सेवा की भावना में वृद्धि, सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं की जानकारी की नागरिकों तक सही समय पर पहुंच तथा पहले की तुलना में प्रशासन के क्रियाकलापों तथा योजनाओं में नागरिकों की भागीदारी में वृद्धि है।

5.18 शिक्षा के आधार पर नागरिक केंद्रीयता की तुलनात्मकता- अनुसंधानकर्ता द्वारा जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के संदर्भ में तीन शिक्षा श्रेणियों के परिप्रेक्ष्य में किए गए

अध्ययन में यह पाया गया कि अनुसंधानकर्ता को सर्वाधिक नागरिक केंद्रीयता तृतीय शिक्षा श्रेणी में तथा सबसे कम नागरिक केंद्रीयता प्रथम शिक्षा श्रेणी में प्राप्त हुई।

अनुसंधानकर्ता को नागरिक केंद्रीयता के प्रथम घटक जिसमें पहले की तुलना में सरकार द्वारा नागरिकों को सेवाओं की सही समय पर प्रदायगी हैं, के संदर्भ में सर्वाधिक नागरिक केंद्रीयता जोधपुर जिले की तृतीय शिक्षा श्रेणी के संदर्भ में प्राप्त हुई। नागरिक केंद्रीयता के द्वितीय घटक जिसमें पहले की तुलना में सरकारी सेवाओं की प्राप्ति में नागरिकों के समय तथा धन की बचत है, के संदर्भ में सर्वाधिक नागरिक केंद्रीयता जोधपुर जिले की तृतीय शिक्षा श्रेणी के संदर्भ में प्राप्त हुई। नागरिक केंद्रीयता के तृतीय घटक जिसमें पहले की तुलना में प्रशासन की नागरिकों के प्रति ग्राहक सेवा की भावना में वृद्धि है, के संदर्भ में सर्वाधिक नागरिक केंद्रीयता अजमेर जिले की तृतीय शिक्षा श्रेणी के संदर्भ में प्राप्त हुई।

नागरिक केंद्रीयता के चतुर्थ घटक जिसमें पहले की तुलना में प्रशासन द्वारा नागरिकों की शिकायतों का सही समय पर समाधान है, के संदर्भ में सर्वाधिक नागरिक केंद्रीयता अजमेर जिले की तृतीय शिक्षा श्रेणी के संदर्भ में प्राप्त हुई। नागरिक केंद्रीयता के पंचम घटक जिसमें सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं की जानकारी की नागरिकों तक सही समय पर पहुंच है, के संदर्भ में सर्वाधिक नागरिक केंद्रीयता अजमेर जिले की तृतीय शिक्षा श्रेणी के संदर्भ में प्राप्त हुई।

नागरिक केंद्रीयता के षष्ठम घटक जिसमें पहले की तुलना में प्रशासन के क्रियाकलापों तथा योजनाओं में नागरिकों की भागीदारी है, के संदर्भ में सर्वाधिक नागरिक केंद्रीयता अजमेर जिले की द्वितीय श्रेणी के संदर्भ में प्राप्त हुई। नागरिक केंद्रीयता के सप्तम घटक जिसमें पहले की तुलना में सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता का विकास है, के संदर्भ में सर्वाधिक नागरिक केंद्रीयता अजमेर जिले की तृतीय शिक्षा श्रेणी के संदर्भ में प्राप्त हुई।

5.19 आयु के आधार पर नागरिक केंद्रीयता की तुलनात्मकता- राजस्थान के जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को आयु के संदर्भ में सर्वाधिक

नागरिक केंद्रीयता प्रथम आयु वर्ग में तथा सबसे कम नागरिक केंद्रीयता द्वितीय आयु वर्ग में प्राप्त हुई। इस संदर्भ में दूसरे, तीसरे तथा चतुर्थ स्थान पर क्रमश तृतीय आयु वर्ग, पंचम आयु वर्ग तथा चतुर्थ आयु वर्ग रहे।

अनुसंधानकर्ता को अपने अध्ययन में नागरिक केंद्रीयता के प्रथम घटक जिसमें पहले की तुलना में सरकार द्वारा नागरिकों को सेवाओं की सही समय पर प्रदायगी है, के संदर्भ में सर्वाधिक नागरिक केंद्रीयता जोधपुर जिले के पंचम आयु वर्ग में प्राप्त हुई। नागरिक केंद्रीयता के द्वितीय घटक जिसमें पहले की तुलना में सरकारी सेवाओं को प्राप्त करने में नागरिकों के समय तथा धन की बचत है, के संदर्भ में सर्वाधिक नागरिक केंद्रीयता जोधपुर जिले के तृतीय आयु वर्ग में प्राप्त हुई।

अनुसंधानकर्ता को नागरिक केंद्रीयता के तृतीय घटक जिसमें पहले की तुलना में प्रशासन की नागरिकों के प्रति ग्राहक सेवा की भावना में वृद्धि है, के संदर्भ में सर्वाधिक नागरिक केंद्रीयता अजमेर जिले के प्रथम आयु वर्ग में प्राप्त हुई। अनुसंधानकर्ता को नागरिक केंद्रीयता के चतुर्थ घटक जिसमें पहले की तुलना में प्रशासन द्वारा नागरिकों की शिकायतों का सही समय पर समाधान करना है, के संदर्भ में सर्वाधिक नागरिक केंद्रीयता जोधपुर जिले के तृतीय आयु वर्ग में प्राप्त हुई।

अनुसंधानकर्ता को नागरिक केंद्रीयता के पंचम घटक जिसमें सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं की जानकारी की नागरिकों तक सही समय पर पहुंच है, के संदर्भ में सर्वाधिक नागरिक केंद्रीयता अजमेर जिले के द्वितीय आयु वर्ग में प्राप्त हुई। नागरिक केंद्रीयता के षष्ठम घटक जिसमें पहले की तुलना में प्रशासन के क्रियाकलापों तथा योजनाओं में नागरिकों की भागीदारी में वृद्धि है, के संदर्भ में सर्वाधिक नागरिक केंद्रीयता अजमेर जिले के प्रथम आयु वर्ग में प्राप्त हुई। नागरिक केंद्रीयता के सप्तम घटक जिसमें पहले की तुलना में सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता का विकास है, के संदर्भ में सर्वाधिक नागरिक केंद्रीयता अजमेर जिले के प्रथम आयु वर्ग में प्राप्त हुई।

5.20 जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना की तुलनात्मकता के कारण-

इस प्रकार अनुसंधानकर्ता ने जोधपुर तथा अजमेर जिले में राजस्थान सरकार के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात किए गए अपने अध्ययन में यह पाया कि

ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन तथा उससे उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता के संदर्भ में जोधपुर जिले की तुलना में अजमेर जिले की स्थिति बेहतर रही है।

अनुसंधानकर्ता को प्राप्त इस परिणाम के मूल कारणों में जोधपुर जिले की तुलना में अजमेर जिले के क्षेत्रफल का कम होना, जोधपुर जिले की तुलना में अजमेर जिले की जनसंख्या का कम होना, जोधपुर जिले की तुलना में अजमेर जिले की साक्षरता दर का अधिक होना, जोधपुर जिले की तुलना में अजमेर जिले में शहरी जनसंख्या का अधिक होना तथा जोधपुर जिले में अजमेर जिले की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या का अधिक होना तथा जोधपुर जिले की तुलना में अजमेर जिले का जनसंख्या घनत्व अत्यधिक होना है।

अनुसंधानकर्ता ने अपने शोध कार्य में यह पाया कि ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन तथा इस परियोजना के क्रियान्वन से उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता से संबंधित सकल आंकड़ों में अजमेर जिले की स्थिति जोधपुर जिले की तुलना में बेहतर है। जोधपुर जिले का क्षेत्रफल 22,850 वर्ग किलोमीटर है, जोधपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। जोधपुर की तुलना में अजमेर जिले का क्षेत्रफल केवल 8,481 वर्ग किलोमीटर है, जो जोधपुर के कुल क्षेत्रफल का 32.12% है। कम क्षेत्रफल वाले जिले में राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन को किसी भी परियोजना को क्रियान्वित करने में तथा उससे संबंधित आधारभूत संरचना का निर्माण करने में सुविधा रहती है।

जोधपुर जिले की जनसंख्या भारत सरकार के वर्ष 2011 के जनसांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार 36,87,165 है, जबकि अजमेर की जनसंख्या वर्ष 2011 के जनसांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार 25,83,052 है। सार्वजनिक प्रशासन में यह माना जाता है, कि बड़ी जनसंख्या वाली इकाई की तुलना में कम जनसंख्या वाली इकाई में किसी भी परियोजना को क्रियान्वित करने में आसानी रहती है तथा अनुपातिक रूप से छोटी इकाई के नागरिक सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं का लाभ अधिक प्राप्त करते हैं।

साक्षरता की दृष्टि से देखा जाए तो जोधपुर जिले की तुलना में अजमेर जिले की साक्षरता दर अधिक है। वर्ष 2011 के जनसांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार जोधपुर जिले की कुल जनसंख्या की साक्षरता दर 65.94% तथा अजमेर जिले की कुल साक्षरता दर 69.33% है। महिला साक्षरता की दृष्टि से तो अजमेर की संपूर्ण

राजस्थान में बहुत अच्छी स्थिति है। जिन जनसांख्यिकी इकाइयों की साक्षरता दर ज्यादा होती है, उनमें सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता अधिक होती है तथा ऐसी जनसांख्यिकी इकाइयां सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों का उपयोग भी अधिक मात्रा में करती है।

अजमेर जिले का जनसंख्या घनत्व जोधपुर जिले के जनसंख्या घनत्व का लगभग दो गुना है। वर्ष 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार जोधपुर जिले का जनसंख्या घनत्व 161 तथा अजमेर जिले का जनसंख्या घनत्व 305 है। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सुविधा रहती है। अधिक जन घनत्व वाले क्षेत्रों में सरकारी मानव संसाधन कम होने पर भी कम जन घनत्व वाले क्षेत्रों की तुलना में सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन ज्यादा बेहतर तरीके से होता है।

वर्ष 2011 के जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार जोधपुर जिले की शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का 34.30% तथा ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या का 65.70% है जबकि अजमेर जिले की शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का 40.08% तथा ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या का 59.92% है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अजमेर जिले की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, जोधपुर जिले की शहरी जनसंख्या के प्रतिशत से अत्यधिक है। जोधपुर जिले में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अजमेर जिले में ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत की तुलना में अधिक है। ई जिला पायलेट परियोजना जैसी तकनीकी परियोजनाओं का क्रियान्वयन शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना की उपलब्धता तथा शिक्षा के कारण ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में ज्यादा बेहतर ढंग से हो पाता है।

जोधपुर जिले का क्षेत्रफल अत्यधिक होने के कारण वहां औसत रूप से गांव दूर - दूर स्थित है। एक ग्राम पंचायत के गांवों में ही दूरी अधिक होती है जबकि अजमेर में ऐसी स्थिति नहीं है। जोधपुर जिले के कुछ ग्रामीण क्षेत्र दुर्गम इलाकों में स्थित है जिन्हें तकनीकी परियोजनाओं के संदर्भ में जिला मुख्यालय से जोड़ना भी एक कठिन कार्य है। अजमेर जिले का क्षेत्रफल कम होने तथा जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण गांवों के मध्य अधिक दूरी नहीं है। इन सभी कारणों से अजमेर जिले में जोधपुर जिले की तुलना में ई जिला

पायलेट परियोजना का क्रियान्वयन ज्यादा बेहतर ढंग से हो पाया है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न नागरिक केंद्रीयता भी अजमेर जिले में जोधपुर जिले की तुलना में अधिक प्राप्त हुई है।

5.21 ई मित्र सेवा केंद्रों के संदर्भ में जोधपुर तथा अजमेर जिले के नागरिकों के अनुभव- अनुसंधानकर्ता द्वारा जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के संदर्भ में सर्वेक्षण में उपयोग में लाए गए अनुसंधान उपकरण में चतुर्थ भाग में 3 व्याख्यात्मक प्रश्न हैं, जिसके द्वितीय प्रश्न में जोधपुर तथा अजमेर जिले के नागरिकों से यह पूछा गया कि उनका ई मित्र सेवा केंद्रों की सेवा के संदर्भ में अनुभव कैसा रहा। भारत सरकार ने ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए तथा अशिक्षित व्यक्ति भी ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सके, इस हेतु कॉमन सर्विस सेंटर (csc) स्कीम की स्थापना की। इन कॉमन सर्विस सेंटर को अलग-अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। राजस्थान में इन्हें ई मित्र सेवा केंद्र कहा जाता है।

इनकी शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2004 में की गई थी। ई मित्र सेवा केंद्र राजस्थान में ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी सेवाओं का वितरण करने के महत्वपूर्ण बिंदु है, यद्यपि वर्तमान में अनेक सरकारी सेवाओं का लाभ नागरिकों द्वारा घर बैठे इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। आजकल उपयोग में लाए जाने वाला स्मार्टफोन भी ई-गवर्नेंस के प्रयोग हेतु एक बहुत अच्छा उपकरण है, जिसने मोबाइल गवर्नेंस को भी बढ़ावा दिया है। किंतु फिर भी हमारे देश में अधिकांश नागरिक ई मित्र सेवा केंद्रों पर ही भरोसा करते हैं।

जोधपुर तथा अजमेर जिले में अधिकांश नागरिक यह मानतें हैं कि ई मित्र सेवा केंद्रों के संदर्भ में उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा क्योंकि सरकारी कार्यालयों की तुलना में ई मित्र सेवा केंद्रों पर कार्य शीघ्रतापूर्वक संपादित हो जाता है। अन्य आयु वर्ग के लोगों की अपेक्षा युवाओं का अनुभव ई मित्र सेवा केंद्रों के संदर्भ में अच्छा रहा क्योंकि वर्तमान युवा तकनीकी व सूचना प्रौद्योगिकी का जानकार है। प्रथम तथा द्वितीय आयु वर्ग की जनसंख्या का ई मित्र सेवा केंद्र के संदर्भ में अनुभव अच्छा रहा। प्रथम तथा द्वितीय आयु वर्ग कि

महिलाओं को ई मित्र सेवा केंद्रों पर सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं हुआ।

जबकि तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम आयु वर्ग की महिलाओं को ई मित्र सेवा केंद्रों पर सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में थोड़ी कठिनाई का अनुभव हुआ। जिसका मूल कारण उनके तकनीकी ज्ञान में कमी है, राजस्थान सरकार ने बहुत सी सेवाओं के आवेदन के लिए संबंधित विभाग की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध करा रखे हैं, किंतु फिर भी जोधपुर तथा अजमेर जिले के नागरिक इन सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए ई मित्र सेवा केंद्रों पर ही ज्यादा निर्भर हैं, क्योंकि वह ई मित्र सेवा केंद्रों पर अधिक विश्वास करतें है।

जोधपुर तथा अजमेर जिले के नागरिक यह मानते हैं कि सामान्य रूप से ई मित्र सेवा केंद्रों पर भीड़ नहीं होती तथा कार्य आसानी से हो जाता है किंतु जब सरकार कोई नई योजना का क्रियान्वयन करती है तो उसके आवेदन करने के संदर्भ में ई मित्र सेवा केंद्र पर एकाएक भीड़ बढ़ जाती है और आवेदन में परेशानी होती है। जब राजस्थान सरकार ने भामाशाह योजना प्रारंभ कि तो आवेदन की एक लंबी प्रक्रिया तथा आवेदकों की अत्यधिक संख्या ने ई मित्र सेवा केंद्रों पर लंबे समय तक भीड़ की स्थिति को बनाए रखा।

महिला श्रेणी में जो महिलाऐं प्रथम व द्वितीय आयु वर्ग से संबंध रखती हैं, को ई मित्र सेवा केंद्रों पर जाने तथा सेवा का लाभ प्राप्त करने में कोई हिचक नहीं होती है जबकि वे महिलाऐं जो तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम वर्ग से संबंध रखती हैं और जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखती हैं वह अधिकांशतया घर के किसी पुरुष के साथ ही ई मित्र सेवा केंद्रों पर जाती हैं।

अनुसंधानकर्ता ने साक्षात्कार में यह पाया है कि वे सेवाएं जो अत्यंत महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील हैं, उनके लिए आज भी जोधपुर तथा अजमेर जिले के नागरिक सरकारी कार्यालयों में जाकर आवेदन करने को ही महत्व देते हैं तथा संवेदनशील और महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए ई मित्र सेवा केंद्रों पर भरोसा कम करते हैं। शैक्षणिक दृष्टि से प्राप्त किए गए अनुभव में अनुसंधानकर्ता ने यह पाया कि प्रथम शिक्षा श्रेणी के नागरिकों ने द्वितीय तथा तृतीय शिक्षा श्रेणी के नागरिकों की तुलना में ई मित्र सेवा केंद्रों पर सरकारी सेवा का लाभ अधिक प्राप्त किया है।

अनुसंधानकर्ता द्वारा जोधपुर तथा अजमेर जिले में किए गए सर्वेक्षण में साक्षात्कार में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा था, ई मित्र सेवा केंद्र की उपलब्धता से संबंधित। शहरी क्षेत्रों में ई मित्र सेवा केंद्रों की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं है। वे ग्राम पंचायत मुख्यालय जो शहरों के नजदीक हैं वहां भी ई मित्र सेवा केंद्रों की उपलब्धता की समस्या नहीं है। किंतु वे ग्रामीण क्षेत्र जो शहरी क्षेत्रों से दूर दुर्गम इलाकों में स्थित हैं, जहां सड़क एवं संचार का संपर्क बहुत कम है वहां ई मित्र सेवा केंद्रों की उपलब्धता बहुत कम पायी गयी है।

ई मित्र सेवा केंद्रों से जुडी एक अन्य समस्या जो अनुसंधानकर्ता द्वारा पायी गयी वह है, ई मित्र संचालको द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित राशि से ज्यादा शुल्क ग्राहकों से प्राप्त करना। ई मित्र सेवा केंद्रों पर ई मित्र संचालको द्वारा नागरिकों से संबंधित सेवाओं का ऑनलाइन भुगतान किया जाता है तथा सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क नियमावली के तहत ई मित्र संचालकों द्वारा वह धनराशि ग्राहकों से वसूल कर ली जाती है। किंतु ई मित्र संचालको द्वारा नागरिकों से जो धनराशि वसूल की जाती है वह ऑफलाइन धनराशि वसूल की जाती है जो सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से बहुत अधिक होती है। कुछ सेवाओं में तो ई मित्र संचालकों द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क से 3 गुना अधिक शुल्क तक वसूल किया जाता है। इस संदर्भ में सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर ई मित्र संचालको पर कार्यवाही की गई है तथा कई ई मित्र संचालकों के लाइसेंस जिला प्रशासन द्वारा निरस्त भी किए गए हैं।

जोधपुर तथा अजमेर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले ई मित्र सेवा केंद्रों में से लगभग एक तिहाई ई मित्र सेवा केंद्र ग्राम पंचायत मुख्यालयों, जिन्हें अटल सेवा केंद्र भी कहा जाता है, पर संचालित हो रहे हैं। अटल सेवा केंद्रों पर संचालित होने वाले ई मित्र सेवा केंद्र, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर भी चल रहे हैं। यहां पर भी ई मित्र संचालको द्वारा ग्रामीण नागरिकों से ऑफलाइन शुल्क सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से ज्यादा वसूल किया जा रहा है, साथ ही नागरिकों के काम से संबंधित कुछ दस्तावेज जिन पर ग्राम सचिव तथा सरपंच के हस्ताक्षर तथा मोहर लगानी होती है, के लिए भी ई मित्र संचालक ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों से पैसा वसूल कर रहे हैं।

सरकार द्वारा ई मित्र सेवा केंद्र पर सेवा शुल्क की सूची चस्पा करना अनिवार्य किया हुआ है, किंतु अधिकांश ई मित्र संचालक इस नियम का पालन नहीं करते हैं। वे ई मित्र सेवा केंद्र जो जोधपुर तथा अजमेर शहर से दूर-दराज के इलाकों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है, वहां पर ई मित्र संचालकों को कनेक्टिविटी तथा नेटवर्क की समस्या का बार-बार सामना करना पड़ता है, जिससे ई मित्र संचालकों के अच्छे से कार्य करने में तथा नागरिकों द्वारा सरकारी सेवा का लाभ प्राप्त करने में बाधा आती है।

ई मित्र सेवा केंद्रों के संदर्भ में जोधपुर तथा अजमेर जिले में किए गए साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता को नागरिकों से यह अनुभव प्राप्त हुआ कि ई मित्र सेवा केंद्रों के माध्यम से सरकारी सेवाओं के आवेदन ने भ्रष्टाचार को काफी कम किया है। ई मित्र सेवा केंद्रों पर जब किसी सरकारी सेवा के लिए आवेदन किया जाता है, तो यह आवेदन ऑनलाइन होता है तथा संबंधित दस्तावेजों को स्कैन करके ऑनलाइन ही भेजा जाता है, जिससे सरकारी कार्यालय की मनमानी तथा भ्रष्टाचार पर एक प्रकार का अंकुश लग गया है। जो नागरिक ई मित्र सेवा केंद्रों पर सरकारी सेवाओं के लिए पहले आवेदन करता है, उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड भी बाद में आवेदन करने वालों की तुलना में पहले ही रहता है, जिससे उसे सेवा का लाभ पहले प्राप्त होता है। इस प्रकार राजस्थान में भ्रष्टाचार को कम करने में ई मित्र सेवा केंद्रों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है।

अनुसंधानकर्ता ने सर्वेक्षण में किए गए साक्षात्कार में यह तथ्य पाए कि जो ई मित्र सेवा केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में खुलते हैं, वह शहरी क्षेत्रों में चलने वाले ई मित्र सेवा केंद्रों की तुलना में बहुत कम आय प्राप्त कर पातें हैं। यही कारण है कि ग्रामीण युवा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में ई मित्र सेवा केंद्रों को प्रारंभ करने में रुचि नहीं दिखाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को इस जानकारी का भी अभाव रहता है कि ई मित्र सेवा केंद्रों पर राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कौनसी सेवाएं उपलब्ध है।

जोधपुर तथा अजमेर जिले के नागरिकों को ई मित्र सेवा केंद्रों पर कागजी कार्यवाही करने की तथा लाइन में लगने जैसी सरकारी कार्यालयों की समस्या नहीं है। ई मित्र सेवा केंद्रों का सबसे बड़ा लाभ नागरिकों द्वारा यह बताया गया कि ई मित्र सेवा केंद्रों पर समय की पाबंदी नहीं है, राजस्थान में अधिकांश सरकारी कार्यालय सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 9:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक कार्यान्वित रहते हैं, जबकि ई मित्र सेवा

केंद्रों का संचालन सप्ताह के सभी 7 दिन सामान्य रूप से प्रात: 10:00 से रहकर सायं लगभग 9:00 बजे तक होता है, जो विशेष रूप से ई मित्र संचालक की इच्छा पर निर्भर करता है।

ई मित्र सेवा केंद्रों का एक सबसे बड़ा लाभ यह भी हुआ है कि सरकारी कार्य के संपादन में महिलाओं की पुरुषों पर निर्भरता कम हुई है। जहां पहले सरकारी कार्य को करने के लिए सरकारी कार्यालय में जाने के लिए अधिकांश महिलाऐं पुरुषों के सहयोग पर निर्भर थी, वहीं अब महिलाऐं ई मित्र सेवा केंद्रों पर स्वयं ही सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। अनुसंधानकर्ता को साक्षात्कार में नागरिकों से यह अनुभव प्राप्त हुआ कि ई मित्र सेवा केंद्रों से सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में जोधपुर तथा अजमेर जिले के नागरिकों के धन की अधिक बचत होती है, क्योंकि अगर कोई सरकारी कार्यालय नागरिक के घर से दूर है, तो भी उसके लिए आवेदन घर के समीप स्थित ई मित्र सेवा केंद्र पर किया जा सकता है, साथ ही अलग-अलग सरकारी कार्यालय भी अलग-अलग जगह पर होते हैं, जबकि एक ही ई मित्र सेवा केंद्र पर किसी भी सरकारी विभाग की सेवा के लिए आवेदन किया जा सकता है।

सेवा के व्यवहार के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता को जोधपुर तथा अजमेर जिले में यह तथ्य प्राप्त हुए कि ई मित्र संचालकों का व्यवहार सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों के समान कठोर नहीं होता हैं। ई मित्र सेवा केंद्रों का सबसे बड़ा लाभ विद्यार्थियों के लिए यह है कि राजस्थान सरकार द्वारा सभी सरकारी विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों से जुड़े कार्यों का संपादन विद्यार्थियों द्वारा ई मित्र सेवा केंद्रों के माध्यम से किया जा सकता है।

5.22 सुझाव (Suggestion)- अनुसंधानकर्ता द्वारा जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन के सन्दर्भ में गहन अध्ययन तथा जोधपुर तथा अजमेर जिले में अनुसंधान उपकरण के माध्यम से किए गए सर्वेक्षण का विश्लेषण करके निम्न सुझाव दिए गए हैं :-

1. ई मित्र सेवा केंद्रों के संदर्भ में महिलाओं के लिए तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए अर्थात राज्य सरकार शहरों में कुछ ई मित्र सेवा केंद्रों को केवल वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए सुरक्षित रखें।
2. जोधपुर तथा अजमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक ई मित्र सेवा केंद्र खोले जाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में ई मित्र सेवा केंद्रों का संचालन करने वाले संचालकों को लाभ कम हो रहा है, तो राज्य सरकार को इस संदर्भ में उपाय करने चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में ई मित्र केंद्रों का संचालन करने वाले संचालकों को शहरी ई मित्र सेवा केन्द्रों के सामान आय हो। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित ई मित्र सेवा केंद्रों के संचालकों को सब्सिडी प्रदान करके भी उनके लाभ को बढ़ा सकती है।
3. ई मित्र सेवा केंद्रों को भविष्य की दृष्टि से बेहतर बनाया जाए तथा केवल राज्य सरकार व स्थानीय सरकार की ही नहीं अपितु केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का भी ई मित्र सेवा केंद्रों के अंदर समावेश किया जाए।
4. राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में इस बात का प्रचार प्रसार किया जाए कि ई मित्र सेवा केंद्र के माध्यम से नागरिकों को कौन-कौन सी सेवाएं प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार को स्थानीय सरकारों के साथ मिलकर ई-गवर्नेंस के संदर्भ में जागरूकता का प्रचार प्रसार करना चाहिए।
5. राज्य सरकार द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों में ई-गवर्नेंस के माध्यम से सेवा प्रदायगी में कार्यकुशलता एवं कार्यक्षमता का विकास करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन से पहले जोधपुर तथा अजमेर जिला प्रशासन द्वारा सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था।

6. राज्य सरकारों को यह प्रयास करना चाहिए कि ई मित्र संचालकों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के संदर्भ में सेवा प्राप्त करने वाले नागरिकों से निर्धारित शुल्क से ज्यादा शुल्क न लिया जाये तथा जो ई मित्र संचालक निर्धारित शुल्क से ज्यादा ऑफलाइन शुल्क लेते हैं, उनके खिलाफ राज्य सरकार द्वारा कठोर कार्यवाही जिला प्रशासन के माध्यम से की जानी चाहिए।
7. राज्य सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कम से कम एक ई मित्र सेवा केंद्र हो तथा उस ग्राम पंचायत मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले गांवों में कम से कम एक ई मित्र कियोस्क हो।
8. राज्य सरकार व केंद्र सरकार को सम्मिलित रूप से प्रयास करना चाहिए कि ई मित्र सेवा केंद्रों के माध्यम से बैंकिंग वर्धक जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाए।
9. वर्तमान में हम देखते हैं कि स्मार्टफोन का प्रचलन नागरिकों में तेजी से बढ़ रहा है, इसका लाभ उठाकर सरकारों को मोबाइल गवर्नेंस को बढ़ावा देना चाहिए। मोबाइल गवर्नेंस ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम है, इससे राज्य के नागरिकों की ई मित्र सेवा केंद्रों पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी।
10. राज्य सरकारों द्वारा ई मित्र संचालकों के संदर्भ में बनाये गए नियमों तथा विनियमों समय – समय पर समीक्षा करते रहना चाहिए। ई मित्र संचालकों के संदर्भ में शिकायत करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था भी होनी चाहिए।

5.23 तुलनात्मक अध्ययन के लिए आरेख (Diagram) –

नोट- नीचे आरेखों में दी गयी प्रतिशतता इस बात को दर्शाती है कि जोधपुर तथा अजमेर जिले की किस वर्ग की जनसंख्या ने ई जिला पायलेट परियोजना के अंतर्गत आने वाली किस सेवा का कितने प्रतिशत उपयोग किया है।

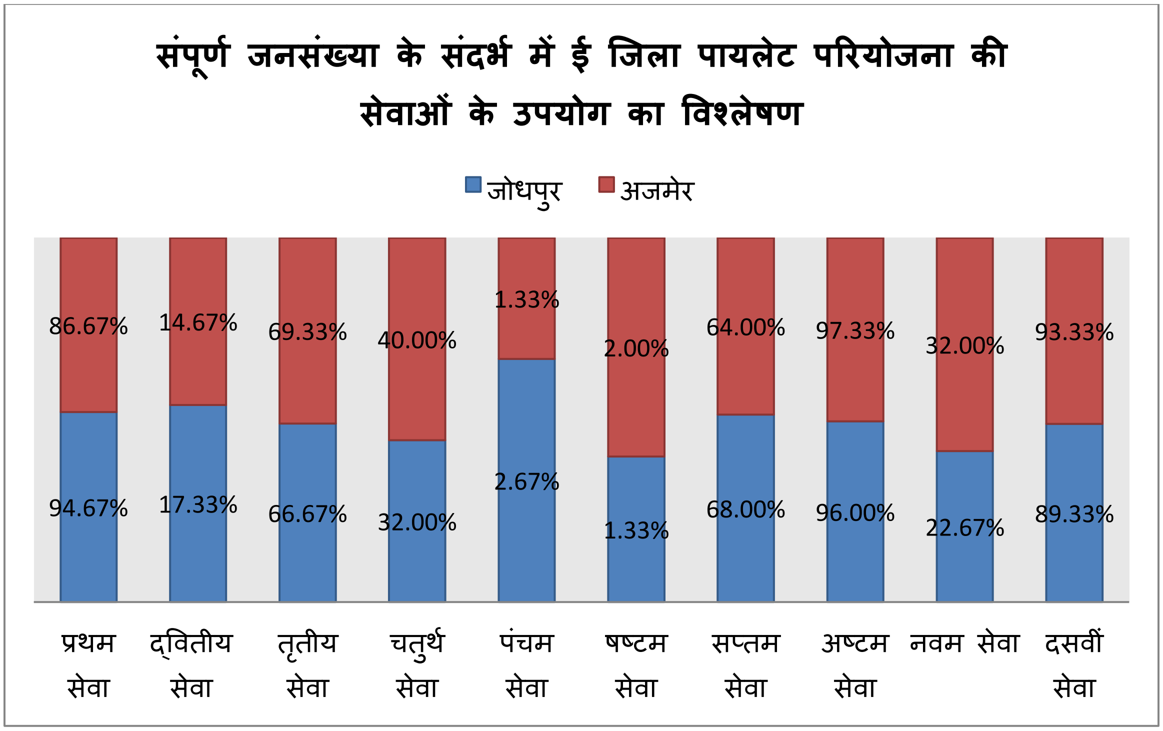

आरेख सं. 5.23.1

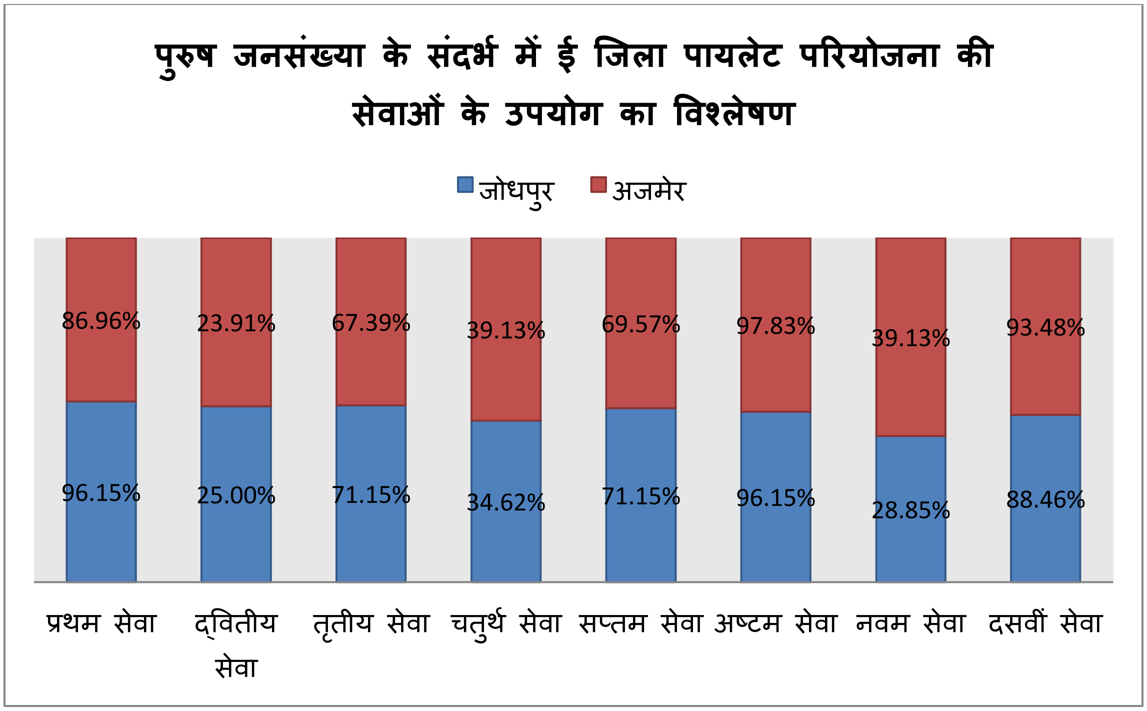

आरेख सं. 5.23.2

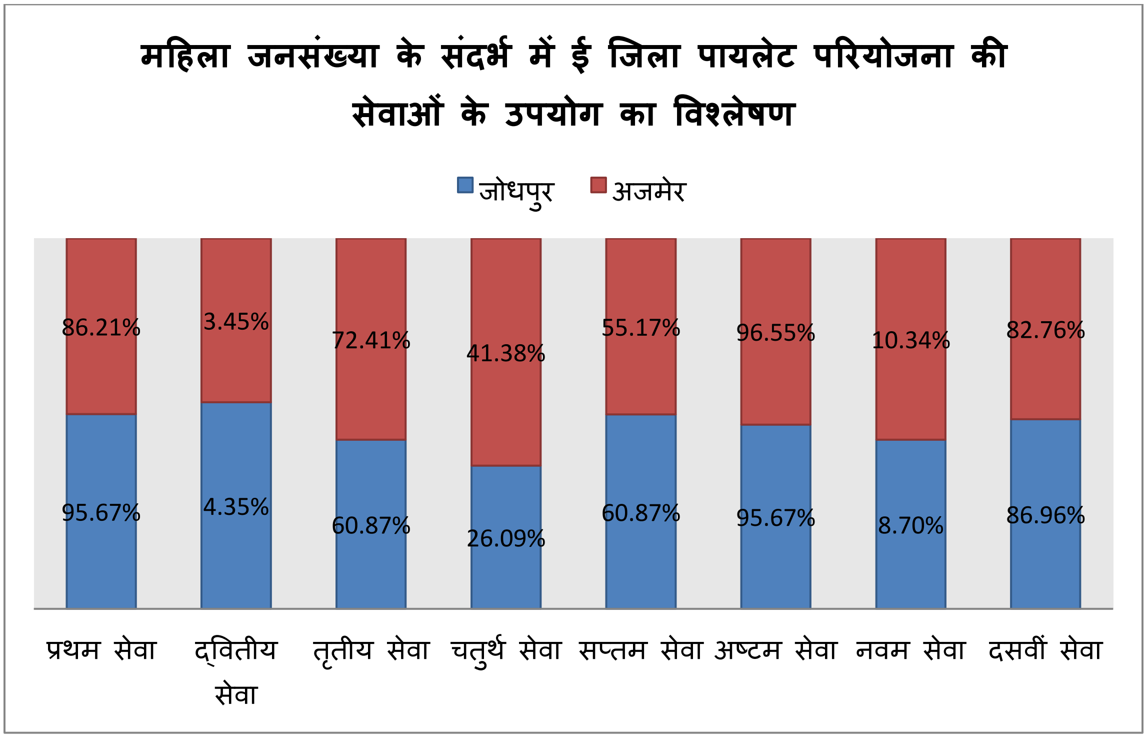

आरेख सं. 5.23.3

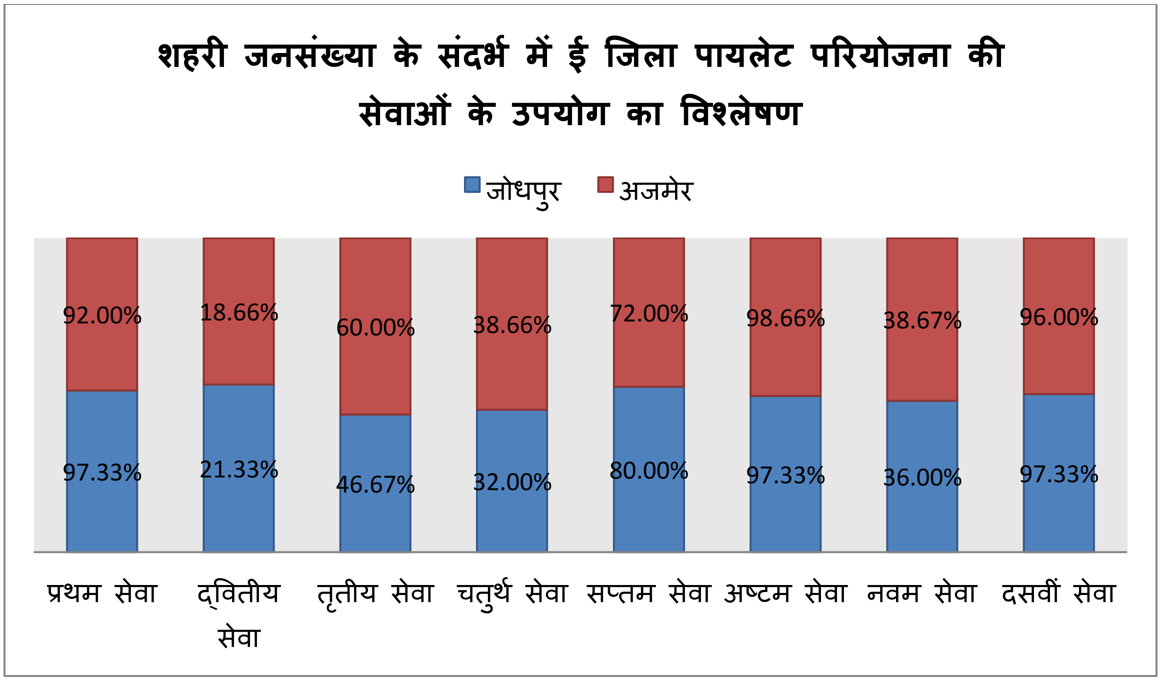

आरेख सं. 5.23.4

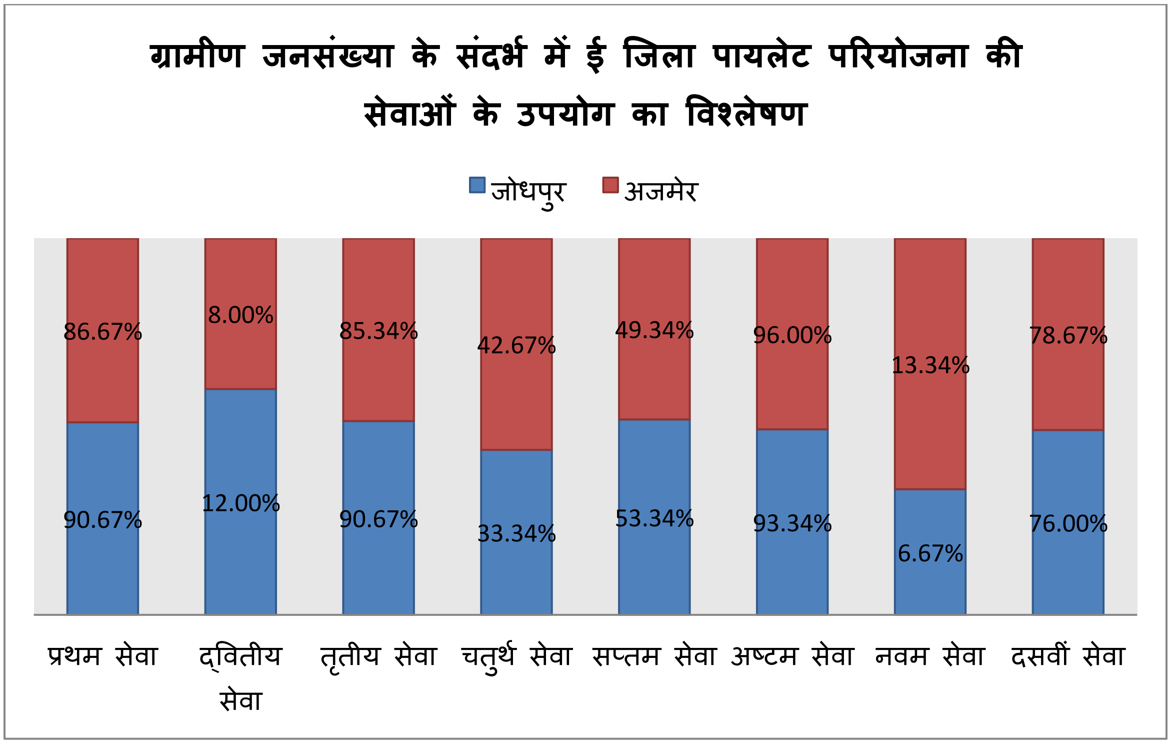

आरेख सं. 5.23.5

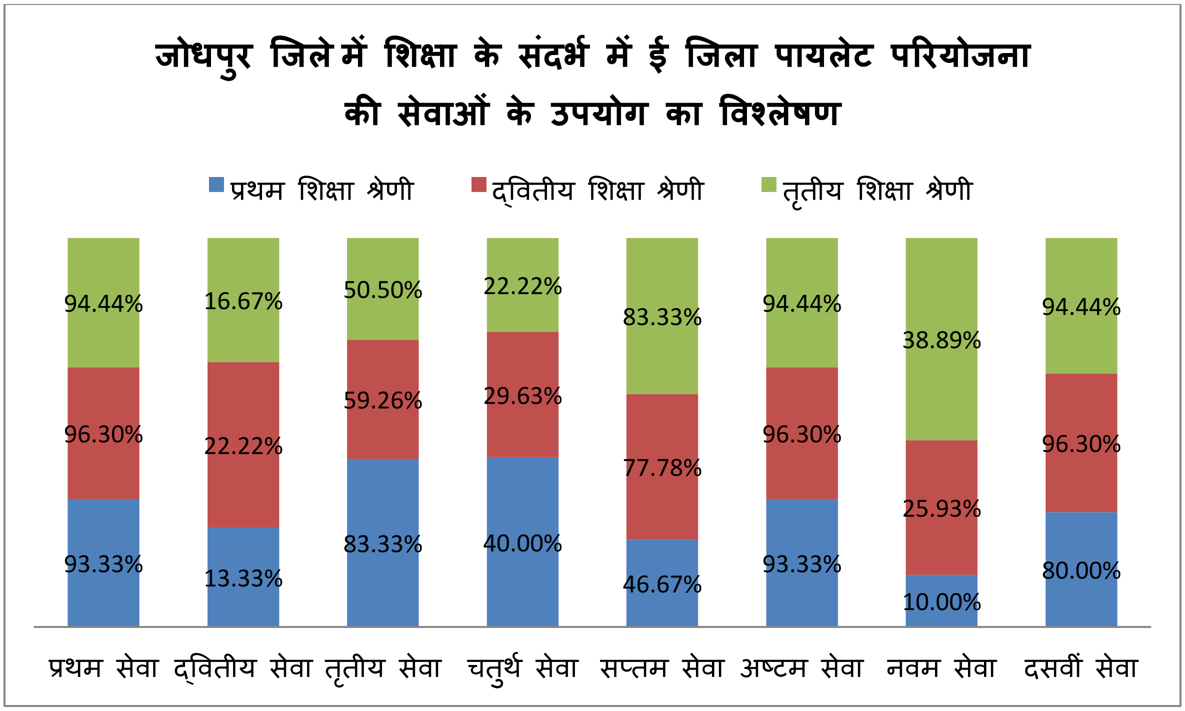

आरेख सं. 5.23.6

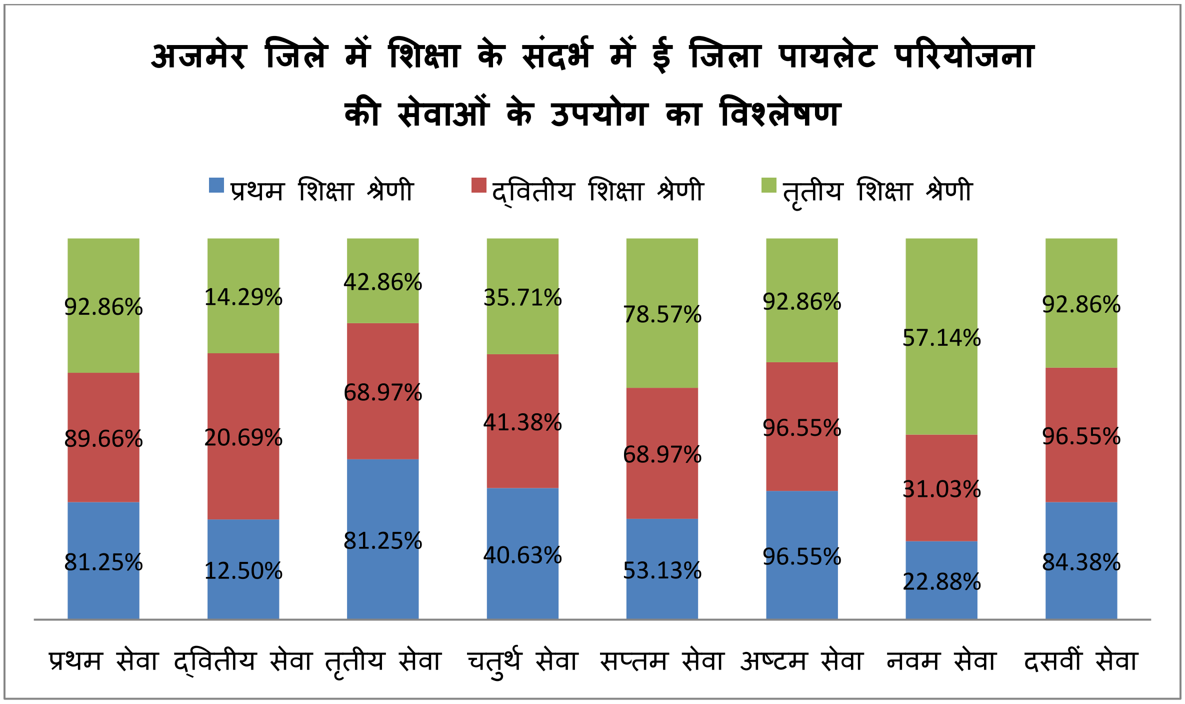

आरेख सं. 5.23.7

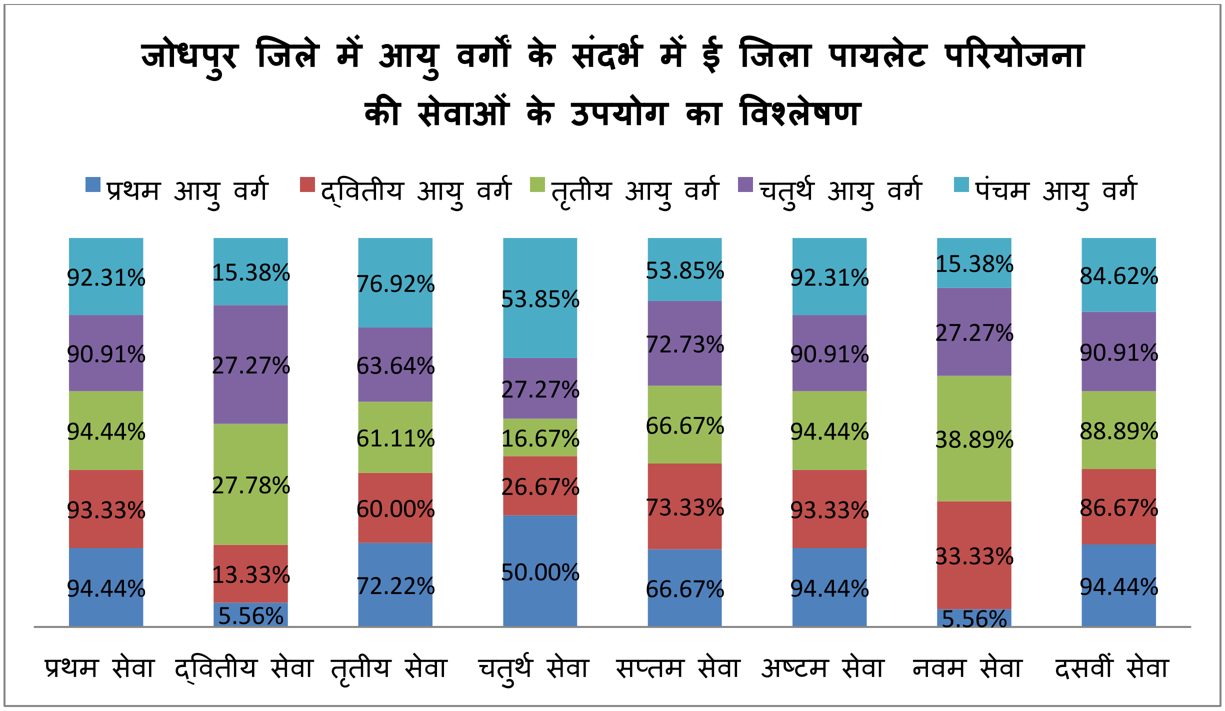

आरेख सं. 5.23.8

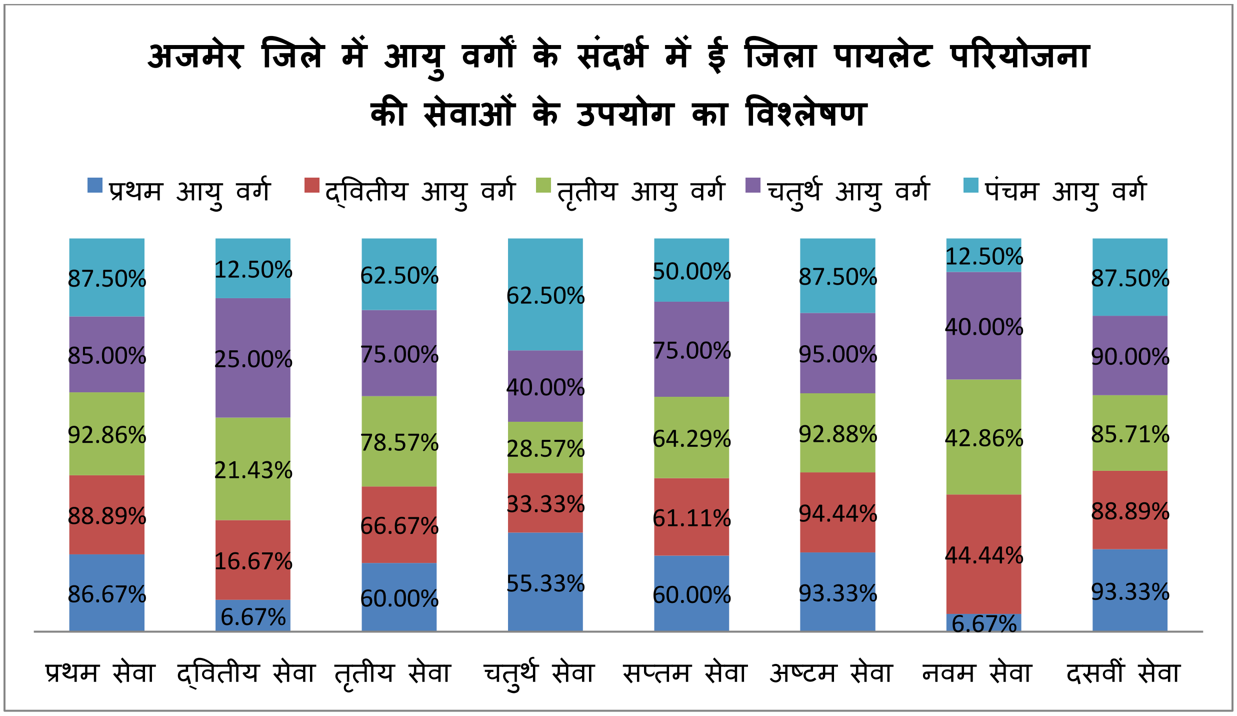

आरेख सं. 5.23.9

नोट- नीचे आरेखों में दी गयी प्रतिशतता इस बात को दर्शाती है कि जोधपुर तथा अजमेर जिले में किस वर्ग की जनसंख्या ने अनुसंधानकर्ता द्वारा चयनित नागरिक केंद्रीयता के किस घटक के प्रति कितने प्रतिशत सकारात्मक सहमति व्यक्त की है।

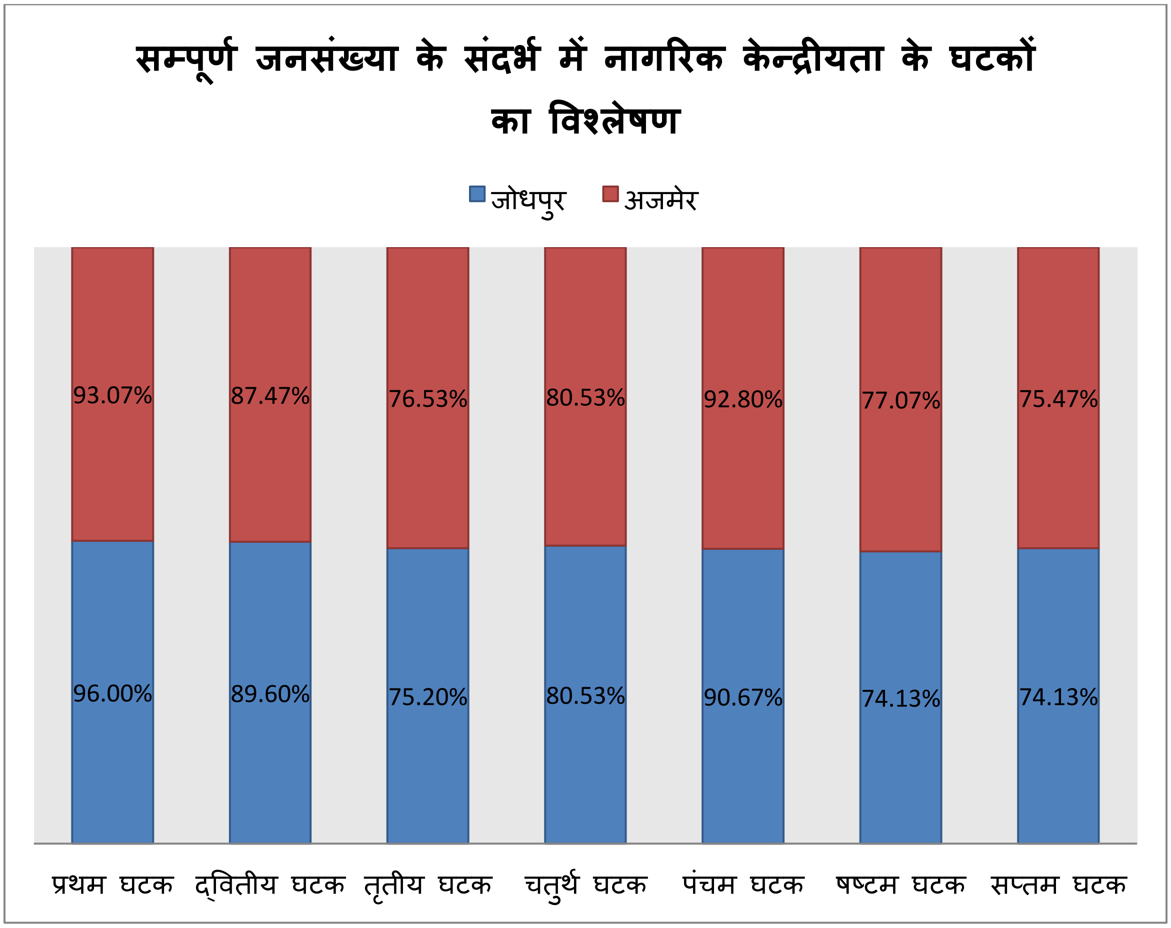

आरेख सं. 5.23.10

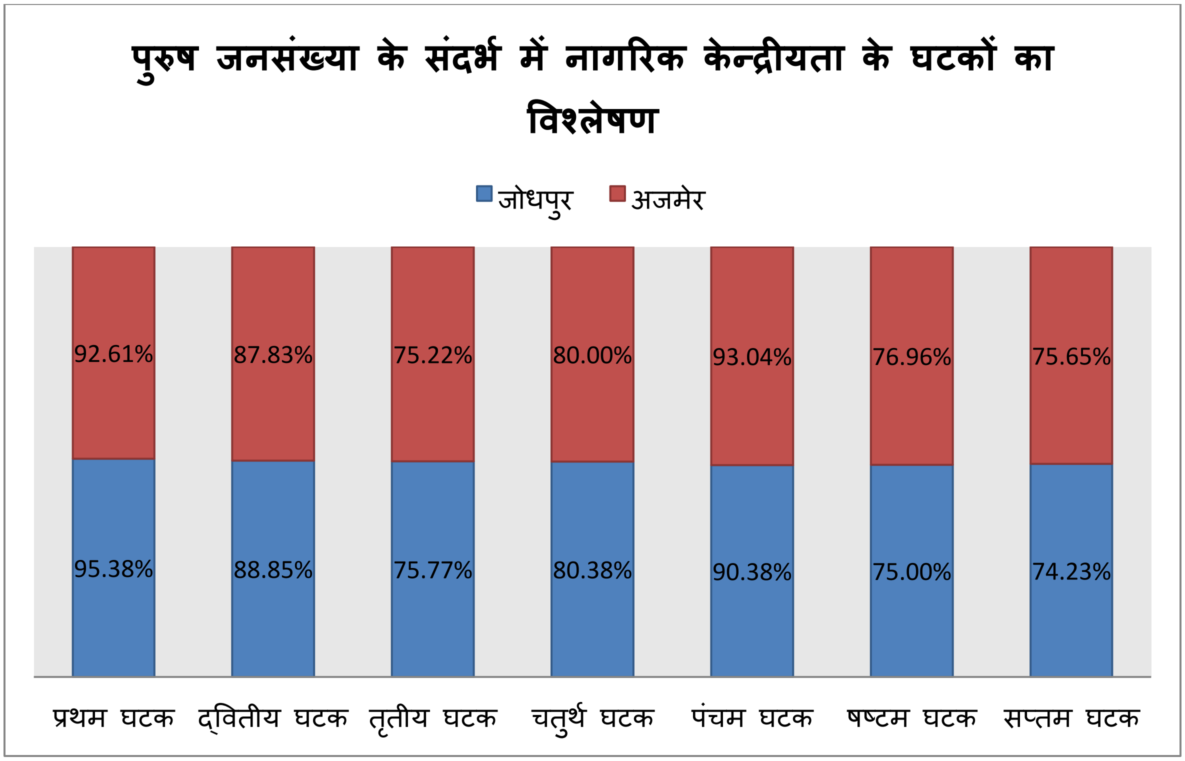

आरेख सं. 5.23.11

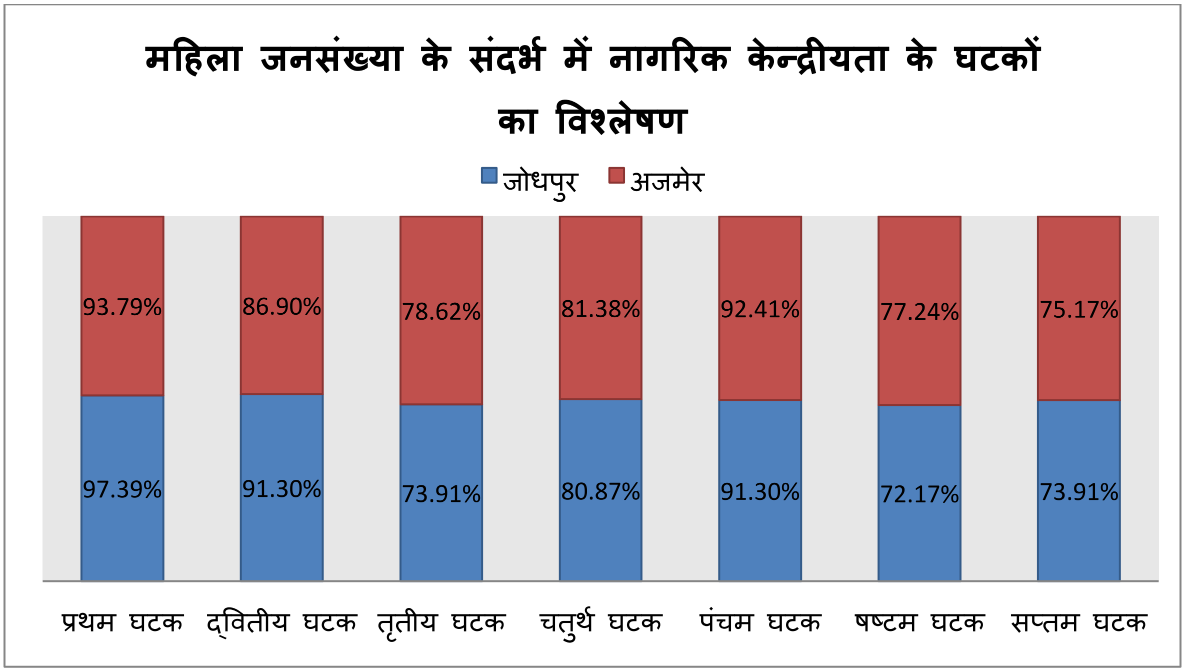

आरेख सं. 5.23.12

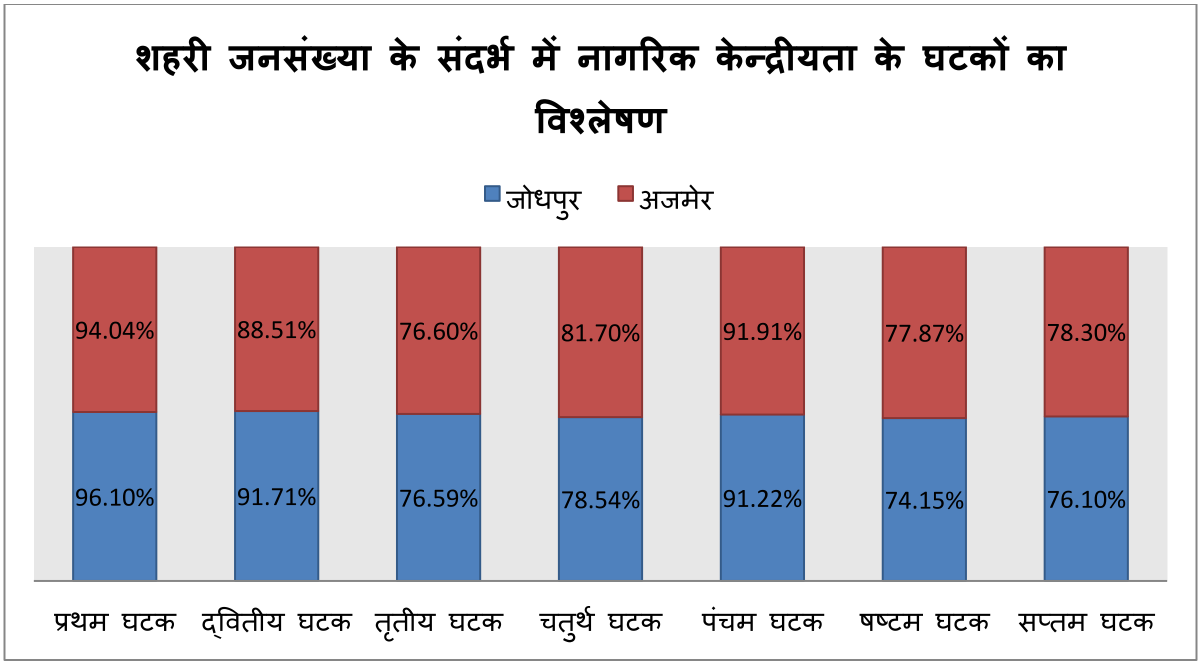

आरेख सं. 5.23.13

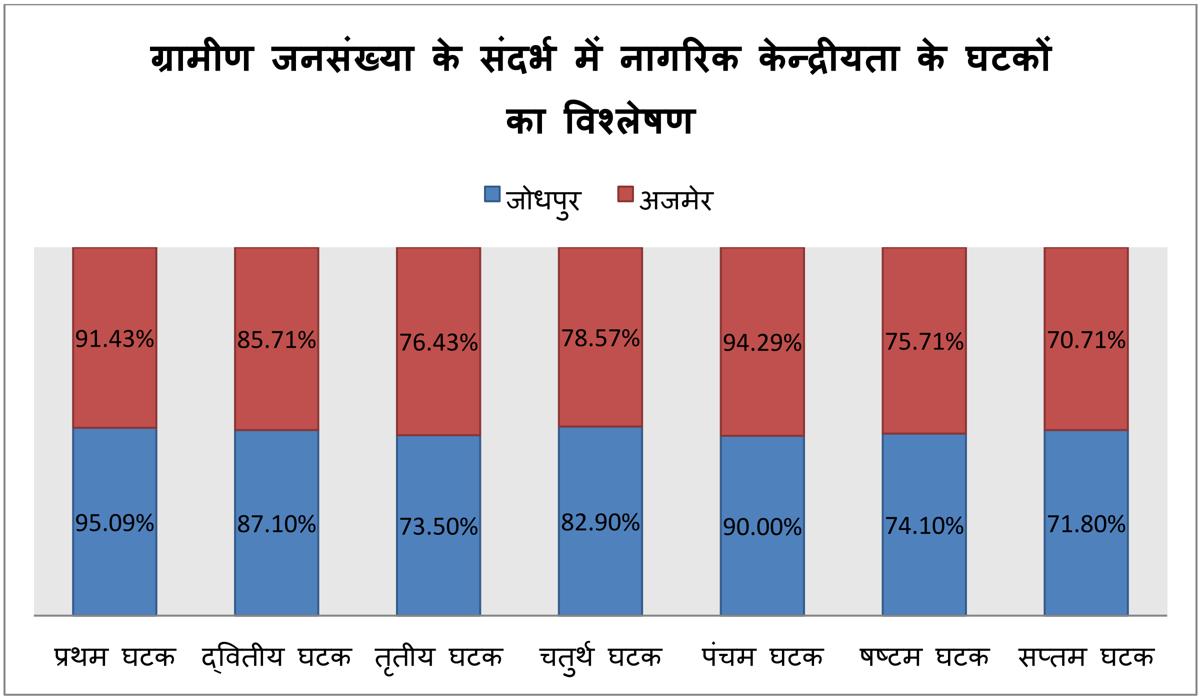

आरेख सं. 5.23.14

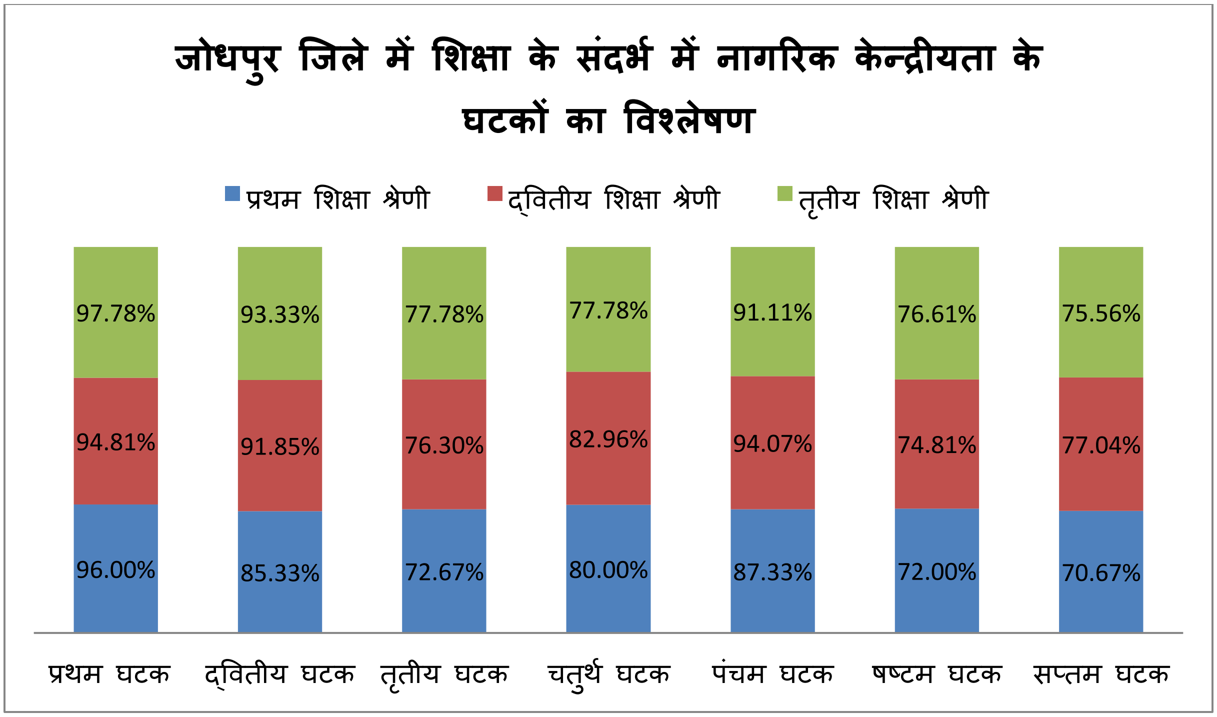

आरेख सं. 5.23.15

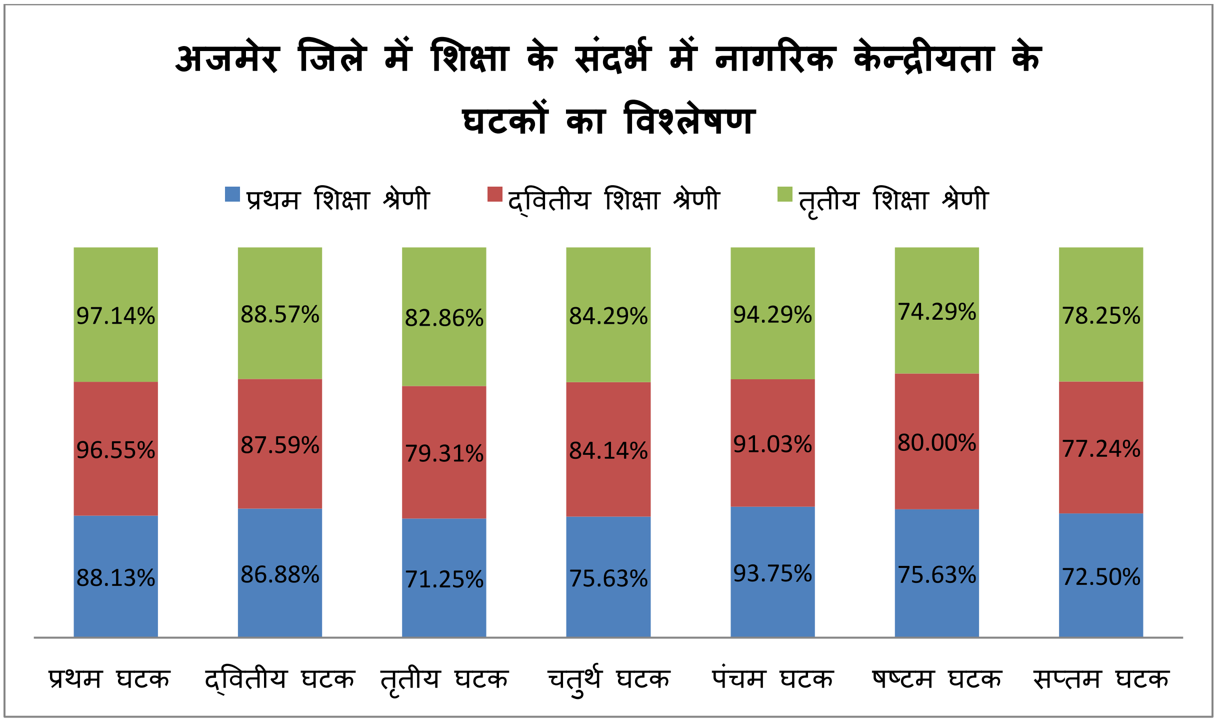

आरेख सं. 5.23.16

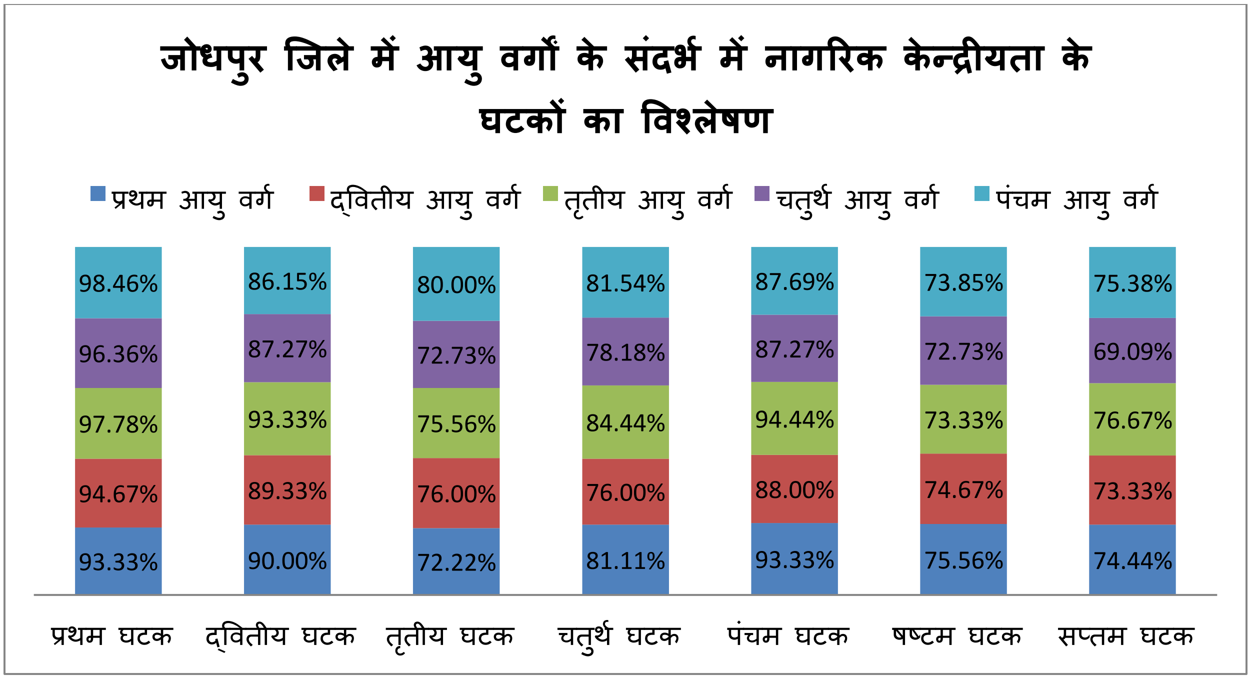

आरेख सं. 5.23.17

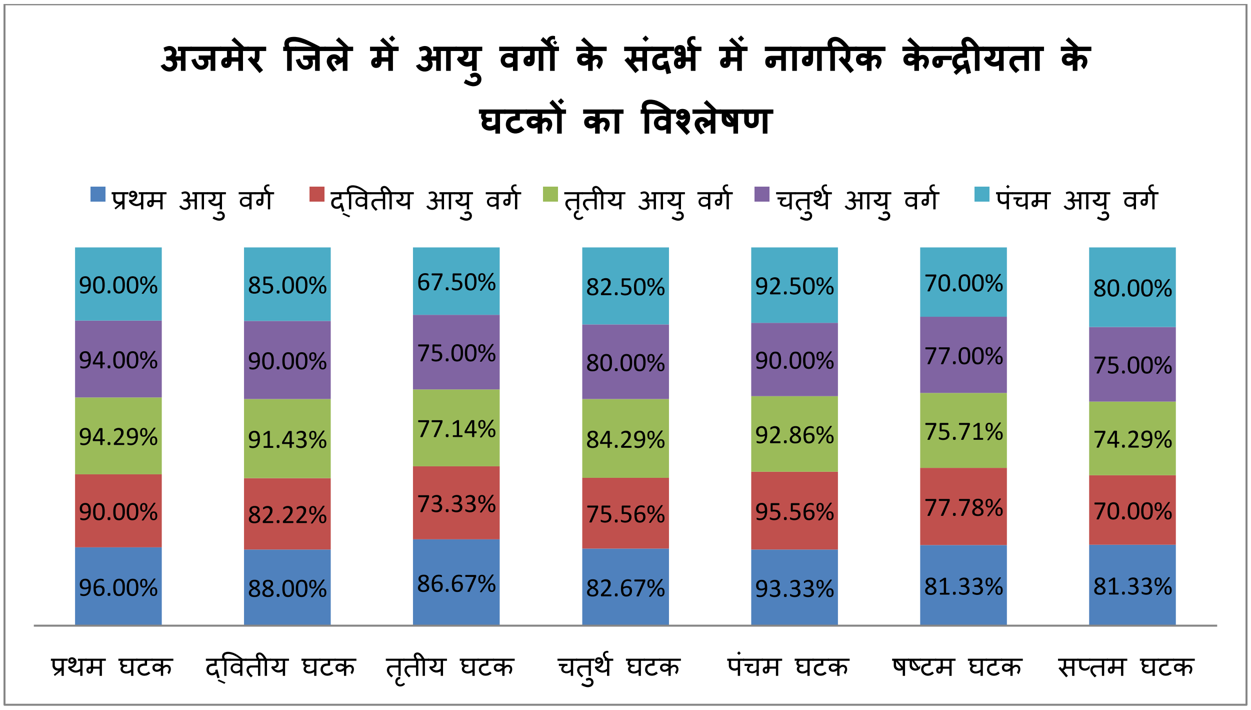

आरेख सं. 5.23.18

संदर्भ ग्रन्थ सूची

{References and Bibliography}

संदर्भ ग्रन्थ सूची (References and Bibliography) -

1. अग्रवाल, एन. के. तथा तिवारी, डी. एम. (2002). आईटी एंड ई - गवर्नेंस इन इंडिया. न्यूयॉर्क: मैकमिलन पब्लिशिंग कंपनी इनकॉरपोरेट.
2. अरोड़ा, के. आर. तथा खंडेलवाल, एम. आर. (2008). गुड गवर्नेंस : इनिशिएटिव एंड इंपैक्ट. नई दिल्ली : पेरागोन इंटरनेशनल पब्लिशर्स.
3. अरोड़ा, के. आर. तथा माथुर, सी. पी. (1998). एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान: इंस्टिट्यूशनल लेंडमार्क. जयपुर : आलेख पब्लिशर्स.
4. इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार (18 जनवरी, 2018). डिजिटल इंडिया: पावर टू ईमपावर. http://www.digitalindia.gov.in/ से 18 जनवरी 2018 को प्राप्त किया गया.
5. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार (07 दिसंबर, 2017). डिजिटल इंडिया: पावर टू ईमपावर. http://meity.gov.in/ से 07 दिसंबर 2017 को प्राप्त किया गया.
6. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार (23 मार्च, 2014). राष्ट्रीय ई – गवर्नेंस योजना : ई जिला परियोजना. http://www.deity.gov.in से 23 मार्च 2014 को प्राप्त किया गया.
7. एस्तेवेज, ई., तथा जानोवास्की, टी. (2013). इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट: कोन्सेप्चुयल फ्रेमवर्क एंड स्टेट ऑफ रिसर्च. गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन क्वाटरली, ग्रंथ 30, परिशिष्ट 1, पेज संख्या S94-S109.
8. केसरवानी, डी. (2013). फाइटिंग करप्शन, प्रोमोटिंग गुड गवर्नेंस. नई दिल्ली : मैक्सफोर्ड बुक्स.
9. गुलाटी, म. (2016). डिजिटल इंडिया: चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग. ग्रन्थ 4, अंक 10.पेज संख्या 1-4.
10. गुप्ता, नी., तथा अरोड़ा, क. (2015). डिजिटल इंडिया: ए रोडमैप फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट. ग्रंथ 2, अंक 2.पेज संख्या 1333-1342.

11. गोयल, एल. एस. (**2007**). गुड गवर्नेंस: एन इंटीग्रल अप्रोच**.** नई दिल्ली: दीप तथा दीप पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड.

12. ग्रौलुन्द, ए., तथा होरन, ए. टी. (2004). इंटरोडयुसिंग ई - गवर्नमेंट: हिस्ट्री, डेफिनेशन इश्युस. कम्युनिकेशन ऑफ द एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ग्रंथ 15, पेज संख्या 713 – 729.

13. घोष, के. डी. (2010). डिजिटल इंडिया: रूरल डेवलपमेंट ट्रांसफॉर्मेशन. नई दिल्ली : यू बी एस पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स.

14. चक्रवर्ती, बी. (2016). एथिक्स इन गवर्नेंस इन इंडिया. लंदन तथा न्यूयॉर्क : रूटलेज टेलर तथा फ्रांसिस ग्रुप.

15. चंदर, एस., तथा शर्मीला. (जुलाई 2012). ई - गवर्नेंस इंटेरोपेराबिलिटी इश्युस. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंस, ग्रंथ 2, विषय 7.पेज संख्या 22-32.

16. चौधरी, बी.(2014). ई - गवर्नेंस इन इंडिया: इंटरलॉकिंग पॉलिटिक्स टेक्नोलॉजी एंड कल्चर. लंदन तथा न्यूयॉर्क : रूटलेज टेलर तथा फ्रांसिस ग्रुप.

17. चौधरी, के. एस., नायक. एस. एस., तथा पनिग्रह्य, आर. एल. सम्पादित (2009). ई - गवर्नेंस: इश्युस एंड स्ट्रेटेजीस. नई दिल्ली : एस एस डी एन पब्लिशर्स तथा डिस्ट्रीब्यूटर्स.

18. तेजस्वी, एस., तथा सारंगदेवत, एस. एस. (2011). इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी एंड ई - गवर्नेंस इन राजस्थान. इंडियन जर्नल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ग्रंथ 2, अंक 2.पेज संख्या 177-183.

19. थॉमस, एन. पी. (2012). डिजिटल इंडिया: अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड सोशियल चेंज. नई दिल्ली : सेज पब्लिकेशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड.

20. द्विवेदी, के. एस. तथा भारती, के. ए. (2010). ई - गवर्नेंस इन इंडिया - प्रॉब्लम एंड एक्सेपटबिलिटी. जर्नल ऑफ थेयोरीटिकल एंड एप्लाइड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी.पेज संख्या 37-43.

21. दुआ, एस. (2017). डिजिटल इंडिया: अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेज. इंटरनेशनल जनरल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट. ग्रंथ 6, अंक 3. पेज संख्या 61-67.

22. देवा, वा. (2005). ई - गवर्नेंस. नई दिल्ली : कोमनवेल्थ पब्लिशर्स.

23. धारीवाल, एस., तथा शर्मा, एम. सी. संपादित (2007). डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रोल ऑफ कलेक्टर. जयपुर : हरीश चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान.

24. प्रशासनिक सुधार विभाग, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार. (2009). नागरिक केंद्रित प्रशासन : शासन का केंद्र बिंदु. (द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग. 12 वीं रिपोर्ट). नई दिल्ली.

25. प्रशासनिक सुधार विभाग, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार. (2008). ई – गवर्नेंस का संवर्धन : स्मार्ट मार्ग अग्रेषित. (द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग. 11 वीं रिपोर्ट). नई दिल्ली.

26. पाटिल,.एस. आर, तथा कायंडे. जी. एच, सम्पादित (2013). गुड गवर्नेंस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ: रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट. नई दिल्ली :रीगल पब्लिकेशन.

27. पुरोहित, ए. तथा स्वामी. एस (2013). इकोनॉमिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस. जयपुर : आर बी एस ए पब्लिशर्स.

28. प्रभु, आर. एस. सी. (2012). ई गवर्नेंस: कांसेप्ट एंड केस स्टडी. नई दिल्ली : पी एच आई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड.

29. फोल्ज, एच. डी. (1996). सर्वे रिसर्च फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. नई दिल्ली : सेज पब्लिकेशन.

30. बर्थवाल, पी. सी. (2003). गुड गवर्नेंस इन इंडिया. नई दिल्ली : दीप एंड दीप पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड.

31. भट्ट, नि., तथा अग्रवाल, ए. सम्पादित (2011). ई - गवर्नेंस: पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस. नई दिल्ली : एक्सल इंडिया पब्लिशर्स.

32. भटनागर , एस .(2009).अनलॉकिंग ई - गवर्नमेंट पोटेंशियल: कांसेप्ट, केस एंड प्रैक्टिकल इनसाइट. नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड.

33. भारत का राष्ट्रीय पोर्टल, भारत सरकार (19 नवम्बर, 2017). राष्ट्रीय ई - गवर्नेंस योजना. http://india.gov.in से 19 नवम्बर 2017 को प्राप्त किया गया.

34. भाटी, एस. जे. (2011). राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था. जोधपुर : राजस्थानी ग्रंथ आगार.

35. मदोन, एस. (2004). इवैल्युटिंग द डेवलपमेंट इंपैक्ट ऑफ ई - गवर्नेंस इनिशिएटिव: एन एक्सप्लोरेटरी फ्रेमवर्क. दी इलेक्ट्रॉनिक जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन डेवलपिंग कंट्रीज. 20, 5, पेज संख्या 1-13.

36. मनोहर, ए. तथा होल्जर, एम. (2012). एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन इन ई - गवर्नमेंट : ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव. हेर्षी : इंफॉर्मेशन साइंस रेफरेंस.

37. माहेश्वरी, आर. एस. (2010). इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. हैदराबाद : ओरिएंट ब्लैकस्वान प्राइवेट लिमिटेड.

38. मिश्रा, डी. (2016). आई ड्रीम ऑफ ए डिजिटल इंडिया. नई दिल्ली : क्रिएटस्पेस इंडिपेंडेंट पब्लिशिंग प्लेटफार्म.

39. मीधा, रा. (अगस्त, 2016). डिजिटल इंडिया: बैरियर्स एंड रेमेडीज. पेपर प्रजेंटेड एट इंटरनेशनल कांफ्रेंस ऑन रीसेंट इनोवेशन इन साइंस मैनेजमेंट एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जे सी डी विद्यापीठ, सिरसा, हरियाणा.पेज संख्या 256-261.

40. मीणा, एस. जे. (2012). भारत में ग्रामीण विकास प्रशासन. जयपुर आरबीएस ए पब्लिशर्स.

41. मेदोन, एस.(2009). ई - गवर्नेंस फॉर डेवलपमेंट: ए फोकस ऑन रूरल इंडिया. लंदन : पॉलग्रेव मैकमिलन.

42. रानी, सु. (2016). डिजिटल इंडिया: अनलिजिंग प्रोस्पेरिटी. इंडियन जनरल ऑफ एप्लाइड रिसर्च. ग्रंथ 6, अंक 4.पेज संख्या 187-189.

43. रेड्डी,ऊ. (2016). डिजिटल इंडिया. सरब्रूक्रेन : एल ए पी लैंबर्ट एकेडमिक पब्लिशिंग.

44. शर्मा, अ., शर्मा, त्रि., तथा शर्मा, क. (2015). डिजिटल इंडिया: ए न्यू चेंज इन इंडियन इकोनॉमी. ईपीआरए इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिव्यु. ग्रंथ, 3 अंक 12.पेज संख्या 154-159.

45. शर्मा, पी. (2004). ई - गवर्नेंस. नई दिल्ली : ए पी एच पब्लिशिंग कारपोरेशन.

46. सिन्हा, आर. पी. (2006). ई - गवर्नेंस इन इंडिया: इनिशिएटिव एंड इश्युस. नई दिल्ली: कांसेप्ट पब्लिशिंगकंपनी.

47. सुश्रुम, पी., तथा फिलिप, जे. (12 दिसंबर, 2003). सिटीजन सेंट्रीसिटी: ई - गवर्नेंस इन आंध्र प्रदेश (ए केस स्टडी). मिशिगन बिजनेस स्कूल. द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन.

48. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, राजस्थान सरकार (26 दिसंबर, 2017). राष्ट्रीय ई - गवर्नेंस योजना : ई जिला पायलेट परियोजना. http://www.doitc.rajasthan.gov.in से 26 दिसंबर, 2017 को प्राप्त किया गया.

49. सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार विभाग, राजस्थान सरकार. (2016 – 17). वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन. जयपुर. राजस्थान.

50. सूरी, के. पी. तथा सुशील. (2016). स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई - गवर्नेंस. सिंगापुर : स्प्रिंग साइंस एंड बिजनेस मीडिया.

51. सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार विभाग, राजस्थान सरकार. (2015 – 16). वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन. जयपुर. राजस्थान.

52. सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार विभाग, राजस्थान सरकार. (2014 – 15). वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन. जयपुर. राजस्थान.

53. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार (3 मार्च, 2014). राष्ट्रीय ई - गवर्नेंस योजना : ई जिला परियोजना www.edistrict.rajasthan.gov.in से 3 मार्च, 2014 को प्राप्त किया गया.

54. सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार विभाग, राजस्थान सरकार. (2013 – 14). वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन. जयपुर. राजस्थान.

55. सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार विभाग, राजस्थान सरकार. (2012 – 13). वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन. जयपुर. राजस्थान.

56. सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार विभाग, राजस्थान सरकार. (2011 – 12). वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन. जयपुर. राजस्थान.

57. सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार विभाग, राजस्थान सरकार. (2010 – 11). वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन. जयपुर. राजस्थान.

58. सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार विभाग, राजस्थान सरकार. (2009 – 10). वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन. जयपुर. राजस्थान.

परिशिष्ट

{Appendix}

परिशिष्ट 1.

ई-गवर्नेंस तथा नागरिक केन्द्रीयता के सन्दर्भ में आंकड़ों के संग्रहण हेतु प्रयुक्त अनुसंधान उपकरण

अनुसंधानकर्ता का परिचय :- अनुसंधानकर्ता का नाम सुधांशु गौतम है जो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के लोक प्रशासन विभाग में Ph.D. 2013 बैच के शोधार्थी हैं। अनुसंधानकर्ता अपना शोध कार्य विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग में सहायक आचार्य डॉ. अकबर अली जी के मार्गदर्शन में कर रहे हैं।

आंकड़ों के संग्रहण का उद्देश्य :- अनुसंधानकर्ता के शोध का विषय "राजस्थान में ई-गवर्नेंस : जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन का तुलनात्मक अध्ययन" है। भारत सरकार द्वारा लागू की गयी राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजना में कुल 31 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से एक प्रमुख प्रोजेक्ट है ई जिला प्रोजेक्ट, जिसके पायलेट प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन राजस्थान के जोधपुर तथा अजमेर जिले में अक्टूबर 2013 में प्रारम्भ किया गया। जोधपुर तथा अजमेर जिले में ई जिला पायलेट परियोजना को लागू किये जाने के पश्चात उसके क्रियान्वयन तथा प्राप्त नागरिक केन्द्रीयता के स्तर को जानने के लिये आंकड़ों का संग्रहण किया जा रहा है।

दिशा निर्देश (Directions)

1. कृपया किसी भी प्रश्न को ना छोडें। यदि कोई प्रश्न विशेष आप पर लागू नहीं होता है तो कृपया उसके उत्तर के स्थान पर N. A. (Not Applicable) लिखें।
2. वे प्रश्न जिनमें उत्तर के लिये कोष्ठक ( ) का प्रयोग किया गया है , का उत्तर सही अथवा हाँ के लिये (✔) का तथा गलत अथवा ना के लिये (X) का प्रयोग करें।
3. कृपया इस प्रश्नावली को सुस्पष्ट तथा सुवाच्य शब्दों में भरें , ताकि इसे आसानी से पढ़ा तथा समझा जा सके।
4. आपके द्वारा दी गयी जानकारी पूर्णतया गोपनीय रखी जायेगी तथा विश्लेषण हेतु सामूहिक रूप से प्रयुक्त की जायेगी अतः निसंकोच तथा स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त करें।
5. आप अपने सुझाव हमें ईमेल sudhanshupubad13@vmou.ac.inपर भी भेज सकते हैं।

PART - A

1. नाम ____________________

2. पता ____________________

3. लिंग महिला ( ) / पुरुष ( )

4. व्यवसाय ____________________

5. आयु ____________________

6. शिक्षा ____________________

7. जिले के किस क्षेत्र के निवासी हैं :- शहरी ( ) / ग्रामीण ( )

PART - B

राजस्थान सरकार द्वारा भारत सरकार के सहयोग से आपके जिले में ई जिला पायलेट परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसके तहत जिले की निम्न 10 सेवाओं को पूर्ण रूप से ई-गवर्नेंस के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जा रहा है , आपके द्वारा निम्न में से जो सेवा ई-गवर्नेंस के माध्यम से प्राप्त की गयी है उससे सम्बंधित कोष्ठक में (✔) तथा जो सेवा ई-गवर्नेंस के माध्यम से प्राप्त नहीं की गयी है उससे सम्बंधित कोष्ठक में (X) का प्रयोग करें -

नोट :- ई-गवर्नेंस के माध्यम से सेवा प्राप्त करने से आशय है, सेवा के लिये ई मित्र सेवा केन्द्रों (common service centres) के माध्यम से अथवा स्वयं ऑनलाइन आवेदन करना तथा सेवा का लाभ प्राप्त करना।

1. क्या आपने ईगवर्नेंस- के माध्यम से (आयमृत्यु अथवा अन्य ,जन्म ,जाति ,मूल निवासी ,) किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है?
   उत्तर :- हाँ ( ) / ना ( )

2. क्या आपने ईगवर्नेंस- के माध्यम से (शस्त्रव्यापार अथवा अन्य ,) किसी भी प्रकार का लाइसेंसड्राइविंग लाइसेंस) (के अतिरिक्त प्राप्त किया है?
   उत्तर :- हाँ ( ) / ना ( )

3. क्या आपने ई-गवर्नेंस के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुडी (राशन कार्ड से सम्बंधित अथवा अन्य) सेवाऐं प्राप्त की है ?
   उत्तर :- हाँ ( ) / ना ( )

4. क्या आपने ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकार की समाज कल्याण की योजनाओं से सम्बंधित (वृद्धावस्था पेंशन, परिवार पेंशन, विधवा पेंशन या अन्य) किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त किया है ?
   उत्तर :- हाँ ( ) / ना ( )

5. क्या आपने कभी जिला प्रशासन को ई-गवर्नेंस के माध्यम से (वस्तुओं तथा सेवाओं की अनुचित कीमतों, शिक्षकों तथा चिकित्सकों की अनुपलब्धता अथवा अन्य) किसी भी प्रकार की सरकारी कार्यालयों से सम्बंधित शिकायत की है ?
   उत्तर :- हाँ ( ) / ना ( )

6. क्या आपने कभी ई-गवर्नेंस के माध्यम से सूचना का अधिकार कानून के तहत ऑनलाइन आवेदन किया है ?
   उत्तर :- हाँ ( ) / ना ( )

7. क्या आपने ई-गवर्नेंस के माध्यम से पंजीकरण, भूमि अभिलेख और ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन जैसी सेवाऐं प्राप्त की है ?
   उत्तर :- हाँ ( ) / ना ( )

8. क्या आपके क्षेत्र में सरकारी योजनाओं के प्रचार तथा प्रसार के लिये ई-गवर्नेंस का उपयोग किया जाता है ?
   उत्तर :- हाँ ( ) / ना ( )

9. क्या आपने ई-गवर्नेंस के माध्यम से (संपत्ति कर अथवा अन्य) किसी भी प्रकार के करों का भुगतान किया है ?
   उत्तर :- हाँ ( ) / ना ( )

10. क्या आपने ई-गवर्नेंस के माध्यम से (बिजली, पानी तथा अन्य) किसी भी प्रकार के बिल का भुगतान किया है ?
   उत्तर :- हाँ ( ) / ना ( )

PART – C

उपरोक्त 10 सेवाओं में से जो सेवाऐं आपने प्राप्त की है उनसे सम्बंधित अनुभव को कृपया आप हमें बतलायें , इसके लिये प्रत्येक अनुभव के सन्दर्भ में आपको 5 विकल्प दिये गये हैं, अपने अनुभव के आधार पर सही विकल्प के सामने (✔) का निशान लगायें :-

नोट :- यहाँ आपको सही विकल्प का चयन अपने अनुभव के आधार पर करना है अर्थात पहले आप जब ये सेवाऐं कागज़ी कार्यवाही के माध्यम से प्राप्त करते थे तब, तथा अब जब आप इन सेवाओं को ई-गवर्नेंस के माध्यम से प्राप्त करते हैं , इन दोनों के मध्य का जो तुलनात्मक अनुभव है उसके आधार पर कृपया निम्न सारणी की पूर्ती कीजिये।

1. पहले की तुलना में सरकार द्वारा आपको सेवाओं की सही समय पर प्रदायगी -
   उत्तर:-अधिक बढ़ी है( ) /कम बढ़ी है ( ) / पहले के समान ( ) / कम घटी है ( ) / अधिक घटी है ( )
2. पहले की तुलना में आपके समय तथा धन की बचत -
   उत्तर:-अधिक बढ़ी है( ) /कम बढ़ी है ( ) / पहले के समान ( ) / कम घटी है ( ) / अधिक घटी है ( )
3. पहले की तुलना में प्रशासन की आपके प्रति ग्राहक सेवा की भावना -
   उत्तर:-अधिक बढ़ी है( ) /कम बढ़ी है ( ) / पहले के समान ( ) / कम घटी है ( ) / अधिक घटी है ( )
4. पहले की तुलना में प्रशासन द्वारा आपकी शिकायतों का सही समय पर समाधान -
   उत्तर:-अधिक बढ़ी है( ) /कम बढ़ी है ( ) / पहले के समान ( ) / कम घटी है ( ) / अधिक घटी है ( )
5. सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं की जानकारी की आप तक सही समय पर पहुँच -
   उत्तर:-अधिक बढ़ी है( ) /कम बढ़ी है ( ) / पहले के समान ( ) / कम घटी है ( ) / अधिक घटी है ( )
6. पहले की तुलना में प्रशासन के क्रियाकलापों तथा योजनाओं में आपकी भागीदारी
   उत्तर:-अधिक बढ़ी है( ) /कम बढ़ी है ( ) / पहले के समान ( ) / कम घटी है ( ) / अधिक घटी है ( )
7. पहले की तुलना में सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता -
   उत्तर:-अधिक बढ़ी है( ) /कम बढ़ी है ( ) / पहले के समान ( ) / कम घटी है ( ) / अधिक घटी है ( )

PART - D

1. आपने निम्न में से जो सेवाऐं प्राप्त नहीं की हैं, कृपया उनका उल्लेख कारण सहित करें।

2. कृपया ई मित्र सेवा केंद्र के सन्दर्भ में अपना अनुभव हमें बतायें।

3. आपकी टिपण्णी / सुझाव / विचार।

हस्ताक्षर

परिशिष्ट 2.

जोधपुर तथा अजमेर जिले में सर्वेक्षण से प्राप्त प्रतिदर्श (Sample) का विभिन्न आधारों पर विभाजन प्रदर्शित करती तालिका-

विवरण	जोधपुर	अजमेर
कुल प्रतिदर्श	150	150
शहरी	75	75
ग्रामीण	75	75
पुरुष	92	104
महिला	58	46
प्रथम शिक्षा श्रेणी	64	60
द्वितीय शिक्षा श्रेणी	58	54
तृतीय शिक्षा श्रेणी	28	36
प्रथम आयु वर्ग	30	36
द्वितीय आयु वर्ग	36	30
तृतीय आयु वर्ग	28	36
चतुर्थ आयु वर्ग	40	22
पंचम आयु वर्ग	16	26